सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

fo”k; lwph		
Ø-l-	v/;k; dk uke	i`”B l-

Ø-l-	v/;k; dk uke	i`”B l-
1-	miyfC/k;ksa dk flagkoyksdu	1&12
2-	laxBu	13&28
3-	xksi’kq fodkl	29&78
4-	Ms;jh fodkl	79&92
5-	i’kqikyu	93&110
6-	i’kq/ku LokLF;	111&140
7-	i’kqikyu lkaf[;dh	141&158
8-	0;kikj lac/kh ekeys	159&162
9-	vuqlwfpr tkfr mi&;kstuk ¼,l lh,l ih½ vkSj tutkrh; mi&;kstuk ¼Vh,l ih½	163&166
10-	efgyk l’kfädj.k	167&178
11-	vUrjk”Vªh; lg;ksx	179&182
12-	tSo&tUrq dY;k.k	183&192
13-	_.k] foLrkj vkSj çpkj	193&224
14-	foHkkxh; y[kk laxBu	225&240
15-	laln vuqHkkx dk dk;Zdyki	241&246
16-	foHkkx dh lkbcj lqj{kk fLFkfr	247&252

vuqca/k

Ø-l-	v/;k; dk uke	i`"B l-
1-	vuqca/k&I 20oha i'kq/ku lax.kuk o"kZ 2019 ds nkSjku jkT; okj i'kq/ku vkSj iksYVªh dh dqy la[;k	255
2-	vuqca/k&II çeq[k i'kq/ku mRikn dk mRiknu – vf[ky Hkkjrh;	257
3-	vuqca/k&III o"kZ 2024&25 vkSj o"kZ 2025&26 ¼fnukad 31-12-2025 rd½ ds nkSjku foÙkh; vkcaVu rFkk 0;;	259
4-	vuqca/k&IV laxBukRed pkVZ eRL;ikyu] i'kqikyu vkSj Ms;jh ea=ky; ¼i'kqikyu vkSj Ms;jh foHkkx½	260
5-	vuqca/k&V i'kqikyu vkSj Ms;jh foHkkx dks vkcafVr fo"k;ksa dh lwph	262
6-	vuqca/k&VI i'kqikyu vkSj Ms;jh foHkkx ds lac)/v/khuLFk dk;kZy;ksa dh lwph	266
7-	vuqca/k&VII Þjk"Vªh; Ms;jh fodkl dk;ZØeß ds ?kVd ^d* ds vUrxZr jkT;&okj foÙkh; çxfr & ¼fnukad 31-12-2025 rd	268
8-	vuqca/k&VIII Þjk"Vªh; Ms;jh fodkl dk;ZØeß ds ?kVd ^d* ds vUrxZr jkT;&okj okLrfod çxfr & ¼fnukad 31-12-2025 rd½	270
9-	vuqca/k&IXI & 31 fnlacj] 2025 rd vLirkyksa] fMLiassfj;ksa vkSj i'kq fpfdRlk lgk;rk dsaæksa dh la[;k	273
10-	vuqca/k& X & ESVHD-MVU ds vUrxZr enn iku okys jkT;ksa vkSj la?k jkT;{ks=ksa dh dqy la[;k rFkk tkjh dh xbZ fuf/k;ka	275
11-	vuqca/k& IX & 2025 ¼tuojh&tqu½ ds nkSjku Hkkjr esa i'kq/ku jksxksa çtkfrokj ?kVuk,a	276
12-	vuqca/k& XII & i'kq/ku okf"kZd fjiksVZ 01-01-2025 &fnukad 31-12-2025	278
13-	vuqca/k & XIII & ys[kkijh{kk ds vuqPNsn esa dh xbZ dkjZokbZ dh fjiksVZ	317
14-	vuqca/k XIV & eRL;ikyu] i'kqikyu vkSj Ms;jh ea=ky; esa ys[kk laxBu dh LFkkiuk	324

अध्याय-1

miyfC/k;k dk flgkoykdu

miyfC/k;ksa dk flagkoyksdu

अध्याय 1

1-1 भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। वर्ष 2023–24 में वर्तमान मूल्य पर कृषिगत GVA में इसका 30.87% और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5.5% का योगदान है। हालिया वर्षों में इस क्षेत्र की मजबूत और निरंतर वृद्धि, जीवनशैली और खान–पान में बदलाव, जनसंख्या वृद्धि, पशुपालन में उन्नत प्रबंधन पद्धतियों एवं तकनीक जैसे कारकों से प्रेरित है। शहरीकरण की संभावित चुनौती के बावजूद, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांस, दूध और अंडे जैसे पशुधन उत्पादों की बढ़ती मांग इस क्षेत्र की अपार विकास क्षमता को दर्शाती है। सरकारी पहलें किसानों को प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाने और अपर्याप्त अवसंरचना, पशु रोगों और आनुवंशिक गुणवत्ता जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने में सहायता करके इस गति को और बढ़ावा देती हैं। पिछले एक दशक में, इस क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है, जिसका सकल मूल्य वर्धन (GVA) वर्ष 2014&15 ls o"kZ 2023&24 तक लगभग तीन गुना हो गया है। यह 12-77% की औसत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। इस निरंतर वृद्धि ने पशुधन को भारत के कृषि क्षेत्र के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया है, जो इसके कुल आर्थिक आउटपुट में लगभग एक तिहाई का योगदान देता है।

1-2 पशुपालन और कृषि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए आवश्यक हैं। अपने पारंपरिक महत्व से परे, पशुपालन अब ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिए नवाचार और शक्ति का स्रोत बन गया है। जलवायु–अनुकूल पशु देखभाल, स्वच्छ ऊर्जा के लिए बायोगैस उत्पादन और भूमि को उर्वर बनाने के लिए चराई जैसी आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर, यह क्षेत्र पर्यावरण को स्वस्थ बनाने में सक्रिय रूप से सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त, पशुपालन, विशेष रूप से महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए व्यवसाय शुरू करने के अवसर प्रदान करता है, जिससे व्यापक वित्तीय भागीदारी और निष्पक्ष आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

1-3 पशुधन क्षेत्र के GVA में पशुओं के गोबर का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2023–24 में इसका GVA में योगदान 92,958 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2014–15 में यह 45,455 करोड़ रुपये था। इसमें से पशुओं के गोबर का उपयोग कुल गोबर के उपयोग का लगभग दो–तिहाई रहा है, जो सतत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसके स्थिर और महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। पशुओं का गोबर मिट्टी के रासायनिक, वास्तविक और जैविक गुणों में सुधार करके उसकी उर्वरता

बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों के साथ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, साथ ही पोषक तत्वों को बनाए रखने की मिट्टी की क्षमता को भी बढ़ाता है। भौतिक रूप से गोबर, मिट्टी के संघनन को कम करने, छिद्र स्थान बढ़ाने, नमी बनाए रखने की क्षमता में सुधार करने और कटाव के प्रतिरोध को बढ़ाने में मदद करता है। जैविक रूप से, यह विविध सूक्ष्मजीवों को पनपने में मदद करता है जो पोषक तत्व चक्रण और मिट्टी की दीर्घकालिक उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

हालांकि, ये लाभ किस सीमा तक मिल पाएंगे यह खाद के प्रकार, प्रयोग की मात्रा और स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। खाद, रासायनिक उर्वरकों का एक टिकाऊ विकल्प तो है, लेकिन पोषक तत्वों के बहाव और असमान परिणामों जैसी समस्याओं से बचने के लिए इसके सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसलिए, इससे प्राप्त होने वाले लाभ अधिकतम करने और संभावित जोखिमों

को कम से कम करने के लिए इनके प्रयोग की उचित विधियां महत्वपूर्ण हैं।

1-4 जुलाई 2023 – जून 2024 और जुलाई 2024–जून 2025 के दौरान आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण (NIC–2008) के उद्योग समूह 014 (पशु उत्पादन) और उद्योग समूह 015 (मिश्रित खेती) में कार्यरत सामान्य स्थिति (PS+SS) के श्रमिकों का अनुमानित प्रतिशत नीचे तालिका में दिया गया हैः–

rkfydk 1% PLFS o"k 2023&24 vkj o"k 2024&25 d nkjku NIC&2008 d m|kx leg 014 vkj 015 e lkekU;r% dk;jr 0;fä ;k ¼PS+SS½ dk çfr'kr

m|kx leg ¼3&vadh; dkM½ ¼NIC- 2008 d vu|lkj½	m|kx leg dk fooj.k	lkekU;r% dk;jr 0;fä ;k dk ifr'kr (PS+SS) o"k 2023&24	lkekU;r% dk;jr 0;fä ;k dk ifr'kr ¼PS+ SS½ o"k 2024&25
014	पशु उत्पादन	6.34	6.34
015	मिश्रित खेती	4.34	4.34

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट, वर्ष 2023–24 और वर्ष 2024–25, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

0;k[;kRed fVIi.kh

(i) श्रमिक (नियोजित व्यक्ति) परिभाषाः वे व्यक्ति जो संदर्भ अवधि के दौरान किसी आर्थिक कार्यकलाप में लगे हुए थे या जो आर्थिक कार्यकलाप से जुड़े होने के बावजूद रोग, चोट या अन्य शारीरिक अक्षमता, खराब मौसम, त्योहारों, सामाजिक या धार्मिक समारोहों या अन्य आकस्मिकताओं के कारण अस्थायी रूप से काम से अनुपस्थित रहे, श्रमिक कहलाते हैं।

(ii) सामान्य स्थिति वाले श्रमिक (ç/kku fLFkfr vkj vu|'kxh fLFkfr½ dh ifjHkk"kk% सामान्य स्थिति वाले श्रमिकों (PS+SS) की पहचान सामान्य प्रधान स्थिति (PS) और सहायक स्थिति (SS) दोनों को मिलाकर की जाती है। सामान्य स्थिति वाले श्रमिकों (PS+SS) में निम्न शामिल हैं: (क) वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तिथि से पूर्व के 365 दिनों में अपेक्षाकृत लंबे समय तक काम किया हो, और (ख) शेष जनसंख्या में से वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तिथि से पूर्व के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान कम से कम 30 दिन काम किया हो।

1.5 भारत की नवीनतम पशुधन संगणना देश में फार्म पशुओं की विशाल आबादी को दर्शाती है, जो ग्रामीण आजीविका और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बने हुए हैं। 303.76 मिलियन गोपशु, भैंस, मिथुन और याक सहित बोवाइन आबादी भारत के दूध उद्योग और कृषि श्रम का आधार है। छोटे रूमिनेंट्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैंः वर्ष 2019 में, भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन और बकरियों की संख्या 148.88 मिलियन थी, जो विशेष रूप से शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्रों में मांस, दूध और ऊन की आपूर्ति करती हैं। 9.06 मिलियन की आबादी के साथ सूअर उत्तर–पूर्वी और आदिवासी समुदायों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। लगभग 851.81 मिलियन पक्षियों के साथ पोल्ट्री, किफायती अंडों और मांस की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

विभिन्न क्षेत्रों में पशुधन – वितरण, स्थानीय जलवायु परिस्थितियों और सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुकूलन को दर्शाता है। यह विविधता छोटे किसानों और व्यावसायिक उद्यमों दोनों को सहारा देती है। पशुधन क्षेत्र, रोजगार सृजन करके, स्थिर आय प्रदान करके और फसल खराब होने की स्थिति में बफर के रूप में कार्य करके भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देता

है – विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

इस क्षेत्र के इतना महत्वपूण होने के बावजूद, इसे लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख बाधाओं में अपर्याप्त चारा संसाधन, पशु रोगों का प्रसार और जलवायु परिवर्तन के प्रति

बढ़ती संवेदनशीलता शामिल हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए लक्षित पहलों की आवश्यकता है, जैसे नस्लों का आनुवंशिक सुधार, पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करना, जलवायु–अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और उत्पादकों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाना।

पशु उत्पादों की वैश्विक मांग में वृद्धि के साथ, भारत का पशुधन क्षेत्र आर्थिक विकास और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए रणनीतिक रूप से उपयुक्त स्थिति में है। पिछली दो संगणनाओं के दौरान पशुधन और पोल्ट्री आबादी का प्रजातिवार वितरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

rkfydk 1-2% i'kq/ku vkj ikYVh dh vkcknh

Ø-l-	çtkfr;k	19oh i'kq/ku lx.kuk o"k 2012 ¼ l[;k yk[k e½	20oh i'kq/ku lx.kuk o"k 2019 ¼ l[;k yk[k e½	fodkl nj o"k 2012&19 ¼çfr'kr e½
1	गोपशु	190.90	193.46	1.34
2	भैंस	108.70	109.85	1.06
3	याक	0.08	0.06	–24.90
4	मिथुन	0.30	0.39	29.52
dqy ckokbu		299-98	303-76	1-26
5	भेड़	65.07	74.26	14.13
6	बकरी	135.17	148.88	10.14
7	सूअर	10.29	9.06	–12.03
8	अन्य पशु	1.54	0.79	–48.70
dqy i'kq/ku		524-34	536-76	4-82
9	पोल्ट्री	729.21	851.81	16.81

पशुधन और पोल्ट्री की विभिन्न प्रजातियों की राज्य वार आबादी का विवरण vuqc/k&I में दिया गया है।

1-6 i'kq/ku mRiknu

1-6-1 मई 2025 में जारी MoSPI के सकल मूल्य वर्धन (GVA) के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 में पशुधन क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 15,05,615 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जो कुल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के GVA का 30.87% और उस वर्ष के लिए भारत के संपूर्ण GVA का 5.49% है। स्थिर कीमतों (वर्ष 2011–12) पर, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पशुधन क्षेत्र का GVA लगभग 7,27,481 करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5.41% की वृद्धि दर्शाता है।

ग्राफ 1.1: वर्तमान कीमतों पर कृषि क्षेत्र के GVA और कुल GVA में पशुधन क्षेत्र का योगदान

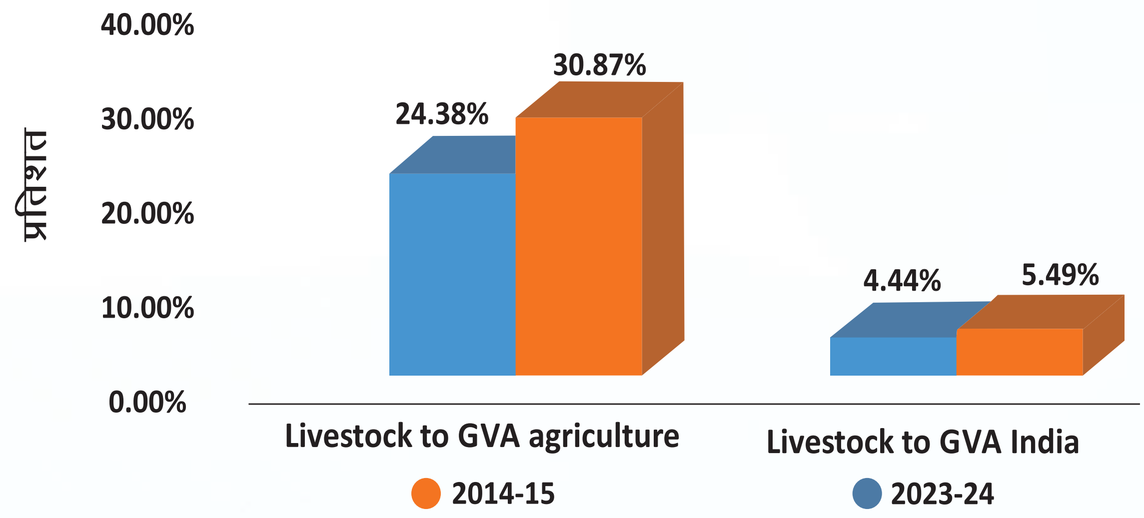

ग्राफ 1.2: वर्तमान कीमतों पर कृषि क्षेत्र के GVA और कुल GVA में अन्य कृषि कार्यकलापों का योगदान

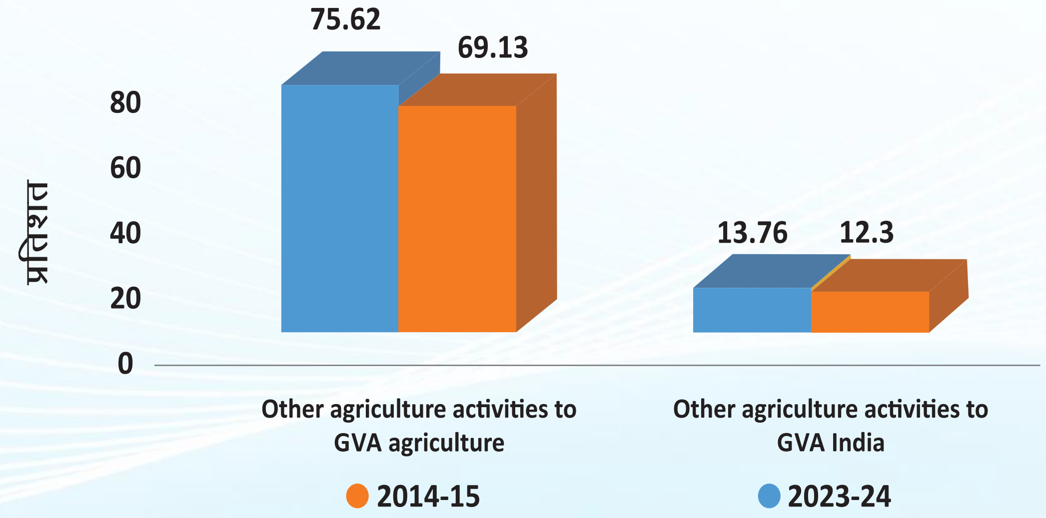

1-6-2 n/k mRiknu

Hkkjrh; M;jh m|ksx dh 'kkunkj lQyrk tkjh g

दूध उत्पादन में निरंतर और प्रभावशाली वृद्धि के कारण भारत ने स्वयं को विश्व के शीर्ष दूध उत्पादक के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया है। वर्ष 2014–15 से वर्ष 2024–25 के दशक में, दूध उत्पादन में 5.41% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर (CAGR) से लगातार बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2024–25 में यह रिकॉर्ड 247.87 मिलियन टन तक पहुंच गया। FAO के अनुसार, भारत अब अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और ब्राजील जैसे देशों से आगे निकलकर दूध उत्पादन में विश्व में अग्रणी है।

ग्राफ 1.3: वर्ष 2015–16 से वर्ष 2024–25 तक दूध उत्पादन और उसके संगत वार्षिक वृद्धि दर

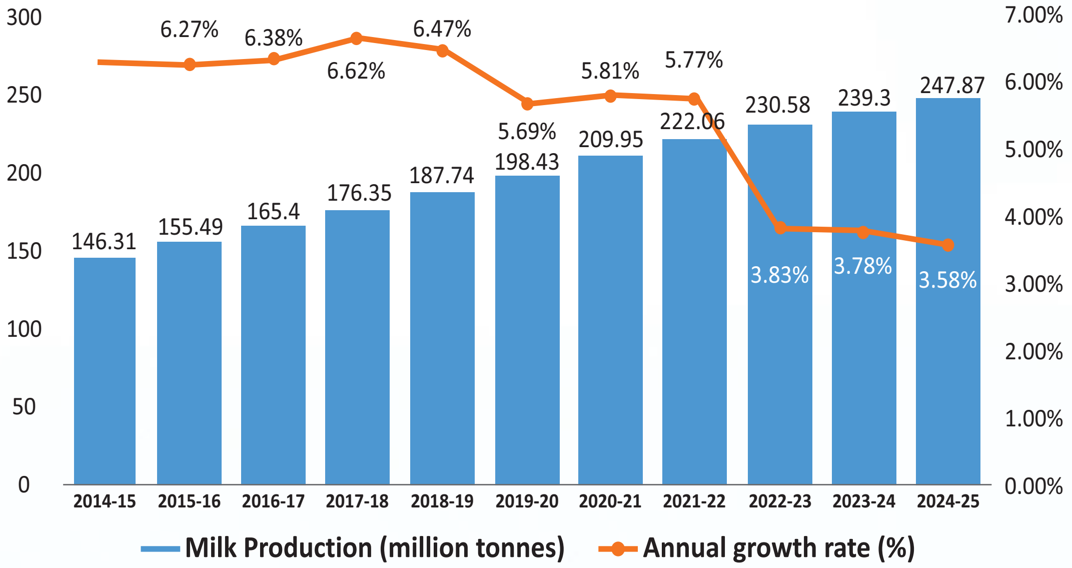

1-6-2-1 दूध उत्पादन की औसत दर: वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न प्रजातियों के पशुओं से प्रति दिन प्रति पशु दूध उत्पादन की औसत दर नीचे दी गई है:

rkfydk 1-3 % n/k dk vklr mRiknu

fon'kh@ ladj uLy dh xk; ¼fdxk@ fnu@i'k½	ladj uLy dh xk; ¼fdxk-@ fnu@i'k½	n'kh xk; ¼fdxk@ fnu@i'k½	u,u&fMfLØIV xk; ¼fdxk@ fnu@i'k½	n'kh Hkl ¼fdxk@ fnu@i'k½	u,u&fMfLØIV Hkl ¼fdxk-@ fnu@i'k½	cdjh ¼fdxk@ fnu@i'k½
11.11	8.95	4.25	3.48	6.92	5.57	0.57

स्रोत: मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी– वर्ष 2025

1-6-2-2 o"kZ 2024&25 ds nkSjku nw/k mRiknu dk çfr'kr fgLlk

ग्राफ 1.4: वर्ष 2024–25 में प्रजाति–वार दूध का योगदान

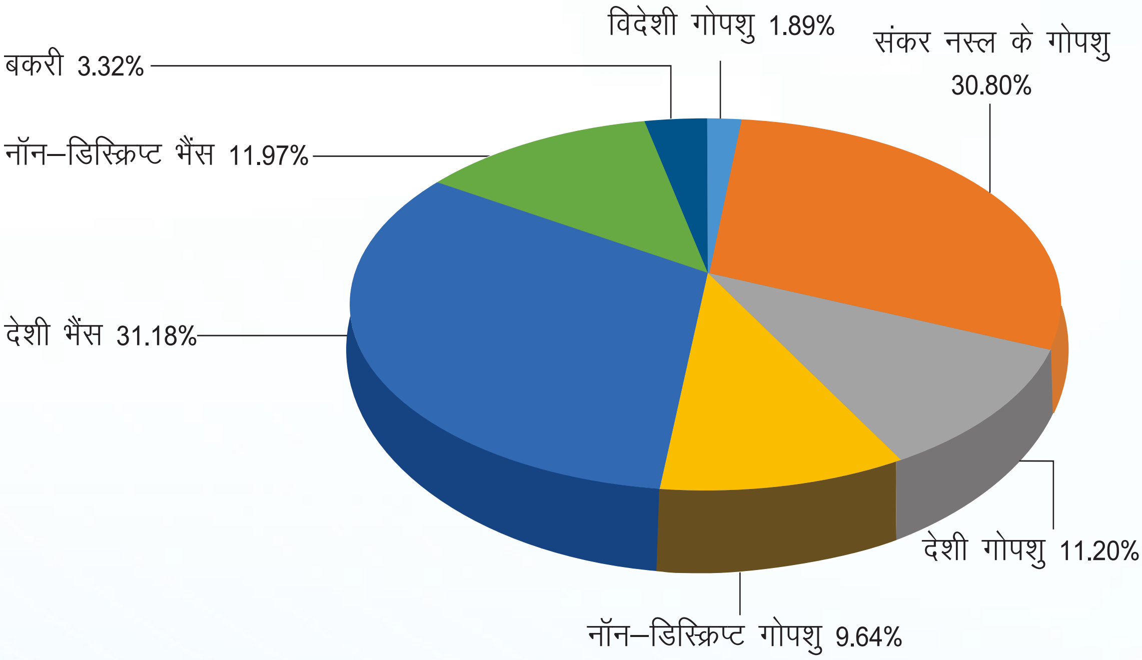

भारत में दूध का उत्पादन मुख्य रूप से भैंसों, गोपशु और बकरियों से होता है। भैंसें, विशेष रूप से देसी और नॉन–डिस्क्रिप्ट नस्लें, सबसे बड़ा योगदान देती हैं, जो कुल दूध आपूर्ति का 43.15% हिस्सा हैं। इसके बाद, संकर नस्ल और विदेशी गोपशुओं का योगदान 32.69% है, जबकि देशी और नॉन–डिस्क्रिप्ट गोपशुओं का योगदान 20.84% है। बकरियों का योगदान भले ही कम हो, लेकिन महत्वपूर्ण है, जिनका देश के कुल दूध उत्पादन में 3.32% हिस्सा है। ये सभी पशु मिलकर भारत के डेयरी उद्योग की विविध नींव बनाते हैं।

1-6-3 vaMk mRiknu

Hkkjr us vaMk mRiknu esa ,d çHkko'kkyh miyfC/k gkfly dh gSA

वर्ष 2014–15 और वर्ष 2024–25 के बीच, अंडे के उत्पादन में 6-62% की **CAGR** से वृद्धि हुई और वर्ष 2024–25 में यह 149.11 बिलियन अंडों के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन ने भारत को चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश बना दिया है। देश ने अब संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे अन्य अग्रणी उत्पादकों को पीछे छोड़ दिया है। यह इस महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में इसकी ताकत और क्षमता को दर्शाता है।

ग्राफ 1.5: वर्ष 2015–16 से वर्ष 2024–25 तक अंडा उत्पादन और उसके संगत वार्षिक वृद्धि दर

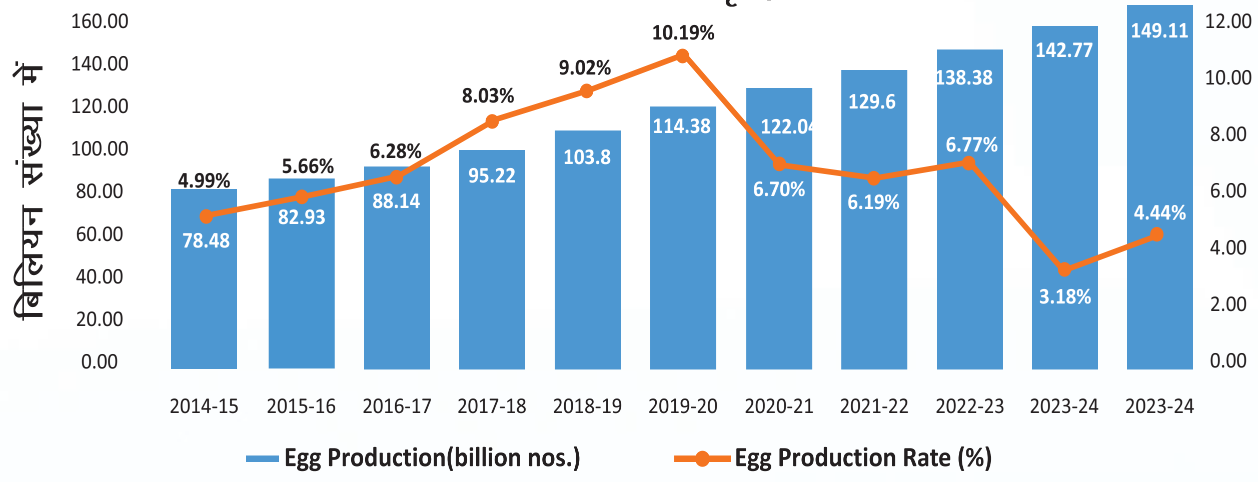

1-6-4 ekl mRiknu

Hkkjr e ekl mRiknu e etcr of) n[kh xbl gA

वर्ष 2014–15 और वर्ष 2024–25 के बीच, इसके उत्पादन में 4.61% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ोतरी हुई, और वर्ष 2024–25 में यह रिकॉर्ड 10.50 मिलियन टन तक पहुंच गया। इस उपलब्धि के साथ भारत चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा मांस उत्पादक बन गया है। यह निरंतर वृद्धि वैश्विक मांस उद्योग में भारत की बढ़ती भूमिका और प्रभाव को दर्शाती है।

चार्ट 1.6: वर्ष 2015–16 से वर्ष 2024–25 तक मांस उत्पादन और उसके संगत वार्षिक वृद्धि दर

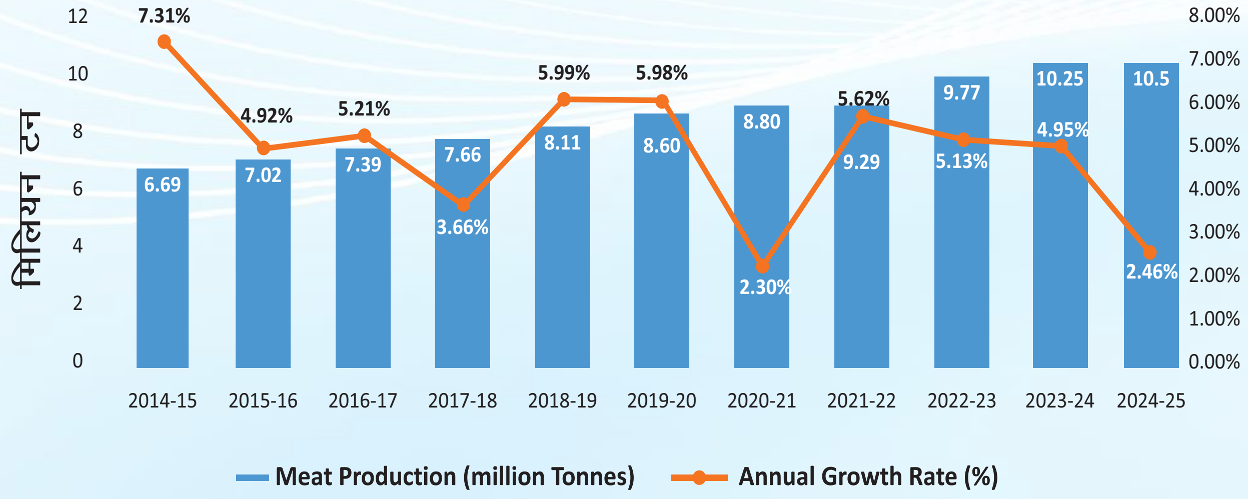

1-6-5 Åu mRiknu

ifjorlu dh gok% Hkkjr dk Åu m|kx ubl pukfr;k dk lkeuk dj jgk g

भारत के कृषि क्षेत्र ने भले ही कई सफलताएँ हासिल की हों, लेकिन इसका ऊन उद्योग परिवर्तन और अनुकूलन की एक अलग ही कहानी बयां करता है। वर्ष 2014–15 से वर्ष 2024–25 तक, ऊन उत्पादन में

3.25% की CAGR से गिरावट आई है। इस गिरावट के परिणामस्वरूप वर्ष 2024–25 में ऊन का उत्पादन 34.57 मिलियन किलोग्राम रहा, जो भारत के पारंपरिक ऊन उत्पादक क्षेत्रों की गतिशीलता में बदलाव का संकेत देता है।

चार्ट 1.7. वर्ष 2015–16 से वर्ष 2024–25 तक ऊन उत्पादन और उसके संगत वार्षिक वृद्धि दर

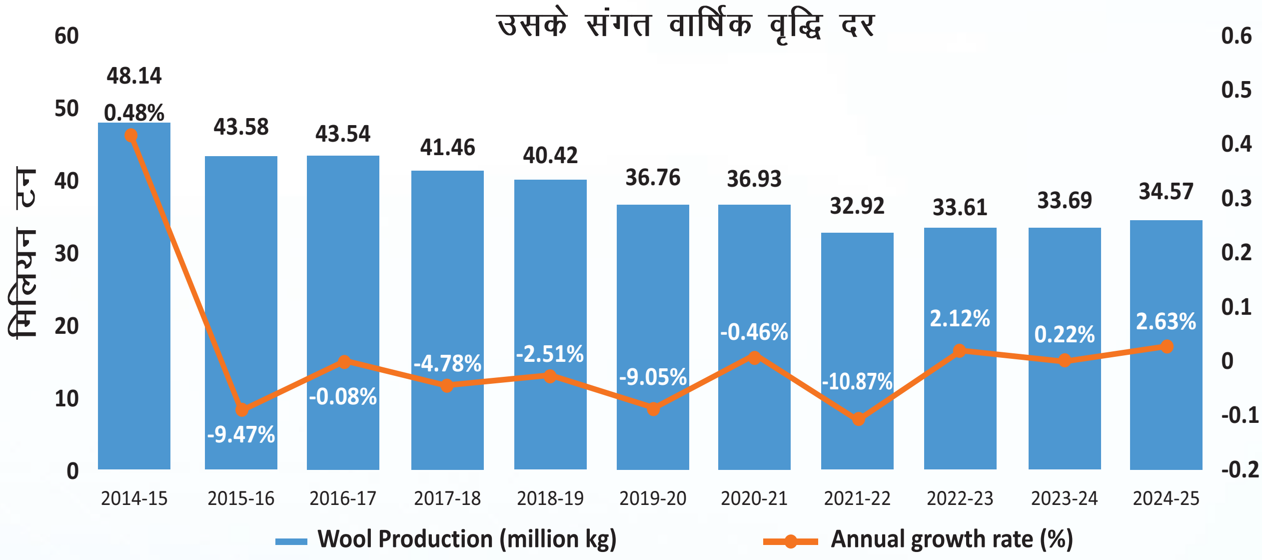

वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक प्रमुख पशुधन उत्पादों (MLP) के उत्पादन का विवरण अनुबंध–II में दिया गया है।

1-6-6 Hkkjr dk i'kq/ku mRiknk dk oSfÜod ifj–';%

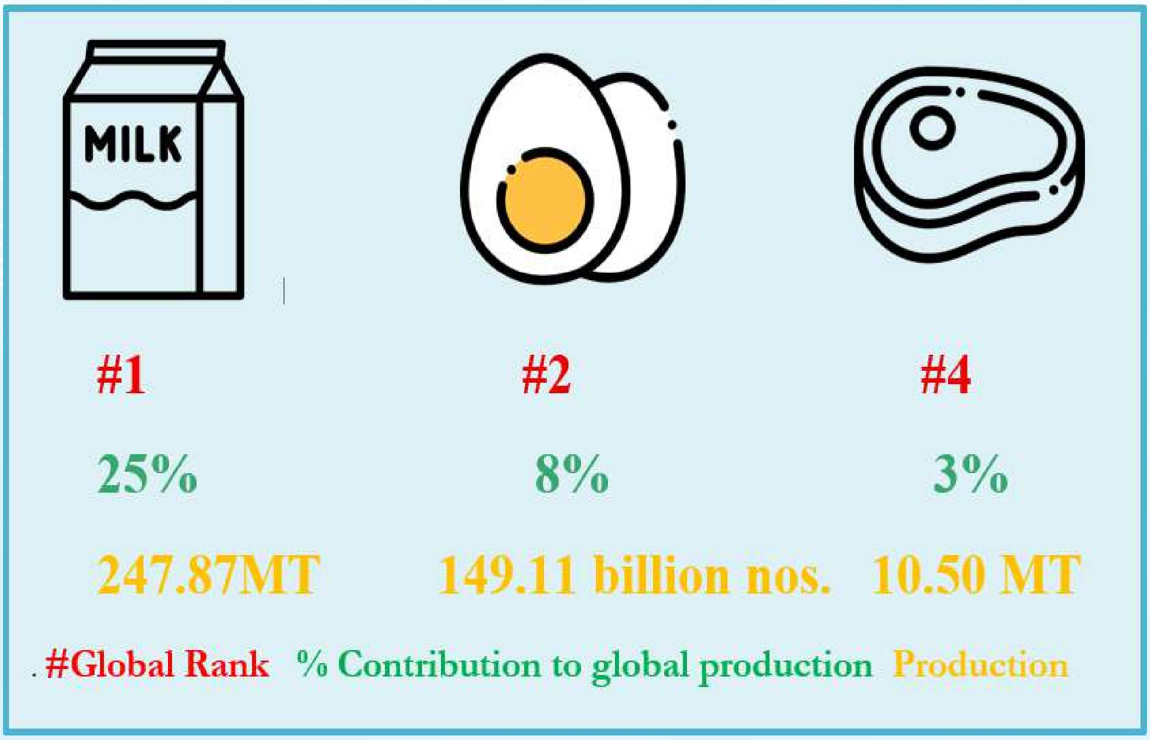

स्रोतः FAO वेबसाइट और BAHS वर्ष 2025

1-7 ,& gYi ¼LokLF; vkj i'k/ku mRiknu dk foLrkj dk fy, ekU;rk çkIr ,tV½

- ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHG) का लाभ उठाने के उद्देश्य से, भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MFAHD) के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय (MORD) के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ने दिनांक 1 सितंबर 2021 को एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए।
- समझौता ज्ञापन के अनुसार, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ''ए–हेल्प'' नामक एक नए मान्यता प्राप्त मॉडल के माध्यम से पशुधन संसाधन व्यक्तियों और प्राथमिक सेवा प्रदाताओं के रूप में पशुसखियों (स्वयं सहायता समूहों (SHG)) के सदस्यों की सेवाओं का लाभ उठाएगा।
- यह कार्यक्रम वर्ष 2022 में शुरू किया गया था, और तब से अब तक 293 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और 908 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। NDDB द्वारा तैयार किए गए राज्य–वार मास्टर ट्रेनरों का विवरण निम्नलिखित है:

ekLVj Vªul çkxke dh lefdr fLFkfr

Ø-la-	jkT;@la?k jkT; {ks=	vk;kftr dk;Øeka dh la[;k	mifLFkr çfrHkkfx;ka dh la[;k
1	मध्य प्रदेश	5	60
2	जम्मू और कश्मीर	2	40
3	उत्तराखंड	4	59
4	झारखंड	4	59
5	महाराष्ट्र	3	59
6	बिहार	3	60
7	गुजरात	4	99
8	कर्नाटक	4	126
9	केरल	3	65
10	असम	2	40
11	राजस्थान	3	74
12	छत्तीसगढ़	3	61
13	मिजोरम	2	10
14	सिक्किम	1	5
15	अंडमान और निकोबार द्वीप	2	5
16	त्रिपुरा	2	10
17	ओडिशा	2	33
18	उत्तर प्रदेश	2	43
	dqy	51	908

- केरल, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, ओडिशा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ सहित 16 राज्यों में ए–हेल्प के कुल 293 जमीनी स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 7504 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम एएचडी प्रशिक्षण केंद्रों/आरएसईटीआई/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों / एनजीओ/ न्यास/एलडीबी प्रशिक्षण केंद्रों/ निजी प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किए जाते हैं।
- ए–हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रतिभागियों का राज्य वार विवरण नीचे दिया गया है:

Ø-l-	jkT;@la?k jkT; {ks=	dk;Øeksa dh la[;k	çf'kf{kr çfrHkkfx;ksa dh la[;k
1	मध्य प्रदेश	41	1047
2	जम्मू और कश्मीर	24	599
3	बिहार	50	1246
4	गुजरात	21	486
5	कर्नाटक	18	542
6	झारखंड	12	294
7	उत्तराखंड	20	506
8	असम	6	150
9	केरल	15	438
10	महाराष्ट्र	24	651
11	मिजोरम	9	225
12	राजस्थान	3	70
13	सिक्किम	4	100
14	ओडिशा	37	928
15	त्रिपुरा	5	120
16	छत्तीसगढ़	4	102
dqy		293	7504

1-8 o"kZ 2024&25 vkSj o"kZ 2025&26 dh okf"kZd ;kstuk

1-8-1 वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए विभाग को बीई चरण में 4931.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो आरई चरण में घटकर 4014.25 करोड़ रुपये रह गए। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वास्तविक व्यय 3649.25 करोड़ रुपये था। वर्ष 2025–26 के लिए विभाग को बीई चरण में 5055.40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो आरई चरण में घटकर 5482.83 करोड़ रुपये रह गए हैं। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए आवंटित निधि में से 3461.42 करोड़ रुपये (दिनांक 31.12.2025 तक) का व्यय किया है।

1-8-2 वित्तीय वर्ष 2024–25 और वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए योजना वार बीई, आरई और वास्तविक व्यय (दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार) अनुबंध–III में दिया गया है।

***

अध्याय-2

lxBu

lxBu

अध्याय 2

2-1 l|jpuk

2.1.1 पशुपालन और डेयरी विभाग, दिनांक 14.06.2019 के मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या एसओ 1972 (ई) के अनुसार मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों में से एक है। पशुपालन और डेयरी विभाग मूल रूप से दिनांक 1 फरवरी, 1991 को कृषि और सहकारिता विभाग के दो प्रभागों अर्थात पशुपालन और डेयरी विकास को एक अलग विभाग में विलय करके अस्तित्व में आया था। कृषि और सहकारिता विभाग का मत्स्यपालन प्रभाग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बाद में दिनांक 10 अक्टूबर, 1997 को इस विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 2019–20 की अंतरिम बजट घोषणा अनुसरण में, मत्स्यपालन प्रभाग को मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 05.02.2019 अधिसूचना संख्या एसओ 762 (ई) के अनुसार पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग से अलग करके मत्स्यपालन विभाग नामक एक नए विभाग के रूप में अलग किया गया है।

2.1.2 यह विभाग श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के समग्र प्रभार में है। उन्हें दो राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विभाग के प्रशासनिक प्रमुख पशुपालन और डेयरी सचिव हैं।

2.1.3 इस विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन में विभाग के सचिव को पशुपालन आयुक्त, दो अपर सचिव, एक संयुक्त सचिव और एक सलाहकार (सांख्यिकी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट और विभिन्न प्रभागों के बीच कार्य आवंटन vu|c/k&IV में दिया गया है ।

2-2 dk;l

2.2.1 विभाग पशुधन उत्पादन, संरक्षण, स्टॉक की सुरक्षा और सुधार, डेयरी विकास, दिल्ली दुग्ध योजना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड और पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण समिति (CCSEA) से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है ।

2.2.2 विभाग पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देता है। कार्यकलाप का मुख्य ध्यान (क) पशु उत्पादकता में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपेक्षित अवसंरचना के विकासः (ख) दूध और दूध उत्पादों की हैंडलिंग, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना को बढ़ावा देनाः (ग) स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का संरक्षण और सुरक्षाः (घ) राज्यों को वितरण के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केंद्रीय पशुधन फार्मों (गोपशु, भेड़ और पोल्ट्री) को सुदृढ़ करना और (ड) भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) और पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण समिति (CCSEA) से संबंधित मामलों पर है।

2.2.3 विभाग को आबंटित विषयों की सूची vu|c/k&V में दी गई है।

2-3 v/khuLFk dk;ky;

2-3-1 विभाग पूरे देश में फैले निम्नलिखित क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासन की देखभाल करता है (तालिका 2.1)।

rkfydk 2-1% v/khuLFk dk;ky;

Ø- l-	v/khuLFk dk;ky;	l[;k
(i)	पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र*	1
(ii)	नस्ल सुधार संस्थान	10
(iii)	केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठन	4
(iv)	केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	1
(v)	क्षेत्रीय चारा केंद्र	7
(vi)	चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत	1
(vii)	पशु संगरोध प्रमाणन सेवा केंद्र	5
(viii)	दिल्ली दुग्ध योजना	1
	कुल	30

*पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र (CEAH) की स्थापना भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत हेसरघट्टा, बेंगलुरु में 5 संगठनों के एक संघ के रूप में दिनांक 14 मार्च, 2023 के आदेश संख्या एफए–430011/3/2023–स्था. (मुख्यालय), तहत की गई है। यह भारत सरकार के ''मिशन कर्मयोगी'' के तहत राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB) के लिए डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया गया है। सीईएएच 642 एकड़ में फैला हुआ है, जो हेसरघट्टा, बेंगलुरु में पांच संस्थानों में फैला है, अर्थात् (i) केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठन और प्रशिक्षण संस्थान (CPDO&TI), (ii) केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान (CFSPTI), (iii) केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (CCBF), (iv) पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएं (AQCS), बेंगलुरु और (v) क्षेत्रीय चारा स्टेशन (RFS)।

INDEX	
Heads	Symbol
Central Cattle Breeding Farm (CCBF)-7 Nos.	●
Central Herd Registration Unit (CHRU)-4 Nos.	▮
Regional Fodder Station (RFS)-8 Nos.	*
National Institute of Animal Health (NIAH), UP-1 Nos.	◆
Animal Quarantine & Certification Service Station (AQCS)-6 Nos.	T

Central Sheep Breeding Farm - 1 No.	▲
Central Poultry Development Organization (CPDO)- 5 Nos.	✚
Central Frozen Semen Production and Training Institue	⬮

2-3-2 mi;|ä v/khuLFk dk;kZy;ksa dh lwph vuqc/k&VI esa nh xbZ gSA

2-4 o/kkfud@Lok;Ùk fudk;

2-4-1 jk"Vªh; MsjhfodkldkMZ (NDDB)

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) का मुख्यालय आणंद, गुजरात (भारत) में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और तत्पश्चात वर्ष 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। एनडीडीबी ने वर्ष 1970 से वर्ष 1996 तक ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की सफलतापूर्वक योजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया। हाल ही में, एनडीडीबी राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता/सहयोग भी कर रहा है।

एनडीडीबी सहकारी रणनीतियों का पालन करते हुए डेयरी तथा अन्य कृषि और संबद्ध उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है, योजना बनाता है और उनका आयोजन करता है और डेयरी सहकारी समितियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ-साथ ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करता है। एनडीडीबी और इसकी सहायक कंपनियों का मुख्य ध्यान पशु प्रजनन, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी सेवाएं, सहकारी सेवाएं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, बायोगैस/खाद प्रबंधन आदि के माध्यम से सतत डेयरी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर डेयरी क्षेत्र को अधिक कुशल, प्रभावी और टिकाऊ बनाना है। एनडीडीबी अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अपनी स्वयं की योजनाएं भी चला रहा है जैसे– प्रगति संभावी दूध संघों को पुनर्जीवित करना, डेयरी सहकारी समितियों को समर्थन देने के लिए विपणन पहल, एथनो–पशु चिकित्सा दवाओं के माध्यम से रोग नियंत्रण कार्यक्रम, वन हेल्थ आदि।

वर्तमान में एनडीडीबी झारखंड दूध परिसंघ (JMF), वाराणसी दूध संघ, पश्चिम असम दूध उत्पादक सहकारी संघ (WAMUL), पूर्वी असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (EAMUL), नॉर्थ ईस्ट डेयरी और आहार लिमिटेड (NEDFL), विदर्भ मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना (VMDDP), लद्दाख डेयरी परिसंघ लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सहकारी डेयरी परिसंघ और महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध महासंघ मर्यादित के संचालन को प्रबंधित कर रहा है।

एनडीडीबी भारत को ''विश्व की डेयरी'' बनाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिसके लिए कई पहलें की जा रही हैं। एनडीडीबी श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों और केन्या जैसे छोटे स्तर की डेयरी प्रणाली वाले देशों को सहकारी रणनीतियों और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने डेयरी क्षेत्र की बदलाव में सहायता करने के लिए पहलों का समन्वय भी कर रहा है।

एनडीडीबी अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों की योजनाओं और कार्यक्रमों का भी लाभ उठा रहा है। एनडीडीबी राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी संघ लिमिटेड का मुख्य प्रवर्तक है, जो राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समितियां हैं, जो संबंधित मूल्य श्रृंखला में एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसमें पशुपालन और डेयरी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ।

2-4-2 i'kq fpfdRlk i)fr dk fofu;eu%

Hkkjrh; i'kq fpfdRlk ifj"kn

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (VCI) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधान के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पशु चिकित्सा पद्धतियों को विनियमित करने के साथ–साथ देश भर के सभी पशु चिकित्सा संस्थानों में पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानक के माध्यम से पशु चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में 27 सदस्य होते हैं – 5 (पांच) सदस्य, जो भारत सरकार द्वारा उन राज्यों के पशुपालन निदेशकों में से नामित होते हैं, जिन राज्यों पर यह अधिनियम लागू होता है, 4 (चार) सदस्य, जिन राज्यों पर यह अधिनियम लागू होता है, वहां के पशु चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों में से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा नामित 1 (एक) सदस्य, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 (एक) सदस्य, भारतीय पशु चिकित्सा संघ द्वारा नामित 1 (एक) सदस्य, उन राज्यों के राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के अध्यक्षों में से नामित 1 (एक) सदस्य, जिन राज्यों पर यह अधिनियम लागू होता है और उन राज्यों के राज्य पशु चिकित्सा संघों के अध्यक्षों में से नामित 1 (एक) सदस्य, जिन राज्यों पर यह अधिनियम लागू होता है। भारतीय पशुचिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों में से 11(ग्यारह) सदस्य चुने जाते हैं। भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त और भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के सचिव, परिषद के पदेन सदस्य हैं।

देश में प्रशिक्षित पशु चिकित्सा कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए, देश में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या अब बढ़कर 70 हो गई है, जिसमें सरकारी क्षेत्र के 58 मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं।

देश में पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों – डिग्री कोर्स (BVSC&AH) विनियम, वर्ष 2016 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परिषद पशु चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, वर्ष 1984 की धारा 19 और 20 के प्रावधानों के तहत समय–समय पर बीवीएससी और एएच डिग्री प्रदान करने वाली परीक्षाओं के संबंध में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण करती है।

परिषद ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, वर्ष 1984 की धारा 24 और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पंजीकरण) विनियम, वर्ष 1992 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में अपना नाम पंजीकृत कराने के इच्छुक 1049 चिकित्सकों को सीधे पंजीकृत किया है। वर्ष के दौरान, परिषद ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, वर्ष 1984 की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में पशु चिकित्सा चिकित्सकों के पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए 645 आवेदनों का निपटारा किया।

वर्ष 2025 के दौरान परिषद ने अखिल भारतीय कोटा की 15% सीटें भरने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की और बी.वी.एस.सी. एवं ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 731 सीटें भरी गईं।

वर्ष 2025 के दौरान, नए पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 14 आशय पत्र (LOI) जारी किए गए हैं। इनमें से 7 नए महाविद्यालयों को अंतिम मान्यता दी गई है, जिनमें से 5 को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम वर्ष 1984 की पहली अनुसूची में अधिसूचित किया गया है और 2 अधिसूचित होने की प्रक्रिया में हैं। पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2014 में 36 से बढ़कर वर्ष 2025 में 84 हो गई है। प्रवेश NEET स्कोर के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रणाली द्वारा समर्थित हैं। विदेशी पशु चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके विदेशी पशु चिकित्सा स्नातकों

के पंजीकरण को सक्षम बनाने के लिए 'भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (विदेशी पशु चिकित्सा स्नातक पंजीकरण) नियम, वर्ष 2025' को दिनांक 26.12.2025 को अधिसूचित किया गया है।

2-4-3 Hkkjrh; tho tUrq dY;k.k cksMZ

भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड पशु कल्याण कानूनों पर एक वैधानिक सलाहकार निकाय है और देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 59) की धारा 4 के तहत 1962 में स्थापित, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की शुरुआत स्वर्गीय श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जो एक प्रसिद्ध मानवतावादी थीं, के नेतृत्व में हुई थी। देश में पशु कल्याण कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने से लेकर पशु कल्याण संगठनों को अनुदान प्रदान करने और पशु कल्याण के मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने तक, बोर्ड पिछले 62 वर्षों से देश में पशु कल्याण आंदोलन का चेहरा रहा है।

2-5 fo'ks"k vfHk;ku 5-0

विशेष अभियान 5.0 (SC 5.0) के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यकालपों का विवरण

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने दिनांक 2 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच "विशेष अभियान 5.0" का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करना, स्वच्छता अभियान आयोजित करना, रिकॉर्ड प्रबंधन आदि है।

पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा (AQCS), कपासहेड़ा, नई दिल्ली में माननीय राज्य मंत्री के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान।

पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा (AQCS), कापसहेड़ा, नई दिल्ली में ''एक पेड़ मां के नाम'' कार्यकलाप

माननीय राज्य मंत्री (FAHD और PR) कार्यालय कक्ष का दौरा करते हुए।

माननीय राज्य मंत्री द्वारा विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित समीक्षा बैठक

SC 5.0 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धि का विवरणः–

fo’k”k vfHk;ku 5-0			
Ø-l-	ekunM	y{;	miyfC/k
1.	जन शिकायतें	214	302
2.	जन शिकायतें अपील	35	43
3.	संसदीय आश्वासन	5	5
4.	राज्य सरकार के संदर्भ	8	8
5.	प्रधानमंत्री कार्यालय का संदर्भ	3	3
6.	नियमों/प्रक्रियाओं में सरलीकरण	1	1
7.	वास्तविक (Physical) फाइलों की समीक्षा	24645	30020
8.	वास्तविक (Physical) फाइलों की छंटनी	22648	22648
9.	ई–फाइलों की समीक्षा	680	680
10.	ई–फाइलों को बंद करना	182	182
11.	स्थलों की स्वच्छता	221	237
12.	सांसदों से संदर्भ	15	11
12	राजस्व सृजन	5,86,973/– रु. (पांच लाख छियासी हजार नौ सो तिहत्तर रुपए)	
13	स्क्रैप निपटान और फाइलों को छांटने से खाली हुई जगह (वर्ग फुट)	5334	

fo’k”k vfHk;ku (SC) 5-0 dk nkjku foHkkxh; lokÙke dk;l

डीएएचडी के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (CCBF), चिपलिमा, संबलपुर ने स्क्रैप लोहे का उपयोग करके एक गाय की प्रतिमा बनाई है। यह कलाकृति गोपशुओं और पशुधन के प्रति सम्मान का प्रतीक है, साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के रचनात्मक पुनः उपयोग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देती है। कलात्मक अभिव्यक्ति ''अपशिष्ट से कला'' की अवधारणा को दर्शाती है, जो सौंदर्य मूल्य (Aesthetic value) के साथ नवाचार का प्रदर्शन करती है।

संबलपुर के चिपलिमा स्थित केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (CCBF) में स्क्रैप लोहे से बनी गाय की प्रतिमा

fo'ks"k vfHk;ku 5-0 ds nkSjku vk;ksftr vU; dk;Zdyki%

- चित्रकारी द्वारा दीवारों का सौंदर्यीकरण
- वृक्षारोपण – एक पेड़ माँ के नाम
- स्वास्थ्य जाँच
- किसान सम्मेलन
- चित्रकारी प्रतियोगिता
- अपशिष्ट से कला
- अपशिष्ट से संपत्ति

<table>
<tr>
<td>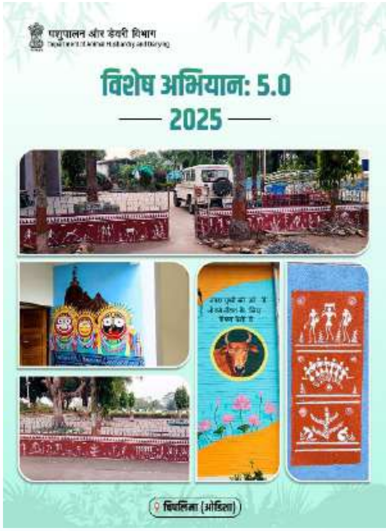
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>सौरा चित्रकला – ओडिशा की एक पारंपरिक आदिवासी कला शैली – केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, संबलपुर (ओडिशा) द्वारा बनाई गई भित्ति चित्रकला</td>
<td>सुनाबेड़ा स्थित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म ने कोरापुट मेडिकल कॉलेज के सहयोग से ''विशेष अभियान 5.0'' के तहत सभी अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया।''</td>
<td>केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, संबलपुर (ओडिशा) द्वारा आयोजित दंत स्वास्थ्य शिविर।</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>क्षेत्रीय चारा केंद्र, सूरतगढ़ (जिला श्री गंगानगर, राजस्थान) ने एक सराहनीय पहल की है – खेतों में गिरे सूखे पत्तों और जैविक कचरे का उपयोग करके ''कम्पोस्ट खाद'' तैयार की जा रही है।</td>
<td>हैदराबाद स्थित पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा ने एमपीपीएस सरकारी प्राथमिक विद्यालय, थुक्कूगुडा में ''स्वच्छता'' विषय पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया।</td>
<td>केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, संबलपुर (ओडिशा) द्वारा विभिन्न शहरों के 3 कृषि विज्ञान केंद्रों में ''स्वच्छ दूध उत्पादन'' पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया।</td>
</tr>
</table>

आरएफएस चेन्नई ने कार्यालय परिसर की सफाई और ''एक पेड़ मां के नाम'' वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया।	हेसरघट्टा (बेंगलुरु) स्थित पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र द्वारा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर जागरूकता शिविर।	केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सुनाबेड़ा (ओडिशा) द्वारा पाल्मा गांव के पशुपालकों के लिए टीकाकरण, स्वच्छ दूध उत्पादन, कृमिनाशक, पशु स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

2-6 SC/ST/OBC/PWD/EWS d fy, lid vf/kdkjh

विभाग के मुख्यालय के साथ–साथ अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और विकलांग व्यक्तियों (PWD) के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, सेवा में आरक्षण पर सरकारी नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर में अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

2-7 lrdlrk bdkbl

2.7.1 सतर्कता इकाई इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सतर्कता मामलों/शिकायतों की जांच और कार्रवाई करती है। नियमित मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट डीओपीटी, सीवीसी, पीएमओ आदि को प्रस्तुत की जाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ; सीवीसी की सलाह लेने से लेकर आरोप–पत्र जारी करने तक और सलाह और संबंधित निर्देशों के लिए सीवीसी और यूपीएससी के साथ नियमित समन्वय करके मामलों को अंतिम रूप देने तक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। मुख्य सतर्कता अधिकारी नियमित आधार पर सतर्कता मामलों की निगरानी करते हैं।

2.7.2 विभाग ने अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के साथ दिनांक 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" था। सचिव (AHD) ने दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। पूरे सप्ताह कृषि भवन और चंद्रलोक भवन परिसर के प्रमुख स्थानों पर सीवीसी की थीम को प्रदर्शित करते हुए बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए। सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह और संबद्ध कार्यकलाप के पालन के संबंध में निर्देश दिए गए। डीएएचडी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों

को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने और राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (दिनांक 19.10.2024 से 25.10.2024) के दौरान आईगॉट प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ''मिशन कर्मयोगी'' करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, वर्ष 2024 के अनुपालन के संबंध में दिनांक 30 नवंबर, 2024 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में सचिव, एएचडी (कमरा सं 218), के सम्मुख कृषि भवन में ''शपथ समारोह'' में पशुपालन और डेयरी विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारी

सप्ताह भर कृषि भवन और चंद्रलोक भवन परिसर के प्रमुख स्थानों में द्विभाषिक बैनर प्रदर्शित किए गए तथा कर्मचारियों में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया तथा पर्चे बांटे गए।

2-8 fgUnh dk çxfr'khy ç;kx

2.8.1 विभाग ने वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। राजभाषा अनुभाग वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्न, संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित दस्तावेजों और कैबिनेट नोट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद के साथ–साथ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

2.8.2 वर्ष 2025 के दौरान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिनांक 28 अप्रैल 2025 को संयुक्त सचिव (रा.भा.) और उप निदेशक (रा.भा.) द्वारा केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, संबलपुर, ओडिशा कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया गया।

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, संबलपुर, ओडिशा का राजभाषायी निरीक्षण

2.8.3 इस विभाग में संयुक्त सचिव (रा.भा.) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। इसके अनुपालन में विभाग द्वारा वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है:–

Ø- l-	foHkkxh; jktHkk"kk dk;kZUo;u lfefr dh cSBd dh frfFk
1.	22/04/2025
2.	24/06/2025
3.	11/09/2025
4.	21/11/2025

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी समिति की अप्रैल, 2025 तिमाही की बैठक

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी समिति की सितंबर, 2025 तिमाही की बैठक

2.8.4 सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग तथा संयुक्त सचिव (रा.भा.) की ओर से सभी अधिकारियों/अनुभागों को समय–समय पर परिपत्र जारी किए गए, जिसमें सरकार की राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया और उन्हें हिंदी में कार्य करने करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया।

2.8.5 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का पूरी तरह से अनुपालन किया गया। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए। इसी प्रकार, विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को अधिकांशतः हिंदी में ही पत्र भेजे गए। संयुक्त सचिव (रा.भा.) द्वारा नवंबर, 2025 में आयोजित तिमाही बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अधिक से अधिक कार्य हिंदी में ही करने का प्रयास करें और वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें।

2.8.6 विभाग में दिनांक 14 सितंबर 2025 से दिनांक 28 सितंबर 2025 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। माननीय मंत्री जी व राज्य मंत्री जी द्वारा हिंदी दिवस पर एक संयुक्त संदेश जारी किया गया।

संदेश

विभाग में पहली बार हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन कॉस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। इस समारोह में विभाग के सचिव, श्री नरेश पाल गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें बड़ी संख्या में भाग लिया। समारोह में गीत–संगीत का कार्यक्रम और नाट्य मंचन का भी आयोजन किया गया।

फोटोसचिव : महोदय दीप प्रज्जवलित करते हुए। कलाकारों द्वारा संगीत का सुमधुर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभाग के मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हिंदी पखवाड़ा, 2025 के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए अधिकारी/कर्मचारी

इसके अतिरिक्त, इस बार काव्य संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी साहित्य जगत के प्रतिष्ठित कवियों को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया था।

हिंदी पखवाड़ा, 2025 के दौरान काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया

2.8.7 पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए और उन्होंने सभी विजेताओं के साथ–साथ कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक सरकारी कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

विजेताओं के साथ माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल जी।

2.8.8 मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन भी हो चुका है और 10 जनवरी 2026 को विज्ञान भवन में इसकी बैठक होनी है।

2.8.9 विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद, गुजरात को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसायटी आदि की श्रेणी में राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, 2024–25 में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कार्यालय को पिछले वर्ष भी द्वितीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया था।

'ख' क्षेत्र में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष

2.8.10 उप सचिव (प्रशासन) और उप निदेशक (रा.भा.) ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस, 2025 और पांचवे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया।

अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस 2025 और पांचवे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया

2-9 lpuk dk vf/kdkj ¼vkjVhvkbl½ vf/kfu;e] 2005 dk dk;kUo;u

2.9.1 जनहित की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने आरटीआई अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। इसी प्रकार, विभाग के अधीन विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत अलग–अलग सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल और अन्य माध्यमों से प्राप्त आरटीआई आवेदनों को शीघ्र निपटान के लिए संबंधित सीपीआईओ को ऑनलाइन भेजा जाता है।

2-10 vuqlfpr tkfr (SC)] vuqlfpr tutkfr (ST)] vU; fiNMh tkfr (OBC) vkj vU; d fy, vkj{k.k

विभाग ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के सख्त कार्यान्वयन के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। सेवा में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विभाग में आरक्षण पर सरकारी नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

2-11 efgyk depkfj;k d mRihMu dh jkdFkke

महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए विभाग में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक समिति मौजूद है। ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह'' के उपलक्ष्य में दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को कृषि भवन में यौन उत्पीड़न जागरूकता और POSH (यौन उत्पीड़न की रोकथाम) अनुपालन पर हाईब्रिड रूप में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों ने भाग लिया।

2-12 fe’ku de;kxh d vrxr {kerk fuek.k

विभाग में कार्यान्वित मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य निरंतर सीखने और क्षमता निर्माण के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की दक्षताओं को बढ़ाना है। कौशल विकास को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम से, मिशन पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में कुशल सेवा वितरण और बेहतर शासन का समर्थन करता है। विभाग ने मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण के लिए कई कदम उठाए हैं। संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक क्षमता निर्माण इकाई बनाई गई है। एमटीएस और स्टाफ कार ड्राइवरों सहित सभी अधिकारियों को iGOT प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है।

विभाग ने "अपने मंत्रालय को जानें" मॉड्यूल को अंतिम रूप दे दिया है और इसे iGOT पोर्टल पर अपलोड कर दिया है ताकि कर्मचारियों को विभागीय कार्यों और जिम्मेदारियों की व्यवस्थित समझ मिल सके। मिशन कर्मयोगी के तहत अनिवार्य पाठ्यक्रम पूरा करने और व्यापक मूल्यांकन को सुनिश्चित किया गया है, जिससे जवाबदेही मजबूत हुई है और अधिकारियों के बीच निरंतर सीखने को बढ़ावा मिला है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और दूसरा चरण वर्तमान में जारी है, जो विभाग की अपने कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

****

अध्याय-3

xksi'kq fodkl

xki’k fodkl

अध्याय 3

3-1 jk”Vh; xkdy fe’ku

राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत दिसंबर 2014 में विशेष रूप से वैज्ञानिक समावेशी तरीके से देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए की गई थी। भारत सरकार की पिछली योजनाओं में देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रॉसब्रीडिंग पर जोर दिया गया है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कम उत्पादन वाले 80% से अधिक देशी पशु छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों के पास हैं।

यह योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाने के लिए दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना से देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है और देशी पशुओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं और दूसरे उपायों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, पिछले 11 वर्षों में दूध का उत्पादन 69.42% बढ़ा है जो वर्ष 2014–15 के 146.3 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 247.87 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। पिछले 11 वर्षों में दूध का उत्पादन 6.3% की AGR से बढ़ रहा है, जबकि विश्व में दूध के उत्पादन में 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हो रही है।

देश में बोवाइन पशुओं की कुल उत्पादकता वर्ष 2014–15 में 1640 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 2250 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष हो गई है, जो 36.63% की वृद्धि को दर्शाता है। यह विश्व में किसी भी देश द्वारा प्राप्त सबसे अधिक उत्पादकता है।

इसी प्रकार, देशी और नॉन–डिस्क्रिप्ट गोपशुओं की उत्पादकता वर्ष 2014–15 में 927 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 1343.2 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष हो गई है, जो 44.89% की वृद्धि को दर्शाता है। भैंसों की उत्पादकता वर्ष 2014–15 में 1880 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 2365.2 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष हो गई है, जो पिछले 11 वर्षों के दौरान 25.80% वृद्धि को दर्शाता है। देश में दूध का उत्पादन वर्ष 2014–15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 247.87 मिलियन टन हो गया है, जो पिछले 11 वर्षों के दौरान 69.41% अधिक है।

वर्ष 2024–25 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 394 ग्राम प्रतदिन के वैश्विक औसत की तुलना में 485 ग्राम प्रतिदिन है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वर्ष 2014–15 में 319 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 485 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है, जो 52.03% बढ़ोतरी को दर्शाता है।

नीचे दिए गए ग्राफ भारत में दूध उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में हुई वृद्धि को दर्शाते हैं, जो वर्ष 2001–02 में 84 एमएमटी से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 247.87 एमएमटी हो गया है। ग्राफ वर्ष 2013–14 से वर्ष 2024–25 तक बोवाइन पशुओं की उत्पादकता (किग्रा/वर्ष) में हुई वृद्धि को भी दर्शाता है।

दूध उत्पादन (एमएमटी में)

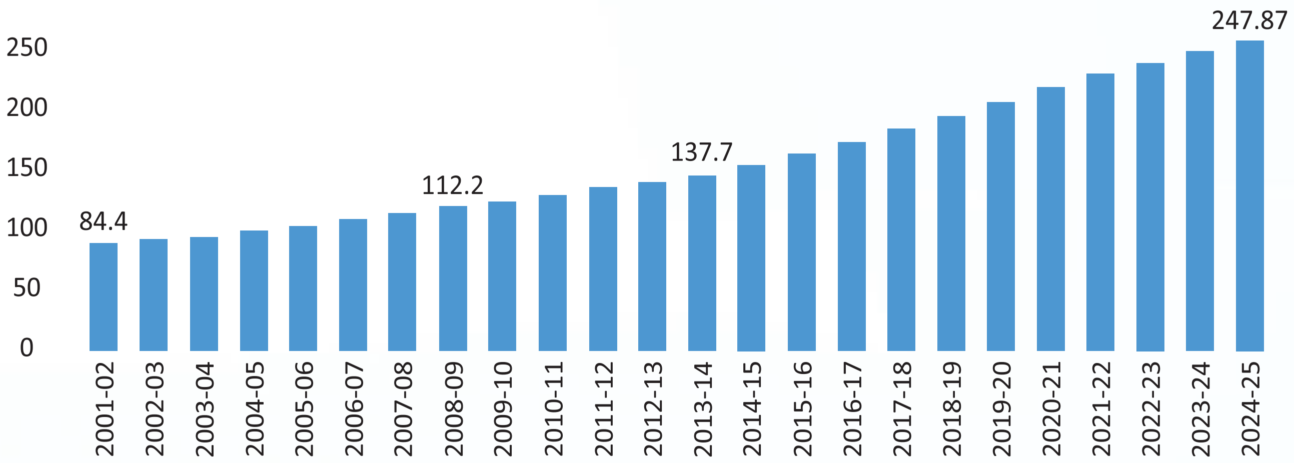

उत्पादकता में वृद्धि (सभी आंकड़े किग्रा/पशु/दिन में)

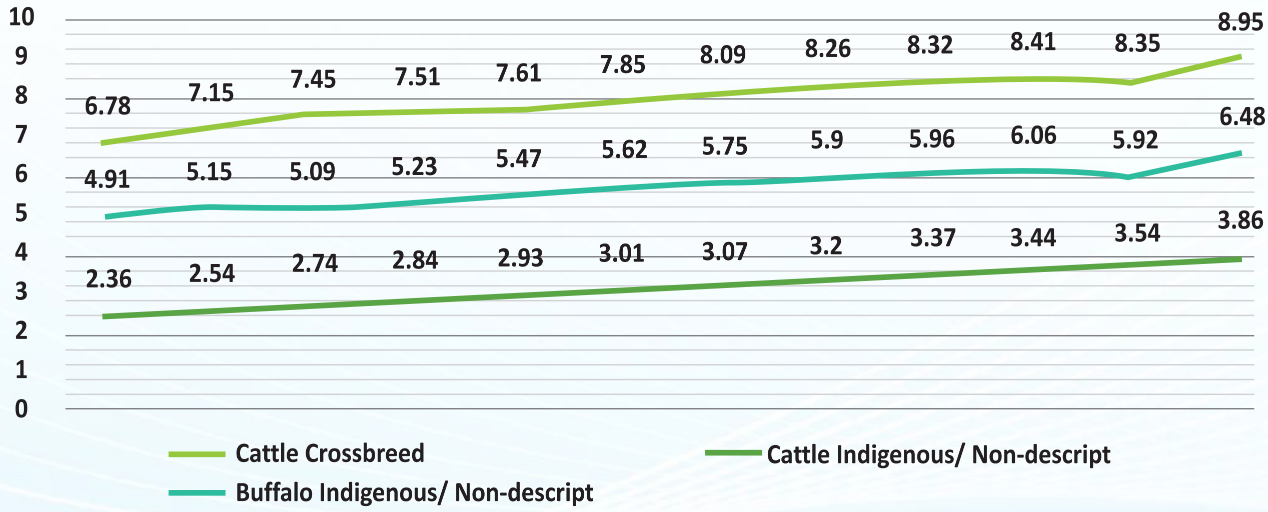

राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 5 वर्ष (वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक) के लिए 2400 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ संशोधित, पुनर्संरेखित और कार्यान्वित करने के लिए बढ़ाया गया है। योजना के सफल कार्यान्वयन और राज्यों की ज्यादा मांग को देखते हुए, सरकार ने मार्च 2025 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ संशोधित किया है, जो 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान अर्थात् वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक कुल 3400 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

योजना के कार्यान्वयन का ध्यान राज्यों में गोपशु और भैंस प्रजनन अवसंरचना के निर्माण से हटकर किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं, आईवीएफ तकनीक और लिंग–सॉर्टेड वीर्य सहित गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाएं लाने पर केंद्रित किया गया है।

bl {ks= dh eq[; fo'ks"krk,¡ çeq[k miyfC/k;k

- वर्ष 1998 से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और वर्तमान में दुनिया के कुल दूध उत्पादन में 25 प्रतिशत का योगदान दे रहा है
- वर्ष 2024–25 में दूध उत्पादन 247.87 एमएमटी, उत्पादन का मूल्य 12.21 लाख करोड़ रुपए

- 8.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आजीविका प्रदान करना
- कुल बोवाइन आबादी में 0.86% की वृद्धि हुई (वर्ष 2012 में 29.96 करोड़ से वर्ष 2019 में 30.22 करोड़ तक) जबकि दूध देने वाली बोवाइन आबादी में 24.29% की वृद्धि हुई (वर्ष 2014 में 8.56 करोड़ से वर्ष 2024 में 10.64 करोड़ तक)
- आरजीएम के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान बड़ी संख्या में अनुत्पादक पशु उत्पादक बन गए
- एनएआईपी (NAIP) के तहत, 605 जिलों में किसानों के द्वार पर निःशुल्क एआई सेवाएं प्रदान की गईं और अब तक 9.54 करोड़ पशुओं को कवर किया गया, 14.99 करोड़ एआई (AI) किए गए और 5.69 करोड़ किसान लाभान्वित हुए
- AI की अखिल भारतीय कवरेज 25% से बढ़कर 40% हो गई
- 623 जिलों में से 126 जिलों में एआई कवरेज 50% से अधिक हो गया है
- आधुनिक प्रजनन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, 24 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं
- अब तक सेक्स सॉर्टेड वीर्य की 13.4 मिलियन खुराक का उत्पादन किया गया
- पिछले 4 वर्षों में 39,810 मैत्री को शामिल किया गया
- पीटी–पीएस कार्यक्रम के अंतर्गत, 4466 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन कर उन्हें सीमन उत्पादन के लिए सीमन केंद्रों को उपलब्ध कराया गया है
- 132 नस्ल वृद्धि फार्म स्वीकृत किए गए
- डीएएचडी ने एनडीडीबी के साथ मिलकर "भारत पशुधन" नामक डेटाबेस तैयार किया है। यह डेटाबेस प्रत्येक पशु को दी गई 12 अंकों की विशेष टैग ID का इस्तेमाल करके बनाया गया है, इस डेटाबेस पर 36.42 करोड़ पशु पंजीकृत हैं।

mís';

क. राष्ट्रीय दूध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं की पहचान और प्रसार के माध्यम से देशी बोवाइन नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने को लक्षित करना

ख. उच्च आनुवंशिक गुणता वाले पशुओं का राष्ट्रीय दुधारू झुंड बनाना, जिसमें दाता पशु शामिल हों और आधुनिक प्रजनन जैविक तकनीकों का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ पशुओं का प्रसार करना।

ग. किसानों के स्तर पर बोवाइन पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रजनन तकनीकों जैसे सेक्स सॉर्टेड सीमन, आईवीएफ तकनीक, जीनोमिक्स आदि के उपयोग को मुख्यधारा में लाना।

घ. किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की प्रदायगी के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना।

3-1-1 fuf/k;u iSVuZ

योजना के सभी घटक 100% अनुदान सहायता के आधार पर लागू किए जा रहे हैं, इन घटकों को छोड़कर: I) सेक्स–सॉर्टेड सीमन को बढ़ावा देना, इस घटक के अंतर्गत भागीदार किसानों को सेकस–सॉर्टेड सीमन की लागत के 50% तक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी II) कार्यान्वयन एजेंसियों को आवास सुविधा स्थापित करने और हीफर पालन केंद्रों में हीफर को शामिल करने के लिए पूंजीगत लागत का 35% एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

3-1-2 vkjth,e dk ?kVd

1- mPp vkuqof'kd x|.krk oky| telykTe dh miyC/krk%

d- lkM mRiknu dk;Øe

- संतति परीक्षण
- वंशावली चयन
- जीनोमिक चयन
- जर्मप्लाज्म का आयात
- राष्ट्रीय दूध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम (NMRP)

[k- oh;l LV'kuk dk lgk;rk% ekStnk lheu LV'kuk dk l–<hdj.kA

x- vkbZoh,Q rduhd dk dk;kUo;u

- आईवीएफ प्रयोगशालाएं
- इन विट्रो भ्रूण उत्पादन तकनीक का कार्यान्वयन
- सुनिश्चित गर्भावस्था प्राप्त करने के लिए आईवीएफ तकनीक का कार्यान्वयन

?k- uLy of) Qke@ghQj ikyu dæ

2- —f=e xHkk/kku uVodZ dk foLrkj

क. मैत्री की स्थापना

ख. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

ग. सुनिश्चित गर्भावस्था प्राप्त करने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग

घ. राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (पशुधन) का कार्यान्वयन

3- dk'ky fodkl

4- fdlkuk dk tkx:d djuk

3-1-3 dk;kUo;u dh fLFkfr

वर्ष वर्ष 2025–26 के दौरान योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए का आबंटन उपलब्ध कराया गया है तथा 553.18 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक वर्षवार आबंटन तथा व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष 2021–22 से आरजीएम के अंतर्गत किया गया आबंटन और व्यय

foRrh;	djkM #i, e					
	o"k 2021&22	o"k 2022&23	o"k 2022&23	o"k 2024&25	o"k 2025&26	dy
आबंटन	663.00	600.00	869.54	568.00	700.00	3400.00
व्यय	663.84	599.84	869.13	424.00	553.18	3019.99

3-1-4 ik- Rofjr uLy l/kkj dk;Øe%

इस घटक के अंतर्गत, डेयरी किसानों के लिए बछियां पैदा करने के लिए आईवीएफ तकनीक और सेक्स–सॉर्टेड वीर्य के साथ कृत्रिम गर्भाधान का लाभ उठाया जा रहा है। IVF, तेजी से बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जो काम 7 पीढ़ियों (गोपशुओं और भैंस के मामले में 21 वर्ष) में किया जाता है, वह आईवीएफ के माध्यम से 1 पीढ़ी (गोपशुओं और भैंस के मामले में 3 वर्ष) में किया जा सकता है। इस तकनीक में 4000 किलोग्राम प्रति लैक्टेशन दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता वाली केवल बछियों के उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की बहुत संभावना है, जिससे किसानों की आय कई गुना बढ़ जाती है। त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत योजना के अंत तक 2 लाख

आईवीएफ गर्भधारण स्थापित किए जाएंगे। किसानों को प्रति सुनिश्चित गर्भावस्था के लिए 5000 रुपये की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। देश में यह कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, देशी नस्लों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 7462 भ्रूण स्थानांतरित किए गए, 1406 गर्भावस्थाएं स्थापित हुईं हैं और 982 बछड़े–बछियों का जन्म हुआ है, जिनमें 913 बछिया शामिल हैं।

देश में लिए 90% सटीकता के साथ केवल बछियों के उत्पादन के सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन शुरू किया गया है। सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग न केवल दूध उत्पादन को बढ़ाने में बल्कि आवारा पशुओं की आबादी को सीमित करने में भी गेम चेंजर साबित होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देशी नस्लों के सेक्स सॉर्टेड सीमन को बढ़ावा दिया जाता है। इस घटक के अंतर्गत, किसानों को सुनिश्चित गर्भावस्था पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन की लागत का 50% तक प्रोत्साहन दिया जाता है।

ii) uLy of) Qkek dh LFkkiuk% महत्वाकांक्षी डेयरी किसानों के लिए एक बड़ी बाधा अपने स्थानीय क्षेत्रों से उच्च गुणवत्ता वाली बछिया या दुधारू पशु प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई है। इस मुद्दे के समाधान के लिए तथा डेयरी क्षेत्र के लिए उद्यमशीलता सहित निवेश को आकर्षित करने के लिए इस घटक के अंतर्गत निजी उद्यमियों को पूंजीगत लागत (भूमि लागत को छोड़कर) पर 50% (उत्तर–पूर्वी, पहाड़ी राज्यों और 31 शुष्क जिलों को छोड़कर प्रति फार्म 2 करोड़ रुपये तक: उत्तर–पूर्वी, पहाड़ी राज्यों और 31 शुष्क जिलों में 50 लाख रुपये तक) की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। साथ ही इसे डेयरी फार्मिंग का हब और स्पोक मॉडल विकसित करने के लिए अवसर सृजित करने हेतु तैयार किया जा रहा है, जहां छोटे और सीमांत डेयरी किसान विश्वसनीय डेयरी सेवाओं के स्थानीय हब की सहायता से उन्नति कर सकें और पर्वतीय राज्यों, उत्तर–पूर्वी राज्यों और 31 शुष्क जिलों में 50 पशुओं और देश में न्यूनतम 200 बोवाइन पशुओं के नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना की जा सके। उद्यमी शेष पूंजी लागत के लिए बैंक से वित्त प्राप्त करेगा और क्षेत्र के किसानों को सॉर्टेड सेक्स सीमन/आईवीएफ के माध्यम से गर्भित उच्च क्षमता वाली बछिया बेचेगा। इसके अलावा बैंक ऋण के लिए उद्यमी AHIDF योजना के साथ एकीकरण करके 3% की ब्याज छूट प्राप्त कर सकता है।

अब तक विभाग ने 132 नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है। इस घटक को संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024–25 और वर्ष 2025–26 से बंद कर दिया गया है।

ns'k Hkj esa vkjth,e ds rgr fofHkUu uLy o/kZu QkeksZa dh ft;ks&VSx dh xbZ rLohjsa

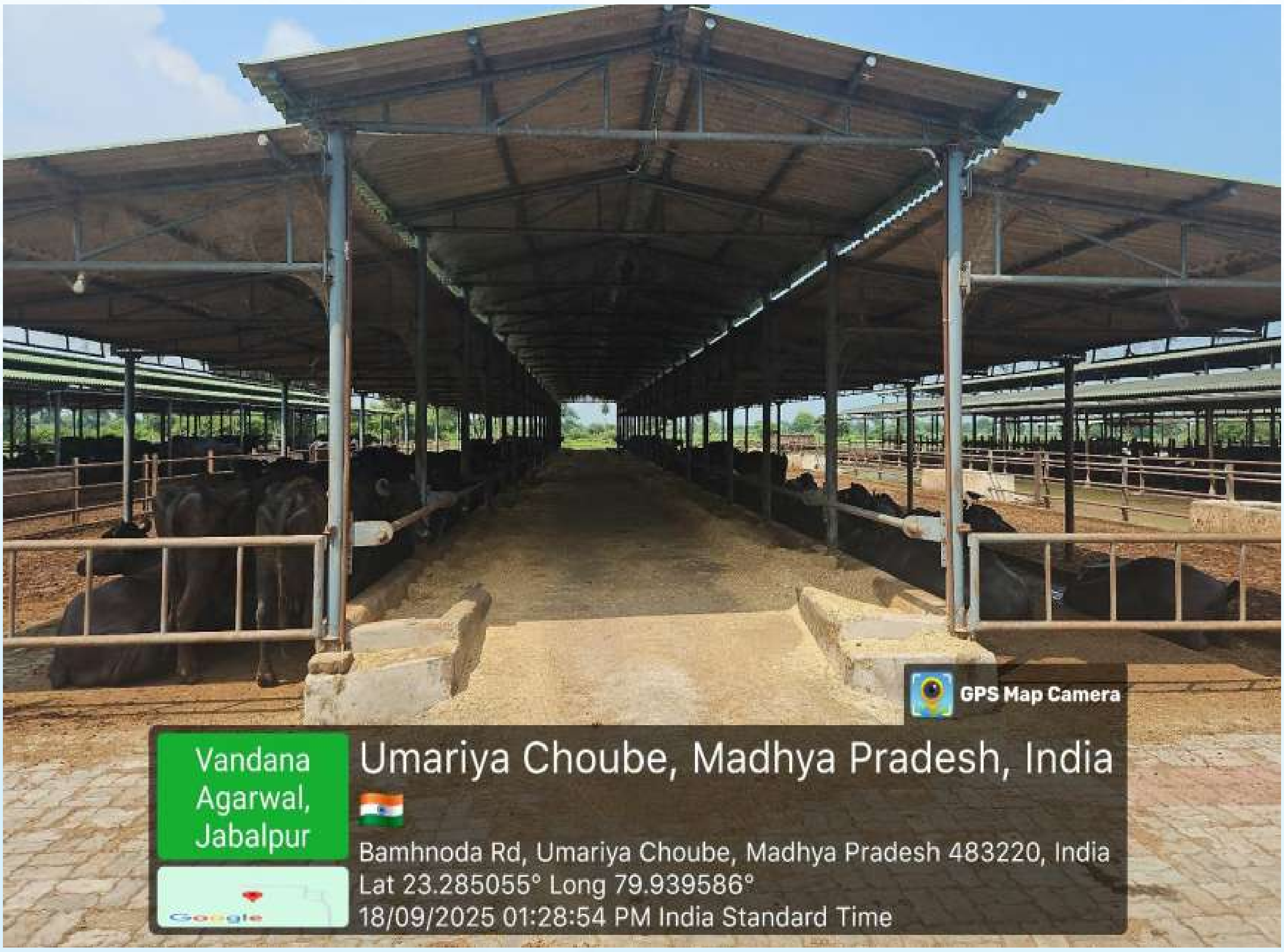

n'k Hkj esa vkjth,e ds rgr fofHkUu uLy of) QkekZ dh ft;k&Vkx dh xbZ rLohjsa

3-1-5 bu&foVªks QfVZykbts'ku ¼IVF½ rduhd dk dk;kZUo;u½

IVF तेजी से बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जो काम 7 पीढ़ियों (गोपशुओं और भैंस के मामले में 21 वर्ष) में किया जाता है, वह आईवीएफ के माध्यम से 1 पीढ़ी में किया जा सकता है। IVF तकनीक में केवल उच्च आनुवंशिक गुणता वाली बछियों के उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की बहुत संभावना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देश में IVF और भ्रूण स्थानांतरण तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 24 आईवीएफ प्रयोगशालाएं चालू की गई हैं।

सभी प्रचालनरत प्रयोगशालाओं ने भ्रूण उत्पादन शुरू कर दिया है और दिसंबर 2025 तक देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं से 28358 भ्रूण तैयार किए जा चुके हैं और इनमें से 16065 भ्रूण स्थानांतरित किए जा चुके हैं तथा अब तक योजना के तहत 2593 उत्कृष्ट बछड़े–बछियां पैदा हुए हैं। इन प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

RGM ds varxZr ETT&IVF ç;ksx'kkykvksa dh fLFkfr

Ø- l-	jkT;	bZVhVh@vkbZohth,Q	j[kk x, Mksuj	mRikfnr Hkzw.k	LFkkukarfjr Hkzw.k	iSnk cNM+s cfN;k	lxfHkZr Hkzw.k
1	आंध्र प्रदेश	पशुधन अनुसंधान केंद्र, लाम, गुंटूर	12	1029	617	34	412
2	आंध्र प्रदेश	ईटीटी/आईवीएफ, एनकेबीसी, चिंतलादेवी	31	841	457	30	384

Ø- l-	jkT;	bVhVh@vkbZoh,Q	j[ks x, Mksuj	mRikfnr Hkz.k	LFkkukarfjr Hkz.k	iSnk cNM+s& cfN;k	lxfHkZr Hkz.k
3	असम	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, असम कृषि विश्वविद्यालय, खानापारा गुवाहाटी	18	110	77	.	26
4	बिहार	बसु, पटना	25	639	376	28	140
5	बिहार	पिपराकोठी, मोतिहारी	19	128	101	9	15
6	छत्तीसगढ़	ईटीटी केंद्र, अंजोरा	10	0	0	0	0
7	गुजरात	साबरमती आश्रम गौशाला	30	5553	1761	292	2184
8	गुजरात	आईवीएफ प्रयोगशाला, अमरेली, अमर डेयरी	–	714	343	44	89
9	गुजरात	बनास बोवाइन प्रजनन अनुसंधान केंद्र, बनास डेयरी	36	14	37	.	.
10	हरियाणा	लुवास, हिसार	20	535	153	18	340
11	हिमाचल प्रदेश	ईटीटी प्रयोगशाला, पालमपुर	24	431	370	63	8
12	केरल	मट्टुपट्टी	18	1157	515	81	638
13	मध्य प्रदेश	ईटीटी प्रयोगशाला, भदभदा, भोपाल	43	1844	1591	409	20
14	महाराष्ट्र	ईटीटी/आईवीएफ केंद्र, एमएएफएसयू, नागपुर	19	746	502	58	82

Ø- l-	jkT;	bVhVh@vkbZoh,Q	j[kk x, Mkuj	mRikfnr Hkz.k	LFkkukarfjr Hkz.k	iSnk cNM+&cfN;k	lqxfgr Hkz.k
15	महाराष्ट्र	बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, उरुलीकंचन, पुणे	38	3741	1742	226	2011
16	महाराष्ट्र	जे.के. ट्रस्ट, वडगांव रसाई– जिला. पुणे	20	3280	1843	277	1423
17	पंजाब	ईटी आईवीएफ प्रयोगशाला, डीएलएफ, गडवासु	30	1196	558	128	224
18	पंजाब	पीएलडीबी ईटीटी केंद्र, पटियाला	6	457	303	25	154
19	तमिलनाडु	डीएलएफ होसुर	51	1347	1273	130	28
20	तमिलनाडु	पशु चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, नमक्कल, तनुवास	14	241	97	7	41
21	तेलंगाना	ईटीटी/आईवीएफ, पीवीएनआरटीवीयू	50	435	350	15	0
22	उत्तर प्रदेश	निबलट, बाराबंकी, यूपीएलडीबी	15	627	505	112	126
23	उत्तराखंड	भ्रूण जैव तकनीक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कालसी, देहरादून	20	2490	1760	503	780
24	पश्चिम बंगाल	ईटीटी/आईवीएफ प्रयोगशाला, पीबीजीएसबीएस, हरिंगाटा फार्म	37	803	734	104	0
dqy			586	28358	16065	2593	9125

n’kh dYpj ehfM;k dk ‘kqHkkjEHk’ देश में IVF तकनीक को और बढ़ावा देने के लिए इन–विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) हेतु देशी मीडिया का शुभारंभ किया गया। देशी मीडिया, महंगे आयातित मीडिया का एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। मीडिया के उपयोग से भ्रूण उत्पादन की लागत 5000 रुपये से घटकर 2000 रुपये प्रति भ्रूण रह जाएगी।

bVh&vkbZoh,Q cNM+k&cfN;k ¼vkbZoh,Q ç;kx'kkyk] vejsyh] vej Ms;jh½

IVF ls tUes cNM+&cfN;k ¼vkbZoh,Q ç;kx"kkyk] dkys lh] mÙkjk[k.M½

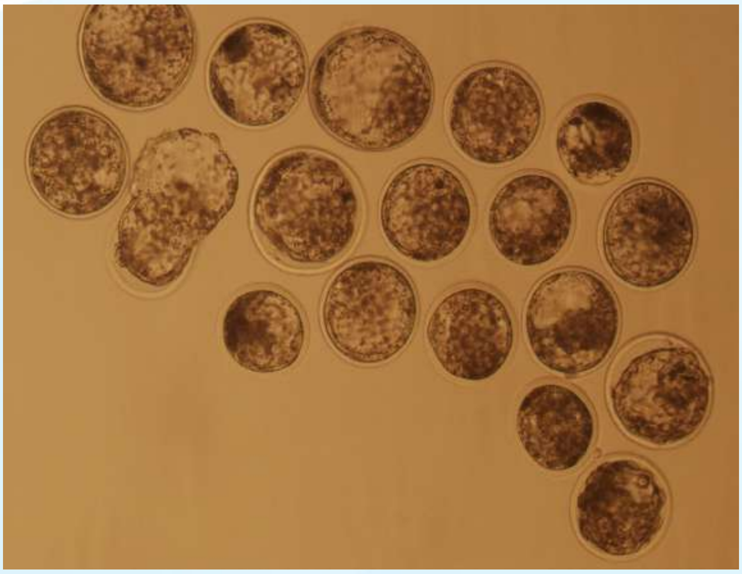

vkbZoh,Q ç;kx'kkyk] dkys lh] mÙkjk[k.M }kjk fufeZr Hkw.k

fgekpy d ikyeij e vkjth,e d vrxr vkbZoh,Q ç;kx'kkyk

vle e vkbZoh,Q ç;kx'kkyk dk mn?kkVu%

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 अक्टूबर 2025 को खानपारा के पशु चिकित्साविज्ञान महाविद्यालय में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत वित्तपोषित अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही, राज्य में उन्नत ओपीयू–आईवीएफ–ईटी तकनीक की औपचारिक शुरुआत हुई। इस परियोजना के अंतर्गत, गिर (4), साहीवाल (3), जर्सी (1), होलस्टीन फ्रीजियन (3), रेड सिंधी (2) और लखीमी (5) नस्ल वाले 17 दाता पशु शामिल थे, जिनका वैज्ञानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के अंतर्गत 9 प्राप्तकर्ता पशुओं के साथ रखरखाव किया गया। स्ट्रक्चर्ड ओवम पिक–अप, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो कल्चर प्रोसीजर के जरिए, कुल 109 भ्रूण तैयार किए गए, जिनमें से 77 भ्रण किसानों के द्वार पर स्थानांतरित किए गए, जिससे सीधे फील्ड–स्तर का लाभ सुनिश्चित हुआ। नस्ल के अनुसार, भ्रूण उत्पादन में लखीमी (5), गिर (6), साहीवाल (4), क्रॉसब्रेड होलस्टीन फ्रीजियन (88) और लखीमी गिर क्रॉस (6) शामिल थे।

xqokgkVh] vle e vkbZoh,Q ç;kx'kkyk

nkrk i'kq

nkrk i'kqvk dk vkJ; x`g

vkbZoh,Q ç;ksx'kkyk

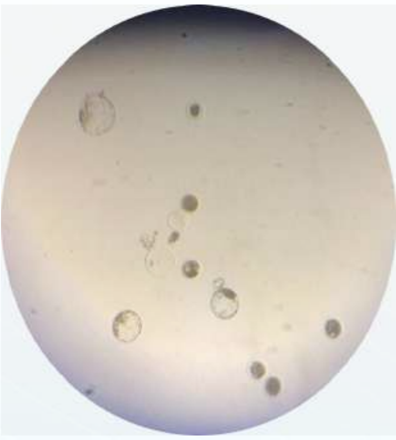

Hkzw.k

fefYdax ikyZj

3-1-6 lsDl l,VsZM lheu mRiknu lqfo/kk dh LFkkiuk%

3.1.6.1 कृषि के मशीनीकरण के कारण नर बोवाइन पशुओं की उपयोगिता कम हो गई है। किसान खेती या अन्य किसी काम के लिए बैल पालने को तैयार नहीं हैं। इसलिए, किसान के घर पर पैदा होने वाले बछड़े बोझ बन गए हैं। धार्मिक कारणों से, देश के अधिकांश हिस्सों में नर गोपशु की कलिंग (culling) मुश्किल है। किसान अक्सर बछड़ों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे आवारा पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है। AI कार्यक्रम में सेक्स सॉर्टेड सीमेन जैसी नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल से केवल बछियां (90% से ज्यादा सटीकता के साथ) पैदा की जा सकती हैं। यह तकनीक भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। देश में पहली बार सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधा बनाई जा रही है। इस तकनीक के व्यापक इस्तेमाल से न केवल मादा पशुओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि मादा पशुओं की बिक्री या दूध की बिक्री से किसानों की आय भी बढ़ेगी और आवारा पशुओं की समस्या का समाधान भी होगा।

3-1-6-1-2 orZeku fLFkfr

सरकारी क्षेत्र (उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु) में पांच सीमन केंद्र चालू हैं। प्रत्येक सीमन केंद्र की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 6 लाख से 10 लाख खुराक उत्पादन करने की है। अब तक राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सहायता प्राप्त सरकारी सीमन केंद्रों पर 66.61 लाख खुराक तथा दूध संघ, एनजीओ और निजी सीमन केंद्रों से 67.50 लाख खुराक का उत्पादन किया गया है। लिंग–सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू किया गया है। भारत में सेक्स–सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीक देशी नस्ल के गोपशुओं जैसे रेड सिंधी, थारपारकर, साहीवाल, गिर आदि के लिए विकसित की गई है।

jkT; fgfer lheu mRiknu vkj çf'k{k.k lLFkku&ikV.k] xqtjkr ea lDl&l,VM lheu mRiknu ç;kx'kkyk

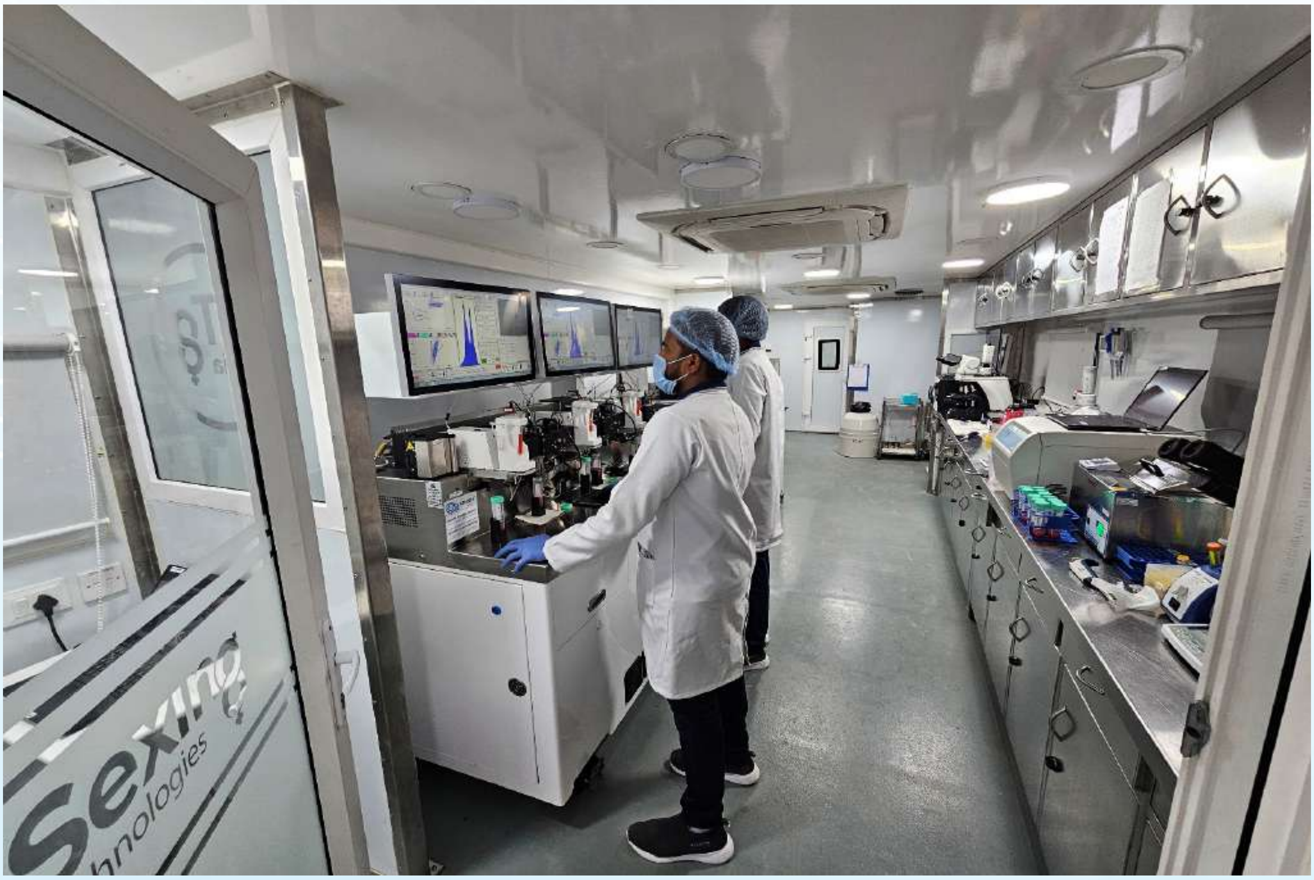

Mh,y,Q&ÅVh] rfeyukMq ea lDl&l,VM lheu mRiknu iz;kx'kkyk

Mh,Q, lihlh] ‘;keiqj] mRrjk[kM e lDl&l,VM lheu mRiknu ç;kx’kkyk

lkVy lheu LVs’ku] Hkkiky] e/; çns'k e lDl l,VM lheu mRiknu lqfo/kk

Rofjr uLy l/kkj dk;Øe d rgr lDl l,VM lheu l inkgbl cfN;k

त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत सेक्स सॉर्टेड सीमन से पैदा हुई बछिया

n’kh :i l fodflr lDl l,VM lheu mRiknu rduhd dk ‘kHkkjHk% दिनांक 5.10.2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीक का शुभारंभ किया गया है। इस तकनीक से सेक्स सॉर्टेड सीमन की कीमत 800 रुपये से घटकर 250 रुपये प्रति खुराक रह जाएगी। यह तकनीक हमारे किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हुई है क्योंकि सेक्स सॉर्टेड सीमन उचित दरों पर उपलब्ध है।अब तक देश में देशी तकनीक का इस्तेमाल करके 40 लाख डोज वाली सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधाएं तैयार की गई हैं। प्रति वर्ष 150 लाख अतिरिक्त डोज के लिए उत्पादन सुविधा तैयार की जा रही है। सेक्स सॉर्टेड सीमन का इस्तेमाल करके किए गए AI का डेटा NDLM/भारत पशुधन ऐप पर अपलोड किया जाता है।

देश में बनी सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.9. 2025 को किया गया था। यह सीमन केंद्र, पूर्णिया, बिहार में बनाया गया है। अब सेक्स सॉर्टेड सीमन पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के किसानों को उचित दरों पर मिल रहा है।

बिहार के पूर्णिया में देशी रूप से विकसित गौसॉर्ट सुविधा का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया

3-1-7 ns'kh uLyksa dh fy, jk"Vªh; ckokbu thuksfed dsUæ ¼NBGL&IB½

3-1-7-1 विकसित डेयरी देशों में तेजी से आनुवंशिक लाभ प्राप्त करने के लिए दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जीनोमिक चयन का उपयोग किया जाता है। देशी गोपशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, देश में एक राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक केंद्र की स्थापना की गई है। जीनोमिक चयन का उपयोग करके देशी नस्लों को कुछ पीढ़ियों के भीतर व्यवहार्य बनाया जा सकता है। यह केंद्र देशी नस्लों के रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

3-1-7-2 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR&NBAGR) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हमारे देशी नस्ल के गोपशुओं और भैंसों के जीनोमिक चयन के लिए सामान्य जीनोमिक चिप विकसित करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। चिप के विकास से आनुवंशिक लाभ की दर में वृद्धि होगी क्योंकि बेहतर आनुवंशिकी वाले पशुओं को कम उम्र में चुना जा सकेगा, जबकि पारंपरिक तरीकों में पशुओं का आनुवंशिक मूल्य 6 से 7 साल बाद साबित होता है।

ns'kh :i ls fodflr thuksfed fpi dk 'kqHkkjEHk% राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पहली बार हमारी देशी नस्लों के लिए जीनोमिक चिप विकसित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 05.10.2024 को उच्च विश्वसनीयता वाली सामान्य जीनोमिक चिप लॉन्च की गई है।

dh xbZ çxfr

- एनबीएजीआर (NBAGR), बीएआईएफ (BAIF), सीएएलजी (CALG) और एनडीडीबी (NDDB) जीनोटाइपिंग चिप का इस्तेमाल कर रहे हैं।
- गौचिप और महिषचिप का इस्तेमाल करके की गई जीनोटाइपिंग नीचे दी गई है:

fpi dk uke	eknk lsaiy	lkaM cNMks dk p;u	dqy thuksVkbi
गौचिप	29770	2432	32202
महिषचिप	30293	3092	33385

- संगठनों और किसानों के लिए जीनोटाइपिंग सेवा उपलब्ध है – 10713 सैंपल जीनोटाइप किए गए
- गिर, साहीवाल, कांकरेज, एचएफसीबी, जेसीबी, मुर्राह और मेहसाणा नस्लों के सांड जीबीवी के आधार पर चुने जाते हैं

SAG HFCB	336
KLDB HFCB	216
APLDA JYCB	288
TCMPF JYCB	496
HPLDB JY	2
कुल	4116

3-1-8 larfr ijh{k.k½

दूध उत्पादन एक सेक्स–सीमित विशेषता है, इसलिए सांड की आनुवंशिक क्षमता का अनुमान मादा संतति के प्रदर्शन से लगाया जाता है। संतति के प्रदर्शन पर सांड की अनुमानित संचरण क्षमता का अनुमान लगाने की वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति को संतति परीक्षण कहा जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मुख्य रूप से देशी नस्लों के लिए संगठित संतति परीक्षण कार्यक्रम (PTP) लागू किया गया है। आरजीएम के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

ekud@ifj;kstuk,i	[kjhns x, ,pth,e ¼HGM½ lkaM [kjhns x, ,pth,e ¼HGM½ lkaM
SAG गिर	361
गंगमुल साहीवाल	272
PLDB साहीवाल	216
HLDB मुर्रा	363
PLDB मुर्रा	463
ABRO मुर्रा	590
SAG मुर्रा	315
बनास–मेहसाणा	88
मेहसाणा–मेहसाणा	110

3-1-8-1 oa’kkoyh p;u dk;Øe½

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत उन देशी नस्लों के लिए नस्ल चयन कार्यक्रम लागू किया गया है जिनकी आबादी सीमित है और क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान संबंधी अवसंरचना भी उपलब्ध नहीं है। कार्यक्रम के अंतर्गत, नस्ल विवरण और नस्ल में डैम, सायर और अन्य पूर्वजों के प्रदर्शन के आधार पर नर बछड़ों का चयन किया जाता है। आरजीएम के अंतर्गत कार्यान्वित नस्ल चयन कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

ekud@ifj;kstuk,i	[kjhns x, HGM lkaM
राठी	24
कांकरेज	41
हरियाना	62
थारपारकर	102
जाफराबादी	51
नीली रवि	22
पंढरपुरी	44
गाओलाओ	3
बन्नी	1
कुल	350

vkjth,e d rgr ,l,th fxj lrfr ijh{k.k ifj;ktuk d rgr mRikfnr mPp vkuqof’kd x.krk okyk fxj lkM

3-1-9 —f=e xHkk/kku dojt dk foLrkj

3-1-9-1 —f=e xHkk/kku dojt

कृत्रिम गर्भाधान, बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक सिद्ध तकनीक है। वर्तमान में, देश में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज प्रजनन योग्य बोवाइन पशुओं के 40% तक सीमित है और प्रजनन योग्य पशुओं का 60% अज्ञात आनुवंशिक गुणता वाले स्क्रब सांडों के माध्यम से कवर किया जाता है।

3-1-9-2 —f=e xHkk/kku dojt

वर्ष 2025–26 (अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक) में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 574.31 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में सबसे कम 1% कृत्रिम गर्भाधान कवरेज है, जबकि केरल में प्रजनन योग्य 100% बोवाइन मादाएं कृत्रिम गर्भाधान कवरेज के अंतर्गत हैं।

3-1-9-3 lkenkf;d llk/ku 0;fä;k d :i e xkeh.k Hkkjr e cgmí’kh; ,vkbl rduhf’k;uk ¼e=h½ dh LFkkiuk

ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियनों (मैत्री) की स्थापना किसानों के द्वार–द्वार तक प्रजनन इनपुट पहुँचाने के लिए की गई है। मैत्री को मान्यता प्राप्त एआई प्रशिक्षण संस्थानों में 3 महीने (90 दिन) की अवधि में प्रशिक्षित किया जाता है। संबंधित राज्यों को प्रति मैत्री 50,000 रुपये की दर से उपकरणों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। 3 वर्ष के बाद, मैत्री वस्तुओं और सेवाओं की लागत की वसूली के माध्यम से आत्मनिर्भर हो जाते हैं।

vkjth,e d vrxr >kj[kM e e=h dk çf'k{k.k vkj —f=e xHkk/kku buiV forj.k

vle d y[kheij e vkjth,e d vrxr LFkkfir i'kkoj çf'k{k.k lLFkku cuk;k x;k

3-1-9-4 rjy ukbVkstu HkMkj.k] ifjogu vkj forj.k ç.kkyh dk l–<hdj.k

अनुमान है कि प्रत्येक एआई के लिए 0.5 लीटर LN की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देश में 40 मिलियन लीटर तरल नाइट्रोजन को संभालने के लिए अवसंरचना की आवश्यकता है। देश में तरल नाइट्रोजन के लिए थोक भंडारण, परिवहन और वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्यों को निधि जारी की गई है।

3-1-9-5 lheu LVs'kuksa dk eY;kadu%

सीमन उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए, विभाग द्वारा दिनांक 20.5.2004 को दो वर्ष में

एक बार सीमन स्टेशनों के मूल्यांकन और ग्रेडिंग के लिए केंद्रीय निगरानी इकाई (CMU) का गठन किया गया था। तब से CMU ने छह मौकों पर मूल्यांकन किया है और सीमन स्टेशनों की ग्रेडिंग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

fiNys dN o"kksZa esa lheu LVs'kuksa dh xzsfMax

xzsM	2005	2009	2011	2013	2016	2018&19	2022&23
क	2	12	20	30	37	36	41
ख	12	15	17	15	14	13	9
ग	12	7	3	–	–	–	–
ग्रेड नहीं किया गया (NG)	33	13	7	5	2	2	3
मूल्यांकित नहीं किया गया (NG)	–	2	2	2	5	5	3
dqy	59	49	49	52	58	56	56

3-1-9-6 lheu mRiknu ds fy, U;wure ekud çksVksdkWy ¼MSP½

एक समान गुणवत्ता वाले हिमित सीमन का उत्पादन करने के लिए, एनडीडीबी, एनडीआरआई (करनाल) और सीएफएसपी और टीआई के विषेशज्ञों के परामर्श से सीमन उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल (एमएसपी) विकसित किया गया था और इसे 20 मई, 2004 से प्रभावी किया गया। सीमन प्रसंस्करण तकनीक में हाल के विकास को ध्यान में रखते हुए, सीमन उत्पादन के लिए एमएसपी को वर्ष 2022 में अद्यतन किया गया है और देश के सभी सीमन स्टेशनों को उपलब्ध कराया गया है।

3-1-9-7 lheu dsUæksa dk vkbZ,lvks çek.ku

वर्तमान में, 54 सीमन केन्द्र आईएसओ प्रमाणित हैं।

3-1-9-8 Je'kfä dk fodkl

योजना के तहत पेशेवरों को हिमित सीमन तकनीक और डेटाबेस प्रबंधन में नवीनतम विकास में प्रशिक्षित किया गया है। मौजूदा एआई तकनीशियनों/मैत्री को कृत्रिम गर्भाधान में पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया है। ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियनों (मैत्री) को एआई में आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया है।

3-1-10 tkx:drk dk;ZØe

3-1-10-1 jk"Vª0;kih —f=e xHkkZ/kku dk;ZØe

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण IV को 1 अगस्त 2022 से अब तक 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले 592 जिलों में कार्यान्वित किया जा है। एनएआईपी–III कार्यक्रम ने 3 करोड़ गोपशु के लक्ष्य के मुकाबले 221.72 लाख गोपशु को कवर करके महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कार्यक्रम के तहत किसानों के द्वार तक पहुंचकर 305.94 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क किए गए और 153.25 लाख किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा, एनएआईपी कार्यक्रम को चरण IV तक बढ़ाया गया, जिसमें 592 जिले शामिल हैं। एनएआईपी–IV के तहत दिसंबर 2024 तक 530.51 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 942.27 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और कार्यक्रम के तहत 293.18 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक जिले के चिह्नित गांवों में किसानों के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। देशी गोपशुओं की नस्लों के लिए, कार्यक्रम के तहत 3000 किलोग्राम/दुग्धस्रवण से अधिक की मादा के दूध उत्पादन वाले HYIB सांड के सीमन का

उपयोग किया जाता है। राज्य प्रजनन नीति के अनुसार, कार्यक्रम के तहत विदेशी सीमन और उच्च उत्पादन वाले संकर सीमन के साथ नॉन–डेस्क्रिप्ट गोपशुओं के उन्नयन की भी अनुमति है। इस उद्देश्य के लिए, HF के लिए 10,000 किलोग्राम और जर्सी के लिए 6000 किलोग्राम एमएसपी वाला सीमन निर्धारित किया गया है। नॉन–डेस्क्रिप्ट भैंसों के मामले में, 3000 किलोग्राम और उससे अधिक एमएसपी वाले मुर्राह/नीली–रावी के सीमन का उपयोग किया जाता है। इस कार्यक्रम से बोवाइन आबादी का समग्र आनुवंशिक उन्नयन होगा।

3-1-10-2 कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल सभी पशुओं की पहचान एनिमल यूआईडी (AUID) का उपयोग करके की जा रही है और उनका डेटा एनडीएलएम डेटा बेस (भारत पशुधन) पर अपलोड किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान के बाद, पशु का फॉलो–अप किया जाता है और बछड़े के जन्म तक सभी घटनाओं को डेटा बेस पर दर्ज किया जाता है।

3-1-10-3 vif{kr ifj.kke

- इस अभियान मोड दृष्टिकोण के कारण, लगभग 9.4 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान से 3.00 करोड़ बेहतर बछड़े–बछियां पैदा होंगे, 1.35 करोड़ बेहतर बछियां पैदा होंगी जो 3 साल बाद 16.2 एमएमटी दूध/वर्ष देंगी। किसानों के परिवार में 54,000 करोड़ रुपये (प्रति वयस्क गाय 40,000 रुपये) मूल्य की गायें और भैंसें जुड़ जाएँगी।
- दूध की बिक्री से डेयरी किसानों को 55258 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
- देश के डेयरी झुंड में अधिक दुधारू पशुओं के शामिल होने से देशी नस्ल की आबादी में सुधार होगा।

fcgkj esa ,u,vkbZih ds rgr iSnk gqbZ cfN;k

Qst&4 ds vUrxZr dukZVd esa fdlkuksa ds }kj ij —f=e xHkkZ/kku djrs gq, ,vkbZ rduhf'k;u

f=iqjk esa ,u,vkbih ds rgr iSnk gqbZ cfN;k

vkjth,e ds varxZr fdlku tkx:drk dk;ZØe

vkj th,e d vrxr fdlku tkx:drk dk;Øe

jk”V0;kih —f=e xHkk/kku dk;Øe d vrxr cNMk&cfN;k jyh dk vk;ktu

3-1-11 xksiky jRu iqjLdkj

पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक के रूप में गोपाल रत्न पुरस्कार की शुरुआत विभाग द्वारा की गई है। इस पुरस्कार का उद्देश्य इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तिगत किसानों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, अर्थात् (i) देशी गोपशु/भैंस नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानय (ii) सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति। पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) के लिए मेरिट प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिह्न और निम्नलिखित नकद राशि शामिल हैः प्रथम रैंक धारक को 5,00,000/– रुपए (पांच लाख रुपए); द्वितीय रैंक धारक को 3,00,000/– रुपए (तीन लाख रुपए) और तृतीय रैंक धारक को 2,00,000/– रुपए (दो लाख रुपए) तथा देशी गोपशु/भैंस नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के लिए उत्तर–पूर्वी क्षेत्र हेतु 2 लाख रुपए का विशेष पुरस्कार। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से स्व–नामांकन के आधार पर आमंत्रित किए गए। कुल 2081 आवेदन प्राप्त हुए और विभाग द्वारा उनका मूल्यांकन किया गया। देश में प्रत्येक श्रेणी में 3 सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों, 3 सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियनों, 3 सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समितियों और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष पुरस्कार को 26 नवंबर वर्ष 2025 को माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

fotsrkvksa dk fooj.k fuEukuqlkj gS

Ø- l-	oxZ	,uthvkj, 2025 d fotsrkvksa dk uke vkSj jSad
1.	देशी गाय/भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान गैर–एनईआरः	प्रथम श्री अरविंद यशवंत पाटिल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र द्वितीय डॉ. कंकनला कृष्ण रेड्डी, हैदराबाद, तेलंगाना तृतीय श्री हर्षित झूरिया, सीकर, राजस्थान तृतीय कुमारी श्रद्धा सत्यवान धवन, अहमदनगर, महाराष्ट्र एनईआर/हिमालयीः श्रीमती विजय लता, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री प्रदीप पाणगरिया, चंपावत, उत्तराखंड
	सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति/दूध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन	गैर–एनईआरः प्रथम मीनन गाडी क्षीरोलपादका सहकारणा संघम लिमिटेड, वायनाड, केरल। द्वितीय घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जयपुर, राजस्थान। तृतीय टीवाईएसपीएल 37 सेंदुरई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, अरियालुर, तमिलनाडु।
		एनईआर/हिमालयीः कुल्हा दूध उत्पादक सहकारी समिति, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड.

3.	सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी)	गैर–एनईआरः प्रथम श्री दिलीप कुमार प्रधान, अनुगुल, ओडिशा। द्वितीय श्री विकास कुमार, हनुमानगढ़, राजस्थान। तृतीय श्रीमती अनुराधा चकाली, नांदयाल, आंध्र प्रदेश। एनईआर/हिमालयीः श्री देलुवर हसन, बारपेटा, असम।

ekuuh; eLR;ikyu] i'kqikyu vkj Ms;jh jkT; ea=h }kjk xksiky jRu iqjLdkj çnku fd, x,

3-1-12 jk"Vªh; fMftVy i'kq/ku fe'ku

पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने एनडीडीबी के साथ मिलकर "भारत पशुधन" नाम से एक डेटाबेस विकसित किया है। यह डिजिटल इकोसिस्टम 2 मार्च वर्ष 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह डेटाबेस प्रत्येक पशु को आवंटित एक 12 अंकों की विशिष्ट टैग आईडी का उपयोग करके विकसित किया गया है, इस डेटाबेस पर 36.42 करोड़ पशुओं को पंजीकृत किया गया है। सभी हितधारक एक ओपन सोर्स एपीआई आधारित आर्किटेक्चर के माध्यम से एक ही डेटाबेस से जुड़े हुए हैं।

प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(i) प्राथमिक पहचान कुंजी के रूप में 12 अंकों की विशिष्ट टैग आईडी के साथ "भारत पशुधन" डेटाबेस का निर्माण;

(ii) पशुपालकों के लिए 1962 मोबाइल एप्लीकेशन;

(iii) रोग निगरानी के लिए सीरो–निगरानी और सीरो–मॉनिटरिंग एप्लीकेशन;

(iv) गिर गाय के घी, बद्री गाय के घी, पश्मीना और अन्य पशुधन उत्पादों के लिए ट्रेसेबिलिटी समाधान और

(v) वर्तमान में क्षेत्र अधिकारियों और श्रमिकों द्वारा 140 करोड़ से अधिक लेनदेन प्रणाली में दर्ज किए गए हैं।

इस प्रणाली ने बेहतर लक्ष्य सुनिश्चित करते हुए हमारे

किसानों को योजना और सेवा का लाभ उठाने में मदद की है। भारत पशुधन में पशुओं के रोगों की रोकथाम करने, उनका अनुमान लगाने, उनसे संबंधित कार्रवाई करने और उनका उपचार करने के लिए रोगों की मॉनिटरिंग तथा निगरानी व्यवस्था को एकीकृत किया गया है।

3-1-13 lqjfHk p;u J`[kyk ¼,pth,e i'kq/ku p;u dk;Øe½

सुरभि चयन श्रृंखला के लिए मैनुअल को माननीय एफएएचडी मंत्री द्वारा 26 नवंबर, 2024 को शुरू किया गया। यह मैनुअल उत्कृष्ट पशुधन की पहचान और चयन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जो एक बेहतर दुधारू पशु झुंड तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है और संधारणीय पशुधन प्रबंधन में सहायता करता है। डीएएचडी ने पूरे देश में बेहतर जर्मप्लाज्म का पता लगाने और उसका प्रचार करने के लिए बड़े पैमाने पर निष्पादन रिकॉर्डिंग कार्यक्रम सुरभि चयन श्रृंखला की शुरुआत की है। सुरभि चयन श्रृंखला के अंतर्गत 5 लाख पशुओं की प्रारंभिक पहचान का कार्य पूरा हो चुका है।

3-1-14 –f=e xHkkZ/kku rduhf'k;uksa ds fy, ekud lapkyu çfØ;k,¡

यह दस्तावेज कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की दक्षता और सफलता दर को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रोटोकॉल को रेखांकित करता है, जिससे पशुधन में आनुवंशिक सुधार में योगदान मिलता है।

3-2 uLy lq/kkj laLFkku

3-2-1 çLrkouk

केन्द्रीय गोपशु विकास संगठनों में सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय हिमित सीमन उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा चार केन्द्रीय पशुयुथ पंजीकरण इकाइयां शामिल हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ सांड बछड़ों, उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों (एचजीएम) से गुणवत्ता वाले हिमित सीमन का उत्पादन करने तथा देशी नस्लों के गोपशुओं और भैंसों के श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म की पहचान करने और स्थान निर्धारण करने के लिए स्थापित की गई हैं, ताकि देश में एचजीएम सांडों और हिमित सीमन खुराकों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ये संगठन हिमित सीमन तकनीक में जनशक्ति के प्रशिक्षण तथा फार्म प्रबंधन में किसानों और उद्यमियों के प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

3-2-2 dsaæh; xksi'kq çtuu QkeZ ¼CCBF½

3-2-2-1 पशुओं में उत्पादन क्षमता को सुसाध्य बनाने के लिए और दीर्घकालिक आधार पर उत्पादन में प्रगतिशील आनुवंशिक सुधार लाने के लिए प्रजनन एक महत्वपूर्ण साधन है। केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 से वर्ष 1976 के बीच विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत देश के विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों में शुरू किए गए थे। उनका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर महत्वपूर्ण देशी और विदेशी गोपशु नस्लों (होलस्टीन फ्रीजियन और जर्सी) के उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले जर्मप्लाज्म को उपलब्ध कराना है ताकि डेयरी उद्योग की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया जा सके। इन फार्मों ने देशी और विदेशी नस्लों के रोग मुक्त एचजीएम सांड और हिमित सीमन खुराक के रूप में प्रजनन इनपुट की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

3-2-2-2 देश में सात केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ) हैं, जो अलमाधी (तमिलनाडु), अंदेशनगर (यूपी), चिपलीमा और सुनाबेडा (ओडिशा), धामरोड़ (गुजरात), हेसरघट्टा (कर्नाटक) और सूरतगढ़ (राजस्थान) में स्थित हैं। ये सीसीबीएफ आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रमों के लिए उच्च नस्ल के सांडों के उत्पादन के उद्देश्य से गोपशुओं और भैंसों के वैज्ञानिक प्रजनन में लगे हुए हैं। इसके अलावा, ये फार्म किसानों और प्रजनकों को जागरूकता प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं।

मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 01.04.2023 से तीन फार्मों अर्थात सीसीबीएफ–अलमाधी, सीसीबीएफ–अन्देशनगर और सीसीबीएफ–६

ाामरोड का तकनीकी प्रबंधन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को हस्तांतरित कर दिया गया है ताकि अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण और फार्मों के आधुनिकीकरण के माध्यम से डेयरी नवाचार केंद्रों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कार्यकलाप संचालित किए जा सकें।

3-2-2-3 ये फार्म राज्य सरकारों, प्रजनन एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों आदि को वितरण के लिए देशी, विदेशी नस्लों के गोपशुओं और महत्वपूर्ण भैंस नस्लों के उच्च नस्ल वाले सांड बछड़ों का उत्पादन कर रहे हैं। सांड बछड़ों को देशी नस्लों जैसे थारपारकर, रेड सिंधी, विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, होलस्टीन फ्रीजियन, भैंस नस्लों जैसे मुर्राह और सुरती और जर्सी x रेड सिंधी और होलस्टीन x फ्रीजियन थारपारकर के संकर नस्ल के सांडों से उत्पादित किया जाता है।

3-2-2-4 mís';

इन फार्मों का अधिदेश इस प्रकार है:

(i) वैज्ञानिक चयन और संगठित प्रजनन योजना के माध्यम से दूध उत्पादन और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे ब्यांत अंतराल, खुले दिन और सूखे दिन (days opened and days dry) के लिए पशुयुथ का प्रगतिशील आनुवंशिक सुधार।

(ii) विभिन्न गोपशुओं और भैंसों की नस्लों के बेहतर जर्मप्लाज्म का विकास और संरक्षण।

(iii) सीमन उत्पादन के लिए विभिन्न प्रजनन एजेंसियों को उच्च आनुवंशिक गुणता (HGM) वाले सांड का उत्पादन और वितरण।

(iv) तकनीकी कर्मियों, विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों को वैज्ञानिक प्रजनन और फार्म प्रबंधन प्रथाओं का प्रदर्शन।

3-2-2-5 dk;Z

3-2-2-5-1 LV,d dk çxfr'khy vkuqof'kd lq/kkj

वैज्ञानिक नस्ल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से, परीक्षित संतति और आयातित सीमन का उपयोग करके इन फार्मों में प्रगतिशील आनुवंशिक सुधार किया जा रहा है। पशुओं का चयन कम ब्यांत अंतराल, खुले दिनों और सूखे दिनों के आधार पर किया जाता है।

3-2-2-5-2 n'kh uLyksa dk fodkl vkSj lja{k.k

इन फार्मों पर रेड सिंधी और थारपारकर नस्ल के गोपशुओं और सुरती नस्ल की भैंसों जैसी देशी नस्लों का विकास और संरक्षण किया जा रहा है। इन नस्लों के HGM सांडों को राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के सीमन स्टेशनों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सीसीबीएफ चिपलिमा देश में राज्यों और अन्य एजेंसियों द्वारा लागू किए जा रहे प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग के लिए रेड सिंधी जर्मप्लाज्म का महत्वपूर्ण स्रोत है।

3.2.2.5.1 श्रेष्ठ सांड बछड़ों का उत्पादन और वितरण: इन फार्मों पर वैज्ञानिक प्रजनन के माध्यम से रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणता वाले बछड़ों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें संतति परीक्षण किए गए सांडों के सीमन और गोपशुओं की विदेशी नस्लों के मामले में आयातित सीमन का उपयोग किया जाता है। उच्च आनुवंशिक गुणता वाले रोग मुक्त सांड सीमन उत्पादन के लिए राज्यों और अन्य एजेंसियों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

3-2-2-6 lhlhch,Q] vyek/kh

केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (अवाडी), अलमाधी, चेन्नई में स्थित है, जिसकी स्थापना 1973 में दक्षिणी क्षेत्र में भैंस की मुर्रा नस्ल को बढ़ावा देने और क्षेत्र में मुर्रा नस्ल के HGM सांड की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से

की गई थी। यह फार्म 214.98 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। फार्म में मुर्रा भैंसें हैं और वर्तमान में झुंड में पशुओं की संख्या 250 है। एनडीडीबी द्वारा आईवीएफ प्रयोगशाला सेंटर की स्थापना के लिए सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है।

lhlhch,Q] vyek/kh esa eqjkZ uLy

lhlhch,Q] vyek/kh esa eqjkZ i'kq >aM

3-2-2-7 lhlhch,Q] /kkejksM+

केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, धामरोड़ गुजरात के सूरत में स्थित है। इस फार्म की स्थापना 1968 में सुरती भैंस नस्ल के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य पूरे देश में प्रजनन और प्रजनन के उद्देश्य से बेहतर उच्च नस्ल वाले सुरती सांड बछड़ों का उत्पादन करना और इस देशी नस्ल का संरक्षण करना था। फार्म की क्षमता 250 पशुओं की है। इस फार्म में गिर नस्ल के गोपशु और होलस्टीन फ्रीजियन गोपशुओं के संकर भी हैं, जिनसे उत्कृष्ट बछड़े मिलते हैं। इस फार्म पर अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है और उसे चालू कर दिया गया है। प्रयोगशाला में आईवीएफ का कार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर किया गया है।

lhlhch,Q] /kkejkM+ esa fxj uLy

lhlhch,Q] /kkejkM esa Ø,lcM d fy, u;k ‘kM

lhlhch,Q /kkejkM+ esa Ø,lcM gh Qj

3-2-2-8 lhlhch,Q] vn’kuxj%

केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, लखीमपुर–खीरी से लगभग 13 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अंदेशनगर में स्थित है। इस फार्म की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और इसमें मुर्रा नस्ल की भैंस और होलस्टीन फ्रीजियन के संकर भी हैं। वर्तमान में फार्म की क्षमता 300 है। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

lhlhch,Q] vn’kuxj e Ø,lcM cNM&cfN;k

lhlhch,Q] vn’kuxj e ejk uLy

3-2-2-9 lhlhch,Q] fpifyek%

केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले के बसंतपुर में स्थित है। इस फार्म की स्थापना 1968 में की गई थी और इसमें रेड सिंधी नस्ल के गोपशु और जर्सी X रेड सिंधी की संकर नस्लें हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान, फार्म ने बारह देशी गिर गोपशु शामिल किए और 6 सांड बछड़े राज्यों को बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 801 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

lhlhch,Q fpifyek e xkj xki'k

lhlhch,Q] fpifyek esa efgyk ,l,pth xzqi ¼çk.kh fe=½ dk çf'k{k.k

i'kq fpfdRlk i'kqoj.kksa dk bUVuZf'ki Nk=ksa dk çf'k{k.k

vkfM'kk ljdkj ds i'kq lalk/ku fodkl foHkkx ds iSjk i'kqfpfdRldksa dk çf'k{k.k

फार्म को राजभाषा के संबंध में किए गए कार्यों के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), संबलपुर द्वारा सम्मानित किया गया है। राजभाषा संबंधी क्रियाकलापों की समीक्षा के लिए, संयुक्त सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा सीसीबीएफ, चिपलिमा का निरीक्षण किया गया।

vif’k”V l s lifÙk ¼Waste to Wealth½% fpifyek d s dæh; xk i’k ç tuu Qke e s LØi vk;ju l s cuh d h efr l

पर्यावरणीय संधारणीयता और अपशिष्ट सामग्री के रचनात्मक पुनः उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्वच्छता अभियान के भाग के रूप में, संबलपुर के चिपलिमा में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म (CCBF) ने स्क्रैप आयरन का इस्तेमाल करके गाय की एक प्रतिमा बनाई गई है। यह प्रतिमा अपशिष्ट आयरन स्क्रैप सामग्री के पुनः उपयोग से पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों की बचत के सिद्धांतों को दर्शाते हुए गोपशुओं और पशुधन के प्रति सम्मान को दर्शाती है।

, l ,ih 5-0% oLV V oYFk% LØi vk;ju l cuh xk; dh çfrek

, l ,ih 5-0% ek ?kV’ojh efnj e LoPNrk vfHk;ku

3-2-2-10 lh lh ch ,Q] l qukcM k%

केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले के सुनाबेड़ा में स्थित है। इस फार्म की स्थापना 1972 में की गई थी और इसमें विदेशी जर्सी नस्ल के गोपशु हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान, फार्म ने 13 सांड बछड़े पैदा किए और राज्यों को 20 सांड बछड़े बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 607 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। अत्याधुनिक IVF प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

t lh cNM

lkghoky xk;

pkjk lxgky;

vtkyk mRiknu

lhlhch,Q lqukcMk esa vk;ksftr çf’k{k.k dk;Øe

o{kkjksi.k vfHk;ku

jk"Vªh; [ksy fnol] 2025 dk vk;kstu

fganh fnol i[kokMk 2025 dk vk;ktu

3-2-2-11 lhlhch,Q] lwjrx<+

केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। इस फार्म की स्थापना 1967 में की गई थी और इसमें थारपारकर नस्ल के देशी गोपशु हैं। फार्म में 360 पशु हैं। वर्ष 2025–26 के दौरान, फार्म ने 33 सांड बछड़े पैदा किए और राज्यों को 26 सांड बछड़े बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 425 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

lhlhch,Q lwjrx< esa Fkkjikjdj xksi'kq

çf’k{k.k vkj vU; dk;ldyki

3-2-3 lex okLrfod çxfr

इन फार्मों ने वर्ष 2024–25 के दौरान 72 सांड बछड़े पैदा किए, 45 सांड बछड़े किसानों और राज्य प्रजनन फार्मों को बेचे और 1523 किसानों को डेयरी फार्म प्रबंधन में प्रशिक्षित किया। वर्ष 2024–25 के दौरान पैरामीटरवार वास्तविक प्रगति निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई है:

Ø- l-	iSjkehVj	fpifyek	lukcMk	ljrx<	dqy
1	सांड बछड़ा उत्पादन	16	13	33	62
2	बेचे गए सांड बछडे	6	20	26	52
3	प्रशिक्षित किसानों की संख्या	801	607	425	1833

3-2-4 dsanzh; i'kq iathdj.k ;kstuk ¼lh,pvkj,l½

3.2.4.1 विभाग उत्कृष्ट गायों और भैंसों के पंजीकरण के लिए तथा उत्कृष्ट गायों और बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना (CHRS) कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्रजनन ट्रैक्ट में देशी नस्लों के श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म की पहचान और प्रसार करना है, तथा फील्ड निष्पादन रिकॉर्डिंग के माध्यम से उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले सांडों के साथ चयनित गायों के प्रजनन की व्यवस्था करना है। यह योजना देशी नस्लों के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

3.2.4.2 इस योजना के अंतर्गत रोहतक, अहमदाबाद, अजमेर और ओंगोल में 4 सीएचआरएस इकाइयां स्थित हैं। फील्ड परफॉरमेंस रिकॉर्डिंग (FPR) के लिए 95 दूध रिकॉर्डिंग केंद्र मौजूद हैं। यह योजना 9 राज्यों में 14 देशी नस्लों के गोपशुओं और भैंसों को कवर करती है। डेटा को डेटाबेस पर अपलोड किया जाता है और 12 अंकों की विशिष्ट पशु पहचान (AUID) संख्या का उपयोग करके पशुओं की पहचान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पशु रिकॉर्डिंग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समिति के दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है।

3-2-4-3 lh,pvkj ;wfuV jksgrd

इस इकाई की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। इस इकाई के पास क्षेत्र में दूध की रिकॉर्डिंग करने के लिए 33 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। इसमें शामिल देशी नस्लों में हरियाणा, साहीवाल, रेड सिंधी और गिर नस्ल के गोपशु मुर्रा और नीली रावी नस्ल की भैंसें शामिल हैं। यह इकाई हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे राज्यों को कवर करती है।

3-2-4-4 miyfC/k;k¡

वर्ष 2025–26 के दौरान नस्ल विशेषताओं के अनुरूप 10526 उत्कृष्ट गायों और भैंसों को एफपीआर के अंतर्गत लाया गया। वर्ष 2025–26 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

çkFkfed iathdj.k	vuqorhZ iath—r i'kq	çtud tkx:drk@ çpkj f'kfoj	çf'kf{kr 0;fä;ksa dh la[;k
3835	3146	46	160

eqjkZ HkSal

Vªx la- & 100905323205 fnu lfgr n/k mRiknu& 4802@302

ejk Hkl

Vx l[;k & 340145750517 n/k mRiknu & 4408/304

3-2-4-5 lh,pvkj bdkbl vgenkckn

3.2.4.5.1 यह इकाई वर्ष 1969 में स्थापित की गई थी। इस इकाई के अंतर्गत फील्ड में दूध की रिकॉर्डिंग के लिए 42 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। इसमें देशी नस्लों में गिर, कांकरेज नस्ल के गोपशु और सुरती, जाफराबादी, मेहसानी, पंढरपुरी नस्ल की भैंसें शामिल हैं। यह इकाई गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को कवर करती है।

3-2-4-5-2 miyfC/k;k¡

वर्ष 2025–26 के दौरान, नस्ल की विशेषताओं के अनुरूप 7950 उत्कृष्ट गायों और भैंसों को एफपीआर के अंतर्गत लाया गया।

वर्ष 2025–26 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई हैं।:

çkFkfed iathdj.k	vrr% iath—r i'kq	çtud tkx:drk@ çpkj f'kfoj	çf'kf{kr 0;fä ;ksa dh l[;k
2267	1884	74	46

fxj xki'k

Vx l- 340181243224 n/k mRiknu@fnu 4537@277

tkQjkcknh HkSl

Vsx la- 340076346693

n/k mRiknu/ fnu –4779/302

egls.kk HkSl

Vsx la- 340181199287

n/k mRiknu@fnu & 3459@299

dkadjst xkS i'kq

Vsx la- 105148656067 n/k mRiknu@ fnu & 3233@286

lqjrh HkSal

Vsx la- 340045211948

n/k fjd,fMx fØ;kdyki

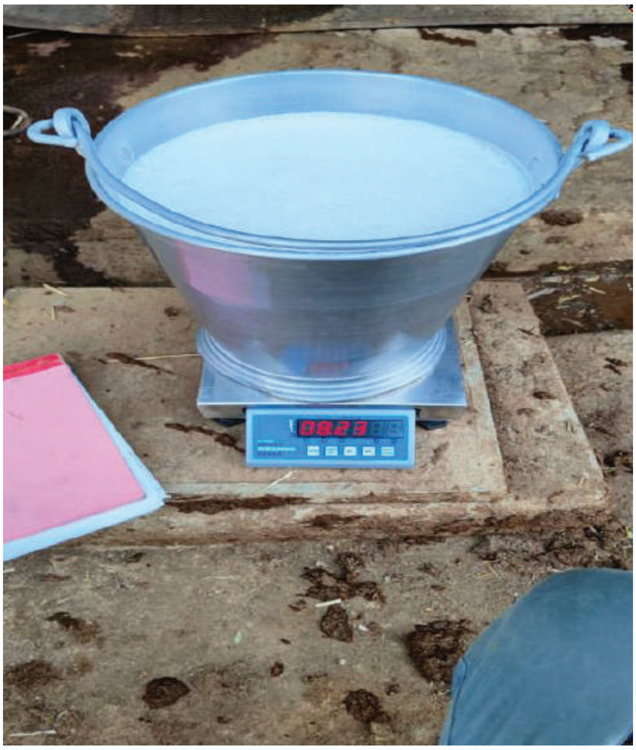

çtud tkx:drk vkSj çpkj f'kfoj

o{kkjksi.k vfHk;ku

3-2-4-6 lh,pvkj bdkb] vtesj

3.2.4.6.1 यह इकाई वर्ष 1979 में स्थापित हुई थी। इस इकाई में फील्ड में दूध की रिकॉर्डिंग के लिए 10 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। इसमें देशी नस्लों में गिर, राठी, थारपारकर नस्ल के गोपशु और मुर्रा नस्ल की भैंस शामिल हैं। यह इकाई राजस्थान राज्य को कवर करती है।

3-2-4-6-2 miyfC/k;ka

वर्ष 2025–26 के दौरान, नस्ल की विशेषताओं के अनुरूप, 2861 उत्कृष्ट गायों और भैंसों को एफपीआर के अंतर्गत लाया गया। वर्ष 2025–26 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

çkFkfed iathdj.k	vrr% iath—r i'kq	çtud tkx:drk@ çpkj f'kfoj	çf'kf{kr 0;fä ;ksa dh la[;k
756	672	34	100

fxj xk;

CHR bdkb] vkxky

यह इकाई वर्ष 1979 में स्थापित हुई थी। इस इकाई में फील्ड में दूध की रिकॉर्डिंग के लिए 10 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। इसमें देशी नस्लों में ओंगोल नस्ल के गोपशु और मुर्रा नस्ल की भैंस शामिल हैं। यह इकाई आंध प्रदेश को कवर करती है।

miyfC/k;k%

वर्ष 2025–26 के दौरान, नस्ल की विशेषताओं के अनुसार, 2064 उत्कृष्ट गायों और भैंसों को FPR के अंतर्गत लाया गया। वर्ष 2025–26 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई हैः

çkFkfed iathdj.k	vrr% iath—r i'k	çtud tkx:drk@ çpkj f'kfoj	çf'kf{kr 0;fä ;k dh l[;k
920	869	60	130

vkxksy uLy

ejk Hkkl

3-2-4-7 vkuqof’kd mUu;u dk;Øe e lh,pvkj,l dh Hkkfedk

वर्ष 2025–26 के दौरान, 7778 गायों और भैंसों का प्राथमिक पंजीकरण किया गया, जिनमें से 6571 अंततः पंजीकृत हुए; 214 प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर लगाए गए और 436 व्यक्तियों को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सर्वेक्षण और दूध रिकॉर्डिंग करने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। योजना के तहत चिह्नित उत्कृष्ट बछड़ों की सूची विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। राज्यों द्वारा चलाए जा रहे प्रजनन कार्यक्रम में इस्तेमाल के लिए राज्य ने उच्च आनुवंशिक गुणता वाले बछड़ों को खरीदा है।

***

अध्याय-4

M;jh fodkl

M;jh fodkl

अध्याय 4

4-1 fl gkoykdu

भारत में डेयरी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विवेकपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, भारत विश्व के दूध उत्पादक देशों में पहले स्थान पर है, जिसने वर्ष 2024–25 के दौरान 247.87 मिलियन टन का वार्षिक उत्पादन हासिल किया, जबकि वर्ष 2023–24 में यह 239.30 मिलियन टन था, जो 3.58% की वृद्धि दर दर्शाता है।

फूड आउटलुक (नवंबर 2025) के अनुसार, विश्व दूध उत्पादन वर्ष 2024 (अनुमान) में 979.00 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025 (पूर्वानुमान) में 992.30 मिलियन टन हो जाएगा, जो 1.4% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी–2025 के अनुसार, भारत का दूध उत्पादन वर्ष 2024–25 में लगभग 247.87 मिलियन टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.58% (अनुमानित) की वृद्धि दर्ज करता है और विश्व औसत वृद्धि दर से अधिक है।

भारत में दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता

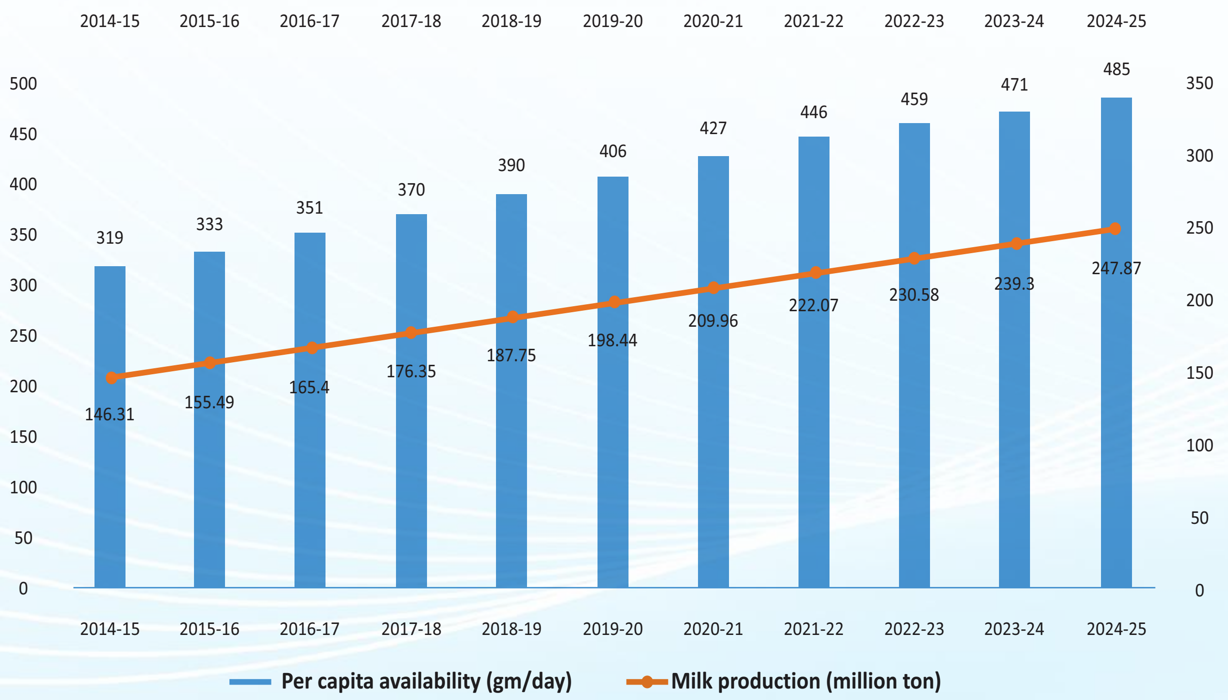

दुग्ध उत्पादन लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत बन गया है और विशेष रूप से महिलाओं और सीमांत किसानों के लिए रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करने में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। फूड आउटलुक (**FAO**) के नवंबर 2025 के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2024&25 के दौरान प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 485 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंच गई है, जो विश्व औसत लगभग 328 ग्राम प्रतिदिन (119-60 किलोग्राम/वर्ष) से अधिक है। देश में अधिकांश दूध का उत्पादन छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता है।

4-1-1 M;jh dk vkfFkZd egRo

पशुधन उपक्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था और लाखों ग्रामीण परिवारों के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन भारवाही शक्ति का मुख्य स्रोत है और

इससे दूध, मांस, अंडे, ऊन, चमड़ा, खाद और ईंधन भी प्राप्त होता है। भारत के कुल सकल मूल्य वर्धन (GVA) में इसका योगदान लगभग 5.49% (वर्तमान कीमतों पर) और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में 30.87% है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 1999–20 में 22.93% से घटकर वर्ष 2023–24 में 17.79% (वर्तमान कीमतों पर) हो गया है। हालांकि, इसी अवधि में पशुधन क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धन में योगदान 5.30% से बढ़कर 5.49% (वर्तमान कीमतों पर) हो गया हैं।

4-1-2 n/k mRiknu vkj vkifrl dk fgLlk

भारत में उत्पादित दूध का लगभग 37% या तो उत्पादक स्तर पर उपयोग कर लिया जाता है या ग्रामीण क्षेत्र में गैर–उत्पादकों को बेच दिया जाता है, शेष 63% दूध संगठित और असंगठित भागीदारों को बिक्री के लिए उपलब्ध है। संगठित क्षेत्र में सरकार, उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाएँ (दूध सहकारी समितियाँ और दूध उत्पादक संगठन) और निजी भागीदार शामिल हैं जो गांव स्तर पर पूरे साल दूध संग्रह की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करते हैं। असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में स्थानीय दूधवाले, दूधिया, ठेकेदार आदि शामिल हैं। और वे ज्यादातर अवसरवादी पाए जाते हैं, क्योंकि उत्पादकों को दिए जाने वाले दूध के मूल्य में कोई एकरूपता नहीं है और यह स्थिति के आधार पर अलग–अलग होता है। इन असंगठित समूहों में दूध में मिलावट की संभावना अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा अधिक है और औपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति मजबूत है, वे आम तौर पर उच्च मूल्य देते हैं और साथ ही, वे उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं देते हैं जहाँ संगठित क्षेत्र मौजूद नहीं है। वर्ष 2024 में डेयरी बाजार का कुल आकार लगभग 18.98 लाख करोड़ रुपये था और आईएमएआरसी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2033 तक लगभग 57.00 लाख करोड़ रुपये के बाजार आकार तक पहुँचने की उम्मीद है।

4-1-3 ekx

भारत में दूध की मांग के कारक हैं – जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, बदलती खाद्य आदतें और जीवन–शैली और जनसांख्यिकीय वृद्धि के अनुरूप दूध की खपत बढ़ रही है। अपने विविध लाभों के साथ दूध देश की अधिकांश शाकाहारी आबादी के लिए पशु प्रोटीन का एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा, उच्च प्रोटीन आहार में उपभोक्ता की बढ़ती रुचि और संगठित खुदरा श्रृंखला जैसे चैनलों के माध्यम से डेयरी उत्पादों की बढ़ती जागरूकता और उपलब्धता जैसे कारक भी इस वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं।

देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दूध का उपभोग करने वाली आबादी लगातार बढ़ रही है। एनएसएसओ के घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (HCES, 2022–23) के अनुसार, देश में ग्रामीण और शहरी आबादी के लगभग 93% और 95% लोगों ने क्रमशः दूध और दूध उत्पादों की खपत की जानकारी दी। उपरोक्त कारकों में वृद्धि यह दर्शाती है कि भविष्य में दूध और दूध उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि होगी।

4-1-4 lxfBr {k=

4-1-4-1 lgdkjh {k=

rhu Lrjh; ljpuk

xke lgdkjh lfefr% भारत में ग्राम सहकारी समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली मुख्य पद्धति दूध उत्पादकों की आनंद मॉडल ग्राम डेयरी सहकारी समिति (DCS) है। कोई भी उत्पादक शेयर खरीदकर और केवल समिति को दूध बेचने का वचन देकर डीसीएस का सदस्य बन सकता है। प्रत्येक डीसीएस में एक दूध संग्रह केंद्र होता है जहाँ सदस्य प्रतिदिन दूध लेते हैं। प्रत्येक सदस्य के दूध की गुणवत्ता की जाँच की जाती है और वसा और सॉलिड्स–नॉट फैट (SNF) के प्रतिशत के आधार पर भुगतान किया

जाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में, डीसीएस के मुनाफे का एक हिस्सा प्रत्येक सदस्य को डाले गए दूध की मात्रा के आधार पर संरक्षण बोनस का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

ftyk l?k% जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ का स्वामित्व डेयरी सहकारी समितियों के पास होता है। संघ सभी समितियों का दूध खरीदता है, फिर तरल दूध और उत्पादों को संसाधित करता है और उनका विपणन करता है। अधिकांश संघ डीसीएस और उनके सदस्यों को कई तरह की इनपुट और सेवाएँ भी प्रदान करते हैं: पशु आहार, पशु चिकित्सा देखभाल, दूध उत्पादन और सहकारी समितियों के व्यवसाय की वृद्धि को बनाए रखने के लिए कृत्रिम गर्भाधान। संघ के कर्मचारी डीसीएस नेताओं और कर्मचारियों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षण देते हैं और परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं।

jkT; ifjl?k% सहकारी दूध उत्पादकों के परिसंघ, राज्य स्तर पर एक राज्य परिसंघ बनाते हैं, जो सदस्य संघों के तरल दूध और उत्पादों के विपणन के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ परिसंघ आहार का निर्माण भी करते हैं और अन्य संघ कार्यकलापों में सहायता करते हैं।

4-1-4-2 orZeku fLFkfr% सहकारी क्षेत्र में, 22 दुग्ध संघ, 241 जिला सहकारी दुग्ध संघ, 28 विपणन डेयरी, 25 दुग्ध उत्पादक संगठन हैं, जो लगभग 2.45 लाख गांवों और 1.65 करोड़ दुग्ध उत्पादक किसानों को सदस्य के रूप में कवर करते हैं।

4-1-4-3 nqX/k mRiknd laxBu (NDDB-DS)

एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDDB-DS), जो एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली गैर–लाभकारी सहायक कंपनी है, ने दुग्ध उत्पादक संगठनों (MPO) के निगमन और संचालन में सहायता प्रदान की है। एनडीडीबी–डीएस ने सफलतापूर्वक 25 एमपीओ स्थापित किए हैं। इनमें से छह एमपीओ को राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण I) के तहत सहायता प्रदान की गई थी। इन 25 एमपीओ में से 18 (अठारह) एमपीओ की सदस्य महिलाएं हैं और उनके संबंधित बोर्डों में सभी उत्पादक निदेशक महिलाएं हैं। इन एमपीओ में कुल मिलाकर 12 राज्यों के 175 जिलों में 13 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक हैं। इनमें से लगभग 78% उत्पादक महिलाएं हैं। इन संगठनों के सदस्यों ने शेयर पूंजी के रूप में लगभग 271 करोड़ रुपये जुटाए। ये एमपीओ वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 70 लाख लीटर दूध की खरीद करते हैं, जिनका संयुक्त वार्षिक कारोबार 10,190 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2024–25) है। स्थापना के बाद से, इन एमपीओ ने सामूहिक रूप से पारदर्शी बैंक हस्तांतरण के माध्यम से उत्पादक सदस्यों को सीधे 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है।

4-1-4-4 futh Ms;jh {ks=

वर्ष 1991 के बाद, जब औद्योगिक लाइसेंसिंग में सुधार का युग शुरू हुआ, निजी क्षेत्र की कंपनियों ने दूध और दूध से बने उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए क्षमता निर्माण में प्रभावशाली वृद्धि की है। उन्होंने डेयरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया और ऐसी क्षमताएं बनाईं जो पिछले 20 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों और सरकारी डेयरियों की संयुक्त क्षमता से भी अधिक थी। इनमें से कुछ निजी भागीदारी अब कुछ सहकारी डेयरियों से भी बहुत बड़े हैं और उनमें विकास की बहुत संभावना है। चूंकि निजी क्षेत्र अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से पूरी तरह से वाणिज्यिक आधार पर काम करता है, इसलिए किसानों के विकास के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी काफी हद तक प्रभावित होती है। निजी भागीदार विक्रेताओं के माध्यम से दूध खरीदना पसंद करते हैं, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना प्रभावित होता है। हालांकि, निजी क्षेत्र में वृद्धि से बड़ी संख्या में किसानों को बाजार तक पहुंच मिलती है। FSSAI लाइसेंस (मार्च 2024 तक) के अनुसार निजी डेयरियों (दूध प्रसंस्करण इकाइयों) की कुल संख्या 1164 एलएलपीडी है।

4-2 M;jh çHkkx dh Hkfedk

- दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना में सुधार के माध्यम से पशुधन उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और संगठित डेयरी क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि।
- देश में डेयरी विकास के लिए नीतिगत रूपरेखा, कार्य योजना और योजनाओं का निर्माण
- संबंधित मंत्रालयों, केंद्रीय संस्थानों, तकनीकी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों आदि के साथ डेयरी विकास नीति रूपरेखा के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श और समन्वय।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों के साथ समन्वय सहित विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार की डेयरी विकास योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन।
- दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता और डेयरी मशीनों के विनिर्देशों और मानकों पर तकनीकी मानकों और प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए विभिन्न नियामक और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक निकायों जैसे FSSAI, BIS और कोडेक्स आदि के साथ तकनीकी और वैज्ञानिक कार्य करना।
- दूध और दूध उत्पादों से संबंधित मामलों में खाद्य और कृषि संगठन (FAO), विश्व व्यापार संगठन (WTO)/व्यापार में तकनीकी बाधाओं (TBT), कोडेक्स एलमेंटेरियस आयोग और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ (IDF) आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक निकायों/संस्थानों के साथ नीतिगत मामलों पर काम करना। डेयरी क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (IC) मामलों जैसे द्विपक्षीय सहयोग, कूटनीति के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, अंतर्राष्ट्रीय तालमेल के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन आदि पर कार्य करना।
- अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियों का निर्माण करना। डेयरी विकास योजनाओं के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का संचालन करना ताकि डेयरी क्षेत्र में नवाचार, निवेश, तकनीकी उन्नति और साक्ष्य–आधारित प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके। यह कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) और अन्य संबंधित अनुसंधान निकायों के परामर्श से किया जाता है। डेयरी क्षेत्र में नवाचार प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा तैयार करना।
- दूध और दूध उत्पादों से संबंधित व्यापार नीति, जिसमें पशुधन आयात अधिनियम 1998 के तहत स्वच्छता आयात परमिट जारी करने हेतु दूध और दूध उत्पादों के आयात के लिए प्राप्त आवेदनों (वैज्ञानिक और तकनीकी) की जांच और एस.पी.एस. उपाय शामिल हैं।
- देश में दूध की स्थिति की निगरानी, जिसमें उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने और संगठित डेयरी क्षेत्र के माध्यम से दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत निर्णय शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी डेटाबेस का विकास और रखरखाव।
- तकनीकी नियमावली और कार्य योजनाओं का निर्माण। कार्यशालाओं और सेमिनारों से प्राप्त वैज्ञानिक और तकनीकी परिणाम। डेयरी क्षेत्र में जैव सुरक्षा, प्राकृतिक संपदा, आपदा प्रभाव/चक्रीय अर्थव्यवस्था/हरित ऊर्जा/बायोगैस, जिसमें कार्बन क्रेडिट भी शामिल है। डेयरी क्षेत्र के लिए प्रक्रिया संबंधी जानकारी, उत्पाद संबंधी जानकारी, डिजाइन संबंधी जानकारी और तकनीकी रिपोर्ट। डेयरी विकास के लिए प्रचार सामग्री का डिजाइन।

4-3 n/k ifj–';

4-3-1 ?kjsyw

दिसंबर 2025 के दौरान दूध की औसत खरीद दिसंबर 2024 की तुलना में लगभग 7.91% अधिक थी और तरल दूध की बिक्री लगभग 5.16% अधिक थी। दिसंबर 2025 के दौरान, यह देखा गया कि सहकारी क्षेत्र में स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) का स्टॉक लगभग 16.50% कम था और सफेद मक्खन का स्टॉक लगभग 41% कम था।

4-3-2 fiNys nks o"kksZa ds nkSjku Msjh fodkl {ks= dk vUrjkZ"Vªh; ifjn`';

भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व के कुल दूध उत्पादन में 24% का योगदान देता है। वर्ष 2022–23, 2023–2024 और 2024–2025 के दौरान दूध उत्पादन का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है:

ekunM	o"kZ ¼2022&23½	o"kZ ¼2023&24½	o"kZ ¼2024&25½	o"kZ nj o"kZ of) ¼çfr'kr½
भारत का दूध उत्पादन (एमएमटी) संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर),	230.58	239.30	247.87	3.58
विश्व का दूध उत्पादन (एमएमटी)' संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर),	968.20 (2023)	982.50 (2024 अनुमान)	992.30 (2025 पूर्वानुमान)	1.4
भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन) (संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर),	459	471	485	2.97

'स्रोत– फूड आउटलुक नवंबर '2024

- वर्ष 2024–25 में दूध का उत्पादन 247.87 मिलियन टन (अनंतिम) था, जबकि वर्ष 2023–24 में 239.30 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था।
- वर्ष 2024 में विश्व में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग 329 ग्राम प्रतिदिन थी, जबकि भारत में वर्ष 2024–25 में यह 485 ग्राम प्रतिदिन थी।

4-3-3 o"kZ 2024&25 ds nkSjku n/k dh fLFkfr%

देश के प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान दूध की स्थिति इस प्रकार है:

1. प्रतिदिन औसतन 770.46 लाख किलोग्राम (LKgPD) दूध की खरीद हुई और प्रतिदिन औसतन 467.86 लाख लीटर (LLPD) दूध बेचा गया।

2. 6% वसा और 9% एसएनएफ वाले दूध के लिए औसतन 49.03 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीद दर का भुगतान किया गया। औसत विक्रय मूल्य 69.50 रुपये प्रति लीटर था।

3. निर्यात और आयात का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

oLr| ¼,p,l dkM½	ek=k ¼ehfV'd Vu e½			
	o"k 2022&23	o"k 2023&24	o"k 2024&25	o"k 2025&26 ¼uoacj 2025½
निर्यात				
दूध और क्रीम (0401)	15295.49	16515.02	21097.01	16771.46
दूध पाउडर (0402)	18737.77	6952.95	9697.05	4969.96
किण्वित और अम्लीकृत दूध उत्पाद (0403)	1574.18	2501.17	3262.78	3077.49
व्हे और व्हे उत्पाद (0404)	350.64	336.16	321.88	142.00
मक्खन/घी/बटर ऑयल (0405)	22903.22	27837.30	67565.44	32063.16
पनीर और दही (0406)	9320.94	9590.78	11393.64	8210.65
कैसीन, कैसिनेट्स और अन्य कैसिइन व्युत्पन्नय कैसिइन ग्लू (3501)	8843.53	2044.34	2931.12	1656.80
d|y	77025-77	65777-72	116268-91	66891-52
vk;kr				
दूध और क्रीम (0401)	408.12	758.58	718.67	742.32
दूध पाउडर (0402)	604.12	988.76	345.95	640.47
किण्वित और अम्लीकृत दूध उत्पाद (0403)	57.51	1000.47	2.29	0.00
व्हे और व्हे उत्पाद (0404)	10808.35	23041.22	16760.31	13366.05
मक्खन/घी/बटर ऑयल (0405)	275.85	252.50	327.53	568.18
पनीर और दही (0406)	1821.87	2250.73	1588.49	2015.54
कैसीन, कैसिनेट और अन्य कैसिइन व्युत्पन्नय कैसिइन गोंद (3501)	1007-54	2517-47	1488-62	1306-26
d|y	14983-36	30809-73	21231-85	18638-82

4-4 M;jh fodkl ;ktuk

विभाग केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF) और डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं को लागू कर रहा है।

4-4-1 jk"Vh; M;jh fodkl dk;Øe

विभाग फरवरी 2014 से पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन, दूध एवं दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण/मजबूती के उद्देश्य से ''राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)'' लागू कर रहा है। यह कार्यक्रम राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) यानी राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के माध्यम से चलाया जा रहा है।

जुलाई 2021 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया और इसे वर्ष 2021–22 से 2025–26 के दौरान लागू करने के लिए कुल 1790 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। दिनांक 19.03.2025 को एनपीडीडी योजना में 1000.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया

गया, जिससे वित्त आयोग के 15वें चक्र वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26) के दौरान कुल आवंटन 2790 करोड़ रुपये हो गया। पुनर्गठित योजना के दो घटक होंगेः

घटक 'क' का उद्देश्य राज्य सहकारी डेयरी संघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित निजी डेयरी/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दुग्ध परीक्षण उपकरण और प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण/मजबूती करना है। यह योजना वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए पूरे देश में लागू की जाएगी।

mís';

क) संगठित दुग्ध खरीद नेटवर्क का निर्माण, सुदृढ़ीकरण और विस्तार करना

ख) दुग्ध प्रसंस्करण और मूल्यवर्धित उत्पाद निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना

ग) ग्राम स्तर पर कोल्ड चेन और दुग्ध परीक्षण सहित दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना

घ) गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर प्रशिक्षण प्रदान करना और जागरूकता पैदा करना

fuf/k;u iSVuZ

क) दूध की खरीद, दूध को ठंडा करने, दूध प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन घटकों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए 75:25 और अन्य राज्यों के लिए 50:50 का अनुपात;

ख) दूध और दूध उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रमाणन और मान्यता के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए 70:30 और अन्य राज्यों के लिए 50–50 का अनुपात;

ग) अनुसंधान एवं विकास और दूध उत्पादक कंपनियों की स्थापना घटकों के लिए 35:65 का अनुपात; और

घ) प्रशिक्षण और योजना एवं निगरानी घटकों के लिए 100% अनुपात।

dk;ldyki d fuf/k;u çkIr ?kVd

ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना, प्राथमिक स्तर पर दूध ठंडा करने की सुविधाएँ (बीएमसी सहित), दूध प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), पहाड़ी क्षेत्रों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में, दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रमाणन और मान्यता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास, दूध उत्पादक कंपनी की स्थापना और योजना एवं निगरानी।

,uihMhMh d rgr miyfC/k;k

28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 257 परियोजनाओं को वर्ष 2014–15 से वर्ष 2024–25 दिनांक 31.12.2025) तक कुल 4126.48 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 2987.31 करोड़ रुपये) की लागत से मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल 2410.18 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 2066.13 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है और दिनांक 31.12.2025 तक 262.77 करोड़ रुपये अप्रयुक्त हैं। एनपीडीडी योजना के घटक क के तहत दिसंबर 2025 तक राज्यवार वित्तीय प्रगति अनुबंध VII में दी गई है।

,uihMhMh d vrxr okLrfod çxfr

- परियोजनाओं के अंतर्गत 22,434 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन/पुनर्सथापन किया गया, 19.03 लाख नए किसानों को डेयरी सहकारी समितियों की सदस्यता का लाभ दिया गया और 102.18 लाख लीटर अतिरिक्त दूध की खरीद की गई।
- प्रतिदिन 28.76 लाख लीटर की नई दूध प्रसंस्करण क्षमता स्थापित की गई है।
- ग्राम स्तरीय दुग्ध सहकारी समितियों में 140.32 लाख लीटर की शीतलन क्षमता वाले

5732 बल्क मिल्क कूलर, 47728 स्वचालित दूध संग्रहण इकाई/डेटा प्रोसेसिंग और दूध संग्रहण इकाई/दूध एनालाइजर और 7890 इलेक्ट्रॉनिक दूध मिलावट परीक्षण उपकरण स्थापित किए गए हैं।

- दूध के घटकों, रासायनिक एवं सूक्ष्मजैविक मानकों, मिलावटों, अवशेषों, भारी धातुओं आदि के परीक्षण हेतु 13 राज्य स्तरीय केंद्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं तथा 259 जिला/क्षेत्रीय स्तर की डेयरी संयंत्र प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया।
- एनपीडीडी योजना के घटक क के अंतर्गत राज्यवार भौतिक उपलब्धियों का विवरण अनुबंध–VIII में दिया गया है।

?kVd [k& lgdkjh lfefr;k d ek/;e l M;jh

उद्देश्य "संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना, जिससे परियोजना क्षेत्र में दूध उत्पादकों को मिलने वाले लाभ में वृद्धि करने में योगदान दिया जा सके"।

fuf/k;u lkr

lkr	fuf/k jkf’k ¼djkM #i; e½
कुल परियोजना लागत	1568.28
ईएफसी द्वारा अनुमोदित केंद्रीय हिस्सा	475.54 (30.3%)
जेआईसीए ऋण	924.56 (59.0%)
अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी का योगदान	168.18 (10.7%)

dk;kUo;u ,tlh & jk”Vh; M;jh fodkl ckM ¼,uMhMhch½

ik= jkT;–यह योजना उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है और इसे अतिरिक्त सात राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और पंजाब तक विस्तारित किया गया है। उत्तराखंड राज्य को JICA की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अनुदान सहायता के साथ चारा संबंधी पायलट परियोजना के लिए शामिल किया गया है।

ik= lgHkkxh lLFkk,&दुग्ध संघ/दुग्ध उत्पादक कंपनियाँ/राज्य दुग्ध परिसंघ/बहु–राज्य दुग्ध सहकारी समितियाँ

?kVd&दूध खरीद अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, विपणन अवसंरचना के लिए सहायता, आईसीटी के लिए सहायता, पोषण हस्तक्षेप के माध्यम से उत्पादकता वृद्धि – परियोजना प्रबंधन और शिक्षण एवं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

ifj;ktuk vkmViqV%

परियोजना से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे:

I. 4470 गांवों में नई/ग्राम स्तरीय संस्थाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण

II. लगभग 1.5 लाख अतिरिक्त दूध उत्पादकों (जिनमें 50% महिला दूध उत्पादक होंगी) से दूध प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप दूध की खरीद में प्रतिदिन लगभग 14.20 लाख किलोग्राम में वृद्धि होगी।

III. 4694 एएमसीयू की स्थापना तथा दूध संग्रहण एवं स्थानांतरण के लिए 104 दूध टैंकरों को शामिल करना, ताकि कार्यक्रम के अंत में 8 एलएलपीडी दूध स्थानांतरित किया जा सके।

IV. गांव स्तर पर 8.96 एलएलपीडी की अतिरिक्त शीतनलन क्षमता का सृजन, लगभग 7 एलएलपीडी (लाख लीटर प्रतिदिन) की प्रसंस्करण क्षमता, 190 एमटीपीडी मूल्य संवर्धित उत्पाद (वीएपी) विनिर्माण क्षमता।

V. कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डीप फ्रीजर और विजी कूलर के साथ 3000 मिल्क पार्लर, 198 वॉक–इन–कोल्ड स्टोरेज और 5 केएल क्षमता के 96 इंसुलेटेड वैन की स्थापना करके POI के मार्केटिंग कोल्ड चेन अवसंरचना को मजबूत करना।

VI. 3000 गांवों में चारा विकास और पशु पोषण सलाहकार सेवाएं।

VII. 724 एमटीपीडी की आहार और आहार सप्लीमेंट विनिर्माण क्षमता का निर्माण।

miyfC/k;k

foÙkh;% दिनांक 31.12.2025 तक, 9 राज्यों की 42 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत ऋण राशि 918.34 करोड़ रुपये और अनुदान राशि 381.58 करोड़ रुपये है, जिसमें से 563.43 करोड़ रुपये का ऋण और 243.96 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है।

okLrfod% ¼fnukad 31-12-2025 rd½

कुल 42 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं बिहार में, 8 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में, 5 मध्य प्रदेश में, 8 राजस्थान में, 2 पंजाब में, 3 आंध्र प्रदेश में, 2 पश्चिम बंगाल में और एक–एक परियोजना तेलंगाना और उत्तराखंड में स्वीकृत की गई हैं।

- देशभर में दूध खरीद को सुदृढ़ किया गया: 6802 नई डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस) का गठन, 4700 मौजूदा समितियों का सुदृढ़ीकरण, 446 हजार लीटर प्रतिदिन (टीएलपीडी) की शीतलन क्षमता वाले 140 बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) की स्थापना और 1.86 लाख नए सदस्यों के नामांकन के साथ दूध खरीद में 13.87 लाख किलोग्राम प्रतिदिन की वृद्धि।
- दूध प्रसंस्करण क्षमता में विस्तार: दूध पाउडर उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन प्रति दिन कर दिया गया है और 262 मीट्रिक टन प्रति दिन मूल्यवर्धित प्रसंस्करण क्षमता का सृजन किया गया है।
- उन्नत विपणन अवसंरचना: डेयरी उत्पादों की कोल्ड चेन और खुदरा विपणन को बढ़ावा देने के लिए 127 नए दूध पार्लर स्थापित किए गए और 3487 डीप फ्रीजर/विजी–कूलर लगाए गए।
- दूध संग्रहण का डिजिटलीकरण: 290 स्थानों पर स्वचालित दूध संग्रहण प्रणाली (एएमसीएस) समाधान लागू किए गए, जिससे दूध संग्रहण और भुगतान प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा मिला।
- उत्पादकता और पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: 7009 गांवों में बछड़ा पालन कार्यक्रम और पशु पोषण सेवाएं लागू की गईं, जिससे 59,000 से अधिक पशुओं को लाभ हुआ। 6409 मीट्रिक टन से अधिक चारा और 595 मीट्रिक टन चारे के बीज वितरित किए गए, साथ ही 496 भूसा काटने की मशीनें और 46 साइलेज इकाइयां स्थापित की गईं।

4-4-2 Ms;jh çlLdj.k vkj vol¡jpuk fodkl fuf/k ¼DIDF½

डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF) का क्रियान्वयन दूध प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और प्रशीतन सुविधाओं के (सृजन/सुदृढ़ीकरण) के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसका कुल परिव्यय 11,184 करोड़ रुपये है; इसमें डेयरी सहकारी समितियों, बहु–राज्य डेयरी सहकारी समितियों, दूध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी), एनडीडीबी की सहायक कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (SHG) और राज्य सहकारी और कंपनी

अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के लिए 8,004 करोड़ रुपये का ऋण घटक है। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बाजार से धन जुटाता है, जिसे वह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को उधार देता है और एनडीडीबी/एनसीडीसी इसे पात्र अंतिम उधारकर्ताओं (EEB) को उधार देता है। एनडीडीबी को अपने स्वयं के स्रोतों से ऋण प्रदान करने की भी अनुमति दी गई है। भारत सरकार नाबार्ड को 2.5% ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है। वित्तपोषण अवधि मार्च, 2022–23 तक है, जबकि भुगतान अवधि 2030–31 तक है, जो वित्तीय वर्ष 2031–32 की पहली तिमाही तक है।

योजना के अंतर्गत दूध प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और शीतनलन सुविधाओं के सृजन/सुदृढ़ीकरण के अलावा निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया

- गोपशु चारा/चारा अनुपूरक संयंत्र
- दूध परिवहन प्रणाली (रेफ्रिजरेटेड वैन/इंसुलेटेड टैंकर आदि)
- विपणन अवसंरचना (ई–मार्केट सिस्टम, बल्क वेंडिंग सिस्टम, पार्लर, डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज आदि सहित)
- कमोडिटी और गोपशु चारा गोदाम
- आईसीटी (जैसे ब्लॉक चेन तकनीक, सर्वर, आईटी समाधान, नियर रियल टाइम डिवाइस आदि)
- अनुसंधान और विकास (प्रयोगशाला एवं उपकरण, नई तकनीक, नवाचार, उत्पाद विकास आदि)
- नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना/संयंत्र, ट्राइजन/ऊर्जा दक्षता अवसंरचना। तीनों मामलों में, उत्पादित या बचाई गई ऊर्जा मौजूदा संयंत्र/बीएमसी इकाई/दूध संग्रह इकाई आदि की परिचालन लागत के लाभ के लिए होनी चाहिए।
- डेयरी उद्देश्यों के लिए पेट बोतल/पैकेजिंग सामग्री निर्माण इकाइयाँ आदि।
- प्रशिक्षण केंद्र (सिविल और अन्य आवश्यक अवसंरचना के साथ पूर्ण)

miyfC/k%

¼d½ foÙkh; ¼fnukad 31-12-2025 rd½%

(i) कुल अनुमोदित परियोजना परिव्ययः 6776.87 करोड़ रुपये

(ii) स्वीकृत ऋणः 4575.22 करोड़ रुपये

(iii) संवतरित ऋणः 3747.57 करोड़ रुपये

(iv) भारत सरकार द्वारा जारी ब्याज सबवेंशनः 231.94 करोड़ रुपये

¼[k½ okLrfod ¼fnukad 31-12-2025 rd½%

(i) दूध प्रसंस्करण क्षमता स्थापितः 103.95 एलएलपीडी

(ii) दूध शीतनलन क्षमता स्थापितः 3.40 एलएलपीडी

(iii) ड्राईंग क्षमता स्थापितः 265 एमटीपीडी

(iv) वीएपी क्षमता स्थापितः 24.87 एलएलपीडी (दूध समतुल्य)

vkxs dh jkg% दिनांक 01.02.2024 को डीआईडीएफ को पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) में समाहित कर दिया गया है और अब सहकारी समितियां एएचआईडीएफ के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

4-4-3 M;jh dk;Zdykiksa esa yxh M;jh lgdkjh lfefr;ksa vkSj fdlku mRiknd laxBuksa ¼SDCFPO½ dks lgk;rk%

laf{kIr fooj.k%

यह योजना वर्ष 2017–18 के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैः

. डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी

समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए आसान कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करके सहायता प्रदान करना।

ii. डेयरी किसानों को स्थिर बाजार पहुंच प्रदान करना।

iii. डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को किसानों को बकाया राशि का समय पर भुगतान जारी रखने में सक्षम बनाना।

iv. डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को किसानों से लाभकारी मूल्य पर दूध खरीदने में सक्षम बनाना, यहां तक कि फ्लश सीजन के दौरान भी।

अस्थायी रूप से, ?kVd ^d* अर्थात् 'कार्यशील पूंजीगत ऋण' को वर्ष 2020–21 से निलंबित रखा गया है।

डेयरी क्षेत्र पर कोविड–19 के आर्थिक प्रभाव के कारण, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2020–21 के लिए 203 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घटक "ख" के रूप में एक नया घटक "डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन" शुरू किया है। इस प्रकार योजना का वास्तविक कार्यान्वयन वर्ष 2020–21 के दौरान शुरू हुआ।

वित्तीय सहायता का स्वरूपः योजना के घटक ''ख'' के अंतर्गत उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों (POI) को कार्यशील पूंजीगत ऋण पर 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, शीघ्र और समय पर भुगतान के लिए, ऋण भुगतान/ब्याज सेवा अवधि के अंत में अतिरिक्त 2% प्रति वर्ष ब्याज सबवेंशन देय है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अम्ब्रेला योजना "अवसंरचना विकास निधि" के एक हिस्से के रूप में डेयरी कार्यकलापयों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (SDCFPO) को सहायता देने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यानी हर साल 100 करोड़ रुपये। इसके अलावा, दिनांक 01.02.2024 के कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, यह मंजूरी दे दी गई है कि एसडीसीएफपीओ का कार्यान्वयन स्वीकृत परिव्यय (यानी वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक 500 करोड़ रुपये) के भीतर अवसंरचना विकास निधि (आईडीएफ) के एक घटक के रूप में जारी रहेगा।

,lMhlh,Qihvks dk vrxZr lap;h miyfC/k%

दिनांक 31.01.2026 तक, एनडीडीबी ने देश भर में 64 दूध संघों के लिए 80,047.93 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजीगत ऋण राशि के मुकाबले 2% प्रति वर्ष की दर से 937.53 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि की मंजूरी दी है और 693.21 करोड़ रुपये जारी किए हैं (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 370.82 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रूप में 322.39 करोड़ रुपये)।

o"kZokj çxfr@miyfC/k ¼fnukad 31-01-2026 rd½

- एनडीडीबी ने देश भर के 55 दूध संघों के लिए 10588.64 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजीगत ऋण के मुकाबले 2% çfr o"kZ dh nj से 151.02 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि की मंजूरी दी है और वर्ष 2020–21 के लिए 156.69 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 78.96 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रूप में 77.73 करोड़ रुपये) जारी किए हैं।
- वर्ष 2021–22 के लिए, एनडीडीबी ने 60 दूध संघों के लिए 14117.85 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के मुकाबले 2% प्रति वर्ष की दर से 210.08 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि की मंजूरी दी है और 201.13 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 101.26 करोड़

रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रूप में 99.87 करोड़ रुपये) जारी किए हैं।

- वर्ष 2022–23 के लिए, एनडीडीबी ने 64 दूध संघों/परिसंघों के लिए 15144.02 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजीगत ऋण राशि के मुकाबले 2% प्रति वर्ष की दर से 169.05 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि की मंजूरी दी है और 139.26 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 68.59 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रूप में 70.67 करोड़ रुपये) जारी किए हैं।
- वर्ष 2023–24 के लिए, एनडीडीबी ने 58 दूध संघों/महासंघों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 21315.17 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजीगत ऋण राशि के मुकाबले 168.66 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि की मंजूरी दी है और 157.52 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 81.31 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रूप में 76.21 करोड़ रुपये) जारी किए हैं।
- वर्ष 2024–25 के लिए, एनडीडीबी ने 34 दुग्ध संघों/संघों के लिए 18882.25 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजीगत ऋण राशि के मुकाबले 2% प्रति वर्ष की दर से 238.72 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी राशि की स्वीकृति दी है और नियमित ब्याज सब्सिडी के रूप में 38.62 रुपये जारी किए हैं।

***

अध्याय-5

i'kqikyu

i'kqikyu

अध्याय 5

5-1 jk"Vh; i'k/ku fe'ku

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) वर्ष 2014–15 में आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र में प्राप्त सफलता का अनुकरण करते हुए सभी प्रजातियों और क्षेत्रों का विकास करते हुए पशुधन क्षेत्र का सतत और निरंतर विकास को सुनिश्चित करना है। इस मिशन को पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्य से तैयार किया गया था, जिसमें गुणवत्तापूर्ण आहार और चारे की उपलब्धता में सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के बेहतर प्रवाह और पशुधन किसानों/पशुपालकों आदि के संगठन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन को वर्ष 2021–22 से पांच वर्षों के लिए 2300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संशोधित और पुनर्संरेखित किया गया। पुनर्संरेखित योजना को दिनांक 14.07.2021 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना में रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अतिरिक्त उत्पादन घरेलू मांगों को पूरा करने के बाद निर्यात आय में मदद करेगा। एनएलएम योजना की अवधारणा असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादन के लिए आगे और पीछे की कड़ी बनाने और संगठित क्षेत्र से जोड़ने के लिए उद्यमी तैयार करना है। इस योजना को 21 फरवरी, 2024 को और संशोधित किया गया, जिसमें बंजर भूमि/अवक्रमित वन भूमि से चारा उत्पादन के साथ–साथ ऊंट, घोड़े और गधे की नस्ल–उन्नयन को शामिल किया गया।

इस योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित तीन उप–मिशनों के साथ किया गया है:

(I) पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप–मिशन

(II) पशु आहार और चारा विकास संबंधी उप–मिशन

(III) विस्तार और नवाचार संबंधी उप–मिशन

5-1-1 i'k/ku vkj ikYVh uLy fodkl lc/kh mi&fe'ku

इस उप–मिशन में व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), किसान सहकारी संगठनों (FCOs), संयुक्त देयता समूहों (JLGs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs), धारा 8 कंपनियों जैसी पात्र संस्थाओं को उद्यमिता विकास के लिए और नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी और सूअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर गहन ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव है।

5-1-1-1 xkeh.k ikYVh dh uLy fodkl d fy, m|fe;k dh LFkkiuk

इस घटक के अंतर्गत केंद्र सरकार हैचरी और ब्रूडिंग इकाई के साथ न्यूनतम 1000 मादा पक्षियों और 100 नर पक्षियों वाले ग्रामीण पोल्ट्री पक्षी पेरेंट लेयर फार्म की स्थापना के लिए 25 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी और धारा 8 कंपनियां आवेदन कर सकती हैं।

इस योजना में आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के सहयोग से www.nlm.udyamimitra.in नामक एक समर्पित डिजिटल पोर्टल भी बनाया गया है। यह पोर्टल आवेदकों को संबंधित दस्तावेज अपलोड करने और ऋण देने वाली संस्थाओं को चुनने सहित आवेदन प्रक्रिया पूरा करने में सक्षम बनाता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पशुपालन और डेयरी विभाग ने ग्रामीण पोल्ट्री प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 16 उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदन दिया। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 856.34 लाख रुपये है, जिसमें 386.75 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है।

fp= 1

fp= 2

fp= 1 vkj 2% xkeh.k ikYVh uLy Qke dk vrxr m|ferk fodkl dk ,d Hkkx dk :i e] e/; çn'k e 1100 i'kq;Fk vkdkj dk ,d xkeh.k ikYVh Qke LFkkfir fd;k x;k gA

5-1-1-2 txkyh djuk okyk NkVk i'kq {k= ¼HkM ,o cdjh ikyu½ e uLy fodkl grq m|eh dh LFkkiuk

इस घटक के अंतर्गत, केंद्र सरकार न्यूनतम 100 मादा पशुओं और 5 नर पशुओं के भेड़ या बकरी प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। आवेदक 100+5 इकाई के गुणकों में आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 500 मादा पशु और 25 नर पशु है। पात्र सब्सिडी की सीमा योजना के आकार के अनुपात में 10 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक होती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी और धारा 8 कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल www.nlm.udyamimitra.in के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पशुपालन और डेयरी विभाग ने भेड़/बकरी प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 481 उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदन दिया। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 25532.85 लाख रुपये है, जिसमें 11581.92 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है।

fp= 3

fp= 4

fp= 3 vkj 4% txkyh djuk okyk NkVk i"kvk okyk {k= e uLy fodkl dk vrxr m|ferk fodkl dk Hkkx dk :i e] vk/k çn'k e 525 LV,d vkdkj dk ,d HkM Qke LFkkfir fd;k x;k gA

5-1-1-3 HkM vkj cdjh dh uLyk dk vkuqof’kd l/kkj

उद्देश्यः कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से श्रेष्ठ नर जर्मप्लाज्म के प्रसार द्वारा चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से भेड़/बकरी की नस्लों में आनुवंशिक सुधार करना भेड़ और बकरी की नस्लों के आनुवंशिक सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप हैंः–

5-1-1-3-1 HkM vkj cdjh d fy, {k=h; lheu mRiknu ç;kx’kkyk vkj lheu cd dh LFkkiuk%

इस घटक के अंतर्गत, केन्द्र सरकार क्षेत्रीय स्तर पर रणनीतिक स्थान पर बकरी के लिए हिमित सीमन उत्पादन प्रयोगशाला तथा भेड़ के लिए तरल सीमन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है, ताकि उक्त क्षेत्र के निकटवर्ती राज्यों को उत्कृष्ट पशुओं का सीमन उपलब्ध कराया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में, पश्चिम बंगाल, असम और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकारों को भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय बकरी सीमन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 326.00 लाख रुपये जारी किए गए।

5-1-1-3-2 jkT; lheu cd dh LFkkiuk

इस घटक के अंतर्गत, बकरी के हिमित सीमन को संग्रहीत करने और वितरित करने के लिए मौजूदा गोपशु और भैंस सीमन बैंक को सुदृढ़ करने के लिए राज्य को 10.00 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2025–26 के दौरान, भेड़ और बकरी के सीमन बैंक के लिए असम राज्य को 10.00 लाख रुपये और राजस्थान राज्य को 5.00 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई।

5-1-1-3-3 ekStnk xksi’kq vkj Hkl —f=e xHkk/kku dæk d ek/;e l HkM vkj cdjh e —f=e xHkk/kku dk çlkj

इस घटक के अंतर्गत, बकरी और भेड़ के कृत्रिम गर्भाधान के लिए गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों को आवश्यक उपकरण (बकरी एआई ट्रैविस, एआई गन, वेजाइनल स्पेकुलम, हेड लाइट) की आपूर्ति और गोपशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके सुदृढ़ किया जाता है।

वर्ष 2025–26 के दौरान , एआई केंद्रों के उन्नयन के लिए 207.00 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई।

5-1-1-3-4 fon’kh HkM vkj cdjh teIykTe dk vk;kr

इस घटक के अंतर्गत, राज्य को जीवित पशुओं के रूप में भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म के आयात के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2025–26 के दौरान, विदेशी भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म के आयात के लिए केरल राज्य को 10.00 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई।

5-1-1-4 lvj ikyu m|eh dk c<kok

इस घटक के अंतर्गत, केंद्र सरकार 50 मादा पशुओं के साथ 5 नर पशुओं या 100 मादा पशुओं के साथ 10 नर पशुओं के सूअर प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। पात्र सब्सिडी की सीमा योजना के आकार के अनुपात में 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक भिन्न भिन्न होती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी और धारा 8 कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल www.nlm.udyamimitra.in के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने सूअर प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 48 उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 2357.97 लाख रुपये है, जिसमें 1052.83 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है।

fp= 5

fp= 6

fp= 5 vkSj 6% lwvj ikyu QkeZ fodkl ds vUrxZr mi&ferk fodkl ds ,d Hkkx ds :i esa] f=iqjk esa 110 LV,d vkdkj dk ,d lwvj ikyu QkeZ LFkkfir fd;k x;k gSA

5-1-1-5 lwvj dh uLyksa dk vkuqoaf'kd lq/kkj

lwvj lheu laxg.k vkSj çlaLdj.k ç;ksx'kkyk dh LFkkiuk% इस घटक के अंतर्गत, केन्द्र सरकार कृत्रिम गर्भाधान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सूअर के तरल सीमन का उत्पादन करने हेतु सरकारी सूअर फार्म में सूअर सीमन प्रसंस्करण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारों को सूअर सीमन संग्रह एवं प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में क्रमशः 81 लाख रुपये और 87 लाख रुपये जारी किए गए हैं, और केरल राज्य को वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान सूअर जर्मप्लाज्म के आयात के लिए 5 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

5-1-1-6 ns'kh ?kksM+k] x/kk vkSj ÅaV esa m|ferk fodkl

इस घटक के अंतर्गत केंद्र सरकार संगठित पालन और देशी नस्ल सुधार को लक्षित करते हुए घोड़े, गधे और ऊंट प्रजनन में उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। पात्र लाभार्थियों में व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह (SHGs), किसान उत्पादक संगठन (FPOs), किसान सहकारी समितियां (FCOs), संयुक्त देयता समूह (JLGs) और धारा 8 कंपनियां शामिल हैं। यह योजना प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए प्रति परियोजना 50 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें आवास, पशु खरीद, चारा खेती और आवश्यक उपकरण शामिल हैं। सब्सिडी केवल देशी नस्लों तक सीमित है और आयातित शुद्ध नस्ल के घोड़ों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उद्यमियों को शेष निधि बैंक ऋण, वित्तीय संस्थानों या स्व–वित्तपोषण के माध्यम से जुटानी होगी।

5-1-1-7 ?kksM+s] x/ks vkSj ÅaV dk vkuqoaf'kd lq/kkj

¼d½ ?kksM+s] x/ks vkSj ÅaV ds fy, {ks=h; lheu mRiknu ç;ksx'kkyk dh LFkkiuk

इस घटक के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और ICAR संस्थानों को चुनिंदा प्रजनन, उच्च आनुवंशिक नरों के साथ क्रॉसब्रीडिंग और कृत्रिम गर्भाधान जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से देशी घोड़े, गधे और ऊंट की नस्लों के आनुवंशिक सुधार के लिए क्षेत्रीय सीमन उत्पादन प्रयोगशालाएं स्थापित करने में सहायता करेगी। ये

प्रयोगशालाएँ सीमन प्रसंस्करण के लिए मानक प्रोटोकॉल का पालन करेंगी और आस–पास के राज्यों में उत्कृष्ट पशु सीमन वितरित करेंगी। ICAR संस्थान सीमन को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराएंगे। सभी राज्यों के लिए निधियन 60:40 पैटर्न, उत्तर पूर्व और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% होगा। अधिकतम निधियन सीमा 10 करोड़ रुपये है, जिसमें ICAR संस्थानों के लिए 100% निधियन होगा। राज्य पशुपालन विभाग और ICAR संस्थान परियोजना के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने वाली प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी।

¼ii½ ?kkMk] x/kk vkj ÅV d fy, U;fDy;l çtuu Qke dh LFkkiuk%

इस घटक के अंतर्गत, केंद्र सरकार श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म का प्रसार करके देशी और संकटापन्न घोड़े, गधे और ऊंट की नस्लों के संरक्षण और आनुवंशिक सुधार में सहायता करती है। आवश्यक अवसंरचना के साथ न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म स्थापित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता के रूप में 10 करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म उद्यमियों और क्षेत्रीय सीमन प्रयोगशालाओं को आगे के प्रजनन और सीमन उत्पादन के लिए उत्कृष्ट नर और मादा पशुओं की आपूर्ति करेंगे।

अनुदान इन–सीटू (प्रजनन क्षेत्र के भीतर) और एक्स–सीटू (प्रजनन क्षेत्र के बाहर) संरक्षण प्रयासों के लिए प्रदान किए जाएंगे। राज्य विश्वविद्यालय और ICAR/NBAGR (राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो) नई नस्लों का अध्ययन और पंजीकरण करने के लिए सहयोग करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य और केंद्र स्तर पर पशुपालन विभाग शामिल होंगे ताकि देशी प्रजातियों के प्रभावी कार्यान्वयन और संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

¼iii½ ?kkM] x/k vkj ÅV d fy, uLy iathdj.k lklk;Vh dh LFkkiuk%

इस घटक के अंतर्गत, केंद्र सरकार नस्ल पंजीकरण समितियों की स्थापना करेगी। देशी नस्लों के पंजीकरण, रिकॉर्ड बनाए रखने और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सोसायटी को एकमुश्त 100% केंद्रीय सहायता 1 करोड़ रुपये तक प्रदान की जाएगी। इस निधियन में सोसायटी का पंजीकरण, डीएनए परीक्षण, कर्मचारियों का वेतन और पंजीकरण नेटवर्क की स्थापना शामिल होगी। जागरूकता पैदा करने में भी सहायता की जाएगी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा अनुमोदित पंजीकृत नस्ल समितियां पात्र संस्थाएं होंगी।

5-1-1-8 i’k vkgkj vkj pkjk fodkl lc/kh mi&fe’ku%

इस उप–मिशन का उद्देश्य चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए चारा बीज श्रृंखला को सुदृढ़ करना और प्रोत्साहन के माध्यम से चारा ब्लॉक/घास बांधने (Hay Bailing) साइलेज बनाने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।

पशु आहार चारा और विकास उप–मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

dk;dyki ¼i½% x.koÙkkiw.k pkjk cht mRiknu d fy, lgk;rk

हरे चारे के उत्पादन का पशुधन उत्पादन और उत्पादकता में सुधार से सीधा संबंध है। हरे चारे के उत्पादन के लिए गुणवत्ता वाले चारे के बीज मूल इनपुट हैं। इसलिए पुनर्गठित एनएलएम के अंतर्गत, गुणवत्ता वाले चारा बीज के उत्पादन और चारा बीज श्रृंखला यानी ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए गए हैं।

दिनांक 31.12.2025 तक, गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता घटक के अंतर्गत विभाग ने वर्ष 2025–26 के दौरान 22807 मीट्रिक टन गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए 154.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

dk;Zdyki ¼ii½ i'kq vkgkj vkSj pkjk esa m|e'khyrk dk;Zdyki

इसके अंतर्गत लाभार्थी को परियोजना लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करके घास (हे)/साइलेज/कुल मिश्रित राशन (TMR) चारा ब्लॉक जैसे चारे के मूल्य संवर्धन और चारे के भंडारण के लिए प्रयास किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पशुपालन और डेयरी विभाग ने आहार तथा चारा इकाइयों की स्थापना के लिए 13 उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदन दिया। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 1236.28 लाख रुपये है, जिसमें 543.74 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है।

5-1-1-8-1% vU; pkjk ?kVd%

वर्ष 2024 में पुनर्सैंरेखित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के पशु आहार और चारा विकास संबंधी उप–मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप/घटक जोड़े गए।

i. गैर वन बंजर भूमि/रेंजभूमि/गैर कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन।

ii. वन भूमि से चारा उत्पादन।

iii. उद्यमशीलता कार्यकलापों के अंतर्गत बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग अवसंरचना की स्थापना

iv. गैर–वन बंजर भूमि/रेंजभूमि/चारागाह/गैर–कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन इस घटक का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त घास, फलियां और चारे के पेड़ लगाकर अवक्रमित गैर–वन बंजर भूमि/रेंजभूमि/चारागाह/गैर–कृषि योग्य भूमि का उपयोग करना तथा बायोमास का उत्पादन करके चारे की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच के अंतर को कम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विशेष प्रकार की मिट्टी के लिए विशिष्ट चारा वृक्षों, बारहमासी घास और फलियों का प्रचार किया जाता है, ताकि वनस्पति आवरण प्रदान किया जा सके जो न केवल अतिरिक्त मात्रा में चारा देगा बल्कि उपयुक्त फलियों से भूमि की उर्वरता की स्थिति में भी सुधार करेगा।

v. **ou Hkfe ls pkjk mRiknu%** इसका मुख्य उद्देश्य उपयुक्त घास, फलियां और चारे के पेड़ लगाकर अवक्रमित वन भूमि को उपयोग लायक बनाना तथा बायोमास का उत्पादन करके चारे की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच के अंतर को कम से कम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अवक्रमित वन क्षेत्र को प्रभावी सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा वन क्षेत्र के लिए उपयुक्त चारा वृक्ष, बारहमासी घास और फलियां लगाकर प्राकृतिक पुनर्जनन में सहायता की जाएगी, ताकि वनस्पति आवरण घनत्व में सुधार हो सके, जिससे न केवल अतिरिक्त मात्रा में चारा मिलेगा, बल्कि वन का समग्र स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।

vi. **m|e'khyrk dk;Zdykiksa ds vrxZr cht çlLdj.k vkSj xzsfMax volajpuk dh LFkkiuk%** इस कार्यकलाप के अंतर्गत लाभार्थी को बीज भंडारण/प्रसंस्करण/ग्रेडिंग संयंत्रों से संबंधित अवसंरचना विकास, अपेक्षा/आवश्यकता के अनुसार संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए 50 लाख रुपये तक परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

jk”Vh; i’k/ku fe’ku&m|ferk fodkl dk;Øe d vrxr {k=h; fodkl

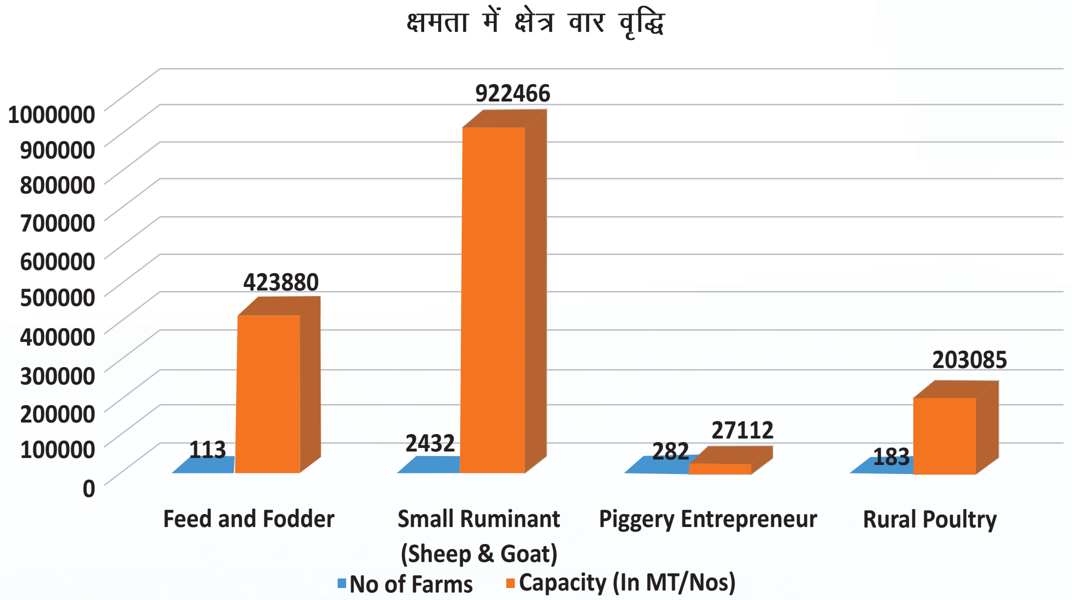

5-1-1-9 jk”Vh; i’k/ku fe’ku m|ferk fodkl d vrxr efgyk m|ferk fodkl

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पशुपालन और डेयरी विभाग ने 115 महिला उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है। इन प्रस्तावों में से 6 उद्यमिता प्रस्ताव ग्रामीण पोल्ट्री प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए, 100 उद्यमिता प्रस्ताव भेड़ / बकरी प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए, 7 उद्यमिता प्रस्ताव सूअर प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए, 02 प्रस्ताव पशु आहार और चारा इकाइयों की स्थापना के लिए हैं। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 6914.96 लाख रुपये है, जिसमें 3173.94 लाख रुपये की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है।

d- NLM/EDP ;kstuk d vrxr xkeh.k ikYVh Qke dh LFkkiuk& HkkM çtuu bdkb] rsyxkuk

uyxkMk ftys d fr#eylkxj eMy d fpryiye xko d fuoklh Jh oh- ujflEgk ¼,u,y,e202301270000046½ की परियोजना को वर्ष 2023–24 के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने से पहले, लाभार्थी एक निम्न–आय वर्ग के ग्रामीण परिवार से थे, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर की जाने वाली कृषि पर निर्भर थी। परियोजना के कार्यान्वयन से पहले परिवार की औसत वार्षिक आय लगभग 3]00]000 ¼25]000 çfr ekg½ थी, जो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के ईडीपी के अंतर्गत, लाभार्थी ने 1]00]00]000 #- की कुल परियोजना लागत से एक भेड़ प्रजनन इकाई स्थापित की। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 50]00]000 #- की पूंजी निवेश पर 50% सब्सिडी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। सब्सिडी दो किस्तों में जारी की गई – पहली किस्त fnukad 26&03&2024 को 25]00]000 #- और दूसरी किस्त दिनांक 21–11–2025 को। परियोजना की शेष लागत 40]00]000 #- के बैंक ऋण और स्वयं की बचत से 10]00]000 #- के माध्यम से पूरी की गई।

इस वित्तीय सहायता से लाभार्थी ने गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्टॉक प्राप्त किया, पशुशालाएं बनाईं, आवश्यक उपकरण खरीदे और उन्नत वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों

को अपनाया। इकाई की स्थापना के बाद, लाभार्थी ने 6,000 रु. प्रति मेमने की औसत कीमत पर मेमनों की बिक्री से नियमित आय अर्जित करना शुरू कर दिया। वर्तमान में, औसत मासिक आय बढ़कर लगभग 1,00,000 रु. हो गई है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लाभार्थी अब समय पर ऋण चुकाने और बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम है।

इसके अतिरिक्त, इकाई ने परिवार के सदस्यों और स्थानीय श्रमिकों सहित पाँच व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किया है। इस प्रकार, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम ने आजीविका सुरक्षा बढ़ाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और लाभार्थी की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

fp= 7

fp= 8

चित्र 7 और 8: भेड़ पालन फार्म के अंतर्गत उद्यमिता विकास के हिस्से के रूप में, तेलंगाना में एक ग्रामीण भेड़ पालन फार्म स्थापित किया गया है।

5-1-2 uokpkj vkj foLrkj lc/kh mi&fe'ku

इस उप–मिशन का उद्देश्य भेड़, बकरी, सूअर और चारा क्षेत्र, विस्तार कार्यकलापों, पशुधन बीमा और नवाचार से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को प्रोत्साहित करना है।

इस उप–मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

(i) dk;ldyki i% vuqla/kku vkj fodkl rFkk uokpkj % भेड़, बकरी, पोल्ट्री, सूअर और आहार तथा चारा क्षेत्र में अनुसंधान में शामिल ICAR संस्थानों, केंद्रीय संस्थानों, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय फार्मों तथा अन्य विश्वसनीय संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है। क्षेत्र के विकास के लिए नवीन कार्यकलापों तथा तकनीक हस्तांतरण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। भेड़, बकरी, पोल्ट्री, सूअर, पशु आहार और चारा क्षेत्र में समस्या समाधान के लिए स्टार्ट–अप को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्ष 2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान अनुसंधान और नवाचार के लिए संस्थानों को 501.635 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(ii) dk;ldyki ii % foLrkj dk;ldyki % इस कार्यकलाप के अंतर्गत IC कार्यकलाप जैसे सेमिनार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पशुधन पालक समूह/प्रजनक एसोसिएशन, पशुपालन से संबंधित विभिन्न प्रचार कार्यकलापों का आयोजन, राज्य, केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर योजना प्रचार आदि, किसान फील्ड स्कूलों का संचालन, पशुधन विस्तार सुविधादाताओं (LEF) के लिए एक्सपोजर विजिट, किसान का एक्सपोजर विजिट, पशुधन विस्तार का स्टाफ घटक, प्रदर्शन कार्यकलाप, सोशल मीडिया और ऑडियो विजुअल सहायता के माध्यम से जागरूकता पैदा करने, विस्तार शिक्षा और पशुधन विस्तार आदि पर साहित्य का निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान विस्तार कार्यकलापों के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 659.10 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(iii) dk;Zdyki iii % i’kq/ku chek : जोखिम प्रबंधन और बीमा, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया गया है। इसमें देशी/ संकरित दुधारू पशु भारवाही पशु (घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, टट्टू और गोपशु/भैंस के नर पशु) शामिल हैं और अन्य पशुधन (बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक और मिथुन) का बीमा पशुधन बीमा के दायरे में आता है। सब्सिडी का लाभ सूअर और खरगोश को छोड़कर सभी पशुओं के लिए प्रति परिवार 10 गोपशु इकाइयों तक सीमित है। सूअर और खरगोश के लिए लाभ 5 गोपशु इकाइयों (1 गोपशु इकाई = 10 छोटे जानवर) तक सीमित रहेगा। भेड़, बकरी, सूअर और खरगोश के मामले में, लाभ 10 पशुओं के बराबर यानी भेड़, बकरी, सूअर और खरगोश के लिए है। इस प्रयोजन के लिए, ''परिवार'' को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपनाई गई तर्ज के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

प्रीमियम भुगतान में किसान का हिस्सा जाति और निवास के क्षेत्र के अनुसार 20–50% से घटाकर 15% कर दिया गया है। शेष 85% राशि केंद्र और राज्य द्वारा साझा की जाएगी। पर्वतीय और उत्तर पूर्व क्षेत्र को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात 60:40 है, जबकि पर्वतीय और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए यह अनुपात 90:10 है।

योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग प्रीमियम सब्सिडी के भुगतान, पशु चिकित्सकों को मानदेय देने और प्रचार–प्रसार के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 के दौरान दिसंबर, 2025 तक पशुधन बीमा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4210.41 लाख रुपये की राशि जारी की गई है ।

5-2 y?kq i’kq/ku laLFkku

5-2-1 dsaæh; iksYVªh fodkl laxBu

चार स्थानों, अर्थात् चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय पोल्ट्री विकास संगठन (CPDO) पोल्ट्री के संबंध में सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संगठनों का कार्य घरेलू पोल्ट्री के लिए पक्षियों की उन्नत किस्म पर ध्यान केंद्रित करना है जो किसान के द्वार पर जीवित रह सकें, घरेलू पोल्ट्री किसानों को मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करना और आहार विश्लेषण करना है।

कलिंगा ब्राउन, कावेरी, चाब्रो और चोब्रो इन सीपीडीओ द्वारा विकसित कम इनपुट तकनीक पक्षियों (चिकन) की किस्में/प्रजातियाँ हैं। मांग के आधार पर, वे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और व्यक्तिगत किसानों को इन किस्मों के हैचिंगअंडे, पेरेंट/ व्यावसायिक के एक दिन के चूजों की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा, वे नस्ल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कड़कनाथ, असील आदि जैसी देशी किस्मों को भी बनाए रखते हैं।

सीपीडीओ पोल्ट्री के अलावा बत्तख, जापानी बटेर, टर्की और गिनी फाउल जैसी अन्य प्रजातियों के साथ विविधीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। व्हाइट पेकिन (मांस प्रकार) और खाकी कैंपबेल (अंडे प्रकार) बत्तख की वे किस्में हैं जिन्हें CPDO, बेंगलुरु द्वारा विभिन्न राज्यों की मांग के आधार पर आपूर्ति के लिए रखा जाता है। CPDO सभी प्रकार के पशु आहार के लिए आहार विश्लेषण भी कर रहे हैं। भुवनेश्वर, मुंबई और हेसरघट्टा में तीन CPDO के पास आहार नमूनों का विश्लेषण करने के लिए नियर इंफ्रा–रेड (एनआईआर) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। पक्षियों को खिलाने और पानी पिलाने के लिए ऑटोमेशन सिस्टम हेसरघट्टा, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है।

इन CPDO में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और पोल्ट्री किसानों/उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिए इन CPDO में एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया

गया है जिसे इन CPDO में अपनाया जाता है। पोल्ट्री उत्पादन पाठ्यक्रम में व्यावहारिक सत्र और पोल्ट्री फार्मिंग कार्यकलापों का प्रदर्शन शामिल है जिसमें ब्रूडिंग व्यवस्था, फीडिंग, पानी, टीकाकरण, तापमान प्रबंधन, दवा आदि और फीड मिल प्रबंधन और हैचरी प्रबंधन संबंधी सुझावों के अलावा अन्य प्रबंधन पहलू शामिल हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों से निधियों के माध्यम से वित्तीय सहायता (बैंक ऋण) प्राप्त करने के विशेष संदर्भ के साथ पोल्ट्री फार्मिंग में मूल अर्थशास्त्र के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मॉडलों के साथ वाणिज्यिक पोल्ट्री फार्मिंग की व्यवहार्य परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है।

CPDO और प्रशिक्षण संस्थान (CPDO और TI), हेसरघट्टा, जो अब CEAH का एक स्कंध (Wing) है, देश के भीतर और साथ ही विदेशों में सेवारत कार्मिको को 'प्रषिक्षकों का प्रशिक्षण' संबंधी भी दे रहा है। इस संस्थान में नियमित पोल्ट्री प्रबंधन पाठ्यक्रम और विशेष, उन्नत और प्रयोगशाला पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। CPDO और TI ने विशेष रूप से प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र खोला है।

यह संगठन (CPDO और TI) वर्ष 2005 से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएसओ 9001:2008 से मान्यता प्राप्त है। चार CPDO को राष्ट्रीय कौशल विकास फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र के रूप में संबद्ध किया गया है।

गुड़गांव स्थित केंद्रीय पोल्ट्री प्रदर्शन परीक्षण केंद्र (CPPTC) को लेयर और ब्रॉयलर किस्मों के प्रदर्शन के परीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह केंद्र देश में उपलब्ध विभिन्न आनुवंशिक स्टॉक से संबंधित बहुमूल्य जानकारी देता है। आमतौर पर एक वर्ष में एक लेयर और दो ब्रॉयलर परीक्षण शुरू किए जाते हैं।

5-2-2 dsUæh; HksM+ çtuu QkeZ] fglkj ¼gfj;k.kk½

CSBF, हिसार की स्थापना वर्ष 1969–70 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोलंबो योजना के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्य भेड़ फार्मों में वितरण के लिए अनुकूलित विदेशी मेढ़ों का उत्पादन करना तथा भेड़ प्रबंधन और यांत्रिक भेड़ कतरनी (शिअरिंग) में कर्मियों को प्रषिक्षित करना था। वर्तमान में फार्म में नाली एक्स रैंबौलेट और सोनाडी एक्स कोरिडेल क्रॉस के साथ–साथ शुद्ध नस्ल की बीटल बकरियां भी रखी जा रही हैं।

5-2-3 {ks=h; pkjk dsaæ

इसके अतिरिक्त, विभाग केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात केन्द्रीय चारा विकास संगठन का भी कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों में सात क्षेत्रीय चारा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो देश में गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों के उत्पादन, प्रशिक्षण और चारा विकास से संबंधित अन्य विस्तार कार्यकलापों में संलग्न हैं।

ये सात क्षेत्रीय चारा केंद्र रविराला, हैदराबाद (तेलंगाना), धामरोड, सूरत (गुजरात), हिसार (हरियाणा), सूरतगढ़ (राजस्थान), सुहामा (जम्मू और कश्मीर), अलमादी (तमिलनाडु) और कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं। हैसरघट्टा स्थित एक अन्य क्षेत्रीय चारा केंद्र का CEAH में विलय कर दिया गया है।

दिनांक 31.12.2025 तक, इन केंद्रों ने 335.6 मीट्रिक टन चारा बीज का उत्पादन किया है, 5102 प्रदर्शन आयोजित किए हैं, और 107 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 107 किसान मेले/क्षेत्र दिवस आयोजित किए हैं।

5-3 i'kqikyu volajpuk fodkl fuf/k

पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 29,110.25 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), धारा 8

कंपनियों और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करना है ताकि (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (iii) पशु चारा संयंत्र, (iv) गोपशु/भैंस/भेड़/बकरी/सूअर के लिए नस्ल सुधार तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म, (v) पशु चिकित्सा टीका और दवा उत्पादन सुविधाएं, (vi) पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन), और (vii) प्राथमिक ऊन प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित की जा सके।

इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार पात्र संस्थाओं को 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है जो किसी भी अनुसूचित बैंक/नाबार्ड/NCDC/NDDB से परियोजना लागत के 90% तक सावधि ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत एनएबी संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्थापित क्रेडिट गारंटी निधि की सुविधा MSME के लिए 25% क्रेडिट गारंटी प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र सावधि ऋण राशि की कोई सीमा नहीं है।

;kstuk ds mís';%

क) दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में सहायता करना, जिससे असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों को संगठित दूध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सके।

ख) उत्पादक को बढ़ी हुई कीमत उपलब्ध कराना

ग) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उत्पाद उपलब्ध कराना

घ) देश की बढ़ती जनसंख्या की प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण भोजन की आवश्यकता को पूरा करना तथा विश्व में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की आबादी में से एक भारत में कुपोषण को रोकना।

ङ) उद्यमशीलता कार्यकलापपों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन को सुगम बनाना।

च) निर्यात को बढ़ावा देना तथा दूध एवं मांस क्षेत्र में निर्यात योगदान में वृद्धि करना।

छ) गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और पोल्ट्री के लिए गुणवत्तापूर्ण पशु आहार उपलब्ध कराना ताकि किफायती मूल्य पर संतुलित आहार उपलब्ध कराया जा सके।

AHIDF dh vc rd dh çxfr%

पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत 1,232 परियोजनाओं को योग्य घोषित किया है, जिसमें 28,855 करोड़ रु. का निवेश शामिल है। 31 दिसंबर 2025 तक विभिन्न ऋणदाताओं द्वारा 22,996 करोड़ रु. की 721 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। AHIDF दूध और मांस प्रसंस्करण, पशु चारा निर्माण, नस्ल सुधार एवं वृद्धि फार्म, पशु चिकित्सा टीके और दवा उत्पादन, पशु अपशिष्ट से आय सृजन की पहल और प्राथमिक ऊन प्रसंस्करण अवसंरचना जैसे कार्यकलापों में सहायता करके व्यापक क्षेत्रीय कवरेज सुनिश्चित करता है। समय के साथ, इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और दूरस्थ जिलों से भी परियोजनाएं आकर्षित हुई हैं, जहां पहले न्यूनतम भागीदारी थी। यह योजना की व्यापक पहुंच और पशुपालन क्षेत्र पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करता है।

foÙkh; o"kZ	ikVZy ij çLrqr ifj;kstukvksa dh la[;k
2020–21	712
2021–22	2480
2022–23	2,014
2023–24	301
2024–25	1779
2025–26 (दिनांक 31.12.2025 तक)	1,939

दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, 210 परियोजनाओं के लिए ब्याज सबवेंशन के रूप में 181.87 करोड़

रु. संवितरित किए जा चुके हैं। विभाग ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 से अब तक 461 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया है। दूध प्रसंस्करण क्षेत्र में विकसित अवसंरचना अब 154 परियोजनाओं में प्रतिदिन 236.93 लाख लीटर की क्षमता प्रदान करती है। इन प्रयासों से 19,064 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। मांस प्रसंस्करण क्षेत्र में, 27 परियोजनाओं ने 10.47 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता का सृजन किया है। इन पहलों के परिणामस्वरूप दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक 5,249 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, पशु आहार निर्माण क्षेत्र ने 150 परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 109.33 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता प्राप्त की गई है। इन पहलों से दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक 16,468 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है।

नस्ल सुधार तकनीकी और वृद्धि फार्मों की श्रेणी में कुल 121 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है। इस पहल के अंतर्गत विकसित अवसंरचना में 2,920 गोपशुओं और 220 सूअरों के लिए नस्ल सुधार फार्म, साथ ही 25.09 करोड़ पोल्ट्री चूजों और 210 करोड़ अंडों की वार्षिक क्षमता वाले आधुनिक मुर्गी फार्म शामिल हैं। दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक इन पहलों से 7,486 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है।

पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) श्रेणी में चार परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिनसे प्रति वर्ष 10,351 मीट्रिक टन संपीड़ित (Compressed) गैस और 24.50 लाख घन मीटर बायोगैस की स्थापित क्षमता प्राप्त हुई है। दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक इन पहलों से 663 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है, साथ ही पशुधन क्षेत्र में सतत संसाधन उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है।

पशु चिकित्सा टीका एवं औषधि उत्पादन सुविधाओं की श्रेणी में, योजना के अंतर्गत पाँच परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 90 लाख बोलस, 36 करोड़ टैबलेट, 60,000 किलोग्राम पाउडर, 52.74 लाख लीटर तरल औषधियाँ, 3.70 करोड़ इंजेक्शन योग्य औषधियाँ और एक करोड़ मलहम इकाइयों की उत्पादन क्षमता प्राप्त हुई है। इन प्रयासों से दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक 375 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

कुल मिलाकर, 461 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से 49,305 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इसके अलावा, दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक 29 लाख से अधिक किसानों को इस योजना से लाभ हुआ है, जो पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने में इसकी व्यापक पहुँच और महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

AHIDF d vrxZr lgk;rk çkIr dqN ifj;kstukvksa dh >yd

चित्र 9 और 10

परियोजना–1: लाइफ लाइन हैचरीज

परियोजना–2: क्रेविशियस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत परियोजनाओं का श्रेणीवार वितरण

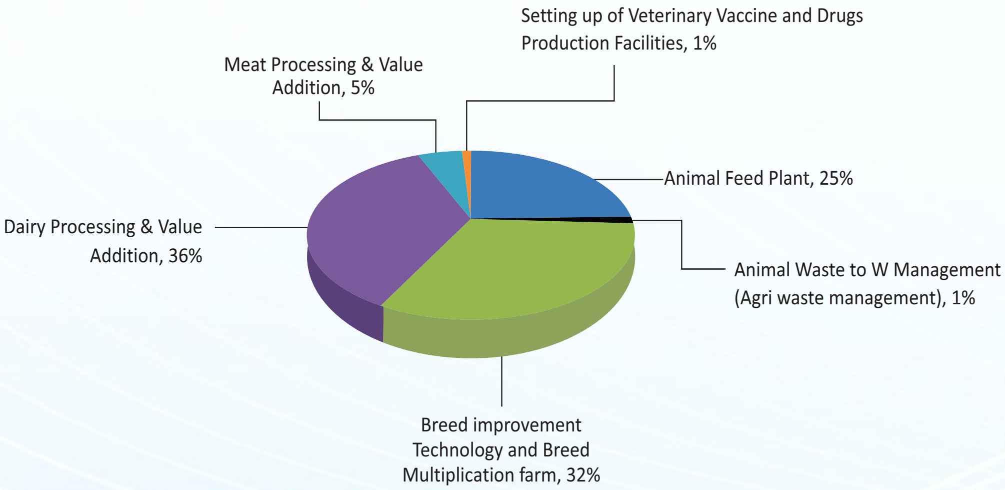

fp=&1% foÙkh; o"kZ 2024&25 esa Lohd`r ifj;kstukvksa dk Js.khokj forj.k

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए स्वीकृत 189 परियोजनाओं का श्रेणीवार विश्लेषण दर्शाता है कि डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो 68 परियोजनाओं के साथ सबसे बड़ा हिस्सा (36%) है। इसके बाद 32% के साथ नस्ल सुधार तकनीकी और वृद्धि फार्मों का स्थान आता है, जिसमें 60 परियोजनाएं शामिल हैं, यह नस्ल और उत्पादकता सुधार पर दिए गए बल को दर्शाता है। पशु आहार संयंत्रों में 47 परियोजनाएं शामिल हैं, जो पशुधन के लिए संतुलित पोषण को दी गई प्राथमिकता को दर्शाती हैं। मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में 10 परियोजनाएं हैं, जबकि पशु चिकित्सा टीकों और दवा उत्पादन सुविधाओं में 2 परियोजनाएं हैं, जो पशु स्वास्थ्य अवसंरचना को सहायता सुनिश्चित करती हैं। इसके अतिरिक्त, पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन के अंतर्गत दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जो सतत प्रथाओं और संसाधन के उपयोग को बढ़ावा देती हैं। यह वितरण महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के माध्यम से पशुधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें डेयरी और प्रजनन, कार्यकलाप विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभर रही हैं। इन 189 परियोजनाओं के माध्यम से 17,133 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं और लगभग 17 लाख किसानों को लाभ हुआ है।

श्रेणी–वार परियोजना लागत वितरणः वर्ष 2024–25 में स्वीकृत परियोजनाएं

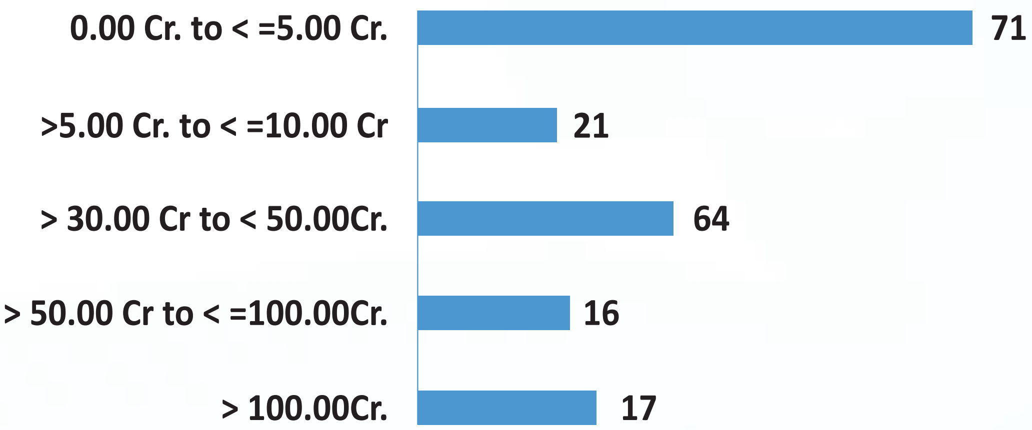

fp=%2 J.kh&okj ifj;ktuk ykxr forj.k % o”k 2024&25 e Loh–r ifj;ktuk,

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का श्रेणीवार वितरण नीचे दर्शाए गए अनुसार परियोजना लागत श्रेणियों में विविध निवेश प्रोफाइल को इंगित करता है। 5.00 करोड़ रु. तक की निम्न निवेश श्रेणी में बड़ी संख्या में परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जो लघु एवं मध्यम उद्यमियों की मजबूत भागीदारी को दर्शाती है। इसके बाद 10.00 करोड़ रु. से 50.00 करोड़ रु. की श्रेणी में परियोजनाओं का पर्याप्त संकेंद्रण है, जो मध्यम स्तर के अवसंरचना विकास में बढ़ती रुचि को प्रदर्शित करता है। 5.00 करोड़ रु. से 10.00 करोड़ रु. श्रेणी की परियोजनाओं में भी स्थिर वृद्धि देखी जा रही है, जबकि 50.00 करोड़ रु. से अधिक के उच्च मूल्य वाले निवेश, जिनमें 100.00 करोड़ रु. से अधिक की परियोजनाएं भी शामिल हैं, योजना की बड़े पैमाने पर और पूंजी–गहन उद्यमों को आकर्षित करने की क्षमता को रेखांकित करते हैं। कुल मिलाकर, श्रेणीवार वितरण विभिन्न निवेश स्तरों पर अवसंरचना निर्माण की सहायता करने में AHIDF के समावेशी स्वरूप को उजागर करता है, जिससे पशुपालन मूल्य श्रृंखला को मजबूती मिलती है।

foÙkh; o”k 2024&25 e i’kqikyu d mi&{k=k e okf”kd {kerk of)	
मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन	1.19 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष
डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन	148.54 लाख लीटर प्रति दिन
पशु आहार संयंत्र	36.10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष
नस्ल सुधार और नस्ल वृद्धि फार्म	78.72 लाख पक्षी/ध्वर्ष, 134.61 करोड़ अंडे/वर्ष, 2370 मवेशी
पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन)	5950 मीट्रिक टन प्रति वर्ष और 24.50 लाख घन मीटर बायोगैस/वर्ष
पशु चिकित्सा टीके और औषधियों के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना	3 करोड़ इंजेक्शन में प्रयुक्त औशधियां/वर्ष, 50 लाख गोलियां, 3 टन पाउडर दवाएं, 1000 लीटर तरल दवाएं

5-4 jk"Vªh; fMftVy i'kq/ku fe'ku & Hkkjr i'kq/ku & lfpr fu.kZ; dh fy, MsVk

5.4.1 भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार आजीविका के स्रोत के रूप में पशुधन पर निर्भर हैं। छोटे और सीमांत किसान पशुधन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के मालिक हैं, जिससे व्यापक भौगोलिक विस्तार और बिखरे हुए स्वामित्व पैटर्न के कारण सेवा वितरण और बाजार एकीकरण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

इन चुनौतियों का समाधान करने और पशुधन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को उजागर करने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से ''भारत पशुधन'' नामक राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के तहत एक व्यापक प्रौद्योगिकी–सक्षम डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। प्रत्येक पशु को बारकोडेड इयर टैग के माध्यम से 12–अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिससे इस पोर्टल में पशु–स्तर की ट्रैकिंग और प्रबंधन सक्षम होता है।

5-4-2- ekuuh; ç/kkuea=h us 2 ekpZ 2024 dks Hkkjr i'kq/ku fMftVy ikfjfLFkfrdh ra= jk"Vª dks lefiZr fd;kA

1- Hkkjr i'kq/ku dh mís'; 1 uLy lq/kkj%

देश भर में विविध कृषि–जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल उच्च गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज्म के उत्पादन हेतु वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए प्रजनन कार्यकलापों का निर्माण और प्रबंधन करना।

2- mRikn Vsfladfcfy Vh

पशु टैग आईडी को भौगोलिक स्थानों और प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ एकीकृत करके, यह प्रणाली पशुधन उत्पादों के लिए एक मजबूत और त्रुटिरहित ट्रेसिबिलिटी तंत्र को सक्षम बनाती है। इससे ब्रांडिंग, नए बाजारों तक पहुंच, निर्यात प्रोत्साहन और पशुपालकों की आय में वृद्धि होती है।

3. निवारक टीकाकरण और रोग नियंत्रण: यह प्रणाली पशुधन के टीकाकरण सेवाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाती है, जिससे अंतिम छोर तक पशुओं का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित होता है और रोगों से होने वाले उत्पादकता नुकसान को रोका जा सकता है।

4- jksx fuxjkuh vkSj mipkj%

भारत पशुधन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकत्रित डेटा एक एकीकृत रोग निगरानी और नियंत्रण प्रणाली का समर्थन करता है जो रोग निवारण, पूर्वानुमान, समय पर प्रतिक्रिया और उपचार में सक्षम है।

5- i'kqikyd&dsafær –f"Vdks.k%

इस पहल का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं, पशु चिकित्सा सेवाओं और कुशल पशुधन प्रबंधन के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है।

6- vksiu&lkslZ vkSj API&l{ke vkfdZVsDpj%

यह प्लेटफॉर्म API–सक्षम एकीकरण क्षमताओं सहित ओपन–सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो वित्तीय संस्थानों, बीमा प्रदाताओं, निजी पशु चिकित्सकों और पशुधन पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यरत स्टार्टअप जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ निर्बाध संपर्क की सुविधा प्रदान करता है।

5-4-1-2 fMftVy IysVQ,e vkSj vuqç;ksx

केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ–साथ, फील्ड कार्यकर्ताओं और पशुपालकों के उपयोग के लिए दो मोबाइल एप्लिकेशन और वेब इंटरफेस विकसित किए गए हैं, जिनके नाम क्रमशः ''भारत पशुधन'' और ''1962'' हैं।

5-4-1-3 Hkkjr i'kq/ku ,fIyds'ku & eq[; e,Mîwy

i. पशु प्रबंधन

ii. पशु स्वास्थ्य

iii. पशु प्रजनन

iv. पशु पोषण

v. प्रशासनिक मॉड्यूल

vi. डिजिटल पशुधन जनगणना

vii. टैग प्रबंधन

viii. प्रयोगशाला प्रबंधन

ix. पशुधन प्रबंधन

5-4-1-4 lkf[;dh; e[; fcn| ¼fnukad 8 Qjojh 2025 rd½

1. पंजीकृत पशुपालक किसानः 9.5 करोड़

2. जारीः 35 किए गए पशु आधार (पशु पहचान पत्र) करोड़

3. जारीः किए गए फील्ड वर्कर यूजर आईडी 4.2 लाख

4. दर्ज लेनदेनः 145 करोड़

5-4-1-5 1962 i'kqikyd vkonu

1962 एप्लिकेशन को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है जिसका प्राथमिक उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं, सेवाओं और सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रामाणिक जानकारी तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना है। यह एप्लिकेशन मंत्रालय की वेबसाइट के साथ एकीकृत है ताकि वास्तविक समय आधार पर अद्यतन जानकारी और परामर्श दिया जा सके।

1962 ,fIyds'ku dh çe[k fo'ks"krk,¡ bl çdkj g¨%

क. किसान अपने पंजीकृत पशुओं से संबंधित सभी लेनदेन और स्वामित्व विवरण देख और सत्यापित कर सकते हैं।

ख. प्रत्येक किसान और प्रत्येक पशु के लिए एक अद्वितीय क्यूआर कोड सृजित होता है, जिससे फील्ड वर्कर स्कैन करके तुरंत विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

ग. प्रत्येक पशु के लेन–देन का पूरा कालानुक्रमिक इतिहास स्वामी के लिए उपलब्ध है।

घ. सीमन स्ट्रॉ और भ्रूण सहित प्रजनन तकनीकों की उपलब्धता और गुणवत्ता की जानकारी प्रदान की जाती है।

ङ किसान कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियाओं के दौरान उपयोग किए गए सीमन स्ट्रॉ की प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकते हैं।

च. भारत सरकार की पशुपालकों के लिए योजनाओं और सुविधाओं का विस्तृत विवरण इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

छ. आयुर्वेदिक पशु चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार–प्रसार किया जाता है, जिसमें किसानों के उपयोग के लिए वीडियो और डाउनलोड करने योग्य दस्तावेज शामिल हैं।

ज. पशुपीडिया, जो गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर की नस्लों और प्रजातियों को कवर करने वाला एक डिजिटल ज्ञान भंडार है, को एप्लिकेशन में एकीकृत किया गया है।

1962 एप्लिकेशन को पशुधन पद्धतियों, सेवाओं और सरकारी कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी के एक एकल, विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोत के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिससे पशुधन क्षेत्र में किसानों की भागीदारी मजबूत होती है।

***

अध्याय-6

i’k/ku LokLF;

i'kq/ku LokLF;

6-1 fLgkoyksdu

6.1.1 पशुधन उत्पादन में तेजी से हो रही वृद्धि, उच्च पशु घनत्व, पशुधन आबादी का विस्तार, पशुधन, मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ता संपर्क तथा पशुधन के वैश्विक व्यापार और आवागमन में वृद्धि, ये सभी पशुधन और पोल्ट्री का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में काफी चुनौतियां पेश करते हैं।

पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रमों, विशेष रूप से पशु रोग नियंत्रण के माध्यम से, पशुपालन और डेयरी विभाग का लक्ष्य जूनोटिक, उभरते और पुनः उभरने वाले रोगों को रोकना और नियंत्रित करना है, साथ ही संधारणीय उत्पादन सुनिश्चित करना, इष्टतम आजीविका के लिए मार्गदर्शन देना और पशु मूल के खाद्य पदार्थों का सुरक्षित और पौष्टिक रूप से उत्पादन करना है।

मनुष्यों को प्रभावित करने वाले दो–तिहाई संक्रामक रोग पशुओं से उत्पन्न होते हैं, तथा उभरते मानव रोगाणुओं में से तीन–चौथाई पशु–आधारित होते हैं, साथ ही खाद्य जनित रोगों की चुनौती भी बढ़ती जा रही है।

विभाग, केन्द्रित अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करके; जनशक्ति और महामारी विज्ञान संबंधी क्षमता निर्माण के माध्यम से राज्य–स्तरीय क्षमताओं को सुदृढ़ करके; राज्य नैदानिक क्षमताओं में सुधार करके, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके, फार्म जैव–सुरक्षा में सुधार करके तथा एवियन इन्फ्लूएंजा, लम्पी स्किन डिजीज, ग्लैंडर्स, अफ्रीकी स्वाइन फीवर आदि जैसे पशुधन और पोल्ट्री रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए परामर्शी साझा करके पशु स्वास्थ्य प्रबंधन क्षमता में वृद्धि कर रहा है। विभाग ने गर्मियों के दौरान और अन्य चरम मौसम की स्थिति के साथ–साथ प्राकृतिक आपदाओं के लिए पशु प्रबंधन पद्धतियों के लिए परामर्शी भी जारी की हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उन्हें साझा किया है।

6.1.2. विभाग पशुओं में "संक्रामक और सांसर्गिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009'', और "पशुधन आयात अधिनियम, 1898" के माध्यम से रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए विनियामक उपायों को कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात के माध्यम से देश में विदेशी और उभरते रोगों के प्रवेश को रोकना है।

6-2 i'kq/ku LokLF; vkSj jksx fu;a=.k dk;ZØe ¼LHDCP½

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP), विभाग द्वारा कार्यान्वित, चल रही केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS) है। जिसे पशु रोगों के प्रवेश और प्रसार की रोकथाम के लिए पिछले कुछ वर्षों में संशोधित/आशोधित किया गया है। इसका उद्देश्य पशु रोगों के लिए रोगाणुरोधी टीकाकरण के कार्यान्वयन, गुणवत्तायुक्त पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के माध्यम से पशु स्वास्थ्य में सुधार करना है।

इस कार्यक्रम में खुरपका और मुंहपका रोग (FMD), ब्रसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) के लिए टीकाकरण जैसे प्रमुख कार्यकलाप शामिल हैं, जिन्हें सहायता दी जाती है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, एलएच और डीसी योजना को भी संशोधित किया गया और 3 घटकों में पुनर्संरेखित किया गया (i) पीपीआर और सीएसएफ

के नियंत्रण के लिए गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम–100% केंद्रीय क्षेत्र (ii) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD) और पशु चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण–मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (ESVHD-MVU)– एमवीयू की खरीद को छोड़कर केंद्र प्रायोजित घटक जो 100% है। एनएडीसीपी और एलएचडीसी को वर्ष 2021–22 के दौरान एलएचडीसीपी के तहत घटकों के रूप में विलय कर दिया गया।

किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक प्रदायगी के उद्देश्य से स्थापित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए, केंद्र सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एमवीयू की खरीद और अनुकूलन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राज्य द्वारा प्राथमिकता प्राप्त आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों के नियंत्रण के लिए पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) भी क्रियान्वित की जा रही है।

LHDCP घटकों का विवरण निम्नानुसार है :

6-2-1- jk"Vªh; i'kq jksx fu;a=.k dk;ZØe ¼NADCP½

- खुरपका–मुंहपका रोग (FMD) और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) को विभाग द्वारा वर्ष 2019 में पशुयूथ में प्रतिरक्षा विकासित करके एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के नियंत्रण के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। खुरपका–मुंहपका रोग (FMD) और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 3 जून, 2019 के पत्र संख्या 17/सीएम/2019 के माध्यम से एक अलग 100% केंद्रीय क्षेत्र (CS) योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था, जिसमें वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 तक पांच वर्षों के लिए 13,343.00 करोड़ रुपये का परिव्यय था, जिसका उद्देश्य टीकाकरण के साथ वर्ष 2025 तक एफएमडी पर पूर्ण नियंत्रण और वर्ष 2030 तक इसका अंततः उन्मूलन और ब्रुसेलोसिस पर नियंत्रण करना था। वर्ष 2021 में इस कार्यक्रम को पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।राज्यों को टीकाकरण सहायक उपकरण खरीदने, टीका लगाने वालों को पारिश्रमिक देने, राज्यों के लिए कोल्ड चेन अवसंरचना (वॉक–इन–कोल्ड रूम, कोल्ड कैबिनेट, आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर, टीका कैरियर, एक्टिव कूल बॉक्स आदि) तैयार करने, निगरानी और मॉनीटरिंग तथा आईईसी/जागरूकता अभियान के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। टीकाकरण कार्यक्रम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6-2-1-1 ,u,Mhlhih&,Q,eMh%

विश्व पशु स्वास्थ्य–संगठन (WOAH) द्वारा खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) को नियंत्रण और उन्मूलन के लिए प्राथमिकता प्राप्त रोग के तौर पर वैश्विक पहचान दी गई है। FMD टीकाकरण के लिए राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

वर्ष 2025–26 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 32.87 करोड़ एफएमडी टीक खुराकें प्रदान की गईं। इस अवधि के दौरान लगभग 26.80 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया।

NADCP-FMD के अंतर्गत FMD के लिए टीकाकरण

पिछले सालों के मुकाबले 2025–2026 में अब तक FMD के फैलने में काफी कमी आई है। FMD के फैलने के मामले वर्ष 2018 में 227 से घटकर जून 2025 तक 06 हो गए हैं।

ये रोग कभी–कभी होता है और FMD के ऐसे मामले सामने आए हैं जो बहुत कम पशुओं को प्रभावित करते हैं। यह रोग हर्ड इम्यूनिटी के कारण नहीं फैला।

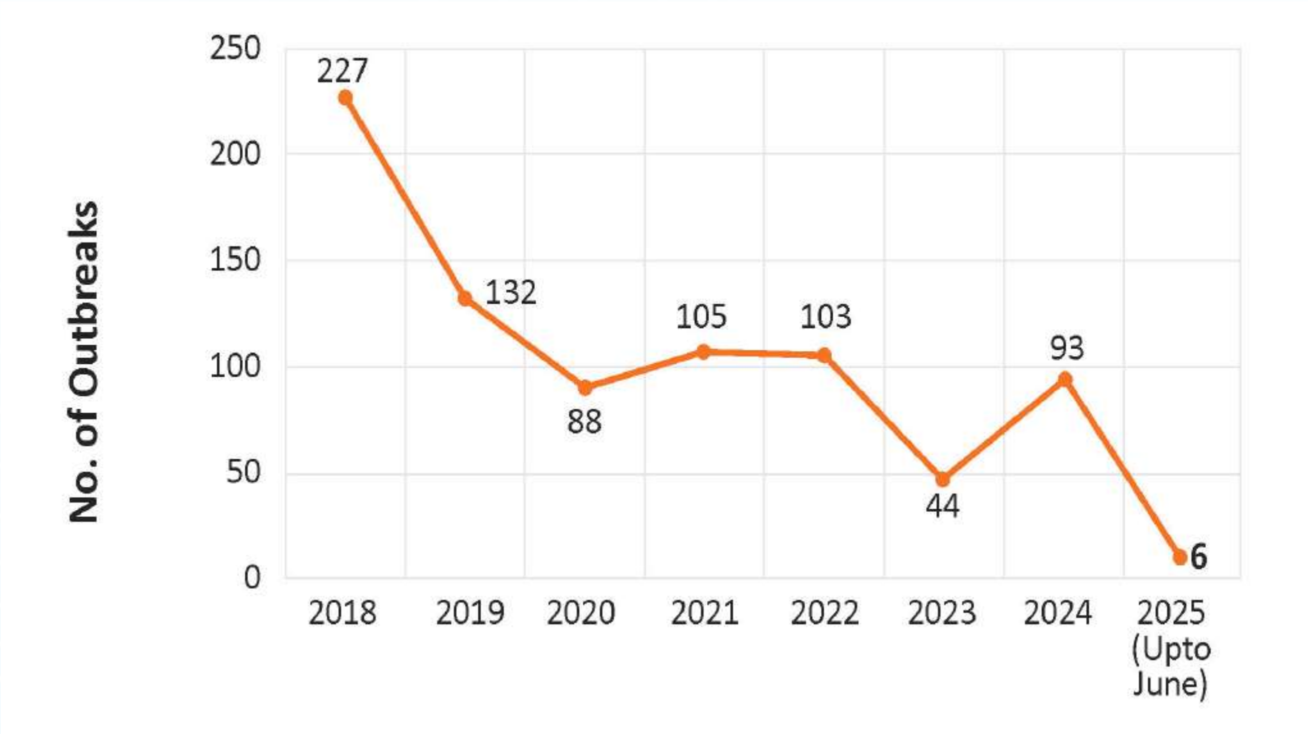

6-2-1-2 NADCP&Ckqlsykfll %

ब्रुसेलोसिस गोपशुओं और भैंसों का एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजनन रोग है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव गर्भपात के रूप में सामने आता है। जूनोटिक होने के कारण यह मनुष्यों में भी फैलता है। यह एक गंभीर व्यावसायिक खतरा भी है और भारत में स्थानिक है।

इस घटक में, ब्रुसेलोसिस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरे देश में बोवाइन बछियों (4–8 महीने की आयु) को टीका लगाया जाता है। ब्रुसेलोसिस के टीकाकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस घटक के तहत वर्ष 2025 में ब्रुसेलोसिस के लिए लगभग 18.60 लाख टीकाकरण किए गए।

NADCP&Ckqlsykfll ds rgr Ckqlsykfll ds fy, Vhdkdj.k

6-2-2 vU; xHkhj i'kq jksx

6-2-2-1 PPR-EP%

पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स – उन्मूलन कार्यक्रम (PPR-EP) – पीपीआर जिसे भेड़ और बकरी प्लेग के रूप में भी जाना जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक ट्रांसबाउंड्री पशु रोग है जो घरेलू और जंगली जुगाली करने वाले छोटे पशुओं को प्रभावित करता है। यह गंभीर रुग्णता और मृत्यु दर के रूप में पहचाना जाता है और हमारे देश में जहां जुगाली करने वाले छोटे पशु आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वहां इसका उच्च आर्थिक प्रभाव पड़ता है। PPR के टीकाकरण के लिए राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

इस घटक में, देश की पूरी भेड़ और बकरी आबादी का पीपीआर टीकाकरण किया जा रहा है ताकि जुगाली करने वाले छोटे पशुओं की पूरी आबादी को 100% प्रभावी कवरेज मिल सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी पशुयूथ/पशुओं को भी टीकाकरण शामिल किया गया है।

वर्ष 2025 के दौरान पीपीआर के लिए लगभग 4.29 करोड़ कुल टीकाकरण किया गया।

6-2-2-2 CSF&fu;=.k dk;Øe

क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF), जिसे हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है, घरेलू और जंगली सूअरों का एक संक्रामक वायरल रोग है और यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस से संक्रमित सूअरों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण, प्रजनन विफलता और गर्भपात हो सकता है। क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रम में सूअरों की पूरी आबादी को कवर करने के लिए सूअरों की आबादी वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। CSF के टीकाकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत वितीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2025 के दौरान CSF के लिए लगभग 15.45 लाख कुल टीकाकरण किए गए।

PPR-EP के तहत पीपीआर के लिए टीकाकरण

CSF–EP के अंतर्गत CSF के लिए टीकाकरण

6-2-3 i'k/ku LokLF; vkj jkx fu;=.k ¼LH vkj DC½

6-2-3-1 ESVHD-MVU½

पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण– मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (ESVHD-MVU) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं ताकि किसानों/पशु मालिकों को उनके द्वार पर निदान उपचार, टीकाकरण, मामूली शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप, दृश्य–श्रव्य सहायक उपकरण और विस्तार सेवाएं प्रदान की जा सकें। देश में प्रति 1 लाख पशुधन आबादी पर एक एमवीयू की सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

इस घटक के अंतर्गत, कस्टमाइज्ड मोबाइल वैन/वाहन पर होने वाले गैर–आवर्ती व्यय के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें निदान, उपचार, नमूना संग्रह, छोटी सर्जरी और ऑडियो–विजुअल सहायक उपकरण आदि शामिल हैं। हालांकि मोबाइल वैन/वाहन, कॉल सेंटर और आउटसोर्स्ड मैनपावर सेवाओं को चलाने पर होने वाले आवर्ती व्यय में केंद्रीय–राज्य निधि साझाकरण 60–40/उत्तर पूर्व और पर्वतीय राज्यों के लिए 90–10/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% का पैटर्न होगा।

वर्ष 2025–26 के दौरान जारी 507.47 करोड़ रुपये की मदर सेंक्शन राशि में से दिनांक 15 जनवरी 2026 तक एमवीयू चलाने के लिए आवर्ती व्यय के लिए 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 306.31 करोड़ रुपए को व्यय किया है। अब तक कुल 4019 एमवीयू चालू हैं और वर्ष 2025–26 में 11.24 लाख किसान किसान लाभान्वित हुए और 232.28 लाख पशुओं का इलाज किया गया।

एमवीयू कॉल सेंटर, वाहन स्थान, पशु उपचार और शिविर

6-2-3-2 i'kq jksx fu;=.k ds fy, jkT;ksa dks lgk;rk ¼ASCAD½

यह घटक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पशुओं के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के लिए टीकाकरण के लिए सहायता पर केंद्रित है, जिसे राज्यों द्वारा प्रचलित रोग (रोगों) और किसानों को हुए नुकसान के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। एंथ्रेक्स, रेबीज आदि जैसे जूनोटिक पशु रोगों के लिए टीकाकरण पर भी बल दिया जाता है। रोग निदान किटों/टीकों के उत्पादन को अनुपूरित करने के लिए और रोग निदान के लिए राज्य जैविक उत्पादन इकाइयों और रोग निदान प्रयोगशालाओं को भी ASCAD के तहत सुदृढ़ और समर्थित किया जाता है। इस घटक के तहत प्राथमिकता वाला एक अन्य कार्यकलाप 'आकस्मिक और विदेशी रोगों का नियंत्रण' है। इसमें विदेशी रोगों और आकस्मिक/पुनः उभरने वाले पशु रोगों के प्रवेश को रोकने के लिए निगरानी और संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं। पक्षियों की कलिंग (culling), संक्रमित पशुओं को एलिमिनेट करने और परिचालन लागत सहित चारा/अंडों को नष्ट करने के लिए किसानों को मुआवजे के भुगतान के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

ASCAD में केंद्रीय–राज्य निधि साझाकरण पैटर्न उत्तर पूर्व और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 के आधार पर, अन्य राज्यों के लिए 60:40 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% साझा किया जाता है। अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता, प्रशिक्षण और संबद्ध कार्यकलापों के तहत कार्यकलापों के लिए 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है।

वर्ष 2025–26 के दौरान 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी 151.13 करोड़ रुपये के मदर संक्शन में से 70.38 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई।

6-2-3-3 i'kq vkS"kf/k

एलएचडीसीपी के पशु औषधिनामक नए घटक के अंतर्गत दो साल अर्थात् वर्ष 2025–26 तक के लिए 75 करोड़ रुपये रखे गए हैं, ताकि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता शुरू की जा सके। किसान समृद्धि केंद्र (PM-KSK) और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे जेनेरिक दवा के लिए एक इकोसिस्टम बनेगा जो सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली होगी।

एमवीयू, टीकाकरण और रोग की घटना की स्थिति: स्वीकृत/संचालन में एमवीयू की स्थिति, जनवरी 2026 तक, देश में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची अनुबंध X और XI में है।

6-3 tukfVd] mHkjrs vkSj iqu% mHkjus okys jksxksa dk fu;a=.k

6-3-1- yEih Ropk jksx ¼LSD½

लंपी त्वचा रोग (LSD) गोपशुओं और भैंसों का एक संक्रामक वायरल रोग है जो कैप्रिपॉक्स वायरस के कारण होता है। यह मच्छरों, काटने वाली मक्खियों और टिक्स जैसे आर्थ्रोपोड वैक्टर द्वारा फैलता है। इस रोग में 2–3 दिनों के लिए हल्का बुखार आता है जिसके बाद कठोर, गोल त्वचा संबंधी गांठें (2–5 सेमी व्यास) बन जाती हैं। पशु अक्सर 2–3 सप्ताह की अवधि के भीतर ठीक हो जाते हैं। रुग्णता दर लगभग 10–20% है और मृत्यु दर लगभग 1–5% है।

भारत में, सितंबर, 2019 के दौरान NIHSAD, भोपाल द्वारा पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में लंपी त्वचा रोग की प्रारंभिक पुष्टि की गई थी। बाद में अन्य राज्यों में भी इस रोग की पुष्टि की गई। जैव–सुरक्षा उपायों, उपचार, निगरानी, निदान और टीकाकरण (कार्पेट और नियंत्रित) के संबंध में विभाग द्वारा तैयार परामर्शी और दिशा–निर्देश सभी प्रभावित और गैर–प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए, ताकि गोटपॉक्स टीका (उत्तरकाशी स्ट्रेन) का उपयोग करके वार्षिक टीकाकरण के लिए समयसीमा सहित आवश्यक कार्रवाई की जा सके। क्षेत्र में बेहतर योजना बनाने के लिए प्रभावित राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता देने के लिए केंद्रीय टीमों को भी तैनात किया गया।

वर्ष 2025 के दौरान यह रोग कुल 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेंलगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्रों में देखा गया है। अब तक 6.90 करोड़ (वर्ष 2025 तक) से अधिक पशुओं का टीकाकरण/पुनः टीकाकरण किया गया और टीकाकरण और अन्य जैव सुरक्षा उपाय किए जा रहे है।

6-3-2 ,fo;u bUÝyq,atk

वर्ष 2006 से, देश में H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस की रिपोर्ट आ रही है। सरकार ने तुरंत कंट्रोल और कंटेनमेंट ऑपरेशन चलाए और बीमारी को नियंत्रित किया। जूलॉजिकल पार्क के लिए भी दिशानिर्देश बनाए गए और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए जारी किया गया।

विभिन्न केंद्रों पर एवियन इन्फ्लूएंजा (HPAI) के प्रकोप के लिए एवियन इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम पर मौजूदा कार्य योजना, 2021 के दिशानिर्देशों

के अनुसार नियंत्रण और रोकथाम अभियान चलाए गए।

LHDCP के घटक ASCAD के अंतर्गत, भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ बराबर लागत (50:50) साझा करेगी। हालांकि, सरकारी स्वामित्व वाले फार्मों में हुए नुकसान पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। वर्ष 2025 के दौरान, कुल 10 राज्यों (महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा) में 6.10 लाख पक्षियों की छंटनी की गई, 16.60 लाख अंडे नष्ट किए गए, 30.62 लाख किलोग्राम पोल्ट्री पशु आहार नष्ट किया गया। अभी, सिर्फ 2 एक्टिव एपिसेंटर हैं। (तेलंगाना और ओडिशा)

कार्य योजना के अनुसार निम्नलिखित काम किए गए हैं :

(i) प्रभावित क्षेत्र के 0–1 किमी के क्षेत्र में सम्पूर्ण पोल्ट्री आबादी की छंटनी की जाती है।

(ii) एवियन इन्फ्लूएंजा के निदान को सुदृढ़ करने के लिए जालंधर, कोलकाता, बैंगलोर और बरेली में चार बायो–सेफ्टी लेवल 3 (बीएसएल–iii) प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, NERDDL, गुवाहाटी को एक मोबाइल बीएसएल–iii प्रयोगशाला प्रदान की गई है। ये प्रयोगशालाएं पहले से ही चालू हैं।

(iii) सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियानों के माध्यम से एवियन इन्फ्लूएंजा के बारे में आम जनता को जागरूक करना।

(iv) सभी राज्य सरकारों को समय–समय पर रोग के प्रकोप के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा जाता है।

(v) रोग नियंत्रण, निगरानी और जैव सुरक्षा के महत्व के विभिन्न पहलुओं पर पोल्ट्री किसानों के मार्गदर्शन देने के लिए राज्यों को समय–समय पर परामर्श जारी किए जाते हैं।

ikYVªh lac/kh eqvkotk njksa esa la'kks/ku

एवियन इन्फ्लूएंजा का निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2021 के अनुसार, प्रकोप के अभिकेंद्र के 1 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री पक्षियों की छंटनी, अंडों को नष्ट करना और पोल्ट्री फीड का निपटान करना अनिवार्य है। इन उपायों से प्रभावित किसानों को प्रकिया के हिस्से के रुप में उनके नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है।

इस विभाग की तकनीकी समिति की सिफारशों और 29 और 30 अप्रैल, 2024 को विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, संशोधित मुआवजा दरों को अनुमोदन दिया गया है और उन्हें आधिकारिक तौर पर सितंबर, 2024 में जारी किया गया। इन अद्यतन दरों का उद्देश्य, देश भर में पाले जाने वाली विभिन्न पोल्ट्री प्रजातियों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है।

n'k esa ,fo;u bU¶yq,atk ¼vR;f/kd jksxtud ,fo;u bU¶yq,atk½ dh fLFkfr

rkfydk% o"kZ dk nkSjku ,fo;u bU¶yq,atk dk çdksi ¼31 fnlacj 2025 rd½

vof/k	çHkkfor jkT;	vfHkdsaæksa dh la[;k	NVuh fd, x, if{k;ksa dh la[;k ¼yk[k esa½
जनवरी से मार्च 2025	महाराष्ट्र	10	0.14
जनवरी और मार्च 2025	छत्तीसगढ	2	0.303
फरवरी और मार्च 2025	झारखंड	3	0.059
फरवरी 2025	आंध्र प्रदेश	8	1.78
फरवरी 2025	मध्य प्रदेश	2	0.016

मार्च और अप्रैल 2025	तेलंगाना	5	3.623
फरवरी और मार्च 2025	कर्नाटक	3	0.027
मार्च और अप्रैल 2025	बिहार	5	0.0865
मई और अगस्त 2025	उत्तर प्रदेश	4	0.75
जुलाई 2025	ओडिशा	2	0.144
अगस्त 2025	उत्तराखंड	5	0.075
दिसंबर 2025	केरल	11	0.302
dqy	12 jkT;	60	7-3055

x|j&ikYVh ç tkfr;k e%

महाराष्ट्र के नागपुर में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर के वन्यजीव बचाव केंद्र में 3 मरे हुए बाघों और 1 तेंदुए में HPAI पाया गया।

- छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में 3 घरेलू पालतू बिल्लियों में HPAI पाया गया।
- महाराष्ट्र के नागपुर में गिद्धों के सैंपल में HPAI पाया गया।
- जोधपुर, जैसलमेर में डेमोइसेल क्रेन और राजस्थान के भरतपुर जिले में पेंटेड स्टॉर्क में HPAI पाया गया।
- लातूर जिले के धाराशिव और शोलापुर जिले, बिहार के जहानाबाद और मुंगेर में कौओं में HPAI पाया गया ।
- महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में हॉक और इग्रेट में HPAI पाया गया।
- गोवा में बोंडला वन्यजीव अभयारण्य में जंगली बिल्ली में भी HPAI पाया गया।
- उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चिड़ियाघर के बाघ में HPAI का पता चला
- गोरखपुर चिड़ियाघर के तेंदुए और कानपुर चिड़ियाघर के शेर में HPAI पाया गया।
- कानपुर चिड़ियाघर के मोर में HPAI पाया गया।
- दिल्ली चिड़ियाघर में पेंटेड स्टॉर्क में HPAI पाया गया।

6-3-3 lvjk e vÝhdh Lokbu Qhoj ¼ASF½

अफ्रीरीकी स्वाइन फीवर (ASF) सूअरों, जंगली बोर (Boar)/फेरल सूअरों और सभी नस्लों और उम्र के अन्य सूअरों की एक अत्यधिक संक्रामक और सांसर्गिक रक्तस्रावी वायरल रोग है। मृत्यु दर 100% तक है। ASF मानव या अन्य पशुधन प्रजातियों को संक्रमित नहीं करता है। यह एस्फारविरिडे परिवार, जीनस एस्फीवायरस के डीएनए वायरस के कारण होता है। इन्क्यूबेषन अवधि 4 से 19 दिनों तक भिन्न होती है।

भारत में, अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) की पुष्टि NIHSAD, भोपाल द्वारा जून, 2020 के दौरान प्रारंभ में अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में और उसके बाद एनईआर और देश के अन्य राज्यों में की गई है। विभाग ने भारत में अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) के नियंत्रण, रोकथाम और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और सभी हितधारकों को प्रसारित की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्य योजना में निहित उपयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह किया गया ताकि अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) को एक निश्चित समयसीमा में देश में नियंत्रित किया जा सके, रोका और मिटाया जा सके। क्षेत्र में बेहतर योजना बनाने के लिए प्रभावित राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता देने के लिए केंद्रीय टीमों को भी तैनात किया गया है। वर्ष 2025 के दौरान 15 राज्यों, (असम, मेघालय, सिक्किम,

हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मिजोरम आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, नागालैंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल) में यह रोग देखा गया। प्रभावित पशु 35679; मृत पशु 21479; छंटनी गए पशु 13146 वर्तमान में, पूर्वोत्तर राज्य में छिटपुट मामलों के साथ रोग नियंत्रण में है और जैव सुरक्षा उपाय जारी हैं।

6-3-4 ?kkMk e XyMl%

ग्लैंडर्स घोड़ों, गधों और खच्चरों में होने वाला एक संक्रामक और जानलेवा रोग है, जो बर्कहोल्डरिया मैलेई (बी.मैलेई) नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। ग्लैंडर्स पर नियंत्रण के लिए संदिग्ध नैदानिक मामलों की जांच, सामान्य दिखने वाले घोड़ों की जांच और रिएक्टरों को खत्म करने की आवश्यकता होती है। बी.मैलेई में जूनोटिक क्षमता है और इसे संभावित जैविक युद्ध या जैव आतंकवाद एजेंट माना जाता है क्योंकि यह मनुष्यों में अत्यधिक घातक रोग पैदा कर सकता है।

पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारत में ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP संशोधित 2025) तैयार की है, जिसका उद्देश्य भारत में घोड़ों में ग्लैंडर्स की निगरानी, नियंत्रण और उन्मूलन करना है।

तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में ग्लैंडर्स के मामले देखे गए हैं और तदनुसार, विभाग द्वारा NAP के अनुसार तीव्र जागरूकता कार्यक्रमों सहित नियंत्रण करने और जैव–सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए परामर्शियां जारी की गई थी।

अवसंरचना और जैव–सुरक्षा व्यवस्था के अपेक्षित मूल्यांकन के बाद, विभाग ने रक्षा सेवाओं/निजी प्रतिष्ठानों की 16 अश्वपालन सुविधाओं को अलग ग्लैंडर्स–मुक्त क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी।

6-3-5 dukbu jcht%

वर्ष 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज को समाप्त करने के वैश्विक प्रयास के एक भाग के रूप में, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (NRCP), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC) ने अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके मिलकर ''वर्ष 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज के भारत से उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPRE)' तैयार की है।

दिनांक 28 सितंबर 2021 को 'वर्ष 2030 तक कुत्ते से फैलने वाले रेबीज के भारत से उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया।

NAPRE एक मार्गदर्शी दस्तावेज है जो राज्यों को रोग की व्यापकता, जनसांख्यिकी और संसाधन उपलब्धता के आधार पर अपने राज्यों के लिए उपयुक्त राज्य कार्य योजनाओं का प्रारूप तैयार करने में सक्षम बनाता है। इस दस्तावेज में देश में कुत्ते से होने वाले रेबीज को नियंत्रित करने और चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की रणनीतियों को पहचाना गया है। यह दस्तावेज रेबीज मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और कार्यकलापों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य निरंतर बड़े पैमाने पर कुत्तों के टीकाकरण, प्री और पोस्ट–एक्सपोजर प्रोफाईलैक्सिस और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से रेबीज के जोखिम को व्यवस्थित रूप से कम करना है।

वर्ष 2025 के दौरान कुत्तों से होने वाले रेबीज के नियंत्रण और रोकथाम के संबंध में जागरूकता लाने के लिए विभाग द्वारा 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया।

6-4 i'kfpfdRlk i)fr dk fofu;eu%

Hkkjrh; i'k fpfdRlk ifj"kn

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (VCI) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधान के तहत

स्थापित एक वैधानिक निकाय है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, पशु चिकित्सा पद्धतियों को विनियमित करने के साथ—साथ देश भर के सभी पशु चिकित्सा संस्थानों में पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानक के माध्यम से पशु चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में 27 सदस्य होते हैं – 5 (पांच) सदस्य, जो भारत सरकार द्वारा उन राज्यों के पशुपालन निदेशकों में से नामित होते हैं, जिन राज्यों पर यह अधिनियम कार्यान्वित होता है, 4 (चार) सदस्य, उन राज्यों के पशु चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों में से, जिन पर यह अधिनियम कार्यान्वित होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा नामित 1 (एक) सदस्य, पशुपालन और डेयरी विभाग (पशुपालन और डेयरी विभाग), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 (एक) सदस्य, भारतीय पशु चिकित्सा एसोसिएशन द्वारा नामित 1 (एक) सदस्य, उन राज्यों के राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के अध्यक्षों में से नामित 1 (एक) सदस्य, जिन राज्यों पर यह अधिनियम कार्यान्वित होता है और उन राज्यों के राज्य पशु चिकित्सा एसोसिएशन के अध्यक्षों में से नामित 1 (एक) सदस्य, जिन पर यह अधिनियम कार्यान्वित होता है। भारतीय पशु चिकित्सा प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों में से 11 (ग्यारह) सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार और सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के पदेन सदस्य हैं।

प्रशिक्षित पशु चिकित्सा जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए, 58 मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों सहित संख्या बढ़कर 70 हो गई है।

देश में पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और पशु चिकित्सा शिक्षा डिग्री पाठ्यक्रम (बीवीएससी और एएच) विनियम, 2016 के न्यूनतम मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परिषद पशु चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 19 और 20 के प्रावधानों के तहत समय—समय पर बीवीएससी और एएच डिग्री प्रदान करने वाली परीक्षाओं के संबंध में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण करती है।

परिषद ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 24 और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पंजीकरण) विनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में अपना नाम पंजीकृत कराने के इच्छुक 1049 चिकित्सकों को सीधे पंजीकृत किया है। वर्ष 2025 के दौरान, परिषद ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में पशु चिकित्सा चिकित्सकों के पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए 645 आवेदनों का निपटारा किया।

परिषद ने वर्ष 2025 के दौरान 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की और बी.वी.एस.सी. और ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 731 सीटें भरी गईं।

वर्ष 2025 के दौरान, नए पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 14 आशय पत्र (LOI) जारी किए गए हैं। इनमें से 7 नए महाविद्यालयों को अंतिम मान्यता दी गई है, जिनमें से 5 को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की पहली अनुसूची में अधिसूचित किया गया है और अब तक 2 अधिसूचित होने की प्रक्रिया में हैं। पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 2014 में 36 से बढ़कर 2025 में 84 हो गई है, जिससे छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता लगभग 9000 बढ़ गई है। प्रवेश NEET प्राप्तांक के आधार पर होता है, जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रणाली द्वारा समर्थित है। विदेशी पशु चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके विदेशी पशु चिकित्सा स्नातकों के पंजीकरण को सक्षम

बनाने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (विदेशी पशु चिकित्सा स्नातक पंजीकरण) नियम, 2025' को 26.12.2025 को अधिसूचित किया गया है।

6-5 ,uMh,e, d lg;kx l vkink@ldV çc/ku e Hkfedk %

यह विभाग आपदा/संकटों से निपटने और पशुधन क्षेत्र के संबंध में दिशा–निर्देश और परामर्शी जारी करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लू, शीत लहर, आंधी–तूफान और बाढ़/मानसून के संबंध में आपदा प्रबंधन योजना और दिशा–निर्देश/परामर्शी तैयार कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रिम तैयारी हेतु परिचालित की गई।

6-6 i'k LokLF; lLFkku

ये शीर्ष स्तर के संस्थान हैं जो टीकों की गुणवत्ता नियंत्रण, बाहर से रोग के प्रवेश को रोकने और रोग के निदान और निगरानी आदि में शामिल हैं।

6-6-1 pk/kjh pj.k flg jk"Vh; i'k LokLF; lLFkku ¼CCSNIAH½] ckxirA

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (CCSNIAH) देश में पशु चिकित्सा जैविक उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थापित विभाग की शीर्ष प्रयोगशाला है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संस्थान को केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (CDL) के रूप में मान्यता दी गई है, जो राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.213, (v) दिनांक 11 मार्च, 2019 के अंतर्गत प्रारंभ में दो टीकों, हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया और रानीखेत रोग के लिए पशु चिकित्सा जैविक उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी परीक्षण करती है।

संस्थान में तकनीकी कर्मचारियों का एक समर्पित समूह है जो पशु चिकित्सा जैविक उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण में संलग्न है। संस्थान टीकों के परीक्षण के लिए विभिन्न स्तनधारी कोशिका लाइनें, बैक्टीरिया और वायरस के रेफरेंस कल्चर बनाए रखता है।

संस्थान को DAHD द्वारा संचालित पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत एफएमडी, ब्रुसेला, पीपीआर और सीएसएफ टीकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रयोगशालाओं में से एक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्ष के दौरान संस्थान ने विभिन्न राज्य और केंद्रीय फार्मों से 116 पशुओं की एफएमडी एंटीबॉडी के प्रति सीरो–नेगेटिविटी की जांच की है और एफएमडी टीकों के 8 बैचों का सभी मापदंडों पर परीक्षण पूरा किया है। संस्थान ने एफएमडी, संबंधी विश्व संदर्भ प्रयोगशाला, यूके की प्रवीणता परीक्षण योजना के चरण XXX 6 में भाग लिया और 4 में से 4 अंक प्राप्त किए, जिसमें संस्थान का परीक्षण प्रदर्शन और व्याख्या को प्रयोजनार्थ उपयुक्त पाया गया और आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

संस्थान अपने मूल दायित्वों के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/संगठनों के साथ विभिन्न सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं में शामिल होकर प्रमुख और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास पर भी जोर दे रहा है। संस्थान राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत प्रकोप जांच और महामारी संबंधी तैयारी के लिए स्थापित बीएसएल 3/4 नेटवर्क प्रयोगशाला में भागीदार है। बीएसएल 3/4 नेटवर्क प्रयोगशाला कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान के मनोनीत अधिकारियों ने ICAR–राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD), भोपाल, ICAR-IVRI इज्जतनगर, CSIR-IMTECH, चंडीगढ़, PGIMER, चंडीगढ़ और CSIR-IGIB, नई दिल्ली जैसे कई प्रमुख संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। संस्थान ने राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के बीएसएल 3 प्रयोगशाला नेटवर्क के अंतर्गत 'बीएसएल–3 और एबीएसएल–3 सुविधा में पशु नमूनों की जांच' के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के मसौदा तैयार करने में योगदान दिया। संस्थान ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन हेल्थ सम्मेलन में भी भाग लिया। संस्थान के एक अधिकारी ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा पेरिस, फ्रांस में आयोजित ''जोनिंग पर वैश्विक मंच'' में भाग लिया।

इस संस्थान को एफएओ की महामारी निधि के अंतर्गत इंडियन नेटवर्क फॉर जीनोमिक सर्विलांस (INGES) में

भागीदार प्रयोगशालाओं में से एक के रूप में नामित किया गया है। इस संस्थान की प्रयोगशाला का मूल्यांकन FIND टीम द्वारा महामारी निधि परियोजना के अंतर्गत किया गया था ताकि ISO/EC 17025 मान्यता प्राप्त करने के लिए कमियों का विश्लेषण और ऑन–साइट मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।

संस्थान की अपार संभावनाओं को देखते हुए, विभाग ने बागपत स्थित CCSNEH में जैव–संरक्षण सुविधा के उन्नयन और संबंधित मरम्मत कार्यों के निष्पादन हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ एक समझौता किया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा उन्नयन कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया गया है।

CCSNIAH ने आयातित टीकों सहित पशु चिकित्सा टीकों के लिए पूर्ण CDL के रूप में संस्थान की मान्यता हेतु CDSCO, नई दिल्ली में आवेदन किया था। CCSNIAH को पूर्ण CDL का दर्जा मिलने से भारत में पशु चिकित्सा जैविक उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण को और मजबूत करने तथा परिणाम–स्वरूप देश के पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

इस वर्ष संस्थान ने आधिकारिक प्रयोग में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चार एक दिवसीय 'हिंदी कार्यशालाएं' और 'हिंदी पखवाड़ा' आयोजित किया। संस्थान को TOLIC बागपत द्वारा आधिकारिक भाषा हिंदी के प्रगतिशील उपयोग और भारत सरकार की आधिकारिक भाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्थान ने स्वच्छता अभियान 5.0 के अंतर्गत परिसर के अंदर और बाहर विभिन्न सफाई अभियान आयोजित किए। संस्थान ने कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत खेकड़ा में आयोजित एक दिवसीय कृषि संगोष्ठी और मेले में भाग लिया।

इसके अलावा संस्थान के अधिकारियों ने विभिन्न अन्य वैज्ञानि सम्मेलनों/ई–सम्मेलनों/वेबिनारों/टीकाकरण प्रशिक्षणों और बैठकों/सामंजस्य अभ्यासों में भाग लिया।

CCSNIAH, बागपत से संबंधित जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.ccsniah@gov.in पर उपलब्ध है।

6-6-2 i'kq laxjks/k ,oa çek.ku lsok ¼AQCS½

पशु संगरोध केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य और दायरा आयातित पशुधन और पशुधन उत्पादों के माध्यम से देश में विदेशी रोगों के प्रवेश को रोकना है। बढ़ते और तेज अंर्तराष्ट्रीय व्यापार और यात्रा से हर देश में ज्ञात और अज्ञात संक्रामक पशु रोगों के प्रवेश का खतरा बढ़ जाता है, जिनके तेजी से फैलने की संभावना होती है, और साथ ही सामाजिक–आर्थिक तथा मानव/पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। देश को विदेशी रोगों से मुक्त रखने के लिए संगरोध सेवाएं आवश्यक हैं।

पशुओं में होने वाले कई ऐसे कई संक्रामक रोग हैं, जो दूसरे देशों में व्याप्त हैं, लेकिन भारत उनसे मुक्त है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे विदेशी रोग, विदेशों से पशुओं और पशु उत्पादों की आवाजाही के जरिए हमारे देश में प्रवेश न कर पाएं। पशुओं के रोगों पर निगरानी रखने की पूरी प्रक्रिया का उत्तरदायित्व विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (O.I.E.) का है, जो अपने स्थलीय और जलीय पशु स्वास्थ्य संहिताओं के माध्यम से यह कार्य करता है। O.I.E. के पास प्रचलित रोगों (जलीय और स्थलीय) की एक सूची है। जूनोसिस भी जलीय पशु स्वास्थ्य संहिता (AQCS) का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके तहत एक्यूसीएस नियमों के सख्त कार्यान्वयन से मानव स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों/बंदरगाहों और भूमि मार्गों पर जांच करने के लिए एक कुशल पशु संगरोध संगठन आवश्यक है, क्योंकि पशु बिना किसी नैदानिक रोग के लक्षण के भी गुप्त रूप से रोगाणुओं को ले जा सकता हैय उन्हें देश में छोड़ने से पहले रोगाणु–मुक्त स्थिति स्थापित करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण हेतु संगरोध में रखा जाना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में छह पशु संगरोध केंद्र हैं।

एक्यूसीएस से संबंधित सभी जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.aqcsindia.gov.in पर उपलब्ध है।

6-6-3- Hkkjr esa i'kq fpfdRlk volajpuk ds U;wure ekudksa ds fy, fn'kkfunsZ'k

विभाग ने भारत में पशु चिकित्सा अवसंरचना के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिसमें चार स्तरीय पशु स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को ध्यान में रखा गया है और दिनांक 26.11.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या K–11/47/2024–LH के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसकी सूचना दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे विभिन्न स्तरों की नैदानिक जटिलता और आवश्यकता के आधार पर ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, अल्ट्रासाउंड और एक्स–रे सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान, रक्त आधान इकाइयाँ, नैदानिक प्रयोगशाला इकाइयाँ, आइसोलेशन वार्ड, अपशिष्ट निपटान प्रणाली आदि जैसे उपकरणों सहित अवसंरचना और मानव संसाधन सुनिश्चित करने के लिए इन मानकों को अपनाएं।

6-7 i'kq LokLF; ds fy, vf/kdkj çkIr lfefr ¼ECAH½

वर्ष 2021 में स्थापित, ECAH पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, उभरते रोगों के खतरों, वन हेल्थ पहलों और पशु चिकित्सा टीकों, दवाओं और जैविक उत्पादों के लिए नियामक ढांचों पर साक्ष्य–आधारित अंतर्दृष्टि और नीति अनुशंसाएं प्रदान करता है। पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के तत्वावधान में गठित पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ECAH) की 9वीं बैठक 24 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में और पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव सुश्री अलका उपाध्याय की उपाध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में ICMR, CDSCO, DBT, आयुष मंत्रालय और अन्य प्रमुख संस्थानों ने भाग लिया और भारत में पशु स्वास्थ्य परिदृश्य की समीक्षा करने और आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विचार–विमर्श किया।

i'kq LokLF; ds fy, vf/kdkj çkIr lfefr ¼ECAH½ dh 9oha cSBd

नवंबर 2025 से, पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ECAH) के अंतर्गत उपसमिति के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए, इसकी बैठकों की आवृत्ति बढ़ाकर माह में दो बार कर दी गई है और आवश्यकतानुसार तकनीकी इनपुट देने के लिए बाहरी विशेषज्ञों की भागीदारी को सक्षम बनाया गया है। इस सुधार का उद्देश्य पशु चिकित्सा टीकों, जैविक पदार्थों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित नीतिगत अनुशंसाओं और अनुमोदनों में तेजी लाना है, जिससे नियामक दक्षता में सुधार, व्यापार करने में सुगमता और पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लाभ के लिए आवेदनों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सके। वर्ष 2025 के दौरान, पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ECAH) के अंतर्गत उपसमिति ने पशु चिकित्सा टीकों, जैविक पदार्थों, दवाओं और फीड योजकों पर नीतिगत इनपुट देने के लिए कई बैठकें आयोजित कीं।

- i'kq fpfdRlk Vhdk@tSfod inkFkZ@nok,¡ कुल 11 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें आकलन और अनुशंसाओं पर केंद्रित 100 विचार–विमर्श हुए।
- QhM ;kstd% आवेदन प्राप्त होने पर, आवश्यकतानुसार बैठकें बुलाई जाती हैं। तदनुसार, एक बैठक आयोजित की गई और पांच प्रस्तावों की जांच की गई।

6-8 dsaæh;@{ks=h; jksx funku ç;ksx'kkyk,¡ ¼CDDL/RDDL½

राज्यों में मौजूदा 650 रोग निदान प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए, मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए एक केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (ICAR-IVRI), इज्जतनगर का पशु रोग अनुसंधान और निदान केंद्र (CADRAD) केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (CDDL) के रूप में कार्य कर रहा है। रोग जांच प्रयोगशाला (पुणे), पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा बायलॉलिकल्स संस्थान (कोलकाता), पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा बायलॉजिकल्स संस्थान (बेंगलुरु), पशु स्वास्थ्य संस्थान (जालंधर) और पशु चिकित्सा बायलॉजिकल्स संस्थान, खानापारा (गुवाहाटी) क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों के लिए रेफरल

प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। NRDDL (जालंधर), SRDDL (बेंगलुरु), ERDDL (कोलकाता) और CDDL (इज्जतनगर) की प्रयोगशालाओं को पूर्वनिर्मित बीएसएल–III प्रयोगशालाओं से सुसज्जित किया गया है, जबकि गुवाहाटी स्थित NERDDL को एक मोबाइल बीएसएल–III प्रयोगशाला प्रदान की गई है। ये RDDL एवियन इन्फ्लूएंजा और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी (BSE) सहित विभिन्न पशुधन और पोल्ट्री रोगों की निगरानी और निदान में सहायता करते हैं।

पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) और केंद्रीय एवं क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं की मेजबानी करने वाले राज्यों के बीच समझौता ज्ञापनों (MoU) पर दिनांक 4 जून, 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन पंजाब (NRDDL, जालंधर), कर्नाटक (SRDDL, बेंगलुरु), महाराष्ट्र (WRDDL, पुणे), पश्चिम बंगाल (ERDDL, कोलकाता), असम (NERDDL, गुवाहाटी) और CDDL, CADRAD, ICAR IVRI और ICAR-NIHSAD, भोपाल के साथ हस्ताक्षरित किए गए।

समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें यह घोषणा और समझौता हुआ कि RDDL/CDDL समय–समय पर डीएएचडी द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर राज्य निदान प्रयोगशालाओं को रेफरल निदान सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके कार्यों में रोग प्रसार का आकलन करना और क्षेत्रीय डेटा बैंक का रखरखाव करना, नैदानिक और महामारी विज्ञान प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी या सामग्री सहायता प्रदान करना, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से नैदानिक और रेफरल सुविधाओं का विकास करना शामिल है।

6-8-1 CDDL@RDDL dh miyfC/k;k ¼o"kZ 2025&26½

6-8-1-1 CADRAD-CDDL] ICAR-IVRI:

CADRAD–CDDL, ICAR–IVRI ने वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, पैथोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी प्रयोगशालाओं में 61,567 नमूनों का विश्लेषण किया, जिनमें एवियन इन्फ्लूएंजा के 36,228 नमूने शामिल थे। इनमें से 14 H5N1 पॉजिटिव नमूनों की पुष्टि रियल–टाइम PCR द्वारा की गई और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट की गई। BSE निगरानी के लिए, 55 वयस्क गोपशुओं के मस्तिष्क के नमूनों और संबंधित चारे के नमूनों का हिस्टोपैथोलॉजी, ELISA और PCR

द्वारा परीक्षण किया गया, जिनमें से सभी नेगेटिव पाए गए, जिससे 4,857.9 निगरानी अंक प्राप्त हुए। केंद्र ने एवियन इन्फ्लूएंजा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर और लंपी स्किन डिजीज से संबंधित चार रोग प्रकोपों में भाग लिया और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में 15 STD परीक्षण और पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया। CADRAD ने PCR द्वारा ASF और LSD तथा रियल–टाइम PCR द्वारा IBR के परीक्षण के लिए NABL मान्यता (ISO/IEC 17025:2017) प्राप्त की। CDDL ने व्यापक क्षमता–निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें राज्य के अधिकारियों के लिए 10 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण और 483 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण शामिल था, साथ ही बीएसई मस्तिष्क नमूना संग्रह के लिए एक मानक प्रक्रिया (SOP) का विकास और प्रसार भी किया गया।

National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

NABL

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

CENTER FOR ANIMAL DISEASE RESEARCH AND DIAGNOSIS (CADRAD), ICAR-IVRI

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2017

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at

ICAR-INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE, IZATNAGAR, BAREILLY, UTTAR PRADESH, INDIA

in the field of

TESTING

Certificate Number: TC-16578

Issue Date: 13/08/2025 Valid Until: 12/08/2029

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.

Name of Legal Entity: INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH (ICAR), MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA

Signed for and on behalf of NABL

Anita Rani
Director

N. Venkateswaran
Chief Executive Officer

मान्यता प्रमाणपत्र

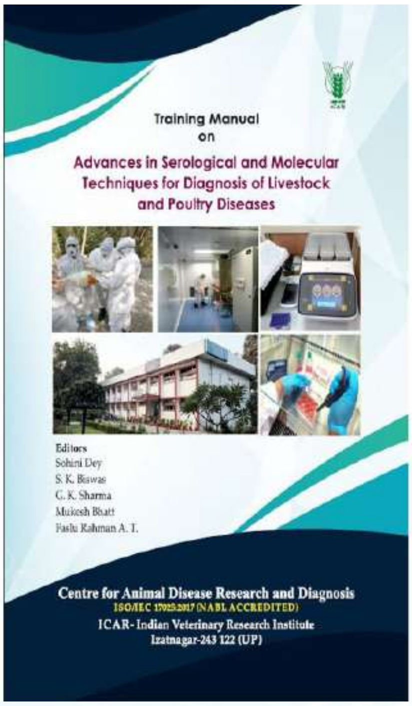

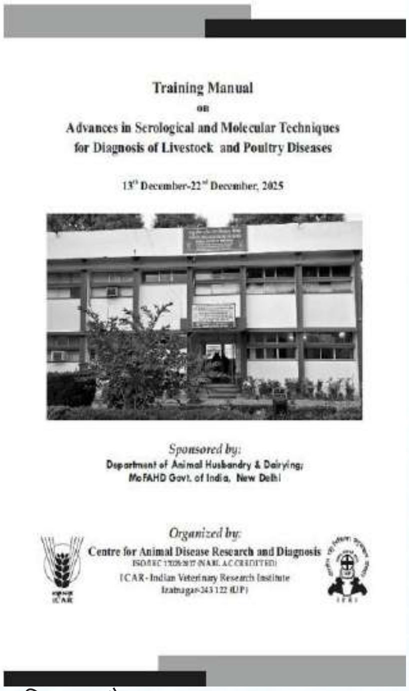

प्रशिक्षण मैनुअल

6-8-1-2 NRDDL] tkya/kj%

जालंधर स्थित उत्तरी क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (NRDDL) को आईएसओ 9001:2015 से मान्यता प्राप्त है और इसने पंजाब और अन्य उत्तरी राज्यों के पशु चिकित्सकों के लिए रोग निगरानी और नमूना संग्रह को मजबूत करने हेतु कई प्रशिक्षण कार्यक्रम और ऑनलाइन नोडल अधिकारियों की बैठकें आयोजित की हैं। प्रयोगशाला ने NRCE हिसार के निर्देशों के अनुसार ELIS। आधारित ग्लैंडर्स परीक्षण स्थापित किया है, जिसमें कुल 712 नमूनों का परीक्षण किया गया है, और आरटी–पीसीआर द्वारा अफ्रीकी स्वाइन फीवर निदान शुरू किया है, जिसमें 110 नमूनों का परीक्षण किया गया है। भारत सरकार के डीएएचडी के निर्देशानुसार, NRDDL ने ।QCS-NR, नई दिल्ली से प्राप्त पशु उप–उत्पाद निर्यात/आयात नमूनों से संबंधित एंथ्रेक्स जैसे रोगों के परीक्षण के लिए विशेष सुविधाएं स्थापित की हैं। पशुओं के सांसर्गिक और संक्रामक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 के अनुसार, NRDDL ने पंजाब में सूचित किए जाने वाले (Notifiable) रोगों के प्रकोपों की सक्रिय रूप से जांच की। LHDCP के अंतर्गत। ICRP-FMD निगरानी इकाई ने एफएमडी के लिए सीरो–निगरानी, DIVA परीक्षण और SPCE-ELISA परीक्षण किए, जिसमें वर्ष के दौरान 8,521 नमूनों का परीक्षण किया गया। NRDDL ने तपेदिक (TB), जॉन रोग (JD), ब्रसेलोसिस, IBR, BVD, कैम्पिलो बैक्टीरियोसिस और ट्राइकोमोनिएसिस के लिए यौन संचारित रोग (STD) की निगरानी, एवियन

इन्फ्लूएंजा की निगरानी और तीन एचपीएआई प्रकोपों को कुशलतापूर्वक नियंत्रित किया, ELIS। का उपयोग करके BSE निगरानी और टेलीविजन, रेडियो तथा शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से मुद्रित सामग्री और विशेषज्ञ वार्ता के द्वारा व्यापक विस्तार गतिविधियों का संचालन भी किया।

¼d½

¼[k½

¼x½

fp= d : भारत के उत्तरी राज्यों के पशु चिकित्सकों को पशुओं में होने वाले BSE (BSE) नामक उभरते रोगों पर प्रशिक्षण।, fp= [k : पशु रोगों के प्रति जागरूकता शिविर, fp= x% पुणे में भेड़ों के झुंड में मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए नमूना संग्रह :

6-8-1-3 **WRDDL**] i¦.k%

पुणे स्थित WRDDL ने RKVY परियोजना के अंतर्गत एक बीएसएल II–III सुविधा स्थापित की और एफएमडी और एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप की जांच के दौरान राष्ट्रीय RO IT टीमों को सहायता प्रदान की, जिसमें राजीव गांधी चिड़ियाघर पार्क, पुणे, गोवा और WRTC नागपुर का दौरा शामिल था। टीम ने NCL, BJ मेडिकल कॉलेज और ससून अस्पताल के सहयोग से IISER पुणे द्वारा आयोजित रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया और जूनोटिक महत्व की जैव–घटनाओं और एंथ्रेक्स के प्रकोप से निपटने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए औंध स्थित WRDDL में मॉक ड्रिल और व्यावहारिक अभ्यास आयोजित किए।

WRDDL पुणे में बीएसएल–3 सुविधा का उद्घाटन

6-8-1-4- NERDDL] xqokgkVh

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राथमिकता प्राप्त पशु और जूनोटिक रोगों के समय पर निदान और रिपोर्टिंग के लिए NERDDL ने नोडल क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया, जिसमें असम और अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभिक प्रकोपों सहित अफ्रीकी स्वाइन फीवर का शीघ्र पता लगाने, पुष्टि करने और निरंतर निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रयोगशाला ने ASF, AIV, LSD और PRRS जैसी उभरते और सीमा–पार रोगों के लिए गुणवत्ता–सुनिश्चित निदान प्रदान किया और वर्ष 2025 में 1,181 एएसएफ नमूनों का परीक्षण किया। NERDDL ने वन्यजीवों और संरक्षित क्षेत्रों को नैदानिक सहायता प्रदान करके, वन विभाग के साथ राष्ट्रीय उद्यान सीमावर्ती (Fringe) क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके और पिग्मी हॉग संरक्षण केंद्र और असम राज्य चिड़ियाघर सहित वन्यजीवों और बंदी पशुओं की व्यवस्थित निगरानी करके वन हेल्थ निगरानी को भी मजबूत किया, जिससे वन्यजीव संरक्षण और जैव सुरक्षा को समर्थन मिला।

6-8-1-5 ERDDL] dksydkrk

पश्चिम बंगाल के पशु संसाधन विकास विभाग की ओर से ERDDL, कोलकाता ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध और कुत्तों द्वारा फैलने वाले रेबीज उन्मूलन पर राज्य कार्य योजना तैयार की और अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की, और ICAR–IVRI, कोलकाता के पूर्वी क्षेत्रीय स्टेषन के सहयोग से NADEN योजना के अंतर्गत जुगाली करने वाले छोटे पशुओं में पीपीआर, बकरी चेचक, एफएमडी, ब्लू टंग और ब्रसेलोसिस के लिए रोग निगरानी का संचालन किया।

6-8-1-6 SRDDL] csaxyq:

SRDDL और IAH और VB की FSL प्रयोगशाला ने दिसंबर 2025 तक रोग निदान के लिए 40,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करते हुए चामराजनगर में पांच बाघों, बेलगांव चिड़ियाघर में काले हिरणों की मृत्यु के कारणों का सफलतापूर्वक निदान किया और बेंगलुरु और मैसूरु में ग्लैंडर्स के मामलों की पुष्टि की। संस्थान को कर्नाटक सरकार के ASCAD SCLD कार्यक्रम के तहत ब्रुसेला सीरो–मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत एलिसा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने की परियोजना से सम्मानित किया गया है।

¼d½

¼[k½

d½ कित्तुरु रानी चेन्नम्मा मिनी चिड़ियाघर, भुटारामनहट्टी, बेलगावी, कर्नाटक में काले हिरण की मृत्यु की जांच प्रक्रिया। [k½ कर्नाटक के डोड्डाबल्लापुरा में बंदरों की मृत्यु दर की जांच प्रक्रिया

6-9 vk;kftr dk;Øe vkj miyfC/k;k

6-9-1 WOAH PVS&ifCyd&fu th Hkkxhnkjh PPP&yf{kr dk;l’kkyk

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के सहयोग से पशु चिकित्सा प्रणाली के प्रमुख क्षेत्रों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित भागीदारी (PPP) लक्षित सहायता कार्यकलाप का संचालन किया। चिह्नित विषयों में वैक्सीन प्लेटफॉर्म और पशु चिकित्सा वैक्सीन मूल्य श्रृंखला, सामुदायिक पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर जोर देते हुए पशु चिकित्सा कार्यबल विकास, व्यापार को सुगम बनाने के लिए पशु चिकित्सा संस्थागत और प्रयोगशाला अवसंरचना को सुदृढ़ करना और खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) मुक्त क्षेत्रों की स्थापना शामिल थी। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच सहयोगात्मक क्षमताओं को बढ़ाना था और इसे एक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित किया गया जिसमें तैयारी चरण, एक राष्ट्रीय कार्यशाला और एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल था। इस कार्यशाला में राज्य पशुपालन विभागों, पशु चिकित्सा परिषदों, रोग निदान प्रयोगशालाओं, ICAR अनुसंधान संस्थानों, स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए एजेंट (ए–हेल्प), भारतीय कृषि कौशल परिषद, केंद्रीय औषधिमानक नियंत्रण संगठन, निजी क्षेत्र के हितधारकों, भारतीय पशु स्वास्थ्य कंपनियों के परिसंघ (INFAH), टीका निर्माताओं, खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व बैंक के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान, विश्व पशु संघ के सात विशेषज्ञों ने चर्चाओं का संचालन किया और संसाधन जुटाने, जोखिम प्रबंधन और हितधारकों के एकीकरण के लिए पीपीपी रणनीतियों को परिभाषित किया। कार्यशाला का समापन पशु चिकित्सा क्षेत्र के लिए पीपीपी रोडमैप की प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसमें पशु चिकित्सा सेवाओं, रोग निगरानी और पशुधन उत्पादकता को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

6-9-2 Hkkjr dk iLV Ml ifVVl :feuUVl ¼PPR½ fu;=.k dk;Øe dk leFkZu gr WOAH fo’k”kK fe’ku

भारत के छोटे पशुओं में होने वाली संक्रामक बीमारी (PPR) को नियंत्रित करने और उसके उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों का आकलन करने हेतु WOAH विशेषज्ञ मिशन का आयोजन 17 से 24 फरवरी 2025 तक किया गया, इस मिशन का उद्देश्य भेड़ और बकरियों को प्रभावित करने वाले अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग पीपीआर को नियंत्रित करने और उन्मूलन के लिए रणनीतिक टीकाकरण, निगरानी, निदान और मजबूत रोग प्रबंधन उपायों के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करना था। WOAH के 4 स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम ने पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया और 4 राज्यों तथा अनुसंधान संस्थानों जैसे ICAR–भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली, ICAR–राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान, बैंगलोर, SRDDL, बैंगलोर आदि का दौरा किया और उन्होंने भारत के पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम के WOAH द्वारा समर्थन हेतु सिफारिशों का एक सैट प्रस्तुत किया। यह वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप, वर्ष 2030 तक पीपीआर उन्मूलन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

6-9-3 % ICAR-NIHSAD] Hkkiky e J.kh , fjMjiLV gkfYMx lfo/kk dk l;ä LFky fujh{k.k vkj ekU;rk

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा भोपाल स्थित ICAR–राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) को श्रेणी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी (RHF) के रूप में मान्यता के साथ भारत ने वैश्विक पशु स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसकी घोषणा दिनांक 29 मई 2025 को पेरिस में आयोजित 92वें WOAH महासभा सत्र के दौरान की गई, जहां पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव और भारत

के WOAH प्रतिनिधि को औपचारिक रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। दिनांक 18 से 22 मार्च 2025 के दौरान 4 विशेषज्ञों द्वारा किए गए संयुक्त FAO-WOAH निरीक्षण के बाद, संस्थान को इसकी सुदृढ़ जैव सुरक्षा प्रणालियों, रिंडरपेस्ट वायरस युक्त सामग्री (RVCM) के प्रभावी इन्वेंट्री प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियों को देखते हुए एक वर्ष के लिए अनुमोदित किया गया। इस मान्यता के साथ भारत विश्व स्तर पर चुनिंदा छह संस्थानों में शामिल हो गया है जिन्हें रिंडरपेस्ट वायरस सामग्री के सुरक्षित अभिरक्षण का जिम्मा सौंपा गया है, जो वैश्विक पशु स्वास्थ्य, जैव सुरक्षा और वन हेल्थ ढांचे में देश के निरंतर नेतृत्व को मजबूत करता है।

दिनांक 29 मई 2025 को पेरिस, फ्रांस में एएचडी के सचिव और डब्ल्यूओएएच के भारतीय प्रतिनिधि FAO-WOAH के महानिदेशक से FAO-WOAH रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी की मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए।

6-9-4 fo'o i'kq fpfdRlk fnol lekjksg

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने दिनांक 26 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करके विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 मनाया। इस कार्यशाला में पशुधन स्वास्थ्य, ग्रामीण आजीविका और राष्ट्रीय जैव सुरक्षा की रक्षा में पशु चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए माननीय राज्य मंत्री (FAHD और पंचायती राज) प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने पशु चिकित्सकों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, देशी नस्ल विकास, उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकियों, डिजिटल पशुधन प्रणालियों और पशुओं से फैलने वाले रोगों से निपटने के लिए 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण सहित प्रमुख राष्ट्रीय पहलों पर प्रकाश डाला। FAO के सहायक महानिदेशक और मुख्य पशु चिकित्सक डॉ. थानवत तिएनसिन ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया और वैश्विक 'वन हेल्थ' प्रयासों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और उन्होंने पशु स्वास्थ्य तैयारियों के लिए महामारी निधि के अंतर्गत देश को हाल ही में मिली मान्यता

की भी प्रशंसा की, जो पशु चिकित्सा जन स्वास्थ्य में भारत के नेतृत्व का एक प्रमुख वैश्विक समर्थन है। ''पशु स्वास्थ्य के लिए एक टीम' की आवश्यकता है'' की वैश्विक थीम के अनुरूप, कार्यशाला में किफायती पशु चिकित्सा देखभाल, जूनोटिक रोग निवारण और एकीकृत निगरानी पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, और इसमें 250 से अधिक प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों और 3,000 आभासी प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो पशु स्वास्थ्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने में मजबूत राष्ट्रीय भागीदारी को दर्शाता है।

दिनांक 26 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में विश्व पशु चिकित्सा दिवस समारोह आयोजित किया गया।

6-9-5 % fo'o i'kq LokLF; laxBu ¼WOAH½ dk 92 oka vke l= & 25 ls 29 ebZ 2025

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के प्रतिनिधियों की विश्व सभा का 92 वां आम सत्र दिनांक 25 से 29 मई 2025 तक पेरिस (फ्रांस) के मैसन डेला केमिस्ट्री में आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता सभा की अध्यक्ष डॉ. सुज़ाना पोम्बो (पुर्तगाल) और WOAH की महानिदेशक डॉ. एमानुएल सोबेरन ने की। इस कार्यक्रम में 131 WOAH सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों, पर्यवेक्षक देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, प्रमुख हितधारकों और 11 देशों के मंत्रियों सहित 1,100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पशुपालन और डेयरी सचिव और डब्ल्यूओएएच की भारतीय प्रतिनिधि, अपर सचिव (LH) और संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्यिकी) ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के प्रतिनिधियों की विश्व सभा के 92 वें आम सत्र में भाग लिया।

आम सत्र के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने WOAH के महानिदेशक से अलग से मुलाकात की और WOAH की नई पहलों पर चर्चा की, जिनमें FMD मुक्त क्षेत्रीकरण, संदर्भ प्रयोगशालाओं की मान्यता, AMR और AMU तथा वर्गीकरण शामिल हैं। इसके अलावा, ADG, FAO, DG, ILRI, AU-IABR के निदेशक, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे, यूक्रेन, मोरक्को, चिली, मैक्सिको और न्यूजीलैंड के पशुपालन विभाग के प्रमुखों और सार्क देशों के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों से भी अलग से मुलाकातें की गईं।

एएचडी की सचिव और डब्ल्यूओएएच के भारतीय प्रतिनिधि की WOAH के महानिदेशक के साथ द्विपक्षीय बैठक

6-9-6 v'oh; ik;jksIykTeksfll ds fy, WOAH lnHkZ ç;ksx'kkyk dh ekU;rk

भारत ने हिसार स्थित ICAR–राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में स्थित अश्व पायरोप्लाज्मोसिस प्रयोगशाला को WOAH के अश्व पायरोप्लाज्मोसिस संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में मान्यता देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। डब्ल्यूओएचए ने आवेदन को अनुमोदित कर दिया है और हिसार स्थित ICAR–राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में स्थित अश्व पायरोप्लाज्मोसिस प्रयोगशाला को डब्ल्यूओएचए संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में नामित किया है।

यह वैश्विक मान्यता भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं, निदान संबंधी अवसंरचना को बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने में नेतृत्व करने के लिए डीएएचडी की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

डब्ल्यूओएच संदर्भ प्रयोगशाला का यह दर्जा न केवल अनुसंधान और निदान में उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, बल्कि वैश्विक पशु स्वास्थ्य में भारत के योगदान को बढ़ावा देने में डीएएचडी की भूमिका को भी मजबूत करता है। रोग नियंत्रण के लिए परस्पर जुड़े वैश्विक दृष्टिकोण के प्रति डीएएचडी का विजन इस उपलब्धि में परिलक्षित होता है, जो ज्ञान के आदान–प्रदान को बढ़ावा देगा और पशु स्वास्थ्य नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा।

6-9-7 ,fo;u bU¶yq,atk ds fy, dEikVZesVykbts'ku

पोल्ट्री और पोल्ट्री संबंधित उत्पादों के व्यापार को सुगम बनाने के लिए, विभाग ने अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा से मुक्त पोल्ट्री कम्पार्टमेंट को घोषित करने की विधि अपनाई है। यह वर्गीकरण पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने और कम्पार्टमेंट के भीतर और बाहर रोग फैलने के जोखिम को कम करने का एक साधन है। वर्गीकरण में राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर एक विशिष्ट स्वास्थ्य स्थिति वाले पशु उप–समूह को परिभाषित करना शामिल है। यह स्थिति जैव सुरक्षा से संबंधित प्रबंधन और पशुपालन प्रथाओं के माध्यम से बनाए रखी जाती है, जो WOAH स्थलीय संहिता (अध्याय 4.4 और 4.5) के मानकों और संबंधित रोग अध्यायों में दी गई अनुशंसाओं पर आधारित है।

पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारत के 44 पोल्ट्री कम्पार्टमेंटों में उच्च रोगजनकता वाले एवियन इन्फ्लूएंजा से मुक्त होने की स्व–घोषणा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) को प्रस्तुत की थी, जिसे अक्टूबर 2025 में अनुमोदन मिल गया और अब इसे उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। ये पोल्ट्री संस्थाएं देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में स्थित हैं।

6-9-8 v'o jksx eqä dEikVZesV

पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और 3 जुलाई 2025 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा देश के पहले अश्व रोग–मुक्त कंपार्टमेंट (EDFC) को मान्यता दी गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी स्थित रिमाउंट पशु चिकित्सा कॉर्प्स (RVC) केंद्र एवं महाविद्यालय में WOAH स्थलीय पशु स्वास्थ्य संहिता के अनुरूप स्थापित, EDFC सख्त जैव सुरक्षा, निगरानी और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के

माध्यम से खेल में इस्तेमाल होने वाले भारतीय घोड़ों के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को सक्षम बनाता है। इस कंपार्टमेंट को आधिकारिक तौर पर अश्व संक्रामक एनीमिया, अश्व इन्फ्लूएंजा, अश्व पायरोप्लाज्मोसिस, ग्लैंडर्स और सुर्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है, और भारत वर्ष 2014 से अफ्रीकी हॉर्स सिकनेस से मुक्त है। डीएएचडी, रक्षा मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और घुड़सवारी से जुड़े हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से प्राप्त यह उपलब्धि भारत की रोग–तैयारी को मजबूत करती है, घुड़सवारी खेलों और उच्च मूल्य वाले अश्व व्यापार के विकास में सहयोग देती है और सुरक्षित व्यापार सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्यपूर्ण, विज्ञान–आधारित वर्गीकरण दृष्टिकोण अपनाने के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

6-9-9 XyMl jkx d fu;=.k vkj mUeyu d fy, jk”Vh; dk;l ;ktuk dk l’kk/ku

पशुपालन और डेयरी विभाग ने अगस्त 2025 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, ICAR विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर भारत में ग्लैंडर्स रोग के नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को संशोधित किया। मूल रूप से वर्ष 2015 में जारी और 2019 में पहले ही अद्यतन की गई इस संशोधित कार्य योजना में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और परिचालन संबंधी सुधार शामिल हैं। जिसमें वर्तमान संशोधन (2025) भी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण अपडेट भी शामिल हैं, जिनमें संक्रमित क्षेत्र की त्रिज्या में कमी, निगरानी क्षेत्र की सीमा का पुनर्परिभाषित होना, अद्यतन सीमाओं के अनुरूप संशोधित आवागमन प्रतिबंध और वर्तमान वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुरूप निदान एवं परीक्षण प्रोटोकॉल में संशोधन शामिल हैं, जिससे रोग नियंत्रण एवं उन्मूलन प्रयासों को मजबूती मिलती है।

6-10 egkekjh fuf/k ifj;ktuk d vrxr dk;ldyki% egkekjh dh r;kjh vkj çfrfØ;k d fy, Hkkjr e i’k LokLF; lj{kk l–<hdj.k

भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) जी 20 महामारी निधि के अंतर्गत 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता से ''महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण'' परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना का औपचारिक शुभारंभ दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को हुआ था और इसे तीन कार्यान्वयन संस्थाओं – एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व बैंक और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, यह परियोजना महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु वन हेल्थ दृष्टिकोण अपना रही है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परियोजना, योजना चरण से प्रारंभिक चरण के कार्यान्वयन की ओर अग्रसर है, जिसमें प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण, निगरानी प्रणाली, मानव संसाधन क्षमता विकास, डेटा प्रणाली और संस्थागत समन्वय शामिल हैं।

1. प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरणः प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण रोडमैप के अंतर्गत, प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रणालियों, अवसंरचना और जैव सुरक्षा में सुधार के लिए छह क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं (RDDL), एक केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (CDDL) और राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान (NIAH), बागपत के लिए ISO/IEC 17025 प्रत्यायन हेतु व्यापक मूल्यांकन पूर्ण किए गए हैं। इस प्रक्रिया में प्रयोगशालाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा भी तैयार की गई है, जिनमें सीमा पार और जूनोटिक रोग, रोगजनक लक्षण वर्णन और रोगाणुरोधी प्रतिरोध शामिल हैं। इसके साथ ही, उपकरण संवर्धन और प्रयोगशाला कर्मियों की क्षमता के सुदृढ़ीकरण संबंधी आवश्यकताओं की भी पहचान की गई है।

2. निगरानी प्रणालीः पशु रोगों का शीघ्र पता लगाने और उनकी रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए, डीएएचडी ने निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी तंत्र में सुधार के लिए प्रारंभिक तैयारी की, जिसमें विशेषज्ञों और हितधारकों की भागीदारी के साथ अप्रैल 2025 में आयोजित ऐप–आधारित क्षेत्र और सामुदायिक स्तर की रोग रिपोर्टिंग प्रणालियों पर एक राष्ट्रीय विचार–विमर्श कार्यशाला शामिल है।

3. मानव संसाधन क्षमता विकासः परियोजना ने पशु स्वास्थ्य और एक स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन क्षमता को मजबूत करने में निरंतर प्रगति की है। सेवाकालीन अनुप्रयुक्त पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान प्रशिक्षण (ISAVET) कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है, और 17 मास्टर प्रशिक्षकों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है।

4. डेटा सिस्टम और संस्थागत समन्वयः राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रभावी समन्वय और स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए, महामारी निधि अनुदान के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय कार्यशाला 26–27 जून 2025 को महाबलीपुरम, चेन्नई में आयोजित की गई, जिसमें 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों/संस्थागत विकास एजेंसियों, प्रयोगशालाओं और प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य परियोजना के उद्देश्यों, कार्यान्वयन विधियों और अंतर–संस्थागत समन्वय तंत्रों की साझा समझ विकसित करना था, ताकि राज्यों में परियोजना कार्यकलापों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो सके।

विश्व बैंक के सहयोग से सतत पशुधन और स्वास्थ्य के लिए पशु चिकित्सा जैव–अपशिष्ट प्रबंधन पर एक तकनीकी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस परामर्श का मुख्य उद्देश्य पशुधन से उत्पन्न अपशिष्ट और पशु चिकित्सा जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना; सार्वजनिक और निजी हितधारकों से प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों का दस्तावेजीकरण करना; नियामक, अवसंरचनात्मक, वित्तीय और क्षमता संबंधी कमियों की पहचान करनाय और बायोगैस, जैविक उर्वरक, अपशिष्ट–व्युत्पन्न मूल्यवर्धित उत्पाद और सुरक्षित शव निपटान मॉडल जैसे व्यापक और सतत समाधानों की खोज करना था। परामर्श का उद्देश्य राष्ट्रीय दिशा–निर्देशों के विकास, अंतर–क्षेत्रीय समन्वय को सुदृढ़ करने और क्षमता निर्माण एवं वित्त तक पहुंच के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करने सहित आगे बढ़ने के तरीके पर आम सहमति बनाना भी था।

6-11 n'k dh jkxeqfä dh fLFkfr%

1. WOAH द्वारा सत्यापित आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वर्ष 2025 के दौरान निम्नलिखित रोगों से मुक्त रहने का अपना दर्जा बरकरार रखा।

2. बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी (BSE) का नगण्य जोखिम स्तर

3. संक्रामक बोवाइन प्लुरोनिमोनिया (CBPP) से मुक्ति

4. अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस (AHS) से मुक्ति

****

अध्याय-7

i’k|ikyu lkf[;dh

i’kqikyu lkaf[;dh

अध्याय 7

विश्वसनीय डेटा और आधिकारिक सांख्यिकी के आधार पर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आकार मिल रहा है, जिसमें पशुधन को आजीविका, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस परिवर्तन से संबंधित जानकारी का प्रमुख स्रोत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) का पशुपालन सांख्यिकी (AHS) प्रभाग है। इस गतिशील क्षेत्र को सतत विकास की ओर अग्रसर करने के लिए, DAHD साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने हेतु सटीक और समय पर उपलब्ध डेटा को प्राथमिकता देता है। AHS प्रभाग इस महत्वपूर्ण कार्य को दो प्रमुख स्रोतों की सहायता से पूरा करता है: एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (AHS) नामक वार्षिक सर्वेक्षण जो प्रमुख पशुधन उत्पादों (MLP) : दूध, अंडे, मांस और ऊन के उत्पादन का अनुमान लगाता है और पशुधन संगणना (LC), जिसके अंतर्गत प्रत्येक पांच वर्ष में सभी पशुधन और पोल्ट्री की पूर्ण रूप से गणना की जाती है। डेटा संग्रह के ये दो स्तंभ मिलकर संख्याओं को उपयोगी ज्ञान में परिवर्तित करते हैं, जिससे पशु स्वास्थ्य में सुधार, पशु चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने, संसाधनों की योजना बनाने और संपूर्ण पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक मान्य डेटा प्राप्त होते हैं। यह ज्ञान किसानों के लिए साक्ष्य–आधारित कार्यक्रम बनाने, पशु देखभाल में सुधार करने और पशुधन क्षेत्र को एक मजबूत, सतत भविष्य की ओर अग्रसर करने में मदद करता है, जिससे अंततः ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण होता है।

7-1 ,dh–r uewuk losZ{k.k ¼ISS½

çeq[k i'kq/ku mRiknksa dk vuqeku yxkuk% यह राष्ट्रव्यापी योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (UT) में कार्यान्वित की गई है और समय पर MLP अनुमानों के निर्माण को सुनिश्चित करती है, जो नीति निर्माण और कार्यनीतिक योजना के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हों।

dk;kZUo;u ds fy, dsaæh; lgk;rk vkSj QhYM&Lrjh; lg;kx % ;g ;kstuk dsaæ ljdkj ls lgk;rk çkIr djrh g% राज्यों के लिए 50%, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90% और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%, जो पात्र कार्मिकों के वेतन को कवर करती है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार की पूर्ण सहायता से फील्डवर्क के लिए TA/DA, ISS सॉफ्टवेयर और कार्यप्रणाली में पुनश्चर्या (refresher) प्रशिक्षण और सुचारू संचालन के लिए आईटी समाधानों के एकीकरण के माध्यम से संगणकों और पर्यवेक्षकों को सहायता प्रदान की जाती है।

losZ{k.k dk pØ vkSj vkf/kdkfjd lkaf[;dh dk çdk’ku% यह सर्वेक्षण मार्च से फरवरी तक चलता है, जिसे तीन अलग–अलग ऋतुओं – ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु में विभाजित किया गया है। राज्य/संघ राज्य स्तर पर संकलित मौसमी अनुमानों को एकत्रित करके वार्षिक अनुमान तैयार किए जाते हैं, जो मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी (BAHS) के वार्षिक प्रकाशन में प्रकाशित होते हैं। नवीनतम संस्करण, BAHS 2025, जो 26 नवंबर, 2025 को जारी किया गया, इस क्षेत्र के प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें भारत की पशुधन अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है।

7-2 çeq[k i’kq/ku mRiknksa dh lkaf[;dh

7-2-1 çfr O;fä miyC/krk vkSj nw/k mRiknu dh çfr’kr fgLlsnkjh

भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जो वर्ष 2014–15 में 319 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 485 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। यह 166 ग्राम प्रतिदिन की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है जो एक दशक में लगभग 52% की वृद्धि

है। इस निरंतर वृद्धि का श्रेय सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों, जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम तथा पशु–प्रजनन, चारा प्रबंधन और पशु चिकित्सा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति, को दिया जा सकता है। रोगों के प्रकोप जैसी चुनौतियों के बावजूद, डेयरी क्षेत्र की दृढ़ता ने पूरे देश में पोषण सुरक्षा और खाद्य उपलब्धता में निरंतर अपना योगदान सुनिश्चित किया है।

ग्राफ 1: दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

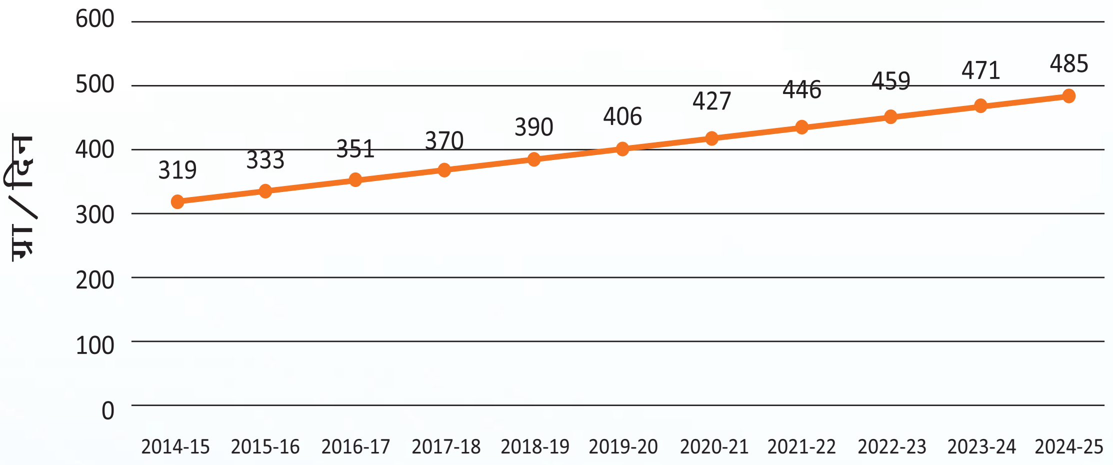

o"kZ 2024&25 esa 5 çeq[k nq/k mRiknd jkT;ksa dk nq/k mRiknu esa çfr'kr fgLlk

वर्ष 2024–25 में भारत के राज्य–वार दूध उत्पादन वितरण ने डेयरी क्षेत्र में एक संतुलित लेकिन विविधतापूर्ण फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश (15.66%) और राजस्थान (14.82%) जैसे कुछ प्रमुख राज्य दूध उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश (9.12%), गुजरात (7.78%) और महाराष्ट्र (6.71%) का स्थान महत्वपूर्ण है। वहीं, शेष राज्यों का सामूहिक उत्पादन भी काफी है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 45.91% है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि कुछ क्षेत्र उत्पादन में अग्रणी हैं, फिर भी दूध उत्पादन पूरे देश में व्यापक रूप से फैला हुआ आर्थिक कार्यकलाप है, जिसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों के महत्वपूर्ण योगदान से और भी बल मिलता है। ये सभी राज्य मिलकर भारत के डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता और सुदृढ़ता में वृद्धि करते हैं।

ग्राफ 2: वर्ष 2024–25 के दौरान दूध उत्पादन में राज्य–वार प्रतिशत हिस्सेदारी

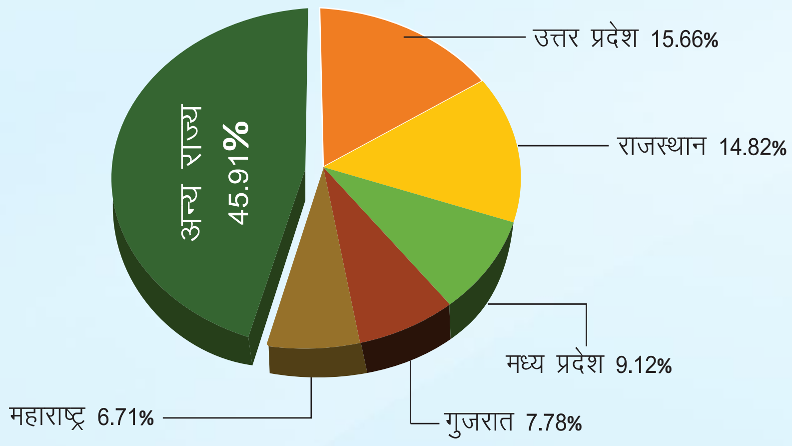

7-2-2 çfr 0;fä miyC/krk vkj vM dk mRiknu e çfr'kr fgLlnkjh

भारत में अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2014–15 से वर्ष 2024–25 तक स्पष्ट रूप से बढ़ी है, जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 62 से बढ़कर 106 अंडे हो गई है। यह ग्यारह वर्षों की अवधि में व्यक्तिगत खपत में 71% की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, आंकड़ों से पता चलता है कि हाल ही में इसमें लगातार वृद्धि हुई है, और वर्ष 2024–25 में उपलब्धता 106 अंडों तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष 2023–24 में दर्ज 103 अंडों से 3 यूनिट अधिक है।

ग्राफ 3: अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

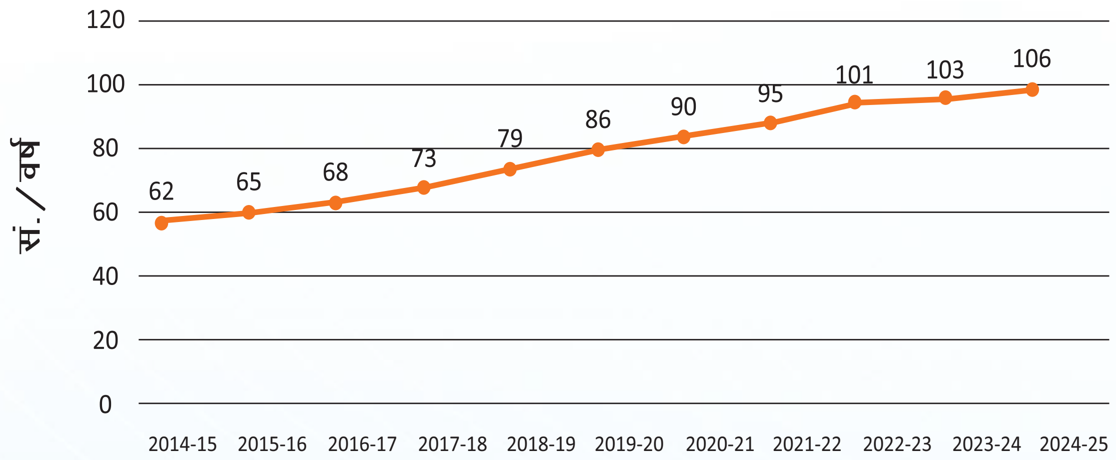

o"k 2024&25 e vMk mRiknu e 5 çeq[k jkT;k dh çfr'kr fgLlnkjh

आंध्र प्रदेश भारत में अंडा उत्पादन में 18.37% की हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है, इसके बाद तमिलनाडु 15.63% और तेलंगाना 12.98% क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ये तीनों दक्षिणी राज्य मिलकर देश के कुल अंडा उत्पादन का लगभग आधा (46.98%) हिस्सा उत्पादित करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण योगदान कर्ताओं में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय उत्पादन में 5% से अधिक का योगदान देता है।

ग्राफ 4: वर्ष 2024–25 के दौरान अंडा उत्पादन में राज्य–वार प्रतिशत हिस्सेदारी

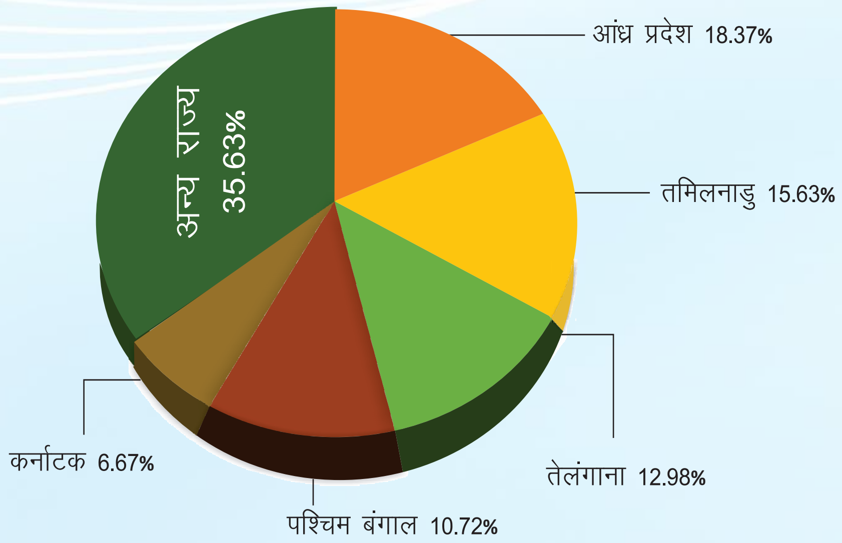

7-2-3 çfr O;fä miyC/krk vkj ekal mRiknu esa çfr'kr fgLlsnkjh

भारत में मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2014–15 में 5.52 किलोग्राम प्रति वर्ष से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 7.50 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गई है, जो लगभग 36% की वृद्धि को दर्शाता है। यह स्थिर वृद्धि पोल्ट्री उत्पादन के विस्तार के कारण है, जो देश के मांस उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग और प्रोटीन युक्त आहार के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा बेहतर पशुधन प्रबंधन पद्धतियों का भी इसमें योगदान रहा है।

ग्राफ 5: मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

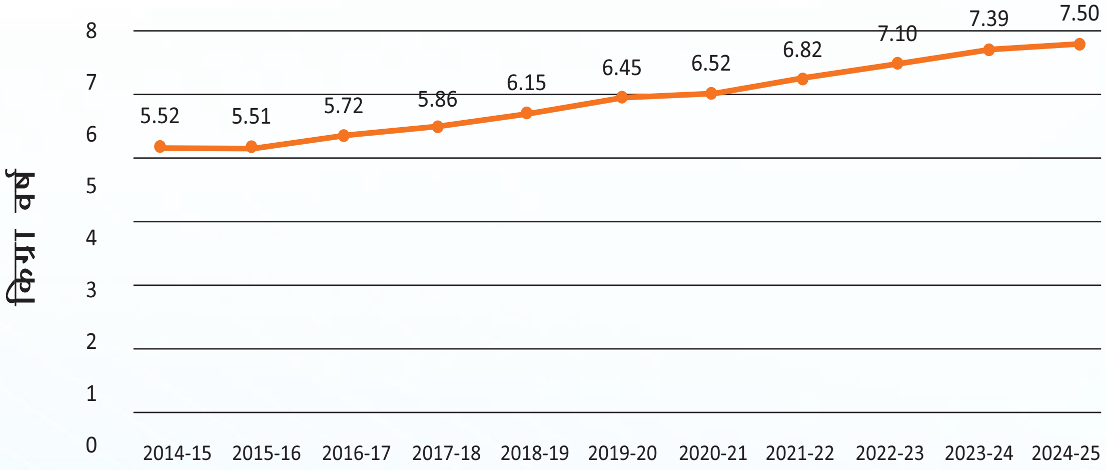

देश में मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी है, जो कुल उत्पादन में 12.46% का योगदान देता है। उत्तर प्रदेश 12.20% के साथ इसके ठीक पीछे है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जो कुल मांस उत्पादन में लगभग 11.57% का योगदान देता है।

ग्राफ 6: वर्ष 2024–25 के दौरान मांस उत्पादन में राज्य–वार प्रतिशत हिस्सेदारी

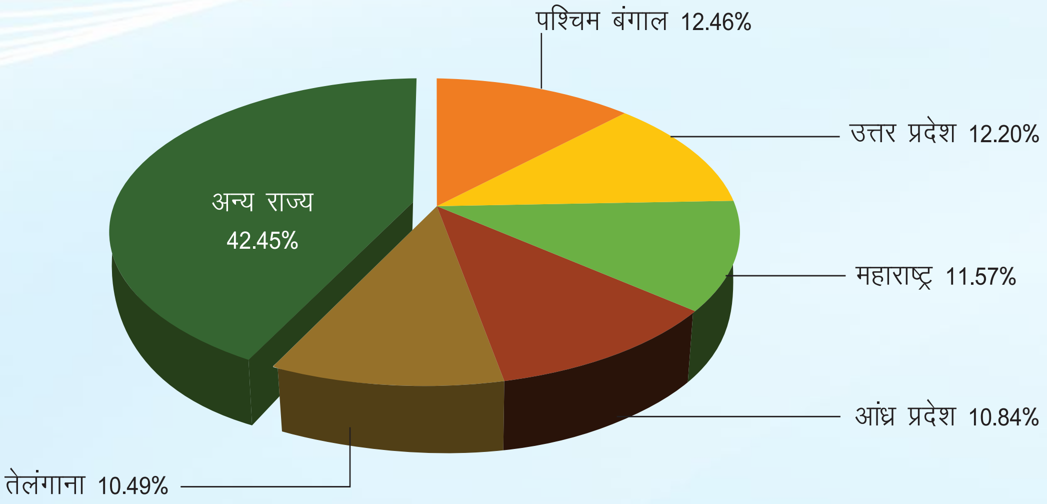

7-2-4 Åu mRiknu dk çfr'kr fgLlk

भारत के ऊन उद्योग में क्षेत्रीय स्तर पर उल्लेखनीय मजबूती देखने को मिलती है, जिसमें राजस्थान सबसे अग्रणी योगदानकर्ता है, जो देश के लगभग आधे (47.85%) ऊन का उत्पादन करता है। 22.88% के महत्वपूर्ण योगदान के साथ जम्मू और कश्मीर भी अग्रणी भूमिका निभाता है, जो एक मजबूत उत्पादन साझेदारी को दर्शाता है। ये दोनों राज्य मिलकर एक सशक्त आधार बनाते हैं, जो देश के कुल उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा है। इसके अलावा, गुजरात का 5% से अधिक का उल्लेखनीय योगदान इस उद्योग के अन्य क्षेत्रों में मौजूद उम्मीद और बढ़ती संभावनाओं को उजागर करता है।

ग्राफ 7: वर्ष 2024–25 के दौरान ऊन उत्पादन में राज्य–वार प्रतिशत हिस्सेदारी

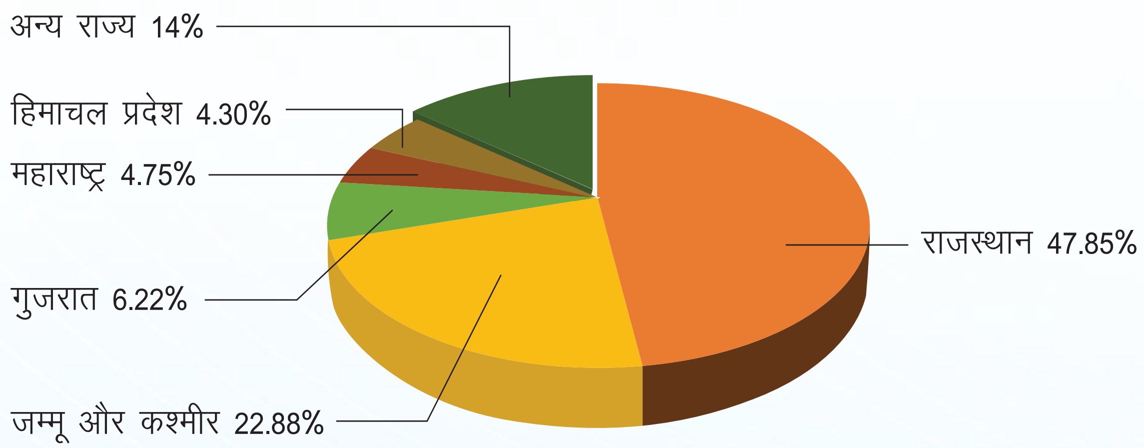

7-3 i'kq/ku dk vk;kr@fu;kZr

7-3-1 fu;kZr ¼djksM+ #i, eas½

पशुधन निर्यात का कुल मूल्य वर्ष 2021–22 में 43,964.14 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 63,474.14 करोड़ रुपए हो गया, जिसका मुख्य कारण मांस और मांस के खाद्य अपशिष्टों की श्रेणी में वृद्धि थी, जो 25,156.19 करोड़ रुपए से बढ़कर 35,225.8 करोड़ रुपए हो गई। डेयरी उत्पादन में काफी अस्थिरता देखी गई, बीच के वर्षों में इसमें गिरावट आई, लेकिन वर्ष 2024–25 में यह बढ़कर 4,181.72 करोड़ रुपए हो गया, जबकि अंडे के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई, हालांकि वर्ष 2024–25 में इसमें थोड़ी गिरावट आई। इस क्षेत्र के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी व्यापारिक गतिशीलता है। भारत कई श्रेणियों में शुद्ध निर्यातक है, जिसमें 'मांस और मांस के खाद्य अपशिष्ट' का निर्यात मूल्य सबसे अधिक है, और बाहरी मांग में वृद्धि को दर्शाते हुए इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है।

rkfydk 1 % fu;kZr ¼djksM+ #i, eas½

0;kid leg	o"kZ 2021&22	o"kZ 2022&23	o"kZ 2023&24	o"kZ 2024&25
मांस और खाद्य मांस अपशिष्ट	25,156.19	26,278.95	31,746.7	35,225.8
डेयरी उत्पाद	2,930.01	2,273.3	2,261	4,181.72
अंडा और अंडा उत्पाद	476.4	1,000.45	1,437.76	1,307.83

अपरिष्कृत (Raw) ऊन	111.55	136.64	78.35	83.53
अन्य मदें*	15,289.88	237,50.19	26,858.45	22,675.26
सभी समूह (कुल पशुधन)	43,964.14	53,439.13	62,382.26	63,474.14

'जीवित पशु, पशु आहार और चारा तथा अपरिष्कृत खाल, त्वचा और चमड़ा

ग्राफ 8: वर्ष 2021—22 से वर्ष 2024—25 के दौरान पशुधन उत्पादों के निर्यात का मूल्य

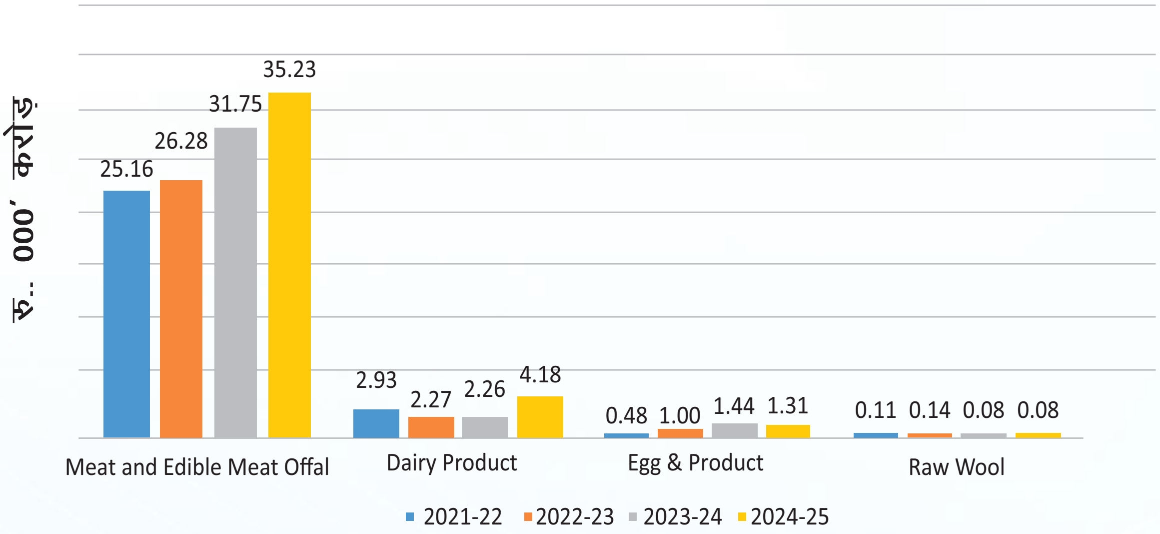

7-3-2 vk;kr

वर्ष 2021—22 से वर्ष 2024—25 तक भारत का पशुधन आयात मुख्य रूप से ''अन्य पशुधन उत्पादों'' से प्रेरित था, जिसमें पशु आहार और चारा, अपरिष्कृत खाल और चमड़ा शामिल हैं। गिरावट के बावजूद, इनका हिस्सा लगातार बड़ा बना रहा और यह 12,533 करोड़ रुपए से घटकर 9,741 करोड़ रुपए की रही। इसी अवधि (वर्ष 2021—22 से वर्ष 2024—25) के दौरान, मुख्य खाद्य पदार्थों के आयात में मजबूत वृद्धि देखी गई, जैसे मांस और खाद्य का आयात दोगुने से अधिक हो गया, और डेयरी उत्पादों में वर्ष 2024—25 में वर्ष 2021—22 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अपरिष्कृत ऊन का निर्यात पर्याप्त लेकिन स्थिर रहा। कुल मिलाकर, कुल पशुधन आयात 14,593 करोड़ रुपए से घटकर 12,149 करोड़ रुपए हो गया, जो दर्शाता है कि मांस और डेयरी में हुई वृद्धि, प्रमुख ''अन्य पशुधन उत्पाद'' श्रेणी में आई गिरावट से कम हो गई, जो इस क्षेत्र के आयात प्रदर्शन को प्रभावित करती रहती है।

rkfydk 2 % vk;kr ¼djksM+ #i, eas½

0;kid leg	2021&22	2022&23	2023&24	2024&25
मांस और खाद्य मांस अपशिष्ट	30.72	48.49	55	64.65
डेयरी उत्पाद	202.16	329.75	476.76	356.35
अंडा और अंडा उत्पाद	4.05	4.27	7.12	9.38
अपरिष्कृत ऊन	1822.79	2095.54	2063.17	1977.54
अन्य पशुधन उत्पाद*	12533.03	10290.61	8817	9741.18
सभी समूह (कुल पशुधन)	145,92.75	12768.66	11419.05	12149.1

*जीवित पशु, पशु आहार और चारा तथा अपरिष्कृत खाल, त्वचा और चमड़ा

ग्राफ 9: वर्ष 2021—22 से वर्ष 2024—25 के दौरान पशुधन उत्पादों के आयात का मूल्य

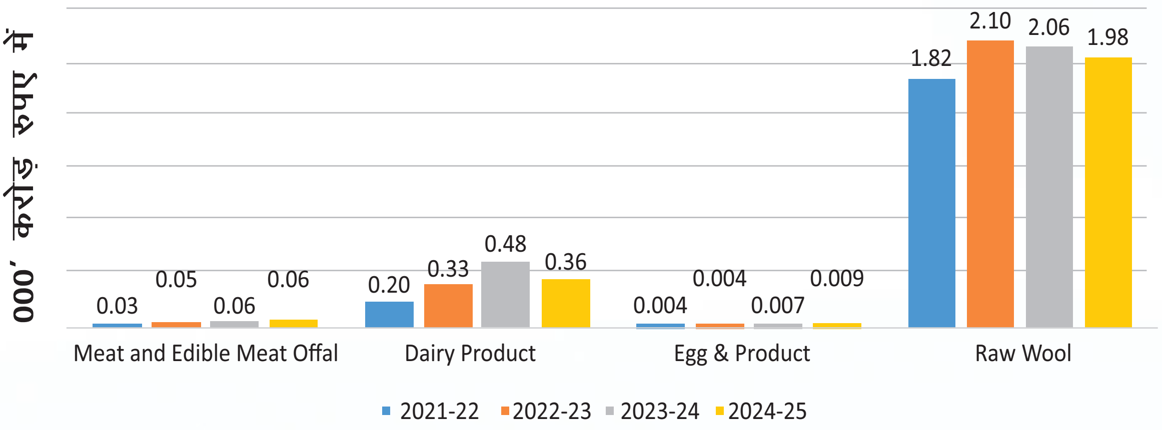

7-4 çeq[k i'kq/ku mRiknksa dh fy, Hkkjr dk vkRefuHkZjrk vuqikr ¼SSR½

भारत के पशुधन क्षेत्र ने वर्ष 2021—22 से वर्ष 2024—25 तक काफी वृद्धि की है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उत्पादन, निर्यात और आयात के बीच परस्पर संबंध को आत्मनिर्भरता अनुपात (SSR) द्वारा सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जो घरेलू उत्पादन द्वारा पूरी की गई घरेलू खपत के अनुपात को मापता है। भारत पोषण संबंधी प्रमुख वस्तुओं में सुदृढ़ आत्मनिर्भरता प्रदर्शित करता है।

rkfydk 3 % çeq[k i'kq/ku mRiknksa dk vkRefuHkZjrk vuqikr ¼SSR½

vkRefuHkZjrk vuqikr ¼SSR½ ¼%½				
o"kZ	nw/k	iksYVªh lfgr ekal	vaMk	Åu
2021-22	~100.24%	~112.61%	~101.38%	~ 38.87%
2022-23	~100.23%	~112.28%	~100.66%	~ 45.36%
2023-24	~100.08%	~112.62%	~100.21%	~ 47.72%
2024-25	~100.23%	~112.16%	~101.29%	~ 31.54%

***नोट: अंडे के उत्पादन के आंकड़े संख्या में दिए गए हैं, लेकिन आयात और निर्यात के आंकड़े किलोग्राम में हैं, इसलिए किलोग्राम को संख्या में परिवर्तित करने के लिए, कृपया किलोग्राम का उपयोग करें।**

*1 किग्रा अंडे= 20 अंडों का उपयोग किया गया है।

i.k&okj lkjf.k;k¡

rkfydk 4% nw/k i.k;

vf[ky Hkkjrh;	mRiknu ¼fefy;u Vu½	vk;kr ¼fefy;u Vu½	fu;kZr ¼fefy;u Vu½	SSR ¼%½	çfr 0;fä miyC/krk
2021-22	222.07	0.000	0.54	~100.24%	446 ग्रा/दिन
2022-23	230.58	0.005	0.54	~100.23%	459 ग्रा/दिन

2023-24	239.30	0.010	0.21	~100.08%	471 ग्रा/दिन
2024-25	247.87	0.005	0.57	~100.23%	485 ग्रा/दिन

आयात और निर्यात डेटा स्रोत : FAOSTAT

FAOSTAT के आंकड़ों में "दूध के समतुल्य दूध उत्पाद" के लिए अनुमानित आंकड़े शामिल हैं।

दूध के लिए (SSR) चारों वर्षों में लगातार 100% के करीब बनी रही है, जिसका मुख्य कारण बढ़ते उत्पादन और नगण्य आयात हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उपलब्धता 446 ग्राम से बढ़कर 485 ग्राम प्रतिदिन हो गई है।

rkfydk 5% ekal i.;

vf[ky Hkkjrh;	mRiknu ¼fefy;u Vu½	vk;kr ¼fefy;u Vu½	fu;kZr ¼fefy;u Vu½	SSR (%)	çfr 0;fä miyC/krk
2021-22	9.29	0.0000	1.04	~112.61%	6.82 किग्रा/वर्ष
2022-23	9.77	0.0011	1.07	~112.28%	7.10 किग्रा/वर्ष
2023-24	10.25	0.0012	1.15	~112.62%	7.39 किग्रा/वर्ष
2024-25	10.50	0.0015	1.14	~112.16%	7.50 किग्रा/वर्ष

आयात और निर्यात डेटा स्रोत : FAOSTAT

FAOSTAT के आंकड़ों में "सूअर के मांस (मांस के समतुल्य) ", "प्राथमिक, बीफ और भैंस का मांस", "भेड़ और बकरी का मांस" और "पोल्ट्री मांस" के अनुमानित आंकड़े शामिल हैं।

मांस क्षेत्र (पोल्ट्री सहित) में अधिशेष दिखाई देता है, जिसमें SSR लगातार 112% से ऊपर है, जो दर्शाता है कि उत्पादन घरेलू आवश्यकता से काफी अधिक है, जिससे निर्यात में वृद्धि हो रही है।

rkfydk 6% vaMk i.;

vf[ky Hkkjrh;	mRiknu ¼fefy;u Vu½	vk;kr ¼fefy;u Vu½	fu;kZr ¼fefy;u Vu½	SSR (%)	çfr 0;fä miyC/krk
वर्ष 2021–22	129.60	0.00004	1.04	~100.38%	95 सं./वर्ष
वर्ष 2022–23	138.38	0.00002	1.07	~100.66%	101 सं./वर्ष
वर्ष 2023–24	142.77	0.00002	1.15	~100.21%	103 सं./वर्ष
वर्ष 2024–25	149.11	0.001	1.14	~101.29%	106 सं./वर्ष

आयात और निर्यात डेटा स्रोत : FAOSTAT

FAOSTAT के आधिकारिक आंकड़ों में 'अंडे' से संबंधित जानकारी

आयात और निर्यात के आंकड़े टन (t) में हैं। इन आंकड़ों को 1 किलोग्राम (kg) = 20 यूनिट (Nos-) की रूपांतरण दर का उपयोग करके परिवर्तित किया गया है।

अंडा क्षेत्र पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, जिसमें SSR 100% से ऊपर है और आयात नगण्य दर्ज किया गया है, इसके निर्यात में वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 106 अंडे प्रतिवर्ष हो गई है।

rkfydk 7 Åu i.;

vf[ky Hkkjrh;	mRiknu ¼fefy;u fdxzk-½	vk;kr ¼fefy;u fdxzk-½	fu;kZr ¼fefy;u fdxzk-½	SSR ¼%½
वर्ष 2021–22	32.91	51.79	0.04	~ 38.87%
वर्ष 2022–23	33.61	40.52	0.03	~ 45.36%
वर्ष 2023–24	33.69	36.95	0.04	~ 47.72%
वर्ष 2024–25	34.57	32.50	0.00	~ 31.54%

आयात और निर्यात डेटा स्रोत : FAOSTAT

FAOSTAT के पास "शॉर्न ऊन, ग्रीसी ऊन, जिसमें फ्लीस वॉश्ड शॉर्न ऊन भी शामिल है" के आधिकारिक आंकड़े हैं।

इसके बिल्कुल विपरीत, ऊन क्षेत्र में काफी निर्भरता दिखाई देती है। घरेलू उत्पादन लगभग 33–34 मिलियन किलोग्राम पर स्थिर है और आयात 32.5 से 51.79 मिलियन किलोग्राम तक है, जिसके कारण ऊन की (SSR) कम है, जो वर्ष 2024–25 में घटकर मात्र 31.54% रह गई है। यह कार्यनीतिक कमजोरी और कच्चे ऊन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।

संक्षेप में, भारत का पशुधन क्षेत्र शक्ति और निर्भरता का दोहरा चित्रण प्रस्तुत करता है। देश ने दूध, मांस और अंडे जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और इसे बनाए रखा है, जिससे वह इन श्रेणियों में शुद्ध निर्यातक बन गया है और घरेलू खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया है। हालांकि, इस क्षेत्र की ऊन आयात पर निर्भरता उत्पादन मूल्य श्रृंखला में कमी को उजागर करती है। लक्षित निर्यात और आवश्यक आयात से प्रभावित विकासमान SSR रुझान नीतिगत दिशा के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। भविष्य की कार्यनीतियों में नस्ल सुधार और प्रोत्साहन के माध्यम से ऊन उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, साथ ही मांस और डेयरी क्षेत्रों में निर्यात क्षमता का और अधिक लाभ उठाकर इस क्षेत्र के समग्र आर्थिक योगदान और लचीलेपन को मजबूत किया जा सकता है।

8 i'kq/ku lax.kuk

8-1 20oha i'kq/ku lax.kuk dk çHkko

पशुधन संगणना एक उल्लेखनीय राष्ट्रीय प्रयास है जिसने भारत के सभी गांवों और शहरी वार्डों से विस्तृत जानकारी सफलतापूर्वक एकत्र की है। यह हमें देश की विशाल पशु आबादी की स्पष्ट और संपूर्ण तस्वीर प्रदान करती है, जिसमें घरेलू पोल्ट्री से लेकर कार्य करने वाले हाथियों तक, प्रत्येक प्रकार के पशु की सावधानीपूर्वक गणना की गई है।

20वीं पशुधन संगणना इसलिए असाधारण है क्योंकि इसमें बहुत विस्तृत डेटा एकत्र किया गया है। 20वीं पशुधन संगणना की पिछली रिपोर्ट भारत की पशु विविधता के एक व्यापक एटलस के रूप में कार्य करती है, जो निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है:

- विभिन्न क्षेत्रों में प्रजातियों का वितरण
- नस्ल–वार संख्या विश्लेषण
- पशुधन की आयु और लिंग संरचना

- भौगोलिक वितरण पैटर्न
- विभिन्न सामाजिक समूहों में स्वामित्व पैटर्न

भारत के पशुधन का यह विस्तृत सर्वेक्षण नीति–निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह इस बात का भी विशेष परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है कि भारतीय जनता और उनके पशुओं का जीवन किस प्रकार जुड़ा हुआ है और समय के साथ किस प्रकार बदल रहा है। आंकड़े लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और ग्रामीण जीवन में पशुओं की भूमिका को दर्शाते हैं। साथ ही, यह आधुनिक कृषि पद्धतियों के विकास को भी प्रदर्शित करता है। अंततः, यह संगणना इस महत्वपूर्ण साझेदारी की कहानी व्यक्त करती है, जिसमें परंपरा और कृषि के नए रुझानों का अद्भुत संगम है।

8-2 i'k/ku

ग्राफ 10: कुल पशुधन की राज्य–वार संख्या

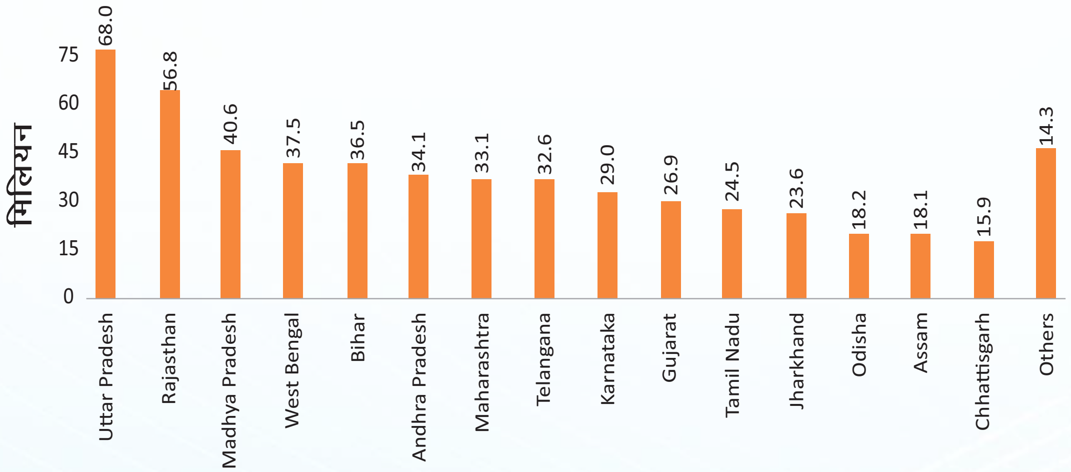

- भारत में पशुधन की कुल संख्या बढ़कर 536.76 मिलियन से अधिक हो गई है, जो वर्ष 2012 की पिछली संगणना के बाद से 4.8% की वृद्धि दर्शाता है।
- इन पशुओं की संरचना में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी और मिथुन की संख्या में आनुपातिक वृद्धि हुई है, जबकि सूअर, याक, घोड़े और टट्टू, खच्चर, गधे और ऊंट की संख्या में थोड़ी कमी आई है, जो देशभर में पाले जा रहे पशुओं के प्रकारों में स्पष्ट बदलाव को इंगित करता है।

8-2-1 xksi'k

ग्राफ 11: गोपशुओं की राज्य–वार संख्या

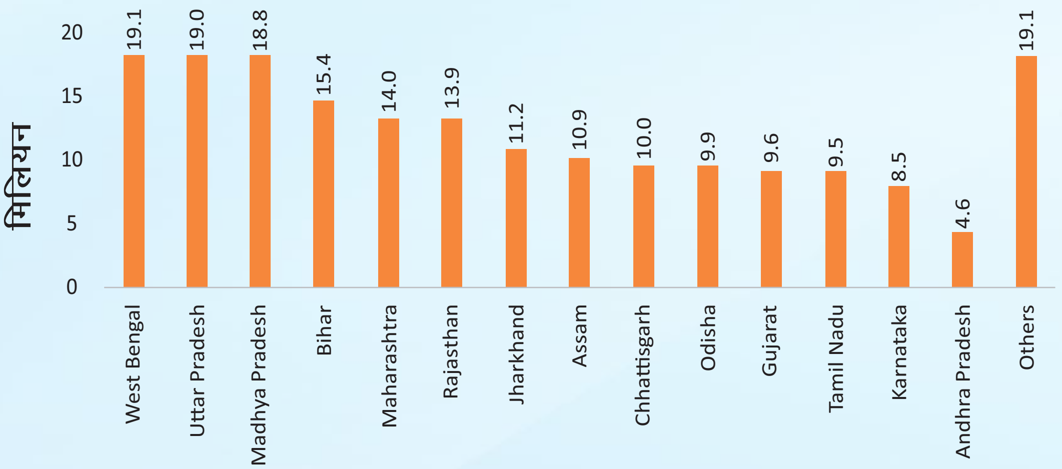

- वर्ष 2019 में, भारत में कुल मिलाकर लगभग 193.46 मिलियन गोपशु थे, जो वर्ष 2012 की तुलना में 1.3% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है।
- हालांकि, इनकी संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। मादा गोपशुओं की संख्या में 18% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि नर गोपशुओं की संख्या में 30% से अधिक की गिरावट आई।
- कुल मिलाकर, गोपशु देश के कुल पशुधन का लगभग एक तिहाई (36%) हिस्सा हैं, जो कृषि में उनके निरंतर महत्व को दर्शाता है।

8-2-2 Hkl

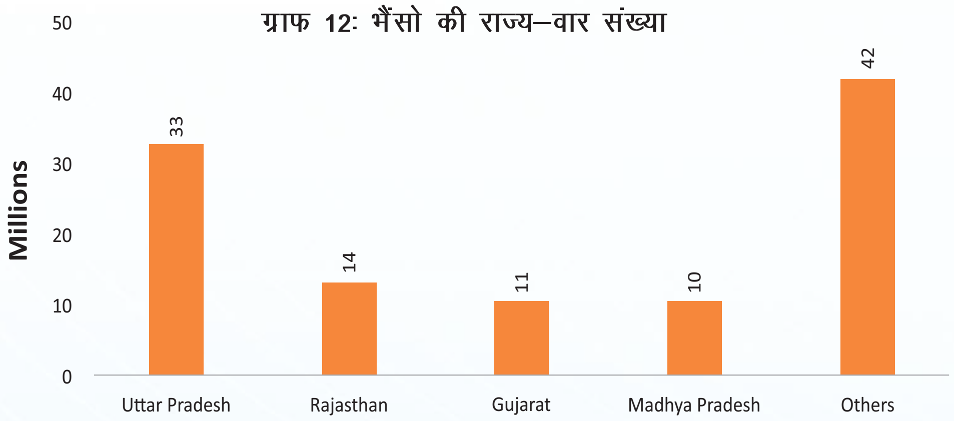

- वर्ष 2019 में, भारत में भैंसों की कुल संख्या 109.85 मिलियन तक पहुंच गई, जो वर्ष 2012 से 1.1% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है।
- भैंसों की आबादी की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है: मादा भैंसों की संख्या में 8.61% की वृद्धि हुई, जबकि नर भैंसों की संख्या में 42.35% की भारी गिरावट आई।
- कुल मिलाकर, भैंसें अब देश के कुल पशुधन का लगभग पांचवां हिस्सा (20.5%) हैं, जो पशुधन उद्योग में उनके महत्वपूर्ण स्थान को दर्शाता है।

8-2-3 ckokbu i’kq

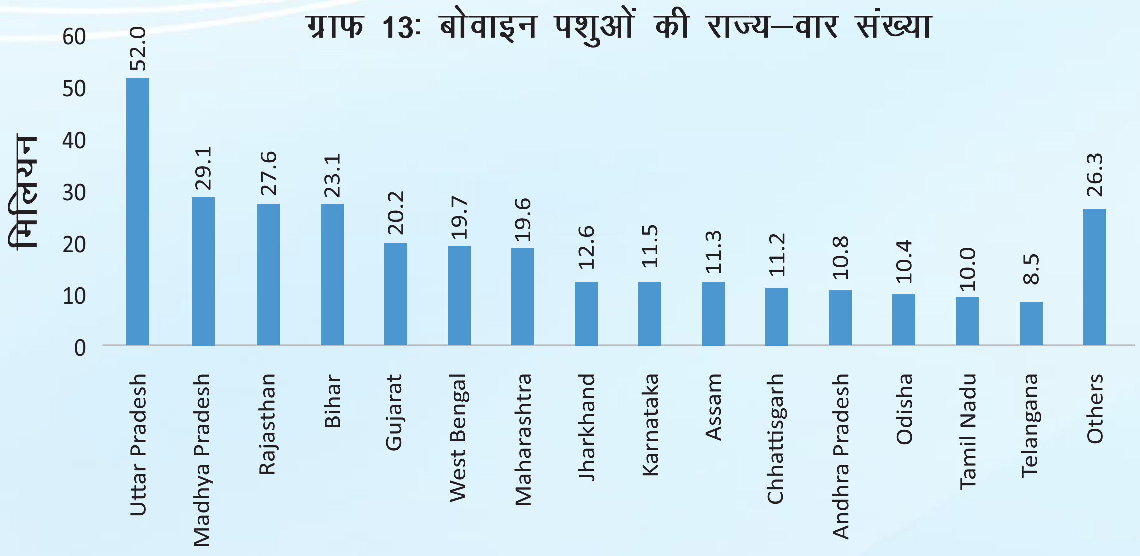

वर्ष 2019 में, भारत में कुल 303.76 मिलियन बोवाइन पशु थे, जिनमें गोपशु, भैंस, मिथुन और याक शामिल हैं। यह पिछली संगणना की तुलना में मात्र 1% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है।

8-2-4 HksM+

ग्राफ 14: भेड़ों की राज्य–वार संख्या

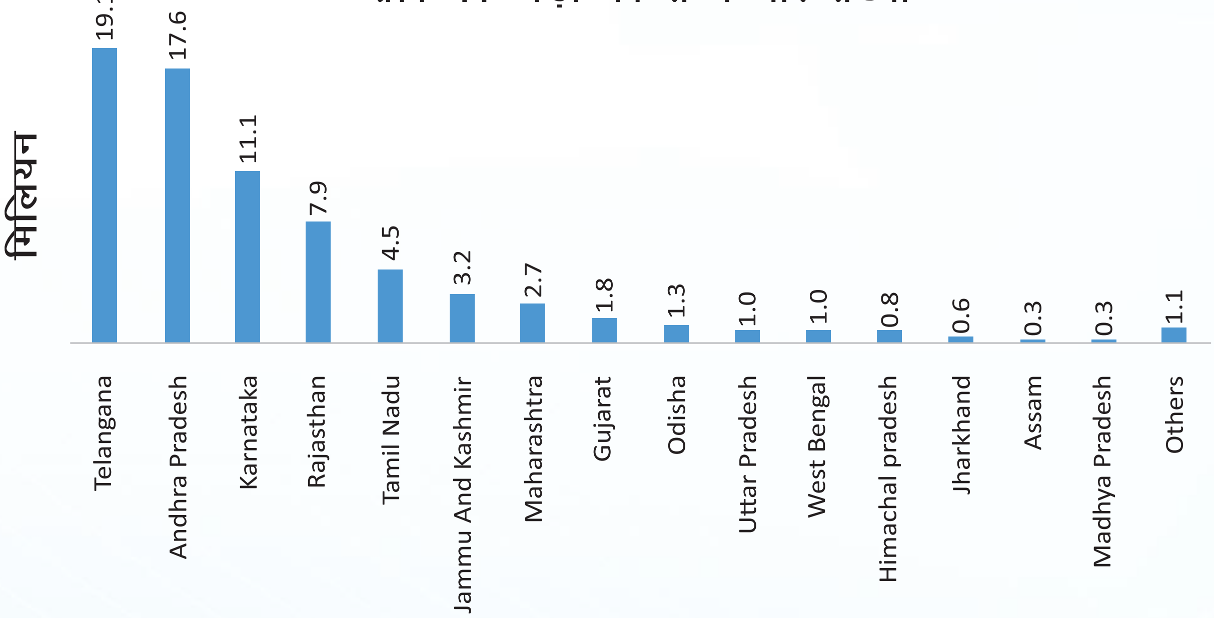

- वर्ष 2019 में, भारत में भेड़ों की आबादी बढ़कर लगभग 74.26 मिलियन हो गई। यह वर्ष 2012 की पिछली संगणना की तुलना में 14.13% की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।
- अब देश के कुल पशुधन में भेड़ों की हिस्सेदारी 13.8% है, जो कृषि क्षेत्र में उनके बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

8-2-5 cdjh

ग्राफ 15: बकरियों की राज्य–वार संख्या

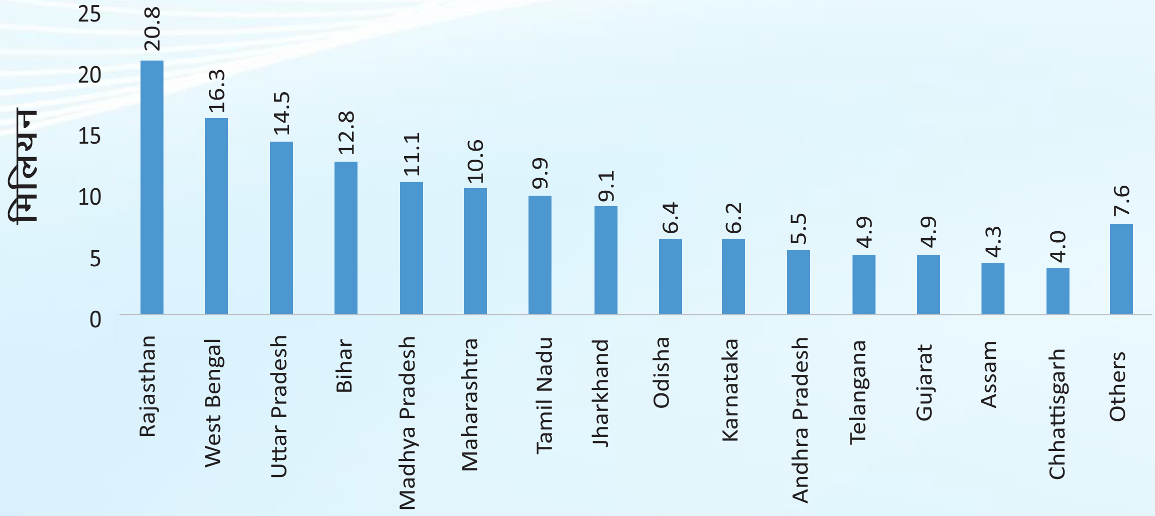

- वर्ष 2019 में, भारत में बकरियों की संख्या बढ़कर 148.88 मिलियन हो गई, जो वर्ष 2012 से 10% अधिक है।
- देश के कुल पशुधन में बकरियों की हिस्सेदारी एक चौथाई (27.7%) से अधिक है, जो कृषि अर्थव्यवस्था के लिए उनके महत्व को दर्शाता है।

8-2-6 ?kksM+s vkSj Vêq

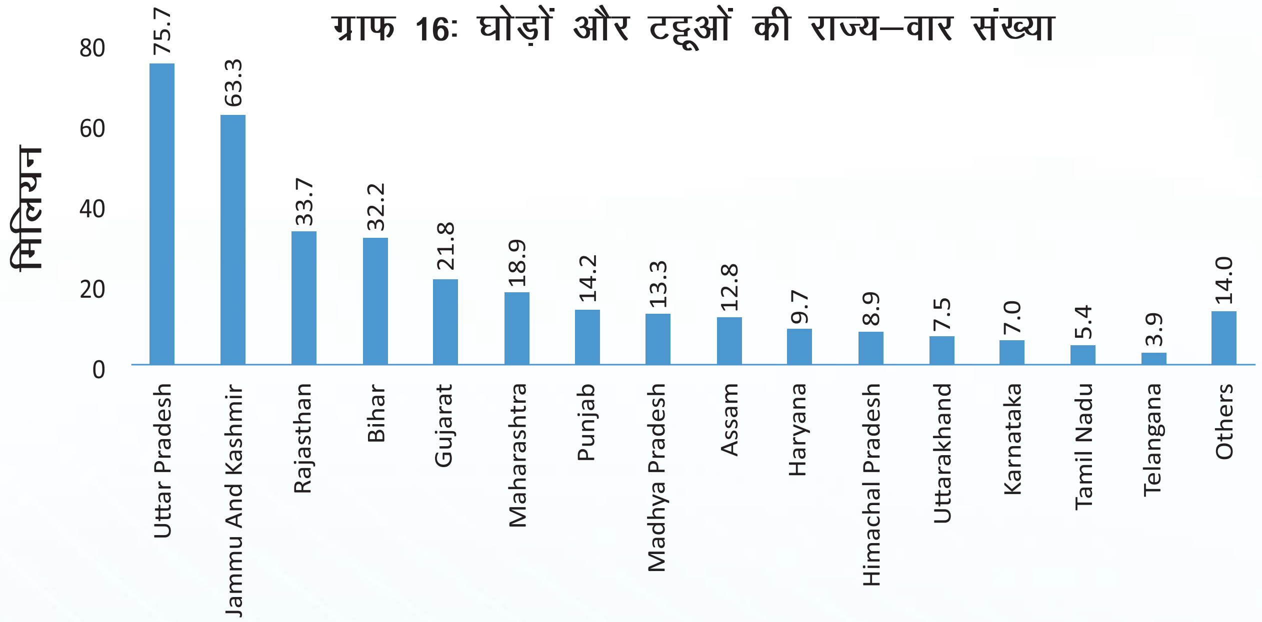

- भारत में घोड़ों और टट्टुओं जैसे पशुओं की आबादी वर्ष 2019 में घटकर लगभग 0.55 मिलियन रह गई।
- वर्ष 2012 में हुई पिछली संगणना के बाद से इसमें 45.2% की महत्वपूर्ण कमी आई है, जो स्पष्ट रूप से देशभर में पशुपालन के तरीकों में बदलते पैटर्न को दर्शाती है।

8-3 iksYVªh

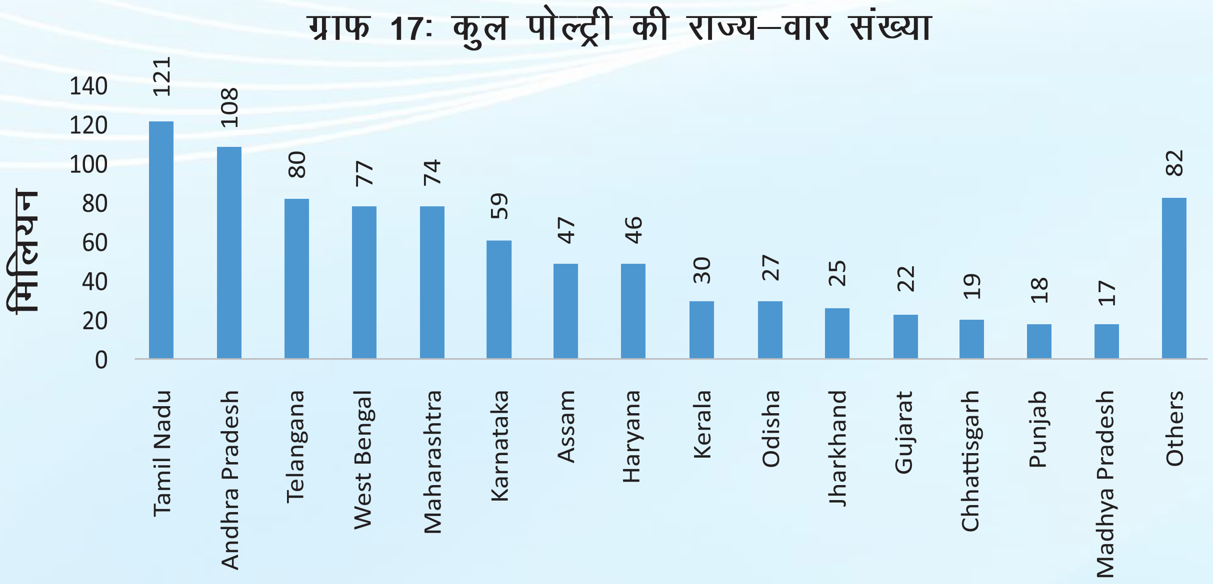

- d|y of)% वर्ष 2019 में पोल्ट्री की कुल संख्या 851.81 मिलियन पक्षियों के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो पिछली संगणना की तुलना में 16.81% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
- ?kj|y| ikYVh% घरेलू पोल्ट्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जहां पक्षियों की संख्या में 45.79% की बढ़ोतरी होकर 317.07 मिलियन हो गई। यह परिवारों की आय और खाद्य सुरक्षा के लिए पोल्ट्री में स्थानीय भागीदारी में नए सिरे से वृद्धि को दर्शाता है।
- okf.kfT;d {k= dh Hkkfedk% वाणिज्यिक पोल्ट्री उद्योग में भी 4.5% की वृद्धि हुई और यह 534.74 मिलियन पक्षियों तक पहुंच गया। इसकी स्थिर वृद्धि देश में प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने में इसकी दक्षता को रेखांकित करती है।

9- uLyokj fjikV

20वीं पशुधन संगणना में एक विस्तृत नस्ल रिपोर्ट भी शामिल थी, जिसमें 19 चयनित प्रजातियों की 184 देशी और विदेशी नस्लों की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय पशु आनुवंषिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR) की सहायता से तैयार की गई रिपोर्ट, प्रत्येक नस्ल–जैसे देशी गोपशु, भैंस, भेड़ और बकरी– की संख्या का विस्तृत विवरण देती है।

पशुधन संगणना देशभर में पशु नस्ल विविधता की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष 2012 से, पशुपालन और डेयरी विभाग पशुधन संगणना कर रहा है, जिसमें ICAR-NBAGR द्वारा पंजीकृत सभी देशी नस्लों के लिए नस्ल–विशिष्ट संगणना शामिल है, जिससे देश की अपनी समृद्ध पशुधन विरासत की समझ में और वृद्धि हुई है।

10- uLy fuxjkuh l|ph 2022

विभाग द्वारा वर्ष 2022 में प्रकाशित 20वीं संगणना की नस्लवार रिपोर्ट के आधार पर, NBAGR ने देशी नस्लों की जोखिम स्थिति का आकलन करने के लिए 'नस्ल निगरानी सूची 2022' तैयार की। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के दिशानिर्देशों के अनुसार, कुल 38 नस्लों की पहचान विभिन्न जोखिम स्थिति के साथ की गई, जैसे 14 नस्लें 'कमजोर', 19 नस्लें 'संकटापन्न' और 5 नस्लें 'गंभीर' श्रेणी के तहत पहचानी गई और निगरानी सूची में सूचीबद्ध की गई।

20वीं पशुधन संगणना का परिणाम, नस्ल निगरानी सूची, नीतिगत इनपुट के रूप में संरक्षण और विकास के लिए नस्लों को प्राथमिकता के लिए महत्वपूर्ण है। पालतू पशुओं के राष्ट्रीय भंडार के रूप में ICAR-NBAGR ने मध्यम और दीर्घकालिक संरक्षण के लिए अपने राष्ट्रीय जीन बैंक में 26 संकटग्रस्त नस्लों के जर्मप्लाज्म (सीमन/दैहिक कोशिकाओं) को क्रायोप्रिजर्व किया गया है। खतरे में पड़ी देशी नस्लों की पहचान करने से देश के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के राष्ट्रीय संकेतक का लक्ष्य भी पूरा हो जाता है।

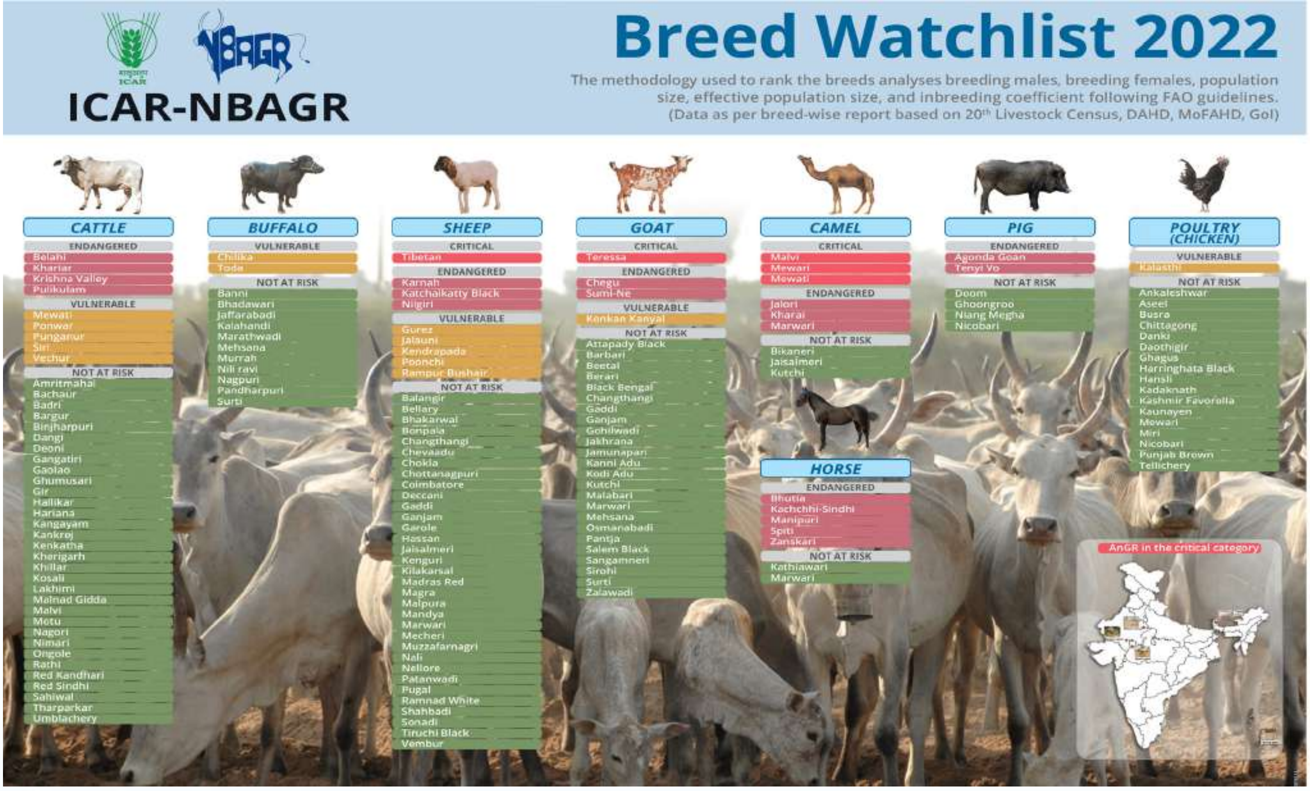

11- 21oha i'kq/ku lax.kuk py jgh gS

Hkkjr dh lclsa 0;kid i'kq x.kuk

एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी पहल के तहत, भारत ने अब तक की सबसे व्यापक पशुधन संगणना की। अक्टूबर 2024 में शुरू किए गए इस विशाल डेटा संग्रह अभियान में देशभर में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 87,613 गणनाकर्ताओं और 16,453 पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया। यह संगणना एक समर्पित मोबाइल ऐप के अभिनव उपयोग के कारण विशिष्ट रही, जिसने वास्तविक समय में डेटा प्रविष्टि को सक्षम बनाकर और त्रुटियों को कम करके कार्य की दक्षता और सटीकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संग्रह दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई थी।

इस संगणना की एक प्रमुख विशेषता पशुपालन के सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर इसका विशेष ध्यान केंद्रित करना था। पहली बार, इसने विशेष रूप से चरवाहा समुदायों के पशुधन का विवरण दर्ज किया और पशु प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। आमतौर पर उपेक्षित इन पहलुओं को शामिल करके, संगणना लक्षित नीतिगत सहायता प्रदान करने और लैंगिक भूमिकाओं तथा ग्रामीण आजीविका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट करने में सहायक सिद्ध हुई है। संगणना में 16 विविध प्रजातियों का सावधानीपूर्वक विवरण दर्ज किया गया है, जो भारत की पशुधन संपदा का व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है: गोपशु, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे और ऊंट, कुत्ते, खरगोश और हाथी, मुर्गी, बत्तख और अन्य पक्षी प्रजातियां।

अप्रैल 2025 में डेटा संग्रह का कार्य पूरा हो गया। अब सारणीबद्ध करने और रिपोर्ट लेखन का कार्य चल रहा है। एकत्रित डेटा की गुणवत्ता, व्यापकता और सटीकता का आकलन करने के लिए एक पोस्ट–एन्यूमरेशन सर्वे (PES) की योजना बनाई गई है, जिसके बाद एकत्रित जानकारी भविष्य की पशुधन विकास नीतियों को आकार देने, पशुपालन में बदलावों को समझने और पूरे भारत में सतत कृषि पद्धतियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

*****

अध्याय-8

0;kikj lc/kh ekeys

0;kikj lc/kh ekeys

अध्याय 8

8-1 çLrkouk

8.1.1 विभिन्न पशुधन उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंध (QR) हटाने के बाद, विभाग ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में संशोधन किया और सभी पशुधन उत्पादों को उनके आयात को विनियमित करने के उद्देश्य से इसके दायरे में लाया गया। तदनुसार, पशुधन उत्पादों के लिए दिनांक 7 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 655 (अ), मत्स्य उत्पादों के लिए दिनांक 16.10.2001 की अधिसूचना संख्या 1043 (अ) और पोल्ट्री के ग्रैंड पैरेंट स्टॉक के लिए दिनांक 27.11.2001 की अधिसूचना संख्या 1175 (अ) जारी की गई थी, जिससे स्वच्छता आयात परमिट (SIP) के तहत पशुधन उत्पादों का आयात करना अनिवार्य हो गया। दिनांक 28.03.2008 की अधिसूचना संख्या 794 (अ) के तहत विभाग ने दिनांक 7.07.2001 की अधिसूचना संख्या 655 (अ) में और संशोधन किया था, जिसके तहत उसने पशुधन उत्पादों को वर्गीकृत किया था, जिनके लिए सैनिटरी आयात परमिट (SIP) की आवश्यकता होती है, वे उत्पाद जिन्हें पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं से अनापत्ति के आधार पर अनुमोदन दिया जा सकता है तथा वे उत्पाद जिनके लिए न तो एसआईपी और न ही अनापत्ति की आवश्यकता होती है।

8.1.2 वर्ष 2014 में, मुख्य अधिसूचना एसओ 655 (अ) दिनांक 7.07.2001 का अधिक्रमण करके, एक समेकित अधिसूचना एसओ 2666 (अ) दिनांक 17.10.2014 जारी की गई, जिसमें पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 2 (घ) के तहत पशुधन उत्पादों और धारा 3 (क) के तहत पशुधन उत्पादों के आयात की प्रक्रिया को सूचीबद्ध किया गया। SIP, निर्यातक देश में बीमारी की स्थिति बनाम देश में बीमारी की स्थिति के आधार पर जोखिम विश्लेषण करने के बाद जारी की जाती है ।

8.1.3 इसके अलावा, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के अंतर्गत दिनांक 11 जून, 2014 को एसओ 1495 (अ) और 1496 (अ) के माध्यम से अधिसूचनाएं भी जारी की गई थीं, जिसमें विभाग ने धारा 3 के अनुसार जीवित पशुओं के आयात और संगरोध के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है और पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 2 (घ) के अनुसार ''पशुधन'' की परिभाषा को पशुओं की संख्या तक आगे बढ़ा दिया गया है।

8-1-4 vk;kr dh çfØ;k विभाग ने विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात हेतु SIP जारी करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में जोखिम विश्लेषण पर एक समिति गठित की है, जिसके सदस्य के रूप में सभी संयुक्त सचिव या प्रतिनिधि हैं। दिनांक 17.10.2014 की अधिसूचना एसओ 2666 (अ) में आवश्यक संशोधन के बाद, विभाग ने एक नया पोर्टल विकसित किया है और पशुधन उत्पादों के आयात संबंधी कार्यकलापों में लगे विभिन्न फर्मों/संगठनों को SIP आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने और सैनिटरी आयात परमिट जारी करने के लिए इसे राष्ट्रीय सिंगल विंडो, https://sip.nic.in के साथ एकीकृत किया है। सैनिटरी आवश्यकताओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी के साथ ऑन–लाइन SIP आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in पर उपलब्ध है। प्राप्त SIP आवेदनों की जांच की जाती है और वैज्ञानिक साक्ष्यों और OIE विनियमन के आधार पर विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उनका जोखिम विश्लेषण किया जाता है। SIP जारी करने या उसे अस्वीकृत करने के लिए जोखिम विश्लेषण समिति द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों की संस्तुतियों पर विचार किया जाता है। वर्ष 2025 के दौरान समिति की कुल 38 बैठकें हो चुकी हैं। विभाग की व्यापार इकाई ने वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न फर्मों/संगठनों को 3660 स्वच्छता आयात परमिट जारी किए हैं ताकि वे मत्स्य उत्पादों सहित विभिन्न पशुधन उत्पादों का आयात कर सकें। दिनांक 01.01.2025 से

31.12.2025 तक की अवधि के लिए सभी एक्यूसीएस स्टेशनों के पशुधन और पशुधन उत्पादों की आयात/निर्यात रिपोर्ट vuqc/k **XII** में दी गई है ।

8-1-5 यह विभाग पशुधन और पशुधन से संबंधित वस्तुओं और प्रतिबंधित श्रेणी के पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) से प्राप्त राज्य सरकारों/फर्मों/संगठनों के प्रस्तावों पर भी कार्रवाई करता है। इन प्रस्तावों पर व्यापार और निवेश मामलों की समिति द्वारा विचार करने के बाद संबंधित राज्य सरकारों/फर्मों/संगठनों के पक्ष में आवश्यक आयात लाइसेंस जारी करने के लिए विभाग के विचार, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) को सूचित किए जाते हैं। व्यापार और निवेश मामलों की समिति भी संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में सभी संयुक्त सचिवों या प्रतिनिधियों के साथ इसके सदस्यों के रूप में बैठक करती है। वर्ष 2025 के दौरान, उक्त समिति की कुल 38 बैठकें हुईं और विभिन्न फर्मों/संगठनों के साथ–साथ विभिन्न राज्य सरकारों के पक्ष में 1095 सिफारिशें जारी की गईं।

8-1-6 वर्ष 2025 के दौरान, ''व्यापार करने में आसानी'' के लिए तेजी से कदम उठाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख नीतिगत पहलें की गई हैं;

1. विभाग ने अधिसूचना जी.एस.आर. 737(अ) दिनांक 7 अक्टूबर, 2025 प्रकाशित की है, जिसमें भारत में अश्वों के आयात के लिए संशोधित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जारी किया गया है। यह स्वास्थ्य प्रोटोकॉल WOAH की सिफारिशों और रोग निदान में हुई प्रगति के अनुरूप संशोधित किया गया है।

2. अधिसूचना एस.ओ. 2666(अ), दिनांक 17.10.2014 को अधिसूचना एस.ओ. 5378 (अ), 24 नवंबर, 2025 के माध्यम से तीन नए बंदरगाहों ACC नवी मुंबई, ICD जोधपुर और ICD सानंद को अधिसूचित करके आयात को सुगम बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

***

अध्याय-9

vuqlwfpr tkfr mi&;kstuk ¼,llh,lih½ vkSj tutkrh; mi&;kstuk ¼Vh,lih½

vu|lfpr tkfr mi&;ktuk ¼,llh,lih½ vkj tutkrh; mi&;ktuk ¼Vh,lih½

अध्याय 9

9.1 विभाग विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है, जिनका मुख्य उद्देश्य पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए राज्य सरकारों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। अधिकांश योजनाएं सीधे लाभार्थी–उन्मुख नहीं हैं। देश की एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के अन्य कमजोर वर्गों और महिलाओं से संबंधित है जो पशुधन क्षेत्रों के कार्यकलापों में लगी हुई है। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाएं समाज के इन वर्गों को लाभान्वित करती हैं। हालाँकि, विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं से संबंधित लाभार्थियों का रिकॉर्ड नहीं रख रहा है। योजनाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारें/कार्यान्वयन एजेंसियां भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रख रही हैं।

9.2 अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) के अंतर्गत 16.6% निधि निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा दिनांक 15.12.2010 के डी.ओ. पत्र संख्या एन–11016/12(1)/2009–पीसी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, विभाग ने SCSP घटक के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2024–25 बीई चरण में 714.56 करोड़ रुपए निर्धारित किए, जिसे आरई चरण में घटाकर 328.17 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके सापेक्ष वर्ष 2024–25 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 316.45 करोड़ रुपए व्यय किए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विभाग ने बीई चरण में 559.49 करोड़ रुपए निर्धारित किए, जिसे आरई चरण में बढ़कर 560.89 करोड़ रुपए कर दिया गया। जिसमें से वर्ष 2025–26 में एससीएसपी घटक के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 311.01 करोड़ रुपये (दिनांक 31.12.2025 तक) व्यय किए जा चुके हैं।

9.3 TSP घटक के अंतर्गत, विभाग ने वर्ष 2024–25 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत बीई चरण में 377.24 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे, जिसे आरई चरण में घटाकर 170.97 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके सापेक्ष वर्ष 2024–25 में 151.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए। चालू वित्त वर्ष 2025–26 के लिए, विभाग ने बीई चरण में 302.51 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे, जिसे आरई चरण में बढ़कर 357.05 करोड़ रुपये कर दिया गया। जिसमें से वर्ष 2025–26 में टीएसपी घटक के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 160.27 करोड़ रुपये (दिनांक 31.12.2025 तक) खर्च किए जा चुके हैं।

*****

अध्याय-10

efgyk l’kfä dj.k

efgyk l'kfädj.k

अध्याय 10

10-1 efgyk m|ferk fodkl

10-1-1 jk"Vªh; i'kq/ku fe'ku& m|ferk fodkl dk;Øe&

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने 363 महिला उद्यमिता प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। इन प्रस्तावों में ग्रामीण पोल्ट्री प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 15 उद्यमिता प्रस्ताव, भेड़/बकरी प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 313 उद्यमिता प्रस्ताव, सुअर प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 26 उद्यमिता प्रस्ताव, आहार और चारा इकाइयों की स्थापना के लिए 9 प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों की कुल परियोजना लागत 25438.2 लाख रुपए है, जिसमें 11823.85 लाख रुपए की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है।

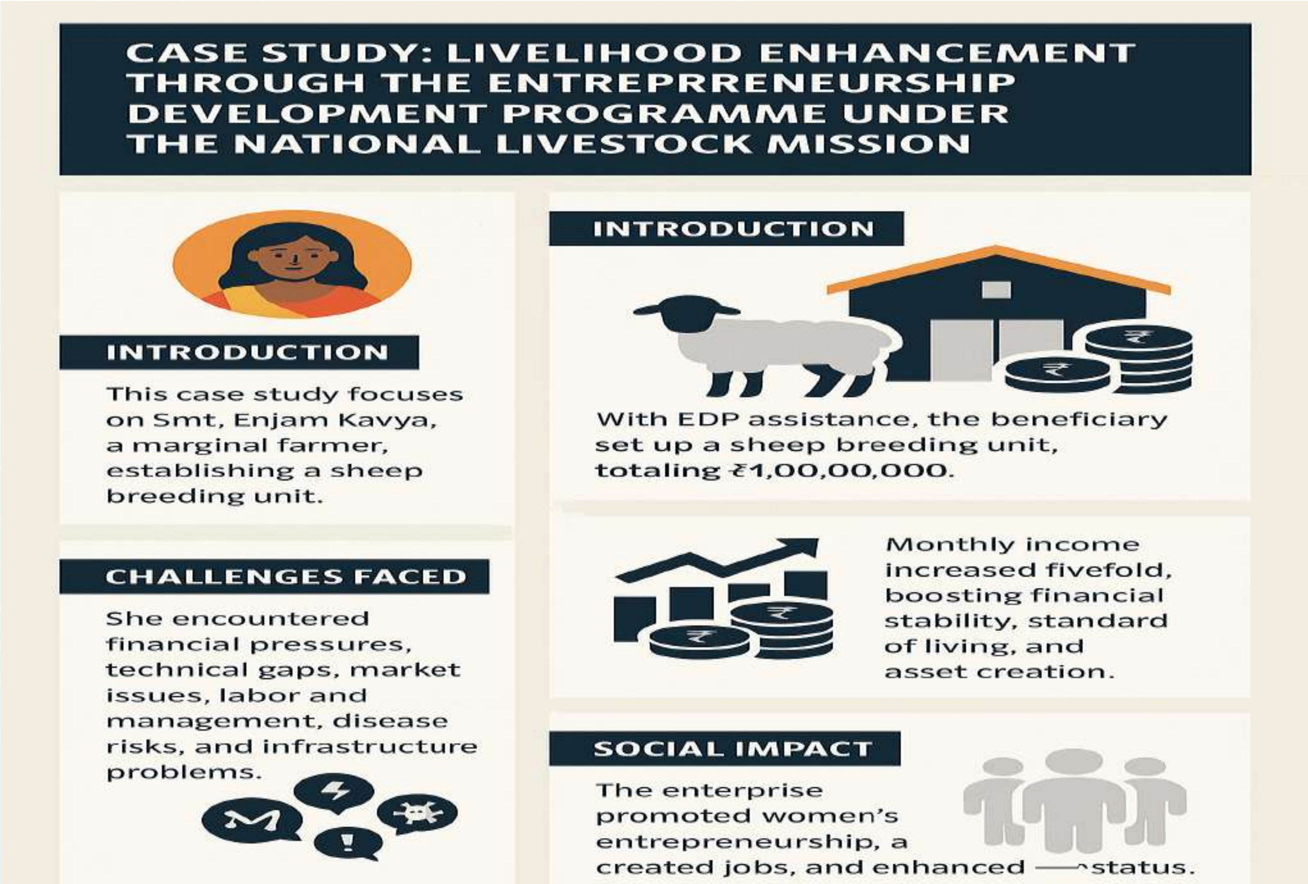

d- NLM-EDP ;kstuk d vrxr HkM çtuu bdkb dh LFkkiuk& Jherh ,te dk0;k] ryxkuk

ग्राम बेज्जिकल, त्रिपुराराम मंडल, नालगोंडा जिले की निवासी श्रीमती एंजम काव्या, आवेदन आईडी NLM202207040000047 की परियोजना को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) के अंतर्गत वर्ष 2023–24 में अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के सहयोग से, लाभार्थी महिला ने 1,00,00,000 रुपए की

कुल परियोजना लागत से एक भेड़ प्रजनन इकाई स्थापित की। भारत सरकार द्वारा 50,00,000 रुपए की 50% पूंजीगत सब्सिडी स्वीकृत की गई थी।

परिवार की आमदनी स्थिर लेकिन सीमित थी, औसत वार्षिक आय लगभग 5,00,000 रुपए (लगभग 30,000 रुपए प्रति माह) थी। यद्यपि यह आय मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, तथापि इससे संपत्ति निर्माण या जीवन स्तर में सुधार की संभावनाएं सीमित थीं।

वित्तीय सहायता से लाभार्थी ने गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्टॉक की खरीद, वैज्ञानिक पशुशालाओं के निर्माण, आवश्यक उपकरणों की स्थापना और उन्नत भेड़ पालन एवं प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने में निवेश किया। इकाई की स्थापना के बाद, लाभार्थी ने नियमित रूप से 8,000 रुपए का औसत मूल्य अर्जित करना शुरू कर दिया।

वर्तमान में, लाभार्थी की औसत मासिक आय लगभग 1,50,000 रुपए है, जिससे परिवार के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। बढ़ी हुई आय से बैंक ऋणों का समय पर भुगतान, बेहतर वित्तीय सुरक्षा और दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण संभव हो पाया है।

इस इकाई ने गांव के अन्य लोगों, जिनमें परिवार के सदस्य और स्थानीय ग्रामीण शामिल हैं, के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कुल मिलाकर, यह परियोजना महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने तथा लाभार्थियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम की भूमिका को दर्शाती है।

[k- NLM-EDP ;kstuk ds vUrxZr cdjh ikyu bdkbZ dh LFkkiuk&Jherh liuk ,l- dqcj] dukZVd

कर्नाटक राज्य के ग्राम गोलासांगी, निदागुंडी तालुक, विजयपुर जिले की किसान श्रीमती सपना एस. कुंबर वर्ष 2023–2024 में NLM-EDP कार्यक्रम की लाभार्थी थीं, जो अब लघु किसान से सफल उद्यमी बन गईं हैं। शुरुआत में, उनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम थी। वे अपनी आजीविका के लिए 80–100 भेड़ें पालती थीं, लेकिन उन्हें ऋण सुविधाओं की अनुपलब्धता और पशुपालन में लाभ की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।

NLM-EDP पहलों के माध्यम से, अनुदान प्राप्तकर्ता ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन की EDP के अंतर्गत 95,01,500 रुपए की परियोजना लागत से बकरी प्रजनन इकाई स्थापित की। उन्हें 500+25 बकरियों के साथ बकरी फार्म स्थापित करने के लिए 42.59 लाख रुपए की पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त हुई। सब्सिडी दो किस्तों में उपलब्ध कराई गई: 21,29,500 रुपए की पहली किस्त दिनांक 01–02–2024 को और दूसरी किस्त 07–01–2025 को प्रदान की गई। शेष परियोजना लागतों को 76,00,000 रुपए के बैंक ऋण और 19,01,500 रुपए के व्यक्तिगत संसाधनों से पूरा किया गया।

उपलब्ध कराई गई सहायता में मुख्य रूप से पशुशाला (shed), भूमि, जल सुविधाएं और विद्युतीकरण जैसी अवसंरचना का विकास शामिल था; किसान ने 76 लाख रुपए का ऋण लेकर और स्वयं 19.01 लाख रुपए का योगदान देकर 95.01 करोड़ रुपए के फार्म में निवेश

किया। अतिरिक्त सहायता में, पशुधन की खरीद और 500+25 पशुओं का बीमा, चारा उत्पादन लागत और योजना कन्वर्जेंस के माध्यम से 76 लाख रुपए के बैंक ऋण तक पहुंच शामिल थी।

परिणामस्वरूप, उद्यमी ने 500+25 से अधिक पशुओं वाला एक बकरी फार्म स्थापित किया, जिससे 20 लाख रुपए का वार्षिक कारोबार हुआ, 10 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हुआ और परिवार के सदस्यों सहित 5–8 अन्य किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। उनके परिवार की वार्षिक आय में काफी वृद्धि हुई और यह 10 लाख रुपए प्रति वर्ष हो गई।

i'kqikyu volajpuk fodkl fuf/k ¼AHIDF½

पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 29,110.25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) को व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और धारा 8 कंपनियों और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा (I) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना,(II) मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (III) पशु आहार संयंत्र (IV) गोपशु/भैंस/भेंड़/बकरी/सूअर के लिए नस्ल सुधार तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म (V) पशु चिकित्सा टीका और औषधि विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना (VI) पशु अवशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अवशिष्ट प्रबंधन), और (VII) प्राथमिक ऊन प्रसंस्करण अवसंरचना हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार पात्र संस्थाओं को 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है जो किसी भी अनुसूचित बैंक/नाबार्ड/NCDC/NDDB से परियोजना लागत के 90% तक सावधि ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत एनएबी संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्थापित क्रेडिट गारंटी निधि की सुविधा MSME के लिए 25% क्रेडिट गारंटी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत पात्र सावधि ऋण राशि की कोई सीमा नहीं है।

;kstuk dk mís';k

क. दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में सहायता करना, जिससे असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों को संगठित दूध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सके।

ख. उत्पादकों को बढ़ी हुई कीमत उपलब्ध कराना

ग. घरेलू उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उत्पाद उपलब्ध कराना

घ. देश की बढ़ती आबादी की प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण खाद्य आवश्यकता को पूरा करना तथा दुनिया में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों वाले देशों में से एक में कुपोशण को रोकना

ङ. उद्यमशीलता कार्यकलापों को बढ़ावा देना तथा रोजगार सृजन को सुगम बनाना

च. निर्यात को बढ़ावा देना तथा दूध और मांस क्षेत्र में निर्यात योगदान को बढ़ाना

छ. गोपशुओं, भैंसों, भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गी को किफायती मूल्य पर संतुलित राशन उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्तापूर्ण कंसंट्रेटिड पशु आहार उपलब्ध कराना।

i'kqikyu volajpuk fodkl fuf/k ¼AHIDF½

1- Kku/kkjk bMLVªht çkbosV fyfeVsM] veBh] mRrj çns'k

ifj;kstuk dh eq[; fo'ks"krk,¡

en	fooj.k
क्षेत्र	पशु आहार संयंत्र
रोजगार की संभावना	127
संयंत्र की क्षमता	1,20,000 एमटीपीए
नई परियोजना/विस्तार परियोजना	विस्तार
निवेश उत्प्रेरक (परियोजना लागत)	52.66 करोड़ रुपए
सावधि ऋण	32.00 करोड़ रुपए
जारी किया गया ब्याज सबवेंशन	37.16 लाख
शामिल किसानों की संख्या	1,00,000

ifj;kstuk dk fooj.k%

श्रीमती रितु अग्रवाल और श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल ने एस.पी. लैब नाम से एक साझेदारी कंपनी बनाई। इस फर्म ने पशु आहार विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया। संयंत्र की स्थापित क्षमता 200 टन प्रतिदिन थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 400 टन प्रतिदिन कर दिया गया। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष 2021 में फर्म को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया। उत्पादित पशु आहार का ब्रांड नाम 'ज्ञानधारा' है और इसका वितरण आसपास के बाजारों और नेपाल में भी होता है।

ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी 1 करोड़ रुपए है और 31 मार्च 2023 तक इसकी चुकता शेयर पूंजी (paid-up share capital) 1 करोड़ रुपए है।

दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, कंपनी का निवल मूल्य 1651.12 लाख रुपए है।

çeksVj dh tqckuh

"AHIDF योजना हमारी परियोजना के लिए काफी लाभकारी साबित हुई है। इसने वित्तीय स्थिरता को काफी हद तक बढ़ाया और अतिरिक्त सहायता प्रदान की जिससे प्रोजेक्ट की समग्र सफलता में महत्वपूर्ण योगदान मिला। हम इस प्रभावशाली पहल के लिए आभारी हैं।"

ifj;kstuk LFky

xq.koÙkk fu;a=.k

e/;orhZ **RM** HkaMkj.k

çlaLdj.k {ks=

2- lqjHkh çtuu QkeZ] dk;cVqj] rfeyukMq

ifj;kstuk dh fo'ks"krk,¡

en	fooj.k
क्षेत्र	पशु आहार संयंत्र
रोजगार की संभावना	180
संयंत्र की क्षमता	3,780 एमटीपीए
नई परियोजनाः/विस्तार परियोजना	नई

निवेश उत्प्रेरक (परियोजना लागत)	12.28 करोड़ रुपए
सावधि ऋण	9.20 करोड़ रुपए
जारी किया गया ब्याज सबवेंशन	36.48 लाख रुपए
शामिल किसानों की संख्या	500

ifj;kstuk dk fooj.k%

मैसर्स सुरभि प्रजनन फार्म एक साझेदारी फर्म है। यह परियोजना अपनी पोल्ट्री आहार विनिर्माण इकाई के लिए भंडारण सुविधाओं (थोक भंडारण गोदाम और साइलो) के निर्माण हेतु प्रस्तावित है जिसकी क्षमता 3780 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। यह एक लघु और मध्यम उद्यम (MSME) इकाई है। परियोजना की प्रमुख विशेषता यह है कि अनाज की पूरी हैंडलिंग प्रक्रिया, आधार डिपो में प्राप्ति से लेकर, सफाई और सुखाने, भंडारण और फील्ड डिपो में पहुंचाने तक, थोक रूप में की जाती है, जिससे नुकसान कम होता है और पशु आहार की गुणवत्ता में सुधार होता है। पूर्णतः स्वचालित संचालन से त्वरित सेवा, सभी चरणों में पारदर्शिता और सटीक लेनदेन तथा किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है।

दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, कंपनी का निवल मूल्य 1748.25 लाख रुपए है।

çeksVj dh tqckuh

"हमारी परियोजना की सफलता में AHIDF योजना की अहम भूमिका रही है। इसने वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार किया और महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया, जिससे परियोजना को सफल बनाने में सहायता मिली। हम इस परिवर्तनकारी पहल की सराहना करते हैं। साथ ही, सुरभि प्रजनन फार्म हमेशा लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है, इसलिए महिला रोजगार हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा।"

çlLdj.k {ks=

ifj;kstuk LFky

10-2 jk”Vh; xkdqy fe’ku d vrxr efgyk l’kfä dj.k

पशुपालन क्षेत्र 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। 90% से अधिक पशुपालक छोटे, सीमांत और भूमिहीन हैं। पशुपालन से संबंधित अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत स्तंभ बन गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में देशी गोपशु नस्लों के वैज्ञानिक और समग्र विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उन्नत प्रजनन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। महिला सशक्तिकरण इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह पशुधन क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता हैं।

1- jk”V0;kih —f=e xHkk/kku dk;Øe ¼NAIP½ इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के द्वार पर ही निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएं प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित इस कार्यक्रम से देशभर में बड़ी संख्या में पशुपालकों को लाभ हुआ है, जिनमें महिला किसानों का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने और पशुधन उत्पादकता एवं आय सृजन में योगदान देने से इस कार्यक्रम को लाभ मिला है।

jk"Vª;h —f=e xHkkZ/kku dk;Øe ds varxZr ykHkkfUor efgyk fdlkuA

2- xzkeh.k Hkkjr esa cgqmís'kh; —f=e xHkkZ/kku rduhf'k;uksa ¼MAITRIs½ ds :i esa lkeqnkf;d lalk/ku O;fä;ksa dh fu;qfä% राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत MAITRI को किसानों के घर जाकर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए 31,000 रुपए और उपकरणों के लिए 50,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आज तक, महिला MAITRI सहित 39,810 MAITRI को प्रशिक्षित और नियुक्त किया जा चुका है। ये MAITRI वस्तुओं और सेवाओं की लागत एकत्र करके स्व–धारणीय आधार पर किसानों के घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन भी इन महिला MAITRI को उपलब्ध कराए जाते हैं।

ef.kiqj esa RGM ds varxZr çf'kf{kr MAITRI

efgyk MAITRI dk çf'k{k.k vkSj AI fdV dk forj.k

3- uLy o`f) QkeZ% यह घटक नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना करने के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका डेयरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस घटक के तहत इच्छुक उद्यमियों को गोपशु शेडों के निर्माण, मशीनों और सर्वश्रेष्ठ पशुओं आदि की खरीद के लिए 2 करोड़ रुपए तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत संस्वीकृत 134 नस्ल वृद्धि फार्मों (BMF) में से, 34 BMF की स्थापना महिला उद्यमियों द्वारा की जा रही है।

BMF dh LFkkiuk dj vUrxZr tEeq ls efgyk ykHkkFkhZ

4- xkiky jRu iqjLdkj%

राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी क्षेत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, अग्रणी भूमिकाओं को बढ़ावा देता है और विभिन्न समितियों तथा सहकारी समितियों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। दिनांक 26 नवंबर 2025 को देशी गोपशु/भैंस पालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में दो महिला किसानों (कुमारी श्रद्धा सत्यवान, महाराष्ट्र और श्रीमती विजय लता, हिमाचल प्रदेश) को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में एक महिला AIT (श्रीमती अनुराधा चकली, आंध्र प्रदेश) को भी गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

xksiky jRu iqjLdkj fotsrk

xksiky jRu iqjLdkj fotsrk

****

अध्याय-11

vrjk”Vh; lg;kx

vrjk’Vh; lg;kx

अध्याय 11

11-1 vrjk"Vh; lnL;rk

पशुपालन और डेयरी विभाग पशु स्वास्थ्य एवं डेयरी से संबंधित निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नियमित सदस्य है (वार्षिक सदस्यता अंशदान का भुगतान करता है)।

- (विश्व) पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH), (पूर्व में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीज (OIE), पेरिस, फ्रांस।
- अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ (IDF), बेल्जियम।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग (APHCA), बैंकॉक, थाईलैंड, एफएओ के तहत एक संगठन।

11-2 vf/kdkfj;k }kjk fon’k e dh xbZ çfrfu;fä@çf’k{k.k e lgHkkfxrk

जनवरी, 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान, पशुपालन और डेयरी विभाग(DAHD)/अधीनस्थ कार्यालयों के 63 अधिकारियों को कुल 38 बैठकों/सम्मेलनों/प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए विदेश में प्रतिनियुक्त किया गया। जनवरी 2025 से दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान EU, UK, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चिली, बेलारूस आदि देशों के विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ माननीय FAHD मंत्री और DAHD के वरिष्ठ अधिकारियों की कुल 24 बैठकें (वर्चुअल/वास्तविक दोनों) आयोजित की गईं।

11-3 DAHD }kjk vk;kftr vrjk"Vh; lEeyu@dk;Øe

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), जो कि इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय है, ने दिनांक 29 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक स्टैंडर्डाइजेशन (ISO) एनालिटिकल सप्ताह, 2025 पर एनडीडीबी, आनंद में अंतर्राष्ट्रीय पशु रिकॉर्डिंग समिति (ICAR) और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ (IDF)/अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की।

अध्याय-12

tho& tarq dY;k.k

tho&tUrq dY;k.k

अध्याय 12

जीव–जन्तु कल्याण विषय को कार्य आबंटन नियमों में संशोधन के पश्चात अधिसूचना सं. का.आ.1531 (अ) दिनांक 4 अप्रैल, 2019 के अनुसरण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया है। तदनुसार, भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI) और पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (CCSEA) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। इन संगठनों के क्रियाकलाप इस प्रकार हैं–

12-1 Hkkjrh; tho&tUrq dY;k.k cksMZ

भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI) की स्थापना 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा–4 के अनुसरण में की गयी थी। सुप्रसिद्ध मानवतावादी श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल बोर्ड की संस्थापक सदस्य थीं।

बोर्ड में 28 सदस्य हैं, जिसमें 6 संसद सदस्य (लोकसभा से 4 और राज्य सभा से 2 –वर्तमान बोर्ड में अभी नामांकित किया जाना है) और अन्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, इन सभी को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तीन साल में एक बार बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान बोर्ड को दिनांक 15.05.2023 से प्रभावी तीन वर्षों के लिए पुनर्गठित किया गया था जिसमें वर्तमान में 21 सदस्य हैं। डॉ. मुथुकुमारसामी बी., भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, DAHD को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है।

भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड के कार्य पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 9 के तहत परिभाषित किया गया है। संक्षेप में, AWBI का अधिदेश भारत में पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के कानूनों का निरंतर अध्ययन करना और अधिनियम के तहत नियम बनाने, पशुओं के अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा को रोकने के लिए आवश्यक संशोधन हेतु केन्द्र सरकार को सलाह देना है।

12-2 o"kZ 2025 ds nkSjku fd;s x;s dk;Zdyki

¼i½ xkS'kkyk lfgr i'kq dY;k.k laxBuksa dks ekU;rk½

बोर्ड उन जीव–जंतु कल्याण संगठनों (AWO) को मान्यता प्रदान करता है जो बोर्ड के पास मान्यता के लिए आवेदन करते हैं। बोर्ड ने दिनांक 31.12.2024 तक 3807 जीव–जंतु कल्याण संगठनों (AWO) को मान्यता प्रदान की है। बोर्ड ने दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक 41 गौशालाओं/जीव–जन्तु कल्याण संगठनों (AWO) को मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार, बोर्ड द्वारा दिनांक 31.12.2025 तक कुल 3608 एडब्लूओ को मान्यता प्रदान की गई है।

¼ii½ ABC ifj;kstuk ekU;rk½

पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के नियम 3 के अनुसार, बोर्ड ने स्थानीय निकायों और जीव–जंतु कल्याण संगठनों को ABC परियोजना मान्यता प्रदान की है। अब तक, बोर्ड ने देश भर में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम संचालित करने के लिए 76 एबीसी परियोजना मान्यताएं जारी की हैं।

¼iii½ djrc fn[kkus okys i'kqvksa dk iathdj.k

करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के नियम 3 के अंतर्गत, बोर्ड पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी है। वर्ष 2025 के दौरान उक्त नियमों के अंतर्गत आठ पशुपालकों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए।

इसके अतिरिक्त, फिल्मों / विज्ञापनों / टीवी धारावाहिकों / वेब सीरीज आदि से संबंधित 1,069 मामलों संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जांच की गई और फिल्मों/विज्ञापनों/टीवी धारावाहिकों/वेब सीरीज आदि में पशुओं के उपयोग के लिए फिल्माने से पहले (PRE-SHOOT) अनुमति जारी करने के लिए 524 मामलों पर कार्रवाई की गई।

¼iv½ ldZl dk iathdj.k

बोर्ड ने करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के तहत दिनांक 31.12.2025 तक 06 सर्कसों का पंजीकरण किया है जो प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए करतब दिखाने वाले पशुओं का उपयोग कर रहे हैं।

¼v½ VQZ Dycksa esa mi;ksx gksus okys ?kksM+ksa dk iathdj.k

बोर्ड, रेस हॉर्स क्लबों में उपयोग होने वाले घोड़ों का भी पंजीकरण करता है। बोर्ड ने करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के तहत दिनांक 31.12.2025 तक विभिन्न रेस हॉर्स क्लबों की दौड़ के लिए 6326 घोडों का पंजीकरण किया है।

¼vi½ d:.kkeuh i'kq ns[kHkkydrkZ ¼CACT½ dks çkf/kdkj i= tkjh djuk

देश के अधिकांश दयालु नागरिक अपने संबंधित स्थानीय क्षेत्रों में आवारा पशुओं को खिलाकर जीव–जन्तुओं के कल्याण में सहायता करते हैं। बोर्ड इन नागरिकों को आवारा पशुओं को खिलाने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करता है। बोर्ड ने लगभग 9483 आवेदकों को CACT प्राधिकार पत्र जारी किये थे। वर्ष 2025 (दिनांक 31.12.2025 तक), के दौरान, बोर्ड ने 277 CACT प्राधिकार पत्र जारी किये हैं।

¼vii½ ekun tho tUrq dY;k.k çfrfuf/k dk ukekadu ¼iwoZorhZ vf/kdkjh½

बोर्ड पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण से संबंधित मामलों पर अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रशासन/कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समन्वय करके सभी जीव–जंतु कल्याण मामलों को देखने के लिए मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधियों (नामांकित प्रतिनिधियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने के बाद) को भी नामित करता है। बोर्ड ने NALSAR विधि विश्वविद्यालय के माध्यम से 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें 25 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था और 21 व्यक्तियों को मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधि (HAWR) के रूप में नामित किया गया था।

¼viii½ Øwjrk lac/kh ekeyksa vkSj f'kdk;rksa ij dh xbZ dkjZokbZ

देश के विभिन्न हिस्सों से जीव–जंतुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई, जिन्हें जांच और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों, अर्थात् जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों और जिला पुलिस अधीक्षकों को अग्रेषित किया गया। दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025) की अवधि के दौरान, बोर्ड ने 1,327 क्रूरता संबंधी शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित किया।

¼ix½ vnkyrh ekeys

दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक की अवधि के दौरान, बोर्ड के पास देश की विभिन्न अदालतों में पशुओं के कल्याण से संबंधित 296 मामले सक्रिय हैं।

¼x½ jkT; ljdkj ds lkFk cSBd

मंत्रालय पशुपालन और डेयरी विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित कर रहा है, जिसमें जीव–जंतु कल्याण से संबंधित मामलों पर भी सभी राज्य सरकारों के साथ पीसीए अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चर्चा की गई है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकांश अधिकारियों ने भाग लिया है।

¼xi½ ekuoh; f'k{kk

i) दिनांक 27 फरवरी, 2025 को केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन, पशुपालन विभाग (AHD) की सचिव सुश्री अलका उपाध्याय, पशुपालन आयुक्त और एडब्ल्यूबीआई के अध्यक्ष डॉ. अभिजीत मित्रा, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, जीव–जंतु कल्याण संगठनों/गौशालाओं के प्रतिनिधियों और पशु प्रेमियों की उपस्थिति में 8 श्रेणियों के अंतर्गत 9 व्यक्तियों और जीव–जंतु कल्याण संगठनों को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार प्रदान किए गए।

ii) AWBI ने भारत में जीव–जंतु कल्याण के नियमों और दिशा–निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चार महत्वपूर्ण पुस्तकें जारी कीं। ये पुस्तकें पशु चिकित्सकों, नीति निर्माताओं और जमीनी अधिकारियों के लिए पशु कल्याण के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में सहायक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेंगी। इनमें पशु कल्याण कानूनों पर पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए पुस्तिका; पशु कल्याण कानूनों पर कानून प्रवर्तन पुस्तिका शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकायों के लिए पशु कानून पुस्तिका और आवारा कुत्तों की आबादी के प्रबंधन, रेबीज उन्मूलन और मानव–कुत्ते के संघर्ष को कम करने के लिए संशोधित पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) मॉड्यूल।

iii) दिनांक 23.08.2025 से 25.08.2025 तक NALSAR विश्वविद्यालय, हैदराबाद के समन्वय से तीन दिवसीय मानद जीव–जंतु कल्याण प्रतिनिधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

iv) युवा मामलों और खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा मनाए गए राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर AWBI ने दिनांक 29.08.2025 को स्टेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिकरी, बल्लभगढ़ में देशी खेलों का आयोजन किया।

v) दिनांक 30.08.2025 को दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, सिकरी, बल्लभगढ़, हरियाणा में योग जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।

vi) स्वच्छता को संस्थागत रूप देने के लिए AWBI द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद (DPSG), सिकरी, बल्लभगढ़, हरियाणा; स्टेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिकरी, बल्लभगढ़, हरियाणा जैसे विद्यालयों के समन्वय से विशेष अभियान 5.0 का आयोजन किया गया। एसएनडी पब्लिक स्कूल, पलवल, हरियाणा में क्रमशः दिनांक 03.10.2025, 27.10.2025 और 23.10.2025 को स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 'स्वच्छ हरित उत्सव – पर्यावरण के अनुकूल और शून्य अपशिष्ट उत्सव' विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सभी छात्रों, शिक्षकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

vii) पशु चिकित्सा स्नातकों और पैरा–पशु चिकित्सकों के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दुवासु, मथुरा, उत्तर प्रदेश में 10 नवंबर, 2025 से 16 नवंबर, 2025 तक आयोजित किया गया।

¼xii½ ,MCY;wchvkbZ dk v,uykbu iksVZy

बोर्ड ने AWO/गौशाला की मान्यता के लिए, विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए, मानद जीव–जंतु कल्याण प्रतिनिधि को नामित करने के लिए, कॉलोनी जीव–जंतु देखभालकर्ता (CACT) को नामित करने, करतब दिखने वाले पशुओं के पंजीकरण के लिए, प्री–शूट अनुमति जारी करने, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, सर्कस और रेस हॉर्स क्लब में प्रदर्शन करने वाले घोड़ों के पंजीकरण के लिए और क्रूरता/शिकायतों आदि के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए आवेदन के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल (www.awbi.gov.in) तैयार किया है। इससे अनुमति प्रदान करने में लगने वाले समय में कमी आई है और इससे बोर्ड के कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत से भी बचा गया है।

¼xiii½ cksMZ dh cSBd rFkk bldh fofHkUu lfefr;ksa dk iquxZBu

बोर्ड के और अधिक प्रभावी कार्यकरण के लिए बोर्ड समय–समय पर अपनी विभिन्न समितियों का पुनर्गठन

कर रहा है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक बोर्ड तथा इसकी विभिन्न समितियों की बैठकें आयोजित की गई हैं:

- बोर्ड की एक वार्षिक आम बैठक दिनांक 19.12.2025 को आयोजित की गई।
- बोर्ड की दो आम बैठकें दिनांक 09.01.2025 और दिनांक 13.08.2025 को आयोजित की गईं।
- कार्यकारी समिति की एक बैठक दिनांक 25.11.2025 को आयोजित की गई।
- मान्यता समिति की पाँच बैठकें दिनांक 09.01.2025, 14.05.2025, 18.07.2025, 03.09.2025 और 19.12.2025 को आयोजित की गईं।
- करतब दिखाने वाले पशुओं संबंधी समिति की 51 बैठकें दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक आयोजित की गईं।
- एबीसी परियोजना मान्यता समिति की छह बैठकें दिनांक 19.02.2025, 29.04.2025, 03.07.2025, 20.08.2025, 15.10.2025 और दिनांक 27.11.2025 को आयोजित की गईं।
- मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि समिति की दो बैठकें दिनांक 14.05.2025 और 03.09.2025 को आयोजित की गईं।
- पुरस्कार और आयोजन समिति की एक बैठक दिनांक 03.09.2025 को आयोजित की गई।
- वधगृह निरीक्षण समिति की एक बैठक दिनांक 15.05.2025 को आयोजित की गई।

¼xiv½ AWBI dh vkRefuHkZjrk dh fn'kk esa dne

AWBI को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में, बोर्ड ने विभिन्न सेवाओं के लिए अपने प्रसंस्करण शुल्क में संशोधन किया है। बोर्ड द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक एकत्रित की गई प्रसंस्करण शुल्क की राशि 2,87,56,000/–रुपये है।

12-3 miyfC/k;k ¼okLrfod@foÙkh;½

भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड ने पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके प्रति क्रूरता की रोकथाम में 64 वर्ष की समर्पित सेवा पूरी कर ली है। बोर्ड के कार्यकलाप जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और यहां तक कि देश के दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में जारी रहे। वर्ष के दौरान बोर्ड की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

i. बोर्ड ने दिनांक 31.12.2025 तक, 3608 जीव–जंतु कल्याण संगठनों (AWO) को मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2025 के दौरान, बोर्ड ने 41 एडब्लूओ को मान्यता प्रदान की है।

ii. वर्ष 2025 के दौरान, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 1069 फिल्मों/विज्ञापनों पर विचार किया गया और अपनी फिल्मों/विज्ञापनों में पशुओं का उपयोग करने के लिए प्री–शूट अनुमति प्राप्त करने के लिए 524 फिल्मों/विज्ञापनों पर विचार किया गया।

iii. वर्ष 2025 के दौरान, बोर्ड ने CACT के रूप में 277 आवेदकों को प्राधिकार पत्र जारी किए।

iv. वर्ष 2025 के दौरान, बोर्ड ने 21 मानद जीव–जंतु कल्याण प्रतिनिधियों को नामित किया जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और अर्हक अंक प्राप्त किए।

v. वर्ष 2025 के दौरान, बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों से प्राप्त 1327 क्रूरता संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई की/आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित किया।

vi. बोर्ड द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक एकत्रित किए गए प्रसंस्करण शुल्क की राशि 2,87,56,000/– रु. है।

12-4 ckM u i’kvk dk gkuu okyu vuko’;d nnl vkj ihMk dk jkdu d fy, fjikVl vof/k gr| jkT;k@l?k jkT; {k=k dk fuEufyf[kr ijke’kkl tkjh dh gl

i) वसंत पंचमी के अवसर पर दिनांक 14.01.2025 को जीव–जन्तु कल्याण पखवाड़ा और जीव–जन्तु कल्याण दिवस का आयोजन।

ii) दिनांक 10.02.2025 को 'पशुपालन और पशु कल्याण जागरूकता माह' के रूप में मनाना।

iii) अवैध वध और परिवहन को रोकने के लिए दिनांक 03.06.2025 और दिनांक 12.08.2025 को जारी परामर्शी।

iv) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के डीजीपी को पत्र लिखकर पुलिस/ट्रैफिक अधिकारियों के लिए 'पशु कल्याण कानूनों' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध (दिनांक)

v) एबीसी नियम 2023 के नियम 9(3) के अनुसार समितियों के गठन का अनुरोध दिनांक 17.07.2025

vi) एबीसी नियम 2023 का कार्यान्वयन – स्थानीय निकायों, आरडब्ल्यूए और एओए के लिए दिशानिर्देश दिनांक 17.07.2025

vii) सभी चिकित्सा संस्थानों को पालतू कुत्तों और आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं को अलग–अलग रिकॉर्ड करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध दिनांक 04.08.2025

viii) देश के विभिन्न भागों में ग्रेहाउंड दौड़ के अवैध संचालन को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए परामर्श – दिनांक 04.08.2025

ix) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधगृह) नियम, 2001 (2010 में यथासंशोधित) का कड़ाई से अनुपालन और वध से पहले पशुओं को बेहोश करना अनिवार्य करने का अनुरोध – दिनांक 04.08.2025

x) पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के नियम 3 के तहत परियोजना मान्यता का अनिवार्य प्रमाण पत्र – दिनांक 04.08.2025

xi) घायल और रोगी पशुओं के लिए 24X7 हेल्पलाइन की स्थापना और आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाओं के प्रावधान के लिए दिनांक 04.08.2025 की परामर्शी

xii) दिनांक 11.08.2025 के संशोधित ABC मॉड्यूल को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के रूप में अपनाना

xiii) 28 सितंबर, 2025 को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाना

xiv) 4 अक्टूबर, 2025 को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाना

xv) दिनांक 27.11.2025 की स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 5/2025 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07.11.2025 के निर्देशों के अनुपालन में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।

12-5 i’kvk ij ijh{k.k d fu;=.k ,o i;Zo{k.k d ç;kstukFk lfefr ¼CPCSEA½

पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (CPCSEA), पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 15 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक समिति है। CPCSEA में 20 सदस्य हैं और पशुपालन आयुक्त (AHC) CPCSEA के अध्यक्ष और संयुक्त आयुक्त (जीव–जंतु कल्याण) CPCSEA के सदस्य सचिव हैं।

CPCSEA ऐसे सभी उपाय करने के लिए बाध्य है

जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं कि पशुओं पर प्रयोगों के प्रदर्शन से पहले, दौरान अथवा बाद में उन्हें अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा के अधीन नहीं किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए, समिति ने पशुओं पर प्रयोगों को विनियमित करने के लिए "पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998" (2001 और 2006 में संशोधित) तैयार किए हैं। उपरोक्त नियमों के उपबंधों के अंतर्गत, जैव चिकित्सा अनुसंधान में लगी स्थापनाओं को स्वयं CPCSEA के पास पंजीकृत होना आवश्यक है, संस्थागत पशु आचार (एथिक्स) समिति (IAEC) का गठन करना है, अपने पशु सदन सुविधाओं का निरीक्षण करना है और साथ ही पशुओं पर अनुसंधान करने से पहले सीसीएसईए द्वारा मंजूरी दिये गये अनुसंधान के लिए विशिष्ट परियोजनाएं प्राप्त करना है। इसके अलावा, इस प्रकार के प्रयोगों के लिए पशुओं के प्रजनन और व्यापार को भी इन नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। दिनांक 31.12.2024 तक, CPCSEA के पास 1697 प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं।

12-5-1 dk;Z

क. पशुओं के प्रजनन में शामिल और पशुओं पर प्रयोग करने वाली स्थापनाओं का पंजीकरण और पंजीकृत स्थापनाओं का नवीनीकरण।

ख. संस्थागत पशु आचार समिति का गठन, पुनर्गठन और संशोधन।

ग. छोटे और बड़े पशुओं के लिए पशु गृह सुविधाओं का अनुमोदन।

घ. पशुओं पर प्रयोग के लिए अनुसंधान प्रोटोकॉल की जांच या बड़े पशुओं पर अनुसंधान प्रोटोकॉल की पूर्व–जांच और उनका अनुमोदन।

ङ. उन स्थापनाओं, संस्थानों और केन्द्रों की पशु गृह सुविधाओं की जांच करना जहां प्रयोगात्मक पशुओं को अनुसंधान, बायोफर्मास्यूटिकल्स के उत्पादन और प्रजनन उद्देश्य के लिए रखा जाता है।

च. प्रयोगशाला पशु कल्याण और नैतिकता के बारे में जागरूकता के लिए सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, नामांकित प्रशिक्षण आदि आयोजित करना तथा प्रयोगों और शिक्षण या प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए पशुओं के उपयोग के संबंध में प्रतिस्थापन, कमी और परिशोधन के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और समिति के अधिदेश के अनुसार उपलब्ध गैर–पशु विधियों और गैर–पशु व्युत्पन्न जैविक उत्पादों को मान्यता देना।

छ. अनुसंधान संस्थानों, दवा कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोग के लिए रखे गए पशुओं के कल्याण के बारे में सरकार को सलाह देना।

ज. पशुओं के कल्याण के लिए पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत समिति द्वारा बनाए गए नियमों और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

झ. समिति के नामांकित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों का विश्लेषण करना और प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत संस्थागत पशु आचार समिति की बैठक के कार्यवृत्त की जांच करना।

ञ. प्रयोगशाला पशुओं को रखने वाले अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों को जोड़ने और उन्हें समिति के दायरे में लाने का प्रयास करना।

ट. पीसीए अधिनियम, 1960 के अनुसार सौंपे गए समिति के अधिदेशानुसार प्रयोगशाला पशु कल्याण से संबंधित कोई अन्य कार्य।

ठ. समिति के दिशा–निर्देशों का संशोधन, उनका प्रचार–प्रसार, कार्यान्वयन और निगरानी।

ड. पशु गृह सुविधाओं का उद्देश्यानुसार श्रेणीकरण, जैसे कि:–

(i) मेडिकल कॉलेज की स्थापना,

(i) फार्मेसी कॉलेज की स्थापना,

(iii) पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना,

(iv) अनुसंधान संस्थान की स्थापना,

(v) फार्मा उद्योग की स्थापना,

(vi) वैक्सीन उद्योग की स्थापना,

(vii) जीव–विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना, और इसी प्रकार।

ढ. प्रयोगों, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध गैर–पशु विधियों संबंधी डेटाबेस का रखरखाव।

12-5-2 miyfC/k;k ¼fnukad 01-04-2025 ls 31-12-2025 rd½

IAEC का पंजीकरण और गठन	39
IAEC का नवीनीकरण और पुनर्गठन	109
IAEC का संशोधन	267
पंजीकरण में संशोधन	40
CPCSEA की बैठकें	7
बड़े पशुओं के लिए अनुमोदित अनुसंधान प्रोटोकॉल	429
सीसीएसईए के नामितों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	1
प्रशिक्षित किए गए CPCSEA के नामांकित व्यक्ति	76
''पशुओं पर प्रयोगों के दौरान अपनाई जाने वाली प्रयोगशाला पशु देखभाल/नैतिकता'' पर कार्यशालाएं/सम्मेलन/सेमिनार आयोजित करने के लिए CPCSEA के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता	4
बड़े पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने और समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान प्रोटोकॉल की स्थिति की जांच के लिए प्रतिष्ठानों का मध्यावधि निरीक्षण	3

12-6 y[kkijh{kk iSjk

भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड को वर्ष 2024 की रिपोर्ट 3, अध्याय 5, पैरा 5.1 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से निम्नलिखित लेखापरीक्षा पैरा प्राप्त हुए हैं

- बजट अनुमान तैयार न करना और योजना कार्यान्वयन का कम कवरेज
- जीव–जंतु कल्याण संगठनों द्वारा गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रस्तुत करना/या ना प्रस्तुत करना
- जुर्माना/दंड का संग्रह न करना
- पशु क्रूरता मामलों के संबंध में शिकायतों के पंजीकरण और निपटान के लिए अप्रभावी तंत्र
- भर्ती नियमों और विनियमों का अभाव
- पशु जन्म नियंत्रण नियमों (एबीसी नियम, 2001) का पालन न करना

उपर्युक्त लेखापरीक्षा पैरा का उत्तर vuqcU/k **XIII** में दिया गया है।

***

अध्याय-13

_.k] foLrkj vkSj çpkj

_.k] foLrkj vkj çpkj

अध्याय 13

13-1 fl gkoykdu

ऋण, विस्तार और प्रचार (CE&P) प्रभाग विभाग के सभी विस्तार और प्रचार प्रसार कार्यों की देखरेख करता है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के अंतर्गत पशुपालन करने वाले किसानों को दी जाने वाली ऋण सहायता की निगरानी भी CE&P प्रभाग द्वारा की जाती है।

विस्तार प्रभाग किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता, वैज्ञानिक अनुसंधान और पशुधन तथा पशुपालन में नई पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। यह विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और कार्यकलापों के माध्यम से प्रभावी विस्तार सेवाओं की स्थापना और संचालन में राज्य सरकारों का सहयोग भी करता है।

यह प्रभाग विभिन्न संचार प्लेटफार्मों का उपयोग करके विभाग के कार्यों का प्रचार करता है। यह PIB, प्रसार भारती, आकाशवाणी और केंद्रीय संचार ब्यूरो जैसे संगठनों के साथ मिलकर मीडिया अभियान तैयार और उनका संचालन करता है। यह व्यापक जनसमूह तक पहुंचने के लिए DAHD के प्लेटफार्मों के माध्यम से सोशल मीडिया का भी सक्रिय रूप से उपयोग करता है।

13-2 foLrkj vkj çpkj çlkj dk;ldyki

13-2-1 Hkkjr eMie] ubl fnYyh e 3 l 5 vçy] 2025 rd vk;kftr LVkVvi egkdHk 2025 e i’k/ku vkj M;jh {k= e uokpkjk ij vk;ktuA

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने दिनांक 3 से 5 अप्रैल, 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। सिल्वर सपोर्टिंग पार्टनर के रूप में, DAHD ने पशुधन और डेयरी क्षेत्र में नवाचारों और पहलों को प्रदर्शित करने के लिए एक संवादात्मक पवेलियन स्थापित किया। DAHD ने पशुधन और डेयरी क्षेत्र में कार्यरत 15 स्टार्टअप्स को स्टार्टअप पॉड्स उपलब्ध कराए, जहां उन्हें अपने उत्पादों/सेवाओं को प्रदर्शित करने और प्रमुख हितधारकों के साथ नेटवर्क बनाने का अवसर मिला, साथ ही भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में अपने प्रभाव को बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने का भी मौका मिला। इन स्टार्टअप्स ने कई नवाचार उत्पाद और तकनीके प्रदर्शित कीं, उदाहरण के लिए, डेयरी प्रसंस्करण में तापमान अनुपालन सुनिश्चित करना, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए AI निगरानी, मदचक्र का पता लगाने के लिए सेंसर–आधारित स्मार्ट कॉलर, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूध में मिलावट का पता लगाने वाली किट, डेयरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए एंड–टू–एंड SaaS प्लेटफॉर्म, कृत्रिम गर्भाधान (AI) गन, उत्पाद की ट्रेसबिलिटी में सुधार के लिए ब्लॉकचेन के माध्यम से डेयरी आपूर्ति श्रृंखला में डेटा एकीकरण आदि। DAHD की अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी ने पवेलियन का दौरा किया और कई स्टार्टअप्स से बातचीत की, और पशुधन प्रबंधन और डेयरी तकनीकों में उनके योगदान और नवाचारों की सराहना की।

इस पवेलियन में राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि जैसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसने शिक्षाविदों, उद्योग जगत के हितधारकों और आम जनता की ओर से काफी रुचि दिखाई गई।

13-2-2 i;koj.k] ou vkj tyok;q ifjorZu ea=ky; ¼MoEFCC½ }kjk vk;kftr] *oSf'od Lrj ij IykfLVd çnw"k.k dk var* 'kh"kd vfHk;ku d vraxr fo'o i;koj.k fnol 2025A

पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अभियान के तहत 'वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण का अंत' विषय पर विभिन्न कार्यकलापों आयोजित किए गए।

DAHD u fuEufyf[kr dk;Zdyki dh%

क. शपथ समारोहः प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने हेतु सभी अधीनस्थ कार्यालयों में शपथ समारोह आयोजित किए गए।

ख. स्वच्छता अभियानः कर्मचारियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के परिसर में स्वच्छता अभियान चलाए गए।

ग. पशु आहार और डेयरी उत्पादों के लिए पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया और इसी विषय पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया।

घ. किसानों और डेयरीपालकों को प्लास्टिक प्रदूषण के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में सूचित करने हेतु कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान चलाए गए।

ङ. सोशल मीडिया अभियानः अभियान से पूर्व की अवधि में 'वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण का अंत' विषय पर केंद्रित सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया।

कुल मिलाकर, 17 अधीनस्थ कार्यालयों ने विभिन्न कार्यकलापों में भाग लिया। दिनांक 5 जून, 2025 को बुधवार वर्ष 2025 कृषि भवन में शपथ समारोह आयोजित किया गया। पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव सुश्री अलका उपाध्याय ने कार्मिकों के साथ 'स्वच्छ भारत हरित भारत' की शपथ ली। DAHD के कार्मिकों ने पशुपालन क्षेत्र में 'वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण का उन्मूलन' विषय पर भी चर्चा की।

13-2-3 **DAHD** us ^,d i`Foh] ,d LokLF;* dk c<+kok fn;k% ;ksx fnol 2025 ij ikjaifjd i'kq fpfdRlk çn'kZfu;ksa vkSj O;kid o`{kkjksi.k ds lkFk ijaijk vkSj fLFkjrk dk laxe

पशुपालन और डेयरी विभाग ने गुजरात सरकार के सहयोग से गुजरात के चार स्थानों – द्वारका, सोमनाथ, हाजिरा (वडोदरा) और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी – और पूरे भारत में "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" विषय के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन किया। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने पटना में समारोह का नेतृत्व किया, जबकि क्रमशः आगरा और तिरुवनंतपुरम में माननीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन ने भाग लिया। वडोदरा में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में 1,200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। एक अतिरिक्त आकर्षण NDDB की प्रदर्शनी थी जिसमें पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित सतत पशु देखभाल को बढ़ावा देने वाली पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धतियों और आयुर्वेदिक पशुधन उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था।

नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में एक योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव सुश्री अलका उपाध्याय और मत्स्य विभाग के सचिव श्री अभिलक्ष लिखी सहित पशुपालन और डेयरी विभाग तथा मत्स्यपालन विभाग के वरिष्ठ कार्मिक स्टाफ उपस्थित थे। DAHD के अधीनस्थ कार्यालयों और देश भर में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा भी IDY 2025 को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जो स्वास्थ्य, स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश भर में आयोजित योग संगम कार्यक्रमों में 1.38 लाख से अधिक किसानों और 8,000 डेयरी सहकारी समितियों ने भाग लिया, जिसमें 12,000 से अधिक पौधे लगाए गए, जो स्वास्थ्य, सद्भाव और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।

पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying

13-2-4 ¼d½ lk>k lsok dsUæksa ¼CSC½ ds ek/;e ls if'peh vkSj nf{k.kh jkT;ksa@la?k jkT; {ks=ksa ds i'kqikydksa ds fy, opqZvy tkx:drk dk;ZØe

DAHD ने दिनांक 11 जुलाई, 2025 को साझा सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए एक वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने की। DAHD की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं।

माननीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने इस कार्यक्रम को पशुपालकों के साथ सीधे जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाने में विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए सेक्स सॉर्टेड सीमन (SSS) के उपयोग जैसी पहलों के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि SSS की कीमत में भारी कमी आई है, जिससे यह देश भर के किसानों के लिए अधिक सुलभ और किफायती हो गया है। उन्होंने किसानों से सत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया, क्योंकि इससे उन्हें पशुपालन में व्यावहारिक उपयोग के लिए ज्ञान को 'प्रयोगशाला से खेत तक' पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने विभिन्न राज्यों के किसानों से भी बातचीत की और उनके पशुधन, पशु चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच और विभागीय योजनाओं के बारे में उनकी जागरूकता के बारे में जानकारी प्राप्त की।

DAHD की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने के लिए समय पर टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया और साथ ही जूनोसिस की अवधारणा पर चर्चा करते हुए रोग नियंत्रण उपायों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने में उन्नत नस्ल सुधार तकनीकों की भूमिका पर भी बल दिया। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों को कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान को अपने कार्यों में सक्रिय रूप से लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे पशुपालन क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान हो सके।

इस कार्यक्रम में देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 2000 CSC से 1 लाख पशुपालकों ने भाग लिया। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, गोवा, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के किसान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को पशुपालन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे नस्ल सुधार, टीकाकरण, विदेशी रोगों पर नियंत्रण और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में SSS और टीकाकरण पर विशेषज्ञ सत्र रखे गए और शैक्षिक वीडियो दिखाए गए।

यह पहल पशुधन और डेयरी क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभाग के प्रयासों का हिस्सा है, जिसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है तथा पशुपालकों और डेयरी किसानों से सीधे संपर्क स्थापित किया जा रहा हैं

13-2-4 ¼[k½ i'kqikyu vkSj Ms;jh foHkkx us jkT; ea=h çks- ,l-ih- flag c?ksy dh v/;{krk esa mÙkj] mÙkj&iwohZ jkT;ksa vkSj fcgkj esa lk>k lsok dsUæksa ¼CSC½ ds ek/;e ls opqZvy tkx:drk dk;ZØe vk;ksftr fd;kA

"पशुधन उत्पादकता संवर्धन" विषय पर दिनांक 23 जुलाई, 2025 को एक वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने की। पशुपालन और डेयरी विभाग (**DAHD**) की सचिव श्रीमी अलका उपाध्याय, DAHD की अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सत्र में उपस्थित थे। यह एक विस्तार कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य बिहार सहित उत्तर और उत्तर–पूर्वी राज्यों के पशुपालकों को सशक्त बनाना था। यह कार्यक्रम साझा सेवा केंद्रों (CSCs) के माध्यम

से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 4,000 CSC केंद्रों के माध्यम से 2 लाख से अधिक पशुपालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और लद्दाख सहित 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालकों ने इस सत्र में भाग लिया।

अपने संबोधन में प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने किसानों से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने और कृत्रिम गर्भाधान, जीनोमिक चयन, जैव सुरक्षा उपायों और AHD किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। श्रीमती अलका उपाध्याय ने किसानों को सीधे सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और पहाड़ी क्षेत्रों में पशुधन और डेयरी के विकास की अपार संभावनाओं की ओर इशारा करते हुए स्थानीय समुदायों से अपने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने का आग्रह किया। संवाद के दौरान, सुश्री वर्षा जोशी ने सेक्स–सॉर्टेड सीमेन और IVF जैसी उन्नत प्रजनन तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया और किसानों को विज्ञान आधारित उत्पादकता सुधारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस जागरूकता कार्यक्रम में आधुनिक तकनीकों और सहायता योजनाओं के माध्यम से पशुधन उत्पादकता बढ़ाने पर विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्र और जानकारीपूर्ण वीडियो शामिल थे। इसने ज्ञान साझा करने, नीतिगत जागरूकता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिसमें ग्रामीण विकास में पशुपालकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। यह पहल देश भर के किसानों के साथ सीधे जुड़कर और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पशुधन और डेयरी क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए DAHD के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

13-2-4 ¼x½ e/;] iwohZ] nf{k.kh vkSj mÙkjh jkT;ksa@la?k jkT; {ks=ksa ds 2]000 lk>k lsok dsaæksa ¼CSCs½ ds ek/;e ls 1 yk[k i'kqikydksa ds fy, opqZvy tkx:drk dk;ZØeA

दिनांक 20 अगस्त, 2025 को मध्य, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साझा सेवा केंद्रों (CSCs) के माध्यम से पशुपालकों के लिए एक वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने की। सुश्री वर्षा जोशी, अपर सचिव (CDD), श्री रमा शंकर सिन्हा, अपर सचिव (LH) और डॉ. मुथुकुमारसामी बी., संयुक्त सचिव (IT/NLM/SD) के साथ–साथ पशुपालन और डेयरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

माननीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने इस कार्यक्रम को पशुपालकों के साथ सीधे जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए टीकाकरण कार्यक्रम और सेक्स सॉर्टेड सीमन (SSS) के उपयोग जैसी पहलों की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। माननीय राज्य मंत्री ने पशुपालकों से बातचीत की और उन्हें SSS(सेक्स सॉर्टिड सीमन) तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप 90% से अधिक बछड़ियों का जन्म हुआ, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई। उन्होंने किसानों से सत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया ताकि वैज्ञानिक ज्ञान को व्यावहारिक पशुपालन फार्मिंग के लिए 'प्रयोगशाला से खेत तक' पहुंचाया जा सके। उन्होंने टीकाकरण के महत्व पर भी बल दिया और किसानों को सलाह दी कि वे अपने पशुओं का नियमित टीकाकरण करवाएं और उपचार संबंधी सहायता के लिए विभाग के टोल–फ्री नंबर 1962 का उपयोग करें।

देश के मध्य, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2,000 स्थानों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम में एक लाख पशुपालकों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली और चंडीगढ़ सहित विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को पशुपालन के महत्वपूर्ण पहलुओं, जैसे नस्ल सुधार, जूनोटिक रोगों नियंत्रण, जैव सुरक्षा और विभागीय योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास के बारे में जागरूक करना था। इसमें पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता वीडियो और विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्र शामिल थे।

यह पहल पशुधन और डेयरी क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभाग के प्रयासों का हिस्सा है, जिसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है और पशुपालकों तथा डेयरी किसानों से सीधे संपर्क स्थापित किया जा रहा है।

13-2-5 **DAHD** us **UNDP** bafM;k ds lg;ksx ls fnukad 3 flrEcj 2025 dks vkxjk] mÙkj çns'k esa *lapkj j.kuhfr ds fodkl ij fgr/kkjd ijke'kZ* fo"k; ij ,d jk"Vªh; dk;Z'kkyk dk vk;kstu fd;k vkSj viuk vkf/kdkfjd 0gkV~l,i pSuy y‚Up fd;kA

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने UNDP इंडिया के सहयोग से दिनांक 3 सितंबर 2025 को आगरा, उत्तर प्रदेश में 'संचार रणनीति के विकास पर हितधारक परामर्श' विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यक्रम DAHD और UNDP के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत आयोजित किया गया था। माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इस अवसर पर, ''पशुपालन और डेयरी विभाग'' भारत सरकार का आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य पशुपालकों को सरकारी योजनाओं, पशुपालन पद्धतियों, रोगों के प्रकोप, टीकाकरण कार्यक्रम, मौसम संबंधी चेतावनियों, चारे की उपलब्धता और पशुधन के बाजार मूल्यों सहित विभिन्न प्रकार की जानकारी वास्तविक समय में उपलब्ध कराना है। यह चौनल विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। चौनल से जुड़ने के लिए, उपयोगकर्ता QR कोड स्कैन कर सकते हैं या निम्नलिखित लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: https://whatsapp.com/channel/0029VbB7I•MCBt•8wvHZVi2oA

अपने संबोधन में, प्रोफेसर बघेल ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक किसान तक सभी सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के महत्वता पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के निदेशकों और नोडल अधिकारियों के साथ एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें जमीनी स्तर पर विस्तार कार्यकलाप और किसानों के लाभ के लिए पहुंच और प्रभाव को और बढ़ाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

13-2-6 fnukd 12&13 flrcj] 2025 dk *dUotil iofy;u* ljl vkthfodk eyk 2025

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन और डेयरी विभाग ने दिनांक 12 से 13 सितंबर, 2025 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित दिल्ली SARAS आजीविका मेला 2025 में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

मेले के एक भाग के रूप में, भाग लेने वाले मंत्रालयों और विभागों को अपनी पहलों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित स्लॉट प्रदान करने हेतु एक 'कन्वर्जेंस पवेलियन' स्थापित किया गया था। इस मंच ने DAHD को अपने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रभावी ढंग से प्रसारित करने और आगंतुक राज्यों, लाभार्थियों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने में सक्षम बनाया, जिससे ग्रामीण आजीविका क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिला और पहुंच प्रयासों को बढ़ाया जा सका।

13-2-7 DAHD us i'kikydk dsfy, ,Fkuk oVjujh vk"kf/k ¼EVM½ ij opvy tkx:drk dk;Øe dk vk;ktu fd;k

'आयुर्वेद लोगों और ग्रह के लिए' विषय पर आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, पशुपालन डेयरी पालन विभाग (DAHD) ने दिनांक 23 सितंबर 2025 को साझा सेवा केंद्रों (CSC) नेटवर्क के माध्यम से पशुपालकों के लिए एथनो वेटरनरी औषधि (EVM) पर एक वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव श्री नरेश पाल गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के 2,000 से अधिक CSC के एक लाख से अधिक किसानों ने भाग लिया। श्री गंगवार ने पशुधन के सतत स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से निपटने के लिए आयुर्वेद को आधुनिक पशु चिकित्सा पद्धतियों के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया और EVM को एक पर्यावरण अनुकूल और किफायती विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया।

DAHD की अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी ने बोवाईन में होने वाले मैस्टाइटिस के उपचार में म्टड के उपयोग पर प्रकाश डाला और एंटीबायोटिक औषधियों के उपयोग को कम करने में इसकी भूमिका पर बल दिया, जिससे एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) को कम किया जा सके। उन्होंने पशुपालकों को स्वस्थ पशुधन और दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पारंपरिक हर्बल उपचार अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

इस कार्यक्रम में आयुर्वेद आधारित पशु चिकित्सा पद्धतियों पर विशेषज्ञ सत्र शामिल थे, और यह DAHD के सतत पशुधन प्रबंधन, औशधीय पौधों के संरक्षण और किसानों के लिए किफायती स्वास्थ्य देखभाल समाधानों को बढ़ावा देने के व्यापक मिशन के अनुरूप था।

13-2-8 ubZ fnYyh ds Hkkjr eMie esa vk;ksftr fo'o [kk| Hkkjr 2025 esa i'kqikyu vkSj Ms;jh foHkkx dh Hkkxhnkjh

पशुपालन और डेयरी पशु विभाग ने दिनांक 25 से 28 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भाग लिया।

विभाग के पवेलियन में पशुधन और डेयरी क्षेत्रों की प्रमुख योजनाओं, पहलों और नवाचार तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारत भर के 15 स्टार्टअप शामिल थे – जिनमें डेयरी उत्पाद इनोवेटर्स से लेकर पशुधन आधारित तकनीकी कंपनियां शामिल थीं। दिनांक 25 सितंबर को, माननीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने हैंगर 1 स्थित पवेलियन का दौरा किया, जहां 'सेल्फी पॉइंट' और स्टार्टअप द्वारा उत्पादों के लाइव प्रदर्शन ने विशेष ध्यान आकर्षित किया।

पवेलियन ने तकनीकी नवाचार और क्षेत्रीय विकास के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को उजागर किया, जिसे उद्यमियों, इनोवेटर्स और विदेशी प्रतिनिधियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। विभाग ने उद्घाटन दिवस पर CEO गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया और दिनांक 25 सितंबर को 'सतत पशुधन उत्पादनः गैर–बोवाईन क्षेत्र में उभरते अवसर' शीर्षक से एक ज्ञान सत्र का आयोजन किया। संयुक्त सचिव (DAHD) डॉ. मुथुकुमारसामी बी. की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में मिल्कस्टेशन मंत्रा, स्वाधा एग्री, डेलीफ्रेश फार्म टेक प्राइवेट लिमिटेड और DAHD के अधिकारियों ने वक्ताओं के रूप में भाग लिया। इसने सार्थक चर्चाओं को सुगम बनाया, जिससे हितधारकों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान–प्रदान को प्रोत्साहन मिला।

कुल मिलाकर, विभाग की भागीदारी ने पशुधन और डेयरी क्षेत्रों में नवाचारों को प्रदर्शित करने, संवाद को बढ़ावा देने और विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक गतिशील मंच के रूप में कार्य किया।

13-2-9 fnukd 7 uocj] 2025 dk on ekrje dh 150oh o”kxkB d miy{; e vk;kftr Lej.kkRed dk;Øe

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने और हमारे राष्ट्रीय गीत के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व को सम्मानित करने के लिए, विभाग ने दिनांक 7 नवंबर, 2025 को कृषि भवन में माननीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल की अध्यक्षता में यह दिवस मनाया। यह समारोह विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों और डेयरी सहकारी समितियों सहित 119 संस्थानों में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 3,120 व्यक्तियों ने भाग लिया।

13-2-10 fnukd 12 uocj] 2025 dk ;'kkHkfe] ubl fnYyh e vk;kftr tutkrh; 0;kikj lEeyu 2025] fd;k x;kA

DAHD ने दिनांक 12 नवंबर 2025 को यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित 'जनजातीय व्यापार सम्मेलन 2025' प्रदर्शनी में भाग लिया। विभाग ने एक प्रदर्शनी स्टॉल लगाकर इसमें भाग लिया, जिसमें विभाग द्वारा कार्यान्वित फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया गया और साथ ही आगंतुकों को विभाग की सफलता की कहानियों से अवगत कराया गया।

इस मंच ने DAHD को अपने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रभावी ढंग से प्रसारित करने और आने वाले राज्यों, लाभार्थियों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने में सक्षम बनाया, जिससे ग्रामीण आजीविका क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिला और पहुंच प्रयासों को बढ़ाया जा सका।

13-2-11 44ok Hkkjrh; vrjk"Vh; 0;kikj eyk ¼IITF½ fnukd 14&27 uocj] 2025 rd Hkkjr eMie] ubZ fnYyh e vk;kftr gvkA

DAHD ने तकनीकी नवाचार और डेयरी उत्पादों से संबंधित 2 स्टार्टअप की भागीदारी के साथ भारत मंडपम, नई दिल्ली में दिनांक 14–27 नवंबर, 2025 तक आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में भाग लिया।

DAHD में नाम प्रदर्शनी स्टॉल में विभाग द्वारा कार्यान्वित फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' विषय पर आधारित DAHDस्टॉल में विभाग की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, देशी नवाचार और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में टिकाऊ प्रथाओं के महत्व को उजागर करना था।

13-2-12 fnukad 1 uoacj] 2025 ls 15 uoacj] 2025 rd 5oa tutkrh; xkSjo fnol 2025 dk vk;kstu fd;k x;kA

DAHD ने दिनांक 1 नवंबर, 2025 से 15 नवंबर, 2025 तक विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में 5वें जनजातीय गौरव दिवस 2025 के आयोजन में भाग लिया।

आदिवासी समुदायों को विभाग की विभिन्न सरकारी योजनाओं और पशुधन क्षेत्र में अवसरों के बारे में सूचित करने के लिए विभिन्न जन जागरूकता अभियान चलाए गए, जिनका उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना, भागीदारी बढ़ाना और स्थानीय आदिवासी समुदायों के

बीच आजीविका जागरूकता को मजबूत करना था।

13-2-13 DAHD us fnukd 19 uoEcj] 2025 dks PM-KISAN ;kstuk dh 21oha fdLr ds forj.k lekjksg esa Hkkx fy;kA

DAHD ने अपने विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से वर्चुअल रूप से अगस्त 2025 से नवंबर 2025 की अवधि के लिए PM-KISAN योजना की 21वीं किस्त के वितरण समारोह में भाग लिया, जिसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2025 को पात्र किसानों को जारी किया गया था।

इस वर्चुअल कार्यक्रम के लिए कुल 129 स्थान निर्धारित किए गए थे, जिसमें 22,213 पशुपालकों और डेयरी सहकारी समितियों ने भाग लिया।

13-2-14 fnukd 26 uoEcj] 2025 dks ubZ fnYyh esa jk"Vªh; nqX/k fnol 2025 euk;k x;k] vkSj jk"Vªh; xksiky jRu iqjLdkj 2025 çnku fd, x,A

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, DAHD ने 25 नवंबर, 2025 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2025 मनाया। इस कार्यक्रम में माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल, FAHD माननीय राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, DAHD सचिव श्री नरेश पाल गंगवार सहित DAHD के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

समारोह के दौरान, मुख्य अतिथि, माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल ने तीन श्रेणियों: देशी गोपशु/भैंस की नस्लों का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति (DCS)/दूध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन में विजेताओं को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए।

माननीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के अंतर्गत रोपड़ मिल्क संघ द्वारा चालू किए गए 20 आधुनिक इंसुलेटेड दूध टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, यह कार्यक्रम JICA समर्थित परियोजना–घटक ख: सहकारी समितियों के माध्यम से दूध उत्पादन के तहत चलाया जा रहा है। इस अवसर पर 9 नस्ल वृद्धि फार्मों का भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के दौरान माननीय राज्य मंत्री ने निम्नलिखित का भी शुभारंभ किया:

- Hkkjr esa i'kq fpfdRlk volajpuk ds U;wure ekudksa ds fy, fn'kkfunsZ'k – ये दिशानिर्देश पशु चिकित्सा सेवा डिलीवरी के लिए एक समान चार–स्तरीय संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें प्राथमिक पशु चिकित्सा देखभाल केंद्र (PVC), ब्लॉक–स्तरीय पशु चिकित्सा अस्पताल, जिला–स्तरीय पशु चिकित्सा अस्पताल और राज्य–स्तरीय पॉलीक्लिनिक/रेफरल केंद्र शामिल हैं, ये दिशानिर्देश राज्यों को पशु चिकित्सा सेवा वितरण को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे।

- eqyHkwr i'kqikyu lkaf[;dh (BAHS) 2025 – BAHS 2025 एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है जो पशुधन और डेयरी क्षेत्र पर व्यापक डेटा प्रदान करता है। BAHS–2025 एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (ISS) के परिणामों के वार्षिक आधार पर देश में दूध, अंडे, मांस और ऊन के उत्पादन का अनुमान जारीए जो पूरे देश में तीन ऋतुओं अर्थात् ग्रीष्म ऋतु (मार्च–जून), वर्षा ऋतु (जुलाई–अक्टूबर) और शीत ऋतु (नवंबर–फरवरी) में आयोजित किया जाता है।

अपने संबोधन में, माननीय राज्य मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया और बताया कि भारत सरकार के प्रयासों से प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो प्रतिदिन 485 ग्राम तक पहुंच गई है, जो वैश्विक औसत 329 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है। उन्होंने डेयरी किसानों को प्रोत्साहित किया और कहा कि राष्ट्र की शक्ति गांवों में निहित है। माननीय मंत्री ने अपने भाषण में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार विजेताओं की

सराहना की और डेयरी क्षेत्र की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।

इस कार्यक्रम में 'पशु उत्पादकता बढ़ाना – तकनीकी विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों के साथ अनुभव साझा करना' विषय पर विचारोत्तेजक पैनल चर्चा भी हुई, जिसमें विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों ने अपने विचार, व्यावहारिक अनुभव, नवोन्मेशी पद्धतियां, नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना और जमीनी स्तर की रणनीतियां साझा कीं, जिनसे पशु उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं।

13-2-15 fnukad 29 uoacj] 2025 dks jk"Vªh; ehfM;k dsaæ] ubZ fnYyh esa fodflr Hkkjr ds fy, vkmVfjp vkSj lapkj ij dk;Z'kkyk dk vk;kstu fd;k x;kA

विभाग के सभी अपर सचिवों, पशुपालन आयुक्तों और संयुक्त सचिवों ने दिनांक 29 नवंबर को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित विकसित भारत के लिए आउटरिच और संचार पर कार्यशाला में भाग लिया। यह कार्यशाला दिनांक 25 अक्टूबर, 2025 को आयोजित 'विकसित भारत के लिए आउटरिच और संचार में सुधार' विषय पर एक दिवसीय सचिव सम्मेलन के अनुवर्ती के रूप में आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान सामने आए प्रमुख बिंदुओं और परिणामों को उजागर करना था।

13-2-16 fnukad 18 fnlacj] 2025 dks —f"k Hkou esa vk;kftr Jenku dk;ZØe ds fy, lks'ky ehfM;k vfHk;ku

दिनांक 16 दिसंबर से दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक मनाए जा रहे पाक्षिक स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत, जो 10वीं वर्षगांठ के कार्यान्वयन का प्रतीक है।

लगातार दूसरे वर्ष, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 18 दिसंबर, 2025 को कृषि भवन, नई दिल्ली में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया।

यह कार्यक्रम माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल के नेतृत्व में आयोजित किया

गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

सभा को संबोधित करते हुए, माननीय राज्य मंत्री ने कार्यस्थल पर स्वच्छता और साफ–सफाई के महत्व पर जोर दिया और संगठनात्मक उत्पादकता बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वच्छ कार्य वातावरण बनाए रखने से संस्थानों की प्रभावशीलता और दक्षता पर स्थायी प्रभाव पड़ता है और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान होता है।

13-2-17 fnukad 19 fnlacj] 2025 dks —f"k Hkou] esa Jenku xfrfof/k ij v,uykbu vfHk;ku

दिनांक 16 दिसंबर से दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक मनाए जा स्वच्छता पखवाड़े के लगातार दसवें वर्ष के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में, DAHD द्वारा दिनांक 19 दिसंबर, 2025 को कृषि भवन, नई दिल्ली में श्रमदान कार्यकलाप का आयोजन किया गया।

यह कार्यकलाप DAHD की अपर सचिव सुश्री वर्षा जोशी के नेतृत्व में संचालित किया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने कृषि भवन में चलाए गए स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

13-2-18 ,&gYi ¼i'kq/ku mRiknu ds LokLF; vkSj foLrkj ds fy, ekU;rk çkIr ,tsaV½

- भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (M/oFAHD) के अधीन पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ने दिनांक 1 सितंबर, 2021 को एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए।
- MoU के अनुसार, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) पशुधन संसाधन व्यक्तियों और प्राथमिक सेवा प्रदाताओं के रूप में पशुसखियों (स्वयं सहायता समूहों) के सदस्यों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 'ए–हेल्प' (पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) नामक एक नए मान्यता प्राप्त मॉडल का उपयोग करेगा।
- यह कार्यक्रम वर्ष 2022 में शुरू किया गया था, और तब से अब तक 293 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और 908 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। NDDB द्वारा तैयार किए गए राज्यवार मास्टर ट्रेनरों का विवरण नीचे दिया गया है:

ekLVj Vsªusl dk;Øe dh lefdr fLFkfr			
Ø-l-	jkT;@la?k jkT; {ks=	vk;ksftr dk;Øeksa dh la[;k	mifLFkr çfrHkkfx;ksa dh la[;k
1	मध्य प्रदेश	5	60
2	जम्मू एवं कश्मीर	2	40
3	उत्तराखंड	4	59
4	झारखंड	4	59
5	महाराष्ट्र	3	59
6	बिहार	3	60
7	गुजरात	4	99
8	कर्नाटक	4	126
9	केरल	3	65
10	असम	2	40
11	राजस्थान	3	74
12	छत्तीसगढ़	3	61
13	मिजोरम	2	10
14	सिक्किम	1	5
15	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	5
16	त्रिपुरा	2	10
17	ओडिशा	2	33
18	उत्तर प्रदेश	2	43
	dqy	51	908

- अर्थात् 16 राज्यों केरल, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, ओडिशा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में कुल 293 ए–हेल्प फील्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों

में 7504 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम AHD प्रशिक्षण केंद्रों / RSETI / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / NGO / ट्रस्ट / LDB प्रशिक्षण केंद्रों / निजी प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किए जाते हैं।

वन–हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रतिभागियों का राज्य वार विवरण नीचे दिया गया है:

Ø-l-	jkT;@la?k jkT; {ks=	dk;Øeksa dh la[;k	çf'kf{kr çfrHkkfx;ksa dh la[;k
1	मध्य प्रदेश	41	1047
2	जम्मू और कश्मीर	24	599
3	बिहार	50	1246
4	गुजरात	21	486
5	कर्नाटक	18	542
6	झारखंड	12	294
7	उत्तराखंड	20	506
8	असम	6	150
9	केरल	15	438
10	महाराष्ट्र	24	651
11	मिजोरम	9	225
12	राजस्थान	3	70
13	सिक्किम	4	100
14	ओडिशा	37	928
15	त्रिपुरा	5	120
16	छत्तीसगढ	4	102
dqy		293	7504

13-3 tu tkx:drk dk;Øe

13-3-1 lpuk] f'k{kk vkSj lapkj ¼IEC½ lkexzh

- डिजिटल इकोसिस्टम, तकनीकी नवाचार, विस्तार कार्यकर्ता, विश्व का सबसे बड़ा खुरपका और मुंहपका टीकाकरण अभियान, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, DAHD के लाभार्थियों की सफलता की कहानियां और DAHD की उपलब्धियों पर 7 वीडियो तैयार किए गए हैं, जिन्हें दिनांक 1 से 7 जून 2025 तक ओसाका, जापान में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 में प्रदर्शित किया जाएगा।
- गोपाल रत्न पुरस्कार विजेताओं पर आधारित 15 वीडियो तैयार किए गए हैं, जो प्रभावशाली कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए मल्टीमीडिया दृष्टिकोण में योगदान करते हैं।

13-3-2 lks'ky ehfM;k

13-3-2-1 lks'ky ehfM;k fjiksVZ ¼vçSy 2025& fnlacj 2025½

fVoVj½ उल्लिखित अवधि के दौरान X (पूर्व में ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर कुल 1311 पोस्ट किए गए। इस प्लेटफॉर्म के 134.9 हजार फॉलोअर्स हैं।

उल्लिखित अवधि के दौरान, प्लेटफॉर्म को 13.5 हजार लाइक और 1.2 मिलियन से अधिक इंप्रेशन मिले।

Qslcd% इस अवधि के दौरान फेसबुक पर कुल 1311 पोस्ट किए गए। उल्लिखित अवधि के दौरान इन पोस्टों को 1,27,000 लाइक और 19.1 मिलियन व्यूज मिले। प्लेटफॉर्म के 207,348 से अधिक फॉलोअर्स हैं।

bLVkxke% उपरोक्त अवधि के दौरान इंस्टाग्राम पर कुल 1311 पोस्ट किए गए। इन पोस्टों को 474.7 हजार रीच और 91.3 हजार कंटेंट इंटरैक्शन मिले। प्लेटफॉर्म के 15,005 से अधिक फॉलोअर्स हैं।

fyDMbu% उल्लिखित अवधि के दौरान लिंक्डइन पर कुल 1311 पोस्ट किए गए। इन पोस्टों को 15,000 से अधिक लाइक और 1,127,641 से अधिक इंप्रेशन मिले। प्लेटफॉर्म के कुल 13,273 फॉलोअर्स हैं।

ifCyd ,i% कुल 1311 पोस्ट किए गए। प्लेटफॉर्म के 352.1 हजार फॉलोअर्स हैं।

OgkV l ,i% इस अवधि के दौरान व्हाट्स,प पर कुल 253 पोस्ट किए गए। इस प्लेटफॉर्म पर 110,000 फॉलोअर्स हो गए हैं।

- 13-3-2-2 lks’ky ehfM;k vfHk;ku
- ou&gYFk tkx:drk vfHk;ku
- वैश्विक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप, वन हेल्थ अभियान ने tukfVd jksx dh jksdFkke] i;koj.kh; çHkkoksa vkj ,VhekbØksfc;y çfrjks/k ¼AMR½ के बारे में जागरूकता बढ़ाई। इस अभियान ने स्वास्थ्य के प्रति lexz –f"Vdks.k dks c<+kok fn;k और सतत तथा लचीले समुदायों के निर्माण के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों को प्रोत्साहित किया।

i’kqikydksa ds fy, opqZvy tkx:drk dk;Øe

DAHD ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए lk>k lsok dsanz ¼CSC½ usVodZ के माध्यम से एक व्यापक वर्चुअल जागरूकता पहल को बढ़ावा दिया, जिससे ns’kHkj esa 1 yk[k ls vf/kd fdlkuksa तक पहुंचा जा सका। लाइवस्ट्रीम, इंटरएक्टिव Q&A सत्रों और सरलीकृत इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से, किसानों ने uLy lq/kkj] le; ij Vhdkdj.k] tuukfVd jksxksa dh jksdFkke vkj oSKkfud LoPNrk i)fr;ksa के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिससे ग्रामीण सूचना अंतराल को पाटने और आधुनिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला।

i’kq/ku m|ferk çkRlkgu vfHk;ku

प्रेरक किसान सफलता की कहानियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उजागर करने वाली पोस्टों के माध्यम से, DAHD ने युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों को i’kq/ku vkj MS;jh dks 0;ogk;Z 0;kolkf;d volj ds :i esa तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अभियान ने डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन और संबद्ध क्षेत्रों में विकास के अवसरों को प्रदर्शित किया, जिससे समुदायों को आय के विविधीकरण और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित किया गया।

ekSleh i’kq/ku LokLF; ijke’kZ vfHk;ku

DAHD ने आकर्षक दृश्यों, रीलों और चरण–दर–चरण सुझावों का उपयोग करते हुए मौसमी स्वास्थ्य परामर्श जारी किए। ekulwu ds nkSjku i’kqvksa dh ns[kHkky] –feuk"kd] lrfyr i’kq vkgkj] LoPN ty dh miyC/krk vkj ‘khrdkyhu i’kq ns[kHkky जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस अभियान का उद्देश्य पशुधन को जलवायु संबंधी रोगों के जोखिम से बचाना, पशुओं के तनाव को कम करना और सरल, व्यावहारिक उपायों के माध्यम से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत था।

jk"Vªh; i’kq Vhdk ¼Vhdkdj.k½ tkx:drk vfHk;ku

इस अभियान में खुरपका और मुंहपका रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस, HS, BQ और PPR tSls çeq[k jksxksa ds fy, le; ij टीकाकरण पर जोर देने के लिए टेक्स्ट पोस्ट, रीलों और अनुस्मारक ग्राफिक्स का उपयोग किया गया। इसका उद्देश्य झुंड की प्रतिरक्षा को मजबूत करना, रोगों के प्रकोप को कम करना और किसानों को निर्धारित टीकाकरण के माध्यम से पशुधन उत्पादकता की रक्षा करने में मदद करना था।

LoPN Ms;jh vkSj n/k LoPNrk vfHk;ku

DAHD के सोशल मीडिया ने स्वच्छ दुहने, स्वच्छ उपकरणों के उपयोग, सुरक्षित भंडारण और दूध के स्वच्छ परिवहन के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को n/k dh xq.koÙkk lq/kkjus] miHkksäkvksa ds LokLF; dh j{kk djus vkSj cgrj cktkj eY; प्राप्त करने में मदद करना था, जिससे खेत स्तर की प्रक्रियाओं और समग्र डेयरी मूल्य श्रृंखला के परिणामों के बीच संबंध मजबूत हो सके।

iks"k.k vkSj Ms;jh eY; tkx:drk vfHk;ku

इस अभियान ने पोस्टों, इन्फोग्राफिक्स और लघु वीडियो के माध्यम से n/k vkSj Ms;jh mRiknksa ds iks"k.k lEcU/kh ykHkksa को उजागर किया। आसानी से समझ में आने वाले तथ्यों को प्रस्तुत करके, इस अभियान ने दर्शकों को दैनिक पोषण में विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए डेयरी की भूमिका को समझने में मदद की।

i'k/ku {ks= lkaf[;dh tkx:drk vfHk;ku

DAHD eqyHkwr i'kqikyu lkaf[;dh 2025 पर आधारित रचनात्मक इन्फोग्राफिक्स का उपयोग करके दूध, अंडे, मांस और ऊन के उत्पादन रुझानों को समझाया। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र की विकास गति में हितधारकों का विश्वास बढ़ाना और भारत के पशुधन और डेयरी योगदान के बारे में जनता की समझ को बढ़ाना था।

çekf.kr i'kq LokLF; ijke'k vfHk;ku

इस अभियान का उद्देश्य i'kq LokLF; ekxZn'kZu के लिए DAHD के सोशल मीडिया अकाउंट्स को fo'oluh; lzksr के रूप में स्थापित करना था। विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई पोस्टों, लक्षणों की सूचियों, निवारक उपायों और पशु चिकित्सा दवाओं के तर्कसंगत उपयोग से संबंधित संदेशों के माध्यम से, इस अभियान ने गलत सूचनाओं का मुकाबला किया और किसानों को पशु स्वास्थ्य के बारे में सोच–समझकर निर्णय लेने में मदद की।

i'k/ku jksx fuokj.k ,oa tSo lqj{kk vfHk;ku

टीकाकरण संदेशों के अलावा, DAHD ने lqxfBr LoPNrk lEcU/kh mik;ksa vkSj jksx dk 'kh?kz irk yxkus जैसी जैव सुरक्षा प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई। इस अभियान में साधारण दृश्य और विशेषज्ञ सुझावों का उपयोग किया गया ताकि जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझा जा सके और फार्म स्तर पर लागू किया जा सके।

fe'ku ykbQ ¼i;kZoj.k ds fy, thou'kSyh½ tkx:drk vfHk;ku

DAHD की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए अनुसार, lrr i'k/ku çFkkvksa dks çksRlkfgr djus के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से fe'ku ykbQ vfHk;ku चलाया गया। इस अभियान में i'k/ku vif'k"V çc/ku के पर्यावरणीय लाभों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें बायोगैस उत्पादन, खाद बनाना और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग शामिल है। रचनात्मक वीडियो और इन्फोग्राफिक्स ने दिखाया कि कैसे सतत प्रथाएं पर्यावरण और फार्म अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ पहुंचाती हैं।

ekulwu ns[kHkky vfHk;ku

पशुधन के वैज्ञानिक प्रबंधन विषय के अंतर्गत, DAHD के सोशल मीडिया ने बरसात के मौसम के दौरान पशुधन के स्वास्थ्य के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए एक समर्पित ekulwu ns[kHkky vfHk;ku

चलाया। पोस्ट में dhV fu;=.k d l|>ko] vkJ; j[kj[kko ekxn'ku] jkx fuokj.k d mik; और मानसून की चुनौतियों के अनुरूप 0;kogkfjd i'k n[kHkky lykg शामिल थी।

tukfVd jkxk d ckj e tkx:drk vfHk;ku

पशु और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, DAHD ने एक अभियान चलाया जिसमें लोगों को tukfVd jkxk, उनकी रोकथाम और पशु चिकित्सकों की भूमिका से परिचित कराया गया। लघु रील्स, एनिमेटेड व्याख्यात्मक सामग्री और विशेषज्ञों के Q&A सत्रों ने समुदायों को उन रोगों को समझने में मदद की जो पशुओं और मनुष्यों के बीच फैल सकती हैं और जोखिमों को कम करने के लिए व्यावहारिक उपाय बताए।

DAHD 0gkV l,i puy dk 'kHkkjHk vkj lgHkkfxrk vfHk;ku

fnuk d 3 flrcj 2025 को, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने fdlkuk d ekckby Qku ij lh/k fo'oluh; i'k/ku vkj M;jh lc/kh tkudkjh igpku के लिए अपना vkf/kdkfjd 0gkV l,i puy लॉन्च किया। QR code, रील्स, कैरोसेल पोस्टों और प्लेटफॉर्म–विशिष्ट क्रिएटिव के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित इस अभियान ने किसानों को fj;y Vkbe e Vhdkdj.k vyV] ekleh i'k n[kHkky l>ko] ljdkjh ;ktukvk dh tkudkjh] jkx prkouh ln'k vkj ekle lc/kh lykg प्राप्त करने के लिए चौनल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सुलभता और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करके, इस अभियान ने सरकार और फार्मिंग समुदायों के बीच सीधे संचार को सुदृढ़ किया, जिससे गलत सूचनाओं को कम करने और जमीनी स्तर पर समय पर मार्गदर्शन सुनिश्चित करने में मदद मिली।

i'kikyu tkx:drk ekg fMftVy vfHk;ku

DAHD ने जागरूकता माह के कार्यकलापों से मिली गति को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया, जिसमें पशु कल्याण शिविरों, पशुधन स्वास्थ्य जांचों, कृमिनाशक अभियानों और किसान प्रशिक्षणों पर प्रकाश डाला गया। इसका उद्देश्य निरंतर डिजिटल प्रचार के माध्यम से ufrd i'kikyu] i'k dY;k.k vkj oKkfud i'k/ku n[kHkky को बढ़ावा देना था।

vMk vkj ikYVh ik"k.k tkx:drk vfHk;ku

इस अभियान ने vMk dk ,d fdQk;rh vkj ikf"Vd çkVhu lkr के रूप में बढ़ावा दिया, इससे जुड़े मिथकों को दूर किया और पोषण संबंधी तथ्य प्रदान किए। इस पहल ने पोल्ट्री किसानों को सहायता प्रदान की और सभी वर्गों के लोगों में स्वस्थ खान–पान की आदतों को प्रोत्साहित किया।

pkjk fodkl vkj lrfyr i'k pkjk vfHk;ku

पोस्ट के माध्यम से किसानों को pkjk çc/ku] lkbyt r;kj dju vkj lrfyr vkgkj के बारे में शिक्षित किया गया, जिससे चारे की गुणवत्ता में सुधार हुआ, पूरे वर्ष चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हुई और पशुधन का प्रदर्शन बेहतर हुआ।

¶yxf'ki ;ktukvk dk çpkj vfHk;ku

DAHD ने सरलीकृत दृश्यों और चरण–दर–चरण मार्गदर्शिकाओं का उपयोग करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन बीमा योजना, AHDF के लिए KCC और डेयरी अवसंरचना विकास निधि जैसी फ्लैगशिप योजनाओं को समझाया, जिससे किसानों को सरकारी सहायता अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद मिली।

13-4 _.k bdkbl

13-4-1 i'kikyu fdlkuk d fy, fdlku _.k dkM

भारत सरकार ने पहली बार वर्ष 2019 में पशुपालन

और डेयरी किसानों को भी KCC का लाभ प्रदान किया। आत्मनिर्भर पैकेज के एक भाग के रूप में, विभाग ने दुग्ध सहकारी समितियों और दूध उत्पादक कंपनियों से जुड़े डेयरी किसानों को KCC प्रदान कराने के लिए दिनांक 01.06.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक एक विशेष अभियान चलाया। इस कदम से भूमिहीन पशुपालन किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुनिश्चित हुआ।

इसके अलावा, सभी पात्र पशुपालन और मत्स्यपालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा प्रदान करने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से दिनांक 15 नवंबर 2021 से दिनांक 15 फरवरी 2022 तक 'राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान' शुरू किया। इस अभियान को बाद में दिनांक 31.07.2022 तक और फिर दिनांक 15.03.2023 तक बढ़ाया गया। इस अभियान के दौरान, आवेदन पत्रों की मौके पर जांच के लिए KCC समन्वय समिति द्वारा प्रत्येक सप्ताह जिला स्तरीय KCC शिविरों का आयोजन किया गया, जिसका समन्वय प्रमुख जिला प्रबंधक (LDM) ने किया।

वर्ष 2023–24 के लिए, KCC अभियान दिनांक 1 मई 2023 से दिनांक 31 मार्च 2024 तक और वर्ष 2024–25 के लिए दिनांक 15 सितंबर 2024 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। इन अभियानों के अंतर्गत वर्तमान स्थिति के अनुसार, दिनांक 05.12.2025 तक कुल 57,64,972 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 56,81,124 आवेदन स्वीकार किए गए और देश भर में 40,75,414 आवेदन स्वीकृत किए गए।

अब तक, AHD किसानों के लिए 42.38 लाख से अधिक नए KCC स्वीकृत किए जा चुके हैं। दिनांक 03.01.2025 तक पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए संस्वीकृत नए KCCका विवरण नीचे दिया गया है:

Ø-l-	en	lLohd`r fd, x, KCC
1	डेयरी सहित फसल ऋण	6,14,046
2.	अन्य संबद्ध कार्यकलाप सहित फसल ऋण	1,17,626
3.	डेयरी	34,58,011
4.	पोल्ट्री	93,154
5.	अन्य	2,77,713
	dqy	45]60]550

स्रोतः वित्तीय सेवा विभाग

13-4-2 tehuh Lrj dk _.k ¼GLC½%

विभाग के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप, वर्ष 2022–23 से सावधि ऋण लक्ष्यों के साथ–साथ पशुपालन और मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए पहली बार कार्यशील पूंजीगत ऋण लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा KCC की स्वीकृति दर में वृद्धि हुई। जमीनी स्तर के ऋण लक्ष्य में भी पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि देखी गई है। कृषि के लिए GLC लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023–24 में 20.00 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 27.50 लाख करोड़ रुपये तक किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2025–26 के दौरान इसे बढ़ाकर 32.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए, 32,50,000 करोड़ रुपये के कुल सावधि ऋण लक्ष्य के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन के लिए 5,00,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 5,00,000 करोड़ रुपये के लेनदेन का कार्यकलाप–वार विवरण इस प्रकार है:;

करोड़ रुपये में

Ø-l-	dk;ldyki	dk;l’khy iwthxr y{;	lkof/k _.k y{;	dqy y{;
i.	डेयरी	83,000	1,42,000	2,25,000
ii.	पोल्ट्री	30,000	15,000	45,000
iii.	भेड़, बकरी, सुअर पालन	55,000	62,000	1,17,000
iv.	पशुपालन – अन्य	18,000	20,000	38,000
v.	मत्स्यपालन	52,000	23,000	75,000
	dqy	2]38]000	2]62]000	5]00]000

***

अध्याय-14

foHkkxh; y[kk lxBu

foHkkxh; y[kk lxBu

अध्याय 14

14-1 flgkoykdu

पशुपालन और डेयरी विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी सचिव हैं। सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) तथा मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

14-1-1 सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक, मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैः –

(क) वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतानों की व्यवस्था करना, केवल उन्हें छोड़कर जहां आहरण और संवितरण अधिकारी कुछ प्रकार के भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ख) मंत्रालय/विभाग के लेखों का संकलन और समेकन और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना; अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांगों के लिए वार्षिक विनियोग लेखों को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखापरीक्षा कराना और उन्हें मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करा कर सीजीए को प्रस्तुत करना।

(ग) विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों एवं वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा तैयार किये गए भुगतान एवं लेखा अभिलेखों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लेन–देन से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण की व्यवस्था करना।

14-1-2 मुख्य लेखा नियंत्रक, पशुपालन और डेयरी विभाग दो लेखा नियंत्रकों, एक सहायक लेखा नियंत्रक और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के 11 वेतन एवं लेखा कार्यालयों की सहायता से मुख्यालय में 8 प्रधान लेखा अधिकारियों (प्रशा./स्था. लेखा, राजकोषीय भुगतान; और आईएडब्ल्यू) के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। वरिष्ठ लेखा अधिकारियों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा दल भी कोच्चि में तैनात हैं जो आईएडब्ल्यू (मुख्यालय) के नियंत्रण में काम करती है। प्रधान लेखा कार्यालय सहित वेतन एवं लेखा कार्यालयों के सभी अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन हैं; इसलिए, क्रमशः पशुपालन और डेयरी विभाग तथा मत्स्यपालन विभाग के विभागीय लेखा संगठन में जनशक्ति में वृद्धि की आवश्यकता है। मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कार्य के वितरण का विवरण vuc/k&XIV में दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग में पीएओ में 10 सीडीडीओ और 26 एनसीडीडीओ हैं। लेखांकन सूचना प्रवाह चार्ट vuc/k&XIV में दिया गया है।

14-1-3 e=kky;@foHkkx e y[kk lxBu d çe[k d :i e lhlh, dh Hkfedk vkj ftEenkfj;k

सिविल लेखा मैनुअल, संशोधित चतुर्थ संस्करण (2024) के परिशिष्ट–'1.1' के पैरा 1.3 के अनुसार, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (आईसी) संबंधित मंत्रालयों/विभागों में लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं। उनके व्यापक कार्य निम्नानुसार निर्धारित हैं–

d- çkfIr] Hkxrku vkj [kkr%

i. मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों और भुगतानों के लेखांकन के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण के साथ प्रभावी और कुशल प्रणालियों की स्थापना सुनिश्चित करना।

ii. पीएओ और चेक आहरण डीडीओ के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान और प्राप्ति लेनदेन का

पर्यवेक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वे निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप किए जा रहे हैं।

iii. संहिता प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र दावेदारों (सरकारी कर्मचारी, विक्रेता, अनुदान प्रदान और ऋण प्राप्तकर्ता संस्थान आदि, जिसमें जेम (GeM) के माध्यम से खरीद के संदर्भ में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान भी शामिल हैं) को समय पर भुगतान का पर्यवेक्षण करना।

iv. सीजीए कार्यालय में मासिक और वार्षिक खातों का दक्षतापूर्वक, सटीकता से और समय पर प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करना।

v. समय पर, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

vi. सीजीए कार्यालय के लिए मासिक रिपोर्ट की सटीकता से और समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करना।

vii. प्रामाणिक/प्राधिकृत बैंकों द्वारा मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदायगी की निगरानी करना और सरकारी खातों में प्राप्तियों की समय पर वसूली के उनके निश्पादन की निगरानी करना।

viii. निर्धारित लेखांकन मानकों, नियमों और सिद्धांतों के पालन की निगरानी करना।

ix. मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लेखापरीक्षित वार्षिक विनियोग खातों का सीजीए कार्यालय में समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।

x. व्यक्तिगत जमा खाता खोलने या इसे चालू करने के लिए भारत के लोक लेखा में नव निर्मित निधि के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया तैयार करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के प्रस्ताव की जांच करना और उनके सुगम परिचालन की निगरानी करना।

xi. समय-समय पर सीजीए कार्यालय द्वारा निर्धारित मौद्रिक सीमा के अनुसार भुगतान मंजूरी (जीएसटी रिफंड संस्वीकृति सहित) की समीक्षा करना।

xii. ऋण, जमा, उचंत और प्रेषण (DDSR) शीर्षों के तहत शेष राशि की निकासी की निगरानी करना और शीर्षों (Heads) के तहत प्रतिकूल शेष राशि का उपयोग करने के लिए समय पर सुधारात्मक उपाय करना।

xiii. व्यय विभाग द्वारा वस्तु शीर्षों के निर्धारित लेखा चार्ट तथा मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची (LMMHA) के अनुसार नई योजनाओं/व्यय के लिए उपयुक्त खाता शीर्षों के खुलने की निगरानी करना।

xiv. सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सटीक और समय पर प्राधिकार देने की निगरानी करना।

xv. खरीद और संबंधित भुगतान से संबंधित मामलों पर जेम (GeM) स्थायी समिति के साथ समन्वय करना।

xvi. प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (IC) पीएफएमएस मामले के लिए मंत्रालय के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

xvii. ऋण और ब्याज की अदायगी के बारे में ऋणदाता से संपर्क बनाए रखना।

उपरोक्त जिम्मेदारियों के संबंध में, प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (आईसी), लेखा महानियंत्रक के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण के तहत कार्य करेंगे।

[k- ifj.kkeh ctV lfgr ctV r|;kj djuk%

i. प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (आईसी) बजटीय प्रस्तावों की तैयारी में निगरानी और सहायता करेंगे और व्यय तथा प्रत्येक कार्यक्रम (उप-कार्यक्रम) के विश्लेषण के आधार पर, बजटीय सीमा के अंदर बेहतर परस्पर कार्यक्रम

प्राथमिकता/आवंटन में प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों की सहायता करेंगे।

ii. वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित समय–सारिणी/दिशानिर्देशों के अनुसार परिणामी बजट/आउटपुट–आउटकम निगरानी ढांचे (ओओएमएफ) की तैयारी में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

iii. बजट प्रभाग को सार्वजनिक खाता लेनदेन और बजट प्रभाग द्वारा नियंत्रित समग्र मांगों के संबंध में बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके।

iv. कर्मचारियों के भविष्य निधि शेष राशि और आरक्षित निधि सहित सार्वजनिक खाते में विभिन्न जमाओं पर ब्याज के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे।

v. बजट दस्तावेजों से संबंधित सभी रिपोर्टों और विवरणों (Statements) की निगरानी करेंगे।

x- xj&dj jktLo çkfIr;ksa dk vuqeku%

प्रशासनिक प्रभागों के साथ मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न गैर–कर राजस्व प्राप्तियों की समय–समय पर समीक्षा में एफए की सहायता करना और बजट प्रभाग, डीईए को गैर–कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान प्रस्तुत करना।

?k- vkrfjd ys[kkijh{kk@tkf[ke vk/kkfjr ys[kkijh{kk%

i. पीएसी, सी एंड एजी और आंतरिक लेखापरीक्षा के ऑडिट पैरा की समीक्षा करने और सहवर्ती अनुपालन/तरीके में सुधार के लिए प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली आंतरिक लेखापरीक्षा समिति के सदस्य सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करना।

ii. वे मुख्य लेखा प्राधिकारी या सीजीए के निर्देशानुसार मंत्रालयों/विभागों में विशेष ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करने वाला आंतरिक लेखा परीक्षा विंग अनुपालन/नियामक लेखा परीक्षा की मौजूदा प्रणाली से आगे बढ़ेगा और निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

क. सामान्य रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन, और विशेष रूप से वित्तीय प्रणालियों की सुदृढ़ता और वित्तीय तथा लेखांकन रिपोर्टों की विश्वसनीयता;

ख. जोखिम कारकों की पहचान और निगरानी (परिणामी बजट/ओओएमएफ ढांचे में शामिल कारकों सहित);

ग. मुद्रा का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सेवा वितरण तंत्र की इकॉनॉमी, दक्षता और प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण मूल्यांकन; और

घ. मिड–कोर्स सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रभावी निगरानी प्रणाली प्रदान करना।

iii. योजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन करता है और नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से परियोजनाओं और योजनाओं की निगरानी करता है।

iv. उन संगठनों में सरकारी लेनदेन के संबंध में ई–एफपीबीएस सहित मान्यता प्राप्त बैंकों, अधिकृत/अन्य बैंकों/सीपीपीसी और फोकल प्वाइंट बैंक शाखाओं का ऑडिट करता है जहां इसकी आवश्यकता होती है।

v. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना और वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा समीक्षा तैयार करना सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त कार्य सीजीए द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।

M- lkoZtfud foÙkh; çca/ku ç.kkyh ¼PFMS½ vkSj vkbZVh ifj;kstuk,¡

i. पीएफएमएस के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा एफए को यह सुनिश्चित करने में सहायता करना कि पीएफएमएस पर जारी दिशा–निर्देशों/निर्देशों का पालन/कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा पीएफएमएस के कुशल संचालन से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।

ii. अंतिम स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी तक निधियों के प्रवाह और भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के तहत इसके उपयोग पर नजर रखने के उद्देश्य से समयबद्ध, सटीक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मंत्रालय और सीजीए कार्यालय के पीएफएमएस प्रभाग के साथ समन्वय सहित पीएफएमएस और इसके विभिन्न मॉड्यूल के उपयोग की निगरानी करना।

iii. सरकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (GIFMIS) की स्थापना के लिए डेटाबेस और प्रक्रियाओं के एकीकरण का समन्वय करना।

iv. प्रणाली के दृष्टिकोण से, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कार्य में पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करना तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाना।

v. पीएफएमएस के नियंत्रण और अन्य संबंधित सुरक्षा पहलुओं तक पहुंच के लिए जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और प्रणाली की नियमित निगरानी करके डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना।

vi. सटीक व्यय रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की लेखांकन बास्केट (Accounting Basket) की सही मैपिंग सुनिश्चित करना।

vii. पीएफएमएस में रिपोर्टों और सूचनाओं की नियमित समीक्षा करना और निर्णय लेने के लिए इसे कार्यकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।

viii. अपने संबंधित मंत्रालयों में योजनाओं के प्रदर्शन से संबंधित रिपोर्टों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर प्रासंगिक पीएफएमएस रिपोर्टों और डैशबोर्ड की निगरानी करना।

ix. एजेंसियों आदि के निष्क्रिय पंजीकरण को समय पर बंद करना सुनिश्चित करना, आदि।

p- O;; vkSj udnh çca/ku¼ बजट प्रभाग, एमओएफ (मासिक व्यय योजना /एमईपी/त्रैमासिक व्यय योजना (क्यूईपी) सीमा, स्वायत्त निकायों को 'जस्ट–इन–टाइम' में निधियां जारी करने के लिए टीएसए प्रणाली का कार्यान्वयन) द्वारा जारी नकदी प्रबंधन प्रणाली दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करना।

N- ,Qvkjch,e vf/kfu;e ds rgr çdVu vkSj fjiksfVZax vko';drk,A

अपने मंत्रालय/विभाग के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण विवरण तैयार करने में सहायता करना, ताकि उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा समग्र रूप से सरकार के लिए संकलित समेकित विवरण में शामिल किया जा सके।

t- ifjlaifÙk;ksa vkSj nsunkfj;ksa dh fuxjkuh¼

परिसंपत्तियों और देनदारियों के व्यापक रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना और प्रधान लेखा कार्यकाय के माध्यम से सरकारी गारंटी की निगरानी करना और रिकॉर्ड रखना।

>- foÙk ea=ky; vkSj ,Q, ds chp ckrphr¼

प्रधान सीसीए/सीसीएएस/सीएएस (आईसी), सचिव

(व्यय) के साथ एफएएस की त्रैमासिक बैठक के लिए आवश्यक सामग्री और सहायता तथा समय–समय पर एफएएस द्वारा अपेक्षित अन्य वित्तीय इनपुट प्रदान करेंगे।

¥- lkekU; ç'kklu vkSj leUo;%

i. लेखा संगठन के लिए विभाग के प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और प्रशासन तथा स्थापना से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।

ii. नियुक्ति प्राधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी होने के नाते प्रयोग की जाने वाली वैधानिक शक्तियों के संदर्भ में जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

iii. अपने वेतन एवं लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा विभागीय खातों की समग्र गुणवत्ता और रखरखाव पर उचित निगरानी रखना।

fVIi.k%

क. उन मंत्रालयों/विभागों में, जिनका नेतृत्व प्रधान सीसीए द्वारा किया जाता है, वहां प्रधान सीसीए का यह विशेषाधिकार होगा कि वे ऊपर सूचीबद्ध उत्तरदायित्वों में से किसी एक को उनकी प्रशासनिक सुविधा और आवश्यकता के अनुसार तथा स्थापित संहितागत प्रावधानों के अधीन, सीसीए/सीए को सौंपें।

ख. उपर्युक्त के अतिरिक्त, लेखा संगठन के प्रमुख अर्थात प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए (आईसी) जैसा भी मामला हो, मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा सौंपी गई किसी अन्य जिम्मेदारी के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

ग. इसके अलावा, मंत्रालय के बजट अनुभाग को आमतौर पर सीसीए के नियंत्रण में कार्य करना चाहिए और एफएस एवं सचिव (व्यय) द्वारा दिनांक 13/06/2023 के डीओ पत्र 23(3)/ई. समन्वय/2018 द्वारा जारी वित्तीय सलाहकार संबंधी चार्टर के पैरा 43 और पैरा 44 के संदर्भ में, इसके सुचारू कार्य और कुशल संचालन से संबंधित मुद्दों को हल करने में अन्य बातों के साथ–साथ सीसीए से पीएफएमएस के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

14-2 cSfdx 0;oLFkk

भारतीय स्टेट बैंक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग में पीएओ और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त बैंक है। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा संसाधित ई–भुगतान का निपटान विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंक खाते के पक्ष में सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से किया जाता है। कुछ मामलों में, पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के लिए मान्यता प्राप्त बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर–कर–प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा भी मान्यता प्राप्त बैंकों को रसीदें भेजी जाती हैं। मान्यता प्राप्त बैंक में किसी भी बदलाव के लिए लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की विशिष्ट मंजूरी की आवश्यकता होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय में 11 (ग्यारह) वेतन एवं लेखा कार्यालय हैं। पांच पीएओ दिल्ली/एनसीआर में, दो मुंबई में, एक–एक चेन्नई, कोचीन, कोलकाता और नागपुर में स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से संबंधित सभी भुगतान संबंधित पीएओ से संबद्ध पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी अपने दावे/बिल नामित पीएओ/सीडीडीओ को प्रस्तुत करते हैं, जो सिविल लेखा मैनुअल, रसीद और भुगतान नियमों तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने के बाद ई–भुगतान जारी करते हैं।

14-3 vkrfjd ys[kkijh{kk fox

आंतरिक लेखापरीक्षण एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन और परामर्श कार्यकलाप है जिसे मूल्यवर्धन और संगठन के संचालन में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मूल रूप से जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की

प्रभावशीलता का मूल्यांकन और उसमें सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण को शामिल करके संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करना है। यह वस्तुनिष्ठ आश्वासन और सलाह प्रदान करने के लिए भी एक प्रभावी उपकरण है जो महत्व को बढ़ाता है, ऐसे परिवर्तन को प्रभावित करता है जो शासन में सुधार करता है, जोखिम प्रबंधन में सहायता करता है, प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार करता है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में सचिव (पशुपालन और डेयरी) की अध्यक्षता में आंतरिक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। स्वायत्त निकायों और अन्य अनुदान प्राप्त संस्थानों को छोड़कर पशुपालन और डेयरी विभाग में 36 ऑडिटी इकाइयाँ/डीडीओ हैं।

14-4 lkoZtfud foÙkh; çca/ku ç.kkyh ¼PFMS½

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) शुरू में वर्ष 2008–09 में पूर्ववर्ती योजना आयोग के सीपीएसएमएस नामक एक योजना स्कीम के रूप में शुरू हुई थी।

i. पीएफएमएस का कर्मचारी सूचना प्रणाली (EIS) मॉड्यूलः

यह मॉड्यूल पशुपालन और डेयरी विभाग के आहरण और संवितरण कार्यालय में क्रियान्वित किया गया है।

ii. पीएफएमएस का ईएटी मॉड्यूलः

पशुपालन और डेयरी विभाग के सभी स्वायत्त निकायों को पीएफएमएस के व्यय अग्रिम हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल पर शामिल किया गया है।

iii. गैर–कर राजस्व संग्रह के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारतकोश):

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में एनटीआरपी पोर्टल अप्रैल, 2017 से कार्यशील है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान दिनांक 31.12.2025 तक पशुपालन और डेयरी विभाग का गैर–कर राजस्व संग्रह 144.20 करोड़ रु. है जिसे NTR ई–पोर्टल पर भारत कोष के माध्यम से एकत्र किया गया है।

एनटीआरपी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न वेबसाइट लिंक http://cga-nic-in//Page/FAQs-asp. पर उपलब्ध हैं।

14-5 foÙk e=ky; vkj y[kk egkfu;=d dk;ky; }kjk dh xbl ubl igy

d- *bl&fcy ç.kkyh*

क. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 46वें नागरिक लेखा दिवस पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई–बिल प्रणाली शुरू की थी। नई ई–बिल प्रणाली कागज रहित बिल जमा करने और बिलों की संपूर्ण डिजिटल प्रोसेसिंग को सक्षम बनाएगी।

ख. नई प्रणाली चरणबद्ध तरीके से, बिलों को प्रस्तुत करने और बैकएंड प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से कागज रहित और पारदर्शी बना देगी। इस प्रकार, यह 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण को साकार करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने में एक बड़ा कदम है।

x- ç.kkyh dk mís’; bl çdkj g%

i. सरकार के सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी समय, कहीं से भी अपने बिल/दावे प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करना।

ii. आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच फिजिकल इंटरफेस को समाप्त करना।

iii. बिलों/दावों के प्रसंस्करण में दक्षता बढ़ाना।

iv. ''फर्स्ट–इन–फर्स्ट–आउट'' (एफआईएफओ) पद्धति के माध्यम से बिलों पर कार्रवाई करने में विवेकाधिकार को कम करना।

घ. वर्तमान में, सरकार को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को अपने बिलों की वास्तविक, स्याही हस्ताक्षरित प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को प्रस्तुत करनी होती हैं। इसी तरह, सरकारी कर्मचारियों को भी अपने दावों की हार्ड कॉपी जमा करनी होती है। बैकएंड पर भी, बिलों का प्रसंस्करण वास्तविक और डिजिटल मोड की मिश्रित प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसलिए, आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को बिल देने के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही, वे अपने बिलों के प्रसंस्करण की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम होते हैं।

ड. नई शुरू की गई ई–बिल प्रणाली के तहत, विक्रेता/आपूर्तिकर्ता डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किसी भी समय अपने घर/कार्यालय से सहायक दस्तावेजों के साथ अपने बिल ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। जिनके पास डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हैं, उनके लिए आधार का उपयोग करके ई–साइन की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसलिए, आपूर्तिकर्ताओं को अब इस उद्देश्य के लिए संबंधित कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

च. बैकएंड पर भी, प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक बिल को प्रत्येक चरण में अधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से संसाधित किया जाएगा और अंत में, भुगतान विक्रेता के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। विक्रेता/आपूर्तिकर्ता अपने बिलों की प्रोसेसिंग की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, नया सिस्टम, प्रणाली में बहुत दक्षता और पारदर्शिता लाएगा और यह भारत सरकार का एक बड़ा नागरिक–केंद्रित निर्णय है।

छ. ई–बिल प्रणाली को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक कार्यालय में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है। बिलों को फर्स्ट–इन–फर्स्ट–आउट (FIFO) पद्धति द्वारा संसाधित किया जाएगा।

ज. व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और लाखों विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं की सुविधा के अलावा, ई–बिल प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल होगी, जिससे सालाना करोड़ों पेपर बिल जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार हर साल कई टन कागज की बचत होगी। ई–बिल प्रणाली में दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति के लिए एक विस्तृत डिजिटल स्टोरेज सुविधा और एक मजबूत ऑडिट ट्रेल मौजूद है।

¼[k½ dsaæ çk;ksftr ;kstukvksa ds rgr fuf/k;ka tkjh djus dh la'kksf/kr çfØ;k½

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत राज्यों को जारी निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए और फ्लोट को कम करने के लिए, व्यय विभाग ने सीएसएस के तहत निधियां जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है और प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी।

एसएनए मॉडल के लिए प्रक्रिया प्रवाह संबंधी संक्षिप्त सार:

क. प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी। एसएनए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगा।

ख. योजना का एकल नोडल खाता खोलने के बाद और आईए के शून्य शेष सहायक खाता खोलने या उन्हें एसएनए के खाते से अधिकार प्राप्त करने के लिए सौंपने से पहले, आईए अपने खातों में पड़ी सभी अव्ययित राशि को सभी स्तरों पर एसएनए के एकल नोडल खाते में वापस कर देंगे।

ग. एसएनए यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के संदर्भ में यथानुपात आधार

पर संबंधित समेकित निधि में अनिवार्य रूप से विप्रेषित किया जाना चाहिए।

घ. एसएनए के बैंक खाते में उपलब्ध निधियां वर्ष 2022–23 के लिए एक राज्य को सीएसएस के तहत जारी की जाने वाली राशि (राज्य के हिस्से सहित) के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ङ. एसएनए और आईए अनिवार्य रूप से पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का उपयोग करेंगे या पीएफएमएस के साथ अपने सिस्टम को एकीकृत करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक आईए द्वारा पीएफएमएस पर जानकारी हर दिन कम से कम एक बार अपडेट की जाती है।

च. सीएसएस के मामले में जहां राज्य का कोई हिस्सा नहीं है और जहां योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा सीधे जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों/कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं, राज्य स्तर पर एकल नोडल एजेंसी को अधिसूचित करने और एकल नोडल खाते को खोलने की आवश्यकता को संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा वित्तीय सलाहकार के परामर्श से माफ किया जा सकता है।

छ. व्यय विभाग के कार्यालय, ज्ञापन फा.सं. 1(13)/PFMS/2021 दिनांक 24.05.2023 के अनुसरण में CGA के कार्यालय के PFMS प्रभाग द्वारा SNA– स्पर्श सुविधा विकसित की गई है। यह सुविधा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य का कोई हिस्सा न रखने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार से सीधे निधि जारी करने हेतु तैयार की गई है। CSNA मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), CGA कार्यालय के PFMS प्रभाग द्वारा दिनांक 27.05.2024 के अपने कार्यालय के माध्यम से जारी की गई है।

¼x½ dæh; {k= dh ;kstukvk d rgr fuf/k;k tkjh dju dh l'kkf/kr çfØ;k%

पिछले सभी जारी आदेशों के अधिक्रमण में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियां जारी करने के संबंध में केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) नामित करके केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों के प्रवाह के लिए दिशानिर्देशों/प्रक्रिया का उल्लेख करते हुये दिनांक 09 मार्च 2022 को एक कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं. 1(18)/पीएफएमएस/एफसीडी/2021 जारी किया है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधियों के प्रवाह हेतु 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी प्रक्रिया को दो मॉडलों में विभाजित किया गया है:–

i. Vsjh flxy vdkmV ¼Vh,l,½ e,My I d ek/;e l dk;kUo;u& यह मॉडल 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में लागू होगा और राज्य एजेंसियों की भागीदारी के बिना कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसी योजनाओं को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल के माध्यम से लागू करना अनिवार्य होगा।

ii- vuqlfpr okf.kfT;d cSd ¼,l lhch½ e,My ii d ek/;e l dk;kUo;न– यह मॉडल केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के निम्न मामलों में लागू होगा (क) 500 करोड़ रुपये से कम वार्षिक परिव्यय या (ख) योजनाएं विशेष रूप से राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा या केंद्रीय एजेंसियों के अतिरिक्त लागू की जा रही हों अथवा (ग) मॉडल–1 में कवर नहीं की गईं अन्य योजनाएं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रक्रिया प्रवाह संबंधी संक्षिप्त सार:

क. मॉडल–I या मॉडल–II के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की पहचान।

ख. केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के रूप में

एबी/सीपीएसई/कार्यान्वयन एजेंसियों की अधिसूचना।

ग. मॉडल–I के तहत प्रत्येक योजना के लिए आरबीआई (ई–कुबेर) के साथ असाइनमेंट खाता खोलना।

घ. मॉडल–II के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में प्रत्येक योजना के लिए खाता खोलना।

ङ. सीएनए और एसए के मौजूदा बैंक खातों को सूचीबद्ध करना और बंद करना।

च. खाते में शेष राशि को मॉडल–I के तहत भारत की संचित निधि (सीएफआई) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और सभी उप एजेंसियों (एसए) द्वारा योजना की अव्ययित राशि मॉडल–II के तहत सीएनए खाते में लौटा दी जाती है।

छ. निधियों से अर्जित ब्याज को मॉडल–II के तहत भारत की संचित निधि (सीएफआई) में विप्रेषित किया जाता है।

ज. पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का अनिवार्य रूप से उपयोग या पीएफएमएस के साथ उनके सिस्टम का एकीकरण।

foÙk e=ky; }kjk ‘kq: fd, x, lq/kkj ifjorZu@l/kkj ¼foÙk o"kZ& 2023&24½

1½ ^lh,u, e,My* ij fnuk d 21-05-2024 dk ekLVj ifji=A

d½ e,My&1% Vs t jh flxy vdkmV ¼Vh,l,½ d s ek/;e ls dk;kUo;u

यह मॉडल उन योजनाओं के लिए लागू होगा जिनका बजट अनुमान एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है और जिनका कार्यान्वयन आरबीआई में खाता खोलने के लिए पात्र केवल दो स्तर की केंद्रीय/राज्य सरकार एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। एजेंसियां केंद्रीय स्वायत्त निकाय या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम या राज्य सरकार की एजेंसी हो सकती हैं।

[k½ e,My& 1d% gkbfcM Vs t jh flxy vdkmV ¼Vh,l,½ d s ek/;e ls dk;kUo;u

यह मॉडल उन योजनाओं के लिए लागू है जिनका बजट अनुमान एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। जहां योजना के कार्यान्वयन में एक निजी उप–एजेंसी (एसए) शामिल है जो आरबीआई में खाता नहीं खोल सकती है और/या जहां योजना के कार्यान्वयन में दो से अधिक स्तर की सरकारी/निजी एसए शामिल हैं क्योंकि आरबीआई तीसरे और उससे नीचे के स्तर की एजेंसियों को खाते खोलने की सुविधा प्रदान नहीं करता हैं।

x½ e,My&2% vuqlfpr okf.kfT;d cSd ¼,llhch½ d s ek/;e ls dk;kUo;u

यह मॉडल 100 करोड़ रुपये से कम के बजट अनुमान वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए लागू होगा। हालांकि, मंत्रालय/विभाग ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए मॉडल 1/1ए का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस मॉडल के तहत, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू करने के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) को नामित करेगा और सीएनए प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा सरकारी कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक केंद्रीय नोडल खाता (बचत बैंक खाता) खोलेगा।

2½ ,l,u, Li÷'k e,My & Hkkjrh; fjtoZ cSd ¼vkjchvkbZ½ d s b&dqcsj IyVQ,e Z d s ek/;e ls dæ çk;ksftr ;kstukvksa ¼lh],l,½ d s QaM dk ^tLV&bu&VkbeÞ tkjh djuk] tSlk fd O;; foHkkx ¼DoE½ }kjk mud s fnukad 13&07&2023] 21&05&2024] 04&10&2024 vkSj fnukad 17&12&2024 d s dk;kZy; Kkiu d s ek/;e ls çLrkfor fd;k x;k gSA

इसके अलावा (DoE) के दिनांक 17.12.2024 के आदेश के अनुसार, LHDCP को एसएनए स्पर्श के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।

3½ dsæ çk;ksftr ;kstukvksa ¼lh,l,l½ ds rgr fuf/k;ksa ds çokg ds fy, lq'kkf/kr çfØ;k & dsaæh; ,l,u, ¼lh,l,u,½ e‚M~;wy dk dk;kZUo;uA

व्यय विभाग के दिनांक 24.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(13)/पीएफएमएस/2021 के अनुसरण में पीएफएमएस प्रभाग, सीजीए द्वारा एसएनए–केंद्रीय की सुविधा विकसित की गई है, ताकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भारत सरकार से सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जा सकें, जिसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं है। पीएफएमएस प्रभाग, सीजीए द्वारा दिनांक 27.05.2024 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीएसएनए मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

?k- ih,Q,e,l dk mi;ksx djrs le; lqj{kk ds fofHkUu igyqvksa ij lesfdr funs'k

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक का कार्यालय ने दिनांक 30.09.2022 के का.ज्ञा. संख्या 1–17016/1/2022–आईटीडी–सीजीए/10985/229 के द्वारा पीएफएमएस का उपयोग करते समय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर समेकित निर्देश जारी किए हैं:

d½ ,Dlsl çca/ku%

i) पीएफएमएस के पीएओ और डीडीओ मॉड्यूल पर काम करने वाले अधिकारियों के नए उपयोगकर्ता पंजीकरण (New User Registration) के लिए, केवल एनआईसी/जीओवी डोमेन वाली ईमेल आईडी की अनुमति होगी। विभिन्न फील्ड कार्यालयों में उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कई कार्यों को ध्यान में रखते हुए एक ही ईमेल–आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही पीएओ कोड के भीतर अधिकतम चार उपयोगकर्ता आईडी और अन्य (Across) पीएओ कोड के लिए अतिरिक्त तीन उपयोगकर्ता आईडी के लिए किया जा सकता है।

ii) सिस्टम में उपयोगकर्ता (Users) के निर्माण के लिए दो स्तरों के अनुमोदन की प्रणाली और अनुमोदनकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ताओं के निर्माण पर ई–मेल/एसएमएस अलर्ट बनाया गया है।

iii) पीएफएमएस में 45 दिनों से अधिक तक निष्क्रिय उपयोगकर्ता आईडी को अक्षम (disabled) के रूप में चिन्हित करना लागू किया जा रहा है।

iv) किसी भी समूह क और समूह ख के अधिकारी को कार्यभार मुक्त करते समय, जो पीएफएमएस में एक उपयोगकर्ता है अर्थात सीसीए स्तर का उपयोगकर्ता, पीएओ प्रकार का उपयोगकर्ता, उनके डिजिटल हस्ताक्षर और उपयोगकर्ता आईडी को निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए।

v) उपयोगकर्ता द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जा रहे सिस्टम के अलावा सिस्टम में उपयोगकर्ता लॉगिन के मामले में परिवर्तन के लिए उपयोगकर्ता को सचेत करने की सूचना दी जाती है।

[k½ ih,Q,e,l esa ikloMZ uhfr%

i) पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए।

ii) पासवर्ड में अनिवार्य रूप से विशेष अक्षरों के साथ ही अल्फा न्यूमेरिक वर्ण दोनों शामिल होने चाहिए।

iii) पासवर्ड की उपयोगकर्ता नाम या उपयोगकर्ता नाम के भाग के साथ समानता नहीं होनी चाहिए।

x½ Hkqxrku dh çfØ;k%

i) प्रधान लेखा अधिकारी की I कुंजी/डीएससी को अनिवार्य रूप से सीसीए स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा जबकि पीएओ की I कुंजी/डीएससी को प्रधान लेखा अधिकारी स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा और पीएओ स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा सीडीडीओ के उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। पीएफएमएस में हर सत्र के लिए I कुंजी/डीएससी डालने की टाइमआउट प्रक्रिया तय की गई है।

ii) पीएओ को सख्ती से सलाह दी जाए कि वे अपने कार्यालय के बाहर स्थापित कंप्यूटरों पर पीएओ/डीडीओ मॉड्यूल का उपयोग न करें और भुगतान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग न करें।

iii) भुगतान करने के लिए निर्धारित सभी दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोगकर्ता के लिए स्पष्ट निर्देशों द्वारा निर्धारित किए जाने तक सभी स्तरों पर भौतिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

iv) भुगतान करने के लिए प्राधिकृत सभी भुगतान एवं लेखा अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर करने से पहले बैच की प्रत्येक भुगतान फाइल को संबंधित वास्तविक बिल/ई–बिल के साथ अनिवार्य रूप से सत्यापित करेंगे।

?k½ usVodZ lqj{kk%

i) हमेशा वास्तविक सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए नवीनतम अपडेट/पैच इंस्टॉल करें।

ii) फायरवॉल सक्षम करें, कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता विशेषाधिकार सीमित करें, फाइल संलग्नक खोलने से पहले ईमेल प्रेषक आईडी और वेब लिंक जांचें और सत्यापित करें।

iii) मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें, सोशल इंजीनियरिंग के हमलों से बचाव करें।

iv) केवल आधिकारिक आपूर्ति किए गए यूएसबी स्टोरेज मीडिया का ही उपयोग करें।

v) उपयोगकर्ताओं को समय–समय पर साइबर सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

vi) पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने से बचें।

vii) इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का उपयोग संवेदनशील आधिकारिक दस्तावेजों/पत्राचारों के प्रारूपण/भंडारण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

M- fuf/k;ksa dk iqufoZfu;kstu& इस विषय पर संशोधित दिशानिर्देश व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 01(14)/2016–ई. ii(ए)(भाग–iii) दिनांक 09.04.2024 के तहत जारी किए गए हैं।

N- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 2024 प्रकाशित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो गया है।

K- dN vU; ubZ igy

- टीएसए/एसएनए/सीएनए/एसएनए स्पर्श/हाइब्रिड टीएसए और सीएसएनए पर व्यय विभाग (DoE) के दिशानिर्देशों का अक्षरशः कार्यान्वयन।
- योजनावार व्यय, अव्ययित शेष राशि, बकाया यूसीएस, राजकोष से एसएनए को अधिकता/घाटे के हस्तांतरण की योजनावार और राज्यवार एमआईएस, एसएनए खाते में उपलब्ध निधि, सीएफआई को प्रेषित ब्याज, 'लेगेसी' डेटा की स्थिति का विवरण साप्ताहिक आधार पर कार्यक्रम प्रभाग के साथ साझा किया जा रहा है ताकि निधि प्रवाह की निगरानी की जा सके और उन्हें समय पर (जेआईटी) जारी करने में मदद मिल सके।

- प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा प्रभागीय प्रमुखों सहित सभी हितधारकों के लिए पीएफएमएस के ई–बिल और टीएसए मॉड्यूल पर प्रशिक्षण की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।
- प्रधान–सह–वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा बकाया एमईए डेबिट दावों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया था।
- सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जीईएम) में विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को भुगतान में देरी और पीएफएमएस के अनुसार ब्लॉक बजट के संदर्भ में लंबित बिलों की स्थिति संबंधित विभाग प्रमुख को सूचित की जा रही है, जिसकी एक प्रति सचिव के पीपीएस और एएस एंड एफए को दी जा रही है जिससे कि डीओई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान जारी किया जा सके।
- सीजीए के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में मुख्य लेखा प्राधिकारी यानी सचिव (पशुपालन और डेयरी) की अध्यक्षता में आंतरिक लेखा परीक्षा समिति की स्थापना की गई है। वर्ष 2023–24 में बकाया आंतरिक ऑडिट पैरा के परिसमापन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और साप्ताहिक आधार पर सचिव की अध्यक्षता में एसओएम में बकाया पैरा की आवधिक समीक्षा की गई है।
- एनपीएस निरीक्षण तंत्र के लिए समिति का गठन और वित्तीय सलाहकार की टिप्पणियों के साथ एनपीएस डैशबोर्ड में त्रैमासिक रिपोर्ट अपलोड करना।
- प्रधान सह वेतन एवं लेखा कार्यालय के सभी अधिकारियों के लिए पदनाम आधारित ई–मेल खोला गया है।
- आंतरिक नियंत्रण में सुधार और कौशल के उन्नयन के लिए, प्रधान सह वेतन और लेखा कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सीवीसी, डीओपीटी दिशानिर्देशों और सीजीए कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्थानांतरित किया गया है।
- पीएफएमएस खोलने के लिए फिडो (FIDO) डिवाइस के माध्यम से द्वितीय कारक (Second Factor) बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण का कार्यान्वयन।
- कार्यान्वयन एजेंसियों को 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता और टीएसए/एसएनए/सीएनए रूट के अलावा एबीएस को जीआईए (वेतन, सामान्य और पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन) जारी करने के लिए योजना–वार बैंक खाता खोलना।
- साप्ताहिक और मासिक आधार पर पीएफएमएस की टीएम–02 रिपोर्ट (भुगतान टैब में सीएएम रिपोर्ट के तहत) की निगरानी के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाना।
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (DoE), पीएफएमएस प्रभाग के का. ज्ञा. प्र. एओ(प्रशा.)/पीएफएमएस प्रकोष्ठ/2024–25/1228–56 दिनांक 12.12.2024 के अनुसरण में, पीएफएमएस से संबंधित किसी भी मुद्दे के लिए पीडी और आईएफडी के लिए कॉल के पहले पोर्ट के रूप में सीए की अध्यक्षता में प्रधान सह वेतन एवं लेखा कार्यालय में पीएफएमएस प्रकोष्ठ का गठन।
- पीएफएमएस के संस्वीकृति मॉड्यूल में मौजूदा जावा आधारित उपयोगिता के स्थान पर नई विंडो आधारित डिजिटल हस्ताक्षर उपयोगिता का कार्यान्वयन।
- केंद्रीय नागरिक पेंशन नियम, 2021 के नियम 32 के संदर्भ में समय पर पीएओ के परामर्श से सरकारी कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख द्वारा अर्हक सेवा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विशेष अभियान।
- मासिक आधार पर पीएओ और डीडीओ के बीच व्यय का समाधान।
- पेंशन मामलों को संवेदनशीलता से और समय पर निपटाना।

- सीजीए और कैग (सीएजी) ऑडिट पैरा के परिसमापन के लिए विशेष अभियान।
- पीएफएमएस में इलेक्ट्रॉनिक इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट एडवाइस (e-IGAA) की प्रोसेसिंग शुरू (Roll-out)।
- सीजीए कार्यालय के दिनांक 19.07.2023 के का. ज्ञा. के संदर्भ में किसी भी वित्तीय अनियमितता से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर निवारक उपाय।

¥- **BE** o"k 2025&26 d lnHk e fnukd 31-12-2025 rd dk 0;; vuc/k&**X** e fn;k x;k g%

vunku l[;k 44

i"kikyu vkj M;jh foHkkx

chbl d edkcy 0;; dh fuxjkuh

fnukd 01-04-2025 l 31-12-2025 rd

1	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं			
1.1	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1376.08	843.99	61.33%
1.2	अवसरंचना विकास निधि	460.00	242.65	52.75%
1.3	डेयरी विकास	1000.00	823.85	82.39%
1.4	राष्ट्रीय गोकुल मिशन’	0.01	359.13	-
	कुल – केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ/परियोजनाएँ	2836.09	2269.62	80.03%
2	केंद्र प्रायोजित योजनाएँ			
2.1	विकास कार्यक्रम			
(i)	पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	250.00	93.65	37.46%
(i)	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	800.00	494.43	61.80%
(iii)	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	603.92	358.52	59.37%
	कुल – विकास कार्यक्रम	1653.92	946.60	57.23%
	कुल केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1653.92	946.60	57.23%

3	केंद्र का स्थापना व्यय			
3.1	सचिवालय आर्थिक सेवा	80.00	47.26	59.08%
3.2	पशु स्वास्थ्य संस्थान	100.00	14.30	14.30%
3.3	लघु पशुधन संस्थान	50.00	18.28	36.56%
3.4	नस्ल सुधार संस्थान	50.00	20.75	41.50%
3.5	पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र (CEAH)	44.89	15.56	34.66%
	कुल – केंद्र का स्थापना व्यय	324.89	116.15	35.75%

4	अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय			
4.1	वैधानिक और स्वायत्त निकाय			
(i)	पशु कल्याण बोर्ड	10.30	3.48	33.79%
(i)	पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति (सीपीसीएसईए)	1.70	1.03	60.59%
(iii)	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद	10.00	16.73	167.30%
(iv)	अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान	3.50	2.79	79.71%
	कुल वैधानिक और स्वायत्त निकाय	25.50	24.03	94.24%
4.2	अन्य			
(i)	दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस)	215.00	109.78	51.06%
	कुल – अन्य	215.00	109.78	51.06%
	कुल – अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय	240.50	133.81	55.64%
	कुल (अनुदान मांग 44)	5055.40	3466.18	68.56%

'राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में आकस्मिक निधि से विनियोग मुख्य शीर्ष '8000' के तहत TSA असाइनमेंट के माध्यम से 359.13 करोड़ रुपये की राशि बुक की गई है।

*****

अध्याय-15

lln vuHkkx d dk;dyki

laln vuqHkkx dk dk;Zdyki

अध्याय 15

15-1- ifjp;

संसद अनुभाग, विभाग के सभी संसदीय मामलों से संबंधित कार्य करता है और लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त सभी मामलों के लिए नोडल अनुभाग है। संसद अनुभाग, विभाग के अंतर्गत संबंधित कार्यक्रम प्रभागों के समन्वय से सभी संसदीय मामलों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करता है। यह अनुभाग ऐसे सभी मामलों के निपटान के लिए विभाग और लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच एकल नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

15-2- dk;Z] Hkwfedk vkSj mÙkjnkf;Ro%&

इस इकाई के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:—

क. सभी संसदीय कार्यों के लिए केंद्रीय समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करना।

ख. अंतिम रूप से स्वीकृत प्रश्नों और किए जाने वाले अन्य कार्यों के बारे में अग्रिम सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सभा/लोकसभा सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ संपर्क बनाए रखना और उस सूचना को संबंधित अधिकारियों/अनुभागों को तत्काल प्रेषित करना;

ग. आरएस/एलएस सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय से सभी डाक (जब तक कि उन्हें कार्यालयों को नाम से संबोधित न किया गया हो) अपनी केंद्रीय रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त करना;

घ. सभी कागजातों को बिना किसी देरी के संबंधित अधिकारियों/अनुभागों को प्रेषित करना;

ङ. संबंधित कार्यालयों/अनुभागों को शीघ्र और समय पर मामले के निपटान के लिए स्मरण कराना, जब तक कि, जहां आवश्यक हो, संबंधित फाइल मंत्री तक न पहुंच जाए।

संसद अनुभाग की प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के अलावा, संसदीय प्रश्नों, अधिनियमों और संशोधनों को देखना, डीएएचडी के दायरे में आने वाले विभिन्न निकायों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों को संसद में रखने से संबंधित समन्वय; डीएएचडी की विभाग संबंधी स्थायी समिति (अर्थात कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति), अन्य संसदीय समिति और डीएएचडी की परामर्शी समिति से संबंधित मामले; संसदीय आश्वासनों की हैंडलिंग; लोकसभा में नियम 377 के तहत और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए विभिन्न मामले; स्थायी समिति की रिपोर्ट और अन्य विविध मामलों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट/टिप्पण के लिए विवरण प्रस्तुत करना शामिल है।

15-3 fnukd 01&04&2025 l fnukd 31&12&2025 rd lln vuHkkx e fd, x, egRoi.k dk;dykik dk fooj.k

i. कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की बैठक

Ø- l-	frfFk	cBd dk fo"k;@LFkku
1.	25–04–2025	कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की संसद भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष 'ग' में ''देशी गोपशु नस्लों के संरक्षण और विकास में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की भूमिका'' विषय पर हुई बैठक।
2.	09–05–2025	कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की ''डेयरी उत्पादों में गुणवत्ता नियंत्रण का मूल्यांकन'' विषय पर संसद भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष '1' में बैठक हुई।
3.	24–05–2025	कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का ''डेयरी उत्पादों में गुणवत्ता नियंत्रण का मूल्यांकन' विषय पर मैसूर में अध्ययन दौरा।
4.	29–05–2025	सरकारी आश्वासन समिति (वर्ष 2025–26) का ऊटी में अध्ययन दौरा।
5.	03–07–2025	संसद भवन में ''डेयरी उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण का मूल्यांकन'' विषय पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), मदर डेयरी, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए साक्ष्य।
6.	24–07–2025	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), गुजरात सहकारी डेयरी विपणन संघ लिमिटेड (AMUL) और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य के लिए संसद भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष संख्या 1 में हुई बैठक।

ii परामर्षी समिति की बैठकें:–

Ø- l-	frfFk	cBd dk fo"k;@LFkku
1.	13–05–2025	राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) का आयोजन संसद भवन, नई दिल्ली में किया गया।
2.	21–08–2025	संसद भवन/परिसर, नई दिल्ली में निम्नलिखित विषयों पर दो बैठकें आयोजित की गईः– (i) डेयरी विकास और दूध उत्पाद (ii) मत्स्यपालन पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना का विकास
3.	13–11–2025	राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) और ऊंटों की नस्ल संरक्षण पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

iii. वर्ष 2024–25 के विगत 3 सत्रों, अर्थात बजट, मॉनसून और शीत सत्र में संसदीय प्रश्नों की संख्या;–

Ø- l-	frfFk	l|n l=	ykd lHkk	jkT; lHkk	dqy
1.	दिनांक 01–04–2025 से 04–04–2025 तक	बजट सत्र	15	08	23
2.	दिनांक 21–07–2025 से 21–08–2025 तक	मानसून सत्र	60	32	92
3.	दिनांक 01–12–2025 से 19–12–2025 तक	शीतकालीन सत्र	33	11	44

iv. संसद में प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टों और लेखापरीक्षित खातों का विवरण

Ø- l-	Lok;Ùk fudk;@lxBu dk uke	fuEu foÙkh; o"kZ dh fy, ,vkj@,,	l|n Hkou esa j[kh xbZ ,vkj@,, dk fooj.k	
			ykd lHkk	jkT; lHkk
1.	विस्तृत अनुदान मांगें आउटपुट–आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क	2024–25	10–02–2025	–––
2.	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी परिसंघ लिमिटेड, आणंद के वार्षिक खाते	2024–25	05–08–2025	06–08–2025
	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी परिसंघ लिमिटेड, आणंद के लेखापरीक्षित खाते	2024–25	05–08–2025	06–08–2025
3.	भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड (समूह 'ख' पद)	भर्ती विनियम, 2024	02–12–2025	10–12–2025
	भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड (समूह 'ग' पद)	भर्ती विनियम, 2024	02–12–2025	10–12–2025
	आणंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित खातों सहित।	2024–25	02–12–2025	10–12–2025
4.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और सरकार द्वारा वीसीआई के कामकाज की समीक्षा।	2024–25	16–12–2025	17–12–2025

V. पशुपालन और डेयरी विभाग की वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट माननीय संसद सदस्यों के बीच वितरण हेतु संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की गई।

***

अध्याय-16

foHkkx dh lkbcj lqj{kk fLFkfr

foHkkx dh lkbcj lqj{kk fLFkfr

आईटी प्रभाग कुशल ई–गवर्नेंस, डिजिटल सेवा वितरण, डेटा प्रबंधन, डिजिटल डेटा संरक्षण, डिजिटल संपर्क का निर्माण, सरकारी डेटा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिशा–निर्देशों और नीतियों (जैसे, आईटी नियम, 2021) के कार्यान्वयन और पशुपालन और डेयरी विभाग में साइबर सुरक्षा दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए तकनीक का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार है। विभाग की इन पहलों में प्रमुख हैं –

16-1 foHkkx dh lkbcj lqj{kk fLFkfr esa lq/kkj djus ds fy, fd, x, mik;

16-1-1 lkbcj lqj{kk ds fy, vkbZVh ctV

विभाग ने बजट से आईसीटी/आईटी कार्यकलापों के लिए बजट अनुमान (बीई) में से 80 लाख रुपये और संशोधित अनुमान (आरई) में से 70 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है तथा साइबर सुरक्षा के लिए आईटी बजट का कम से कम 10% हिस्सा आवंटित किया है।

16-1-2 CISO vkSj DCISO dk ukekadu

आईटी सुरक्षा के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) और उप मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (DCISO) का नामांकन किया गया है। साइबर सुरक्षा निर्देशों के अनुसार CISO (संपर्क बिंदु) से सीईआरटी–इन (cert.in) का विवरण निम्नानुसार है:

Ø-la-	inuke	laxBu	vf/kdkjh
1	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO)	विभाग	श्री जगत हजारिका, सलाहकार (सांख्यिकी) डीएएचडी
2	उप मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (DCISO)	एनआईसी–डीएडीएफ	श्री सुमेश कुमार अग्रवाल वरिष्ठ निदेशक (आईटी), सनआईसी

16-1-3 eq[; lwpuk vf/kdkjh ¼lhvkbZvks½

भारत सरकार के डिजिटल पदचिह्न को सुसंगत बनाने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली मैनुअल (DBIM) पहल के अनुपालन में, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विभाग के लिए एक मुख्य सूचना अधिकारी (CIO) की नियुक्ति की गई है। मुख्य सूचना अधिकारी का विवरण निम्नलिखित है:

inuke	laxBu	vf/kdkjh
मुख्य सूचना अधिकारी (CIO)	विभाग	श्री जगत हजारिका, सलाहकार (सांख्यिकी) डीएएचडी

16-1-4 lkbcj ladV çca/ku ;kstuk ¼CCMP½ lca/kh nLrkost

केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग को अपनी स्वयं की CCMP यानी कि क्षेत्रीय (सेक्टोरल) साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार करनी होती है। संकट प्रबंधन योजना, को साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के साथ पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रभागों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के बीच साइबर घटना, प्रतिक्रिया तथा समन्वय हेतु रूपरेखा को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया (CERT.IN) के निरीक्षण के बाद परिचालित किया गया है।

16-1-5 osclkbV ¼https://dahd.nic.in½

विभागीय वेबसाइट अद्यतित है और HTTPS पोर्ट पर सुरक्षित रूप से चल रही है। इसके पास नवीनतम वैध सुरक्षा लेखा प्रमाणपत्र है और सभी आवश्यक शर्तें पूरी की गई हैं। SQTC/GIGW2.0 के संबंध में, वेबसाइट https://dahd-gov-in के लिए प्रक्रिया चल रही है। विभाग वेबसाइट को DBIM दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है और DBIM के अनुपालन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।

वेबसाइट के प्रबंधन के लिए वेबसाइट गुणवत्ता मैनुअल (WQM) दस्तावेज मौजूद है। वेब सूचना प्रबंधक (WQM) को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नामित किया गया है और GIGW अनुपालन की पाक्षिक समीक्षा की जाती है और उसे https://guidelines.nic.in पर अद्यतित किया जाता है। DAHD वेबसाइट का अभिगम्यता ऑडिट भी IAAP (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स) द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षकों से कराया गया है।

inuke	lxBu	vf/kdkjh
वेब सूचना प्रबंधक (WIM)	विभाग	श्री जगत हजारिका, सलाहकार (सांख्यिकी) डीएएचडी

16-1-6 vfre fcanq ¼,aM IokbaV½ lqj{kk

विभाग में समय–समय पर एक सर्वेक्षण कराया जाता है और सुरक्षा अनुपालन की दृष्टि से उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि पुराने सामानों (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, असमर्थित ओएस, स्विच रिप्लेसमेंट, असमर्थित वाईफाई डिवाइस), को हटाना, एंटीवायरस (एवी) इंस्टाल करना/एंडप्वाइंट की पहचान और प्रतिक्रिया (ईडीआर), मैक बाइंडिंग, विभाग का अलग आईपी विभाजन और विभाग के भीतर कार्यात्मक स्तर पर विभाजन आदि। कृषि भवन में लगभग 168 डेस्कटॉप और चंद्रलोक बिल्डिंग में 60 डेस्कटॉप हैं। विभाग के पास 50 लैपटॉप (लगभग) भी हैं। सभी डेस्कटॉप पर EDR इंस्टाल किया गया है।

16-1-7 lkbcj lqj{kk tkx:drk dk;Øe

साइबर खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा पद्धतियों के बारे में अंतिम उपयोगकर्ता को शिक्षित करने के लिए विभाग–स्तर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। MeitY द्वारा जारी सभी साइबर सुरक्षा परामर्श, दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) विभाग और उसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालन और जागरूकता के लिए नियमित रूप से प्रसारित की जाती हैं। इसके अलावा, विभाग को 'साइबर जागृत भारत' संगठन के रूप में मान्यता दी गई, और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा और जागरूकता को और मजबूत करने के लिए अक्टूबर 2025 में एक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

16-1-8 foHkkx dh uVodl dufDVfoVh

विभाग दो अलग–अलग स्थानों में स्थित है जहां निकनेट (NICNET) कनेक्टिविटी है। नेटवर्क का प्रबंधन एनआईसी के मार्गदर्शन में विभाग में तैनात जनशक्ति द्वारा किया जा रहा है।

Ø- l-	Hkou	rlukr tu'kfä
1	कृषि भवन	एनआईसी–भवन समन्वयक (कृषि भवन) के मार्गदर्शन में जनशक्ति।
2	चंद्रलोक बिल्डिंग	विभाग ने नेटवर्क के प्रबंधन के लिए एक कार्मिक की नियुक्ति की है।

16-1-9 çR;k;kftr çc/kd ¼Mfyxfs VM ,Mfeu½ ¼DA½

प्रत्यायोजित प्रबंधक (DA) मंच विभाग को संबंधित डोमेन के ईमेल उपयोगकर्ताओं के लिए सभी कार्य करने की अनुमति देता है। डीए, ई–मेल सहायता टीम के माध्यम से अनुरोध को रूट किए बिना ईमेल खातों को बना सकता है, हटा सकता है, सक्रिय कर सकता है और निष्क्रिय कर सकता है, IMAP और POP को सक्षम/अक्षम कर सकता है, पासवर्ड बदल सकता है, उपयोगकर्ता विवरण आदि को अपडेट कर सकता है।

विभाग ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रत्यायोजित प्रबंधक (DA) नियुक्त किया है। विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों के सभी आधिकारिक ईमेल खातों को Zoho प्लेटफॉर्म पर mail.gov.in में हस्तांतरित कर दिया गया है।

ईमेल प्लेटफॉर्म को सुचारू रूप से अपनाने और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग और उसके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के मौजूदा और नव नियुक्त कर्मचारियों दोनों के लिए Zoho Mail पर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए हैं।

inuke	lxBu	vf/kdkjh
प्रत्यायोजित प्रबंधक (डीए)	विभाग	डॉ. वी. जया चंद्र भानु रेड्डी, निदेशक, डीएएचडी

16-1-10 bl&v,fQl

विभाग में ई–ऑफिस चलाने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

inuke	lxBu	vf/kdkjh
नोडल अधिकारी	विभाग	डॉ. वी. जया चंद्र भानु रेड्डी, निदेशक, डीएएचडी

विभाग के सभी संबंधित ई–ऑफिस उपयोगकर्ता परिचय आधारित टू–फैक्टर सिंगल साइन–ऑन (SSO) सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। विभाग ने ई–ऑफिस को अपना लिया है और एक पेपरलेस कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।

ई–ऑफिस के प्रभावी और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ–साथ इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

16-1-11 ck;kefV'd mifLFkfr ç.kkyh ¼BAS½

विभाग में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) के प्रबंधक हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है

inuke	lxBu	vf/kdkjh
नोडल अधिकारी	विभाग	श्री पंकज कुमार सिन्हा अवर सचिव

विभाग के 34 अधीनस्थ कार्यालयों में से 18 कार्यालयों में BAS को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, और शेष कार्यालयों में इसका कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

16-1-12 LiSjks

विभाग में स्पैरो (SPARROW) पोर्टल के लिए एक नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्पैरो पोर्टल पर समय–समय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं ताकि इसके प्रभावी उपयोग और अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

inuke	lxBu	vf/kdkjh
नोडल अधिकारी	विभाग	श्रीमती मंजू कपुर, अनुभाग अधिकारी

16-1-13 DykmM [kkrk@ifjlEifRr çca/ku

क्लाउड में क्लाउड अकाउंट और डिजिटल एसेट प्रबंधन किया जा रहा है।

16-1-14 lacaf/kr Mksesu esa Gov.in dk çca/ku

विभाग में gov.in (डोमेन नाम) संबंधित कार्यकलापों (registry.gov.in का उपयोग करके) के तहत डोमेन नाम के प्रबंधन के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है

inuke	lxBu	vf/kdkjh
नोडल अधिकारी	विभाग	श्री जगत हजारिका, सलाहकार (सांख्यिकी) डीएएचडी

16-1-15 bUosVªh

विभाग अधिकृत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इवेंट्री का रख–रखाव कर रहा है।

****

अनुबंध

20oh i'k/ku l x.kuk o"k 2019 d nkjku jkT; okj i'k/ku vkj ikYVh dh dy l[;k

Ø- l-	jkT;@l ?k jkT; {k=	xki'k	Hkil	HkM	cdjh	lvj	?kkMk $ Vê	[kPpj	x/kk	ÅV	;kd	feFku	dy i'k/ku	dy ikYVh
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36438	3700	5	64761	40488	0	0	2	0	0	0	145394	1289160
2	आंध्र प्रदेश	4600087	6219499	17626971	5522133	91958	1884	240	4678	166	0	0	34067616	107863152
3	अरुणाचल प्रदेश	339221	6379	7345	159740	271463	3051	0	0	0	24075	350154	1161428	1599575
4	असम	10909239	421715	332100	4315173	2099000	12783	724	900	567	0	0	18092201	46712341
5	बिहार	15397980	7719794	213377	12821216	343434	32176	1491	11264	88	0	0	36540820	16525349
6	चंडीगढ़	13440	12177	0	998	138	237	0	0	0	0	0	26990	48883
7	छत्तीसगढ़	9983954	1174722	180229	4005657	526901	675	21	142	1	0	0	15872302	18711824
8	दादरा और नगर हवेली	39736	997	84	7548	0	39	0	0	0	0	0	48404	89671
9	दमन और दीव	1840	374	68	987	0	15	0	0	0	0	0	3284	18264
10	दिल्ली*	86433	162142	932	30470	76346	2694	136	1087	157	0	0	360397	43831
11	गोवा	60247	27207	8	9446	35480	15	1	0	2	0	0	132406	349543
12	गुजरात	9633637	10543250	1787263	4867744	658	21811	5	11286	27620	0	0	26893274	21773392
13	हरियाणा	1928682	4368023	288370	334640	108240	9683	2499	800	5154	0	0	7046091	46294965
14	हिमाचल प्रदेश	1828017	646565	791345	1108413	2477	8851	20415	4797	26	1940	0	4412846	1341951
15	जम्मू और कश्मीर	2539240	690829	3247503	1730218	1215	63335	16722	9563	466	26221	12	8325324	7366308

16	झारखंड	11223052	1350313	641183	9121173	1276973	1378	73	400	0	0	0	23614545	24832906
17	कर्नाटक	8469004	2984560	11050728	6169392	323836	7018	51	8790	33	0	0	29013412	59494481
18	केरल	1341996	101504	1482	1359161	103863	560	0	65	26	0	0	2908657	29771905
19	लक्षद्वीप	2493	16	0	43188	0	0	0	0	0	0	0	45697	226025
20	मध्य प्रदेश	18750828	10307131	324585	11064524	164616	13260	2543	8135	1753	0	0	40637375	16659898
21	महाराष्ट्र	13992304	5603692	2680329	10604883	161000	18892	681	17572	465	0	0	33079818	74297765
22	मणिपुर	224472	36230	5921	38697	235255	1083	0	2	0	0	9059	550719	5897637
23	मेघालय	903570	15714	15679	397503	706364	273	0	0	0	0	0	2039103	5379532
24	मिजोरम	45701	2109	485	14820	292465	159	8	0	0	0	3957	359704	2047810
25	नागालैंड	78296	15654	361	31602	404695	70	0	2	0	0	23123	553803	2838944
26	ओडिशा	9903970	458324	1279149	6393452	135162	143	18	83	8	0	0	18170309	27439257
27	पुडुचेरी	71984	2395	2445	73630	880	29	0	4	1	0	0	151368	235999
28	पंजाब	2531460	4015947	85560	347949	52961	14243	1644	471	120	0	0	7050355	17649984
29	राजस्थान	13937630	13693316	7903857	20840203	154808	33679	1339	23374	212739	0	0	56800945	14622975
30	सिक्किम	148010	1144	2016	90506	27320	115	0	2	0	5219	0	274332	580864
31	तमिलनाडु	9518660	518795	4500491	9888746	66772	5417	305	1428	7	0	0	24500621	120781100
32	तेलंगाना	4232539	4226306	19063058	4934673	177992	3878	91	2031	71	0	0	32640639	79999404
33	त्रिपुरा	739031	7131	5460	360204	206035	17	2	10	2	0	0	1317892	4168246
34	उत्तर प्रदेश	19019641	33016785	984725	14480025	408678	75718	8933	16016	2424	0	0	68012945	12515704
35	उत्तराखंड	1852123	866318	284615	1371971	17659	7452	26293	589	15	54	0	4427089	5018684
36	पश्चिम बंगाल	19077916	630921	952886	16279340	540356	1593	26	94	45	61	0	37483238	77322602
	कुल	193462871	109851678	74260615	148884786	9055488	342226	84261	123587	251956	57570	386305	536761343	851809931

*दिल्ली के मामले में 19वीं पशुधन संगणना–2012 के आंकड़े

स्रोतः 20वीं पशुधन संगणना, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

çeq[k i'kq/ku mRiknksa dk mRiknu−vf[ky Hkkjrh;

o"kZ	nw/k ¼fefy;u Vu½	vaMk ¼fefy;u la[;k esa½	Åu ¼fefy;u fdyks esa½	ekal ¼'000 Vu½
1950—51	17.0	1832.0	27.5	—
1955—56	19.0	1908.0	27.5	—
1960—61	20.0	2881.0	28.7	—
1968—69	21.2	5300.0	29.8	—
1973—74	23.2	7755.0	30.1	—
1979—80	30.4	9523.0	30.9	—
1980—81	31.6	10060.0	32.0	—
1981—82	34.3	10876.0	33.1	—
1982—83	35.8	11454.0	34.5	—
1983—84	38.8	12792.0	36.1	—
1984—85	41.5	14252.0	38.0	—
1985—86	44.0	16128.0	39.1	—
1986—87	46.1	17310.0	40.0	—
1987—88	46.7	17795.0	40.1	—
1988—89	48.4	18980.0	40.8	—
1989—90	51.4	20204.0	41.7	—
1990—91	53.9	21101.0	41.2	—
1991—92	55.7	21983.0	41.6	—
1992—93	58.0	22929.0	38.8	—
1993—94	60.6	24167.0	39.9	—
1994—95	63.8	25975.0	40.6	—
1995—96	66.2	27187.0	42.4	—
1996—97	69.1	27496.0	44.4	—
1997—98	72.1	28689.0	45.6	—
1998—99	75.4	29476.0	46.9	1859.43
1999—2000	78.3	30447.0	47.9	1910.77
2000—01	80.6	36632.0	48.4	1851.43
2001—02	84.4	38729.0	49.5	1921.83
2002—03	86.2	39823.0	50.5	2113.21

o"kZ	n/k	vMk	Åu	ekl
	¼fefy;u Vu½	¼fefy;u l[;k esa½	¼fefy;u fdyks esa½	¼'000 Vu½
2003–04	88.1	40403.0	48.5	2080.00
2004–05	92.5	45201.0	44.6	2211.00
2005–06	97.1	46235.0	44.9	2312.00
2006–07	102.6	50663.0	45.1	2302.00
2007–08	107.9	53583.0	43.9	4009.00
2008–09	112.2	55562.0	42.8	4279.61
2009–10	116.4	60267.0	43.1	4565.57
2010–11	121.8	63024.0	43.0	4868.97
2011–12	127.9	66450.0	44.7	5514.25
2012–13	132.4	69731.0	46.1	5948.17
2013–14	137.7	74752.0	47.9	6235.48
2014–15	146.3	78484.0	48.1	6691.08
2015–16	155.5	82929.0	43.6	7019.96
2016–17	165.4	88139.0	43.5	7385.61
2017–18	176.3	95217.0	41.5	7655.63
2018–19	187.7	1,03,804	40.4	8114.45
2019–20	198.4	1,14,383	36.8	8599.97
2020–21	210.0	1,22,050	36.9	8797.91
2021–22	222.1	1,29,600	32.9	9292.13
2022–23	230.6	1,38,376	33.6	9768.64
2023–24	239.3	1,42,772	33.7	10252.65
2024–25	247.9	1,49,111	34.6	10504.54

"– "प्राप्त नहीं हुआ/उपलब्ध नहीं है"

स्रोतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पशुपालन विभाग

vuqca/k&III

o"k 2024&25 vkj o"k 2025&26 ¼fnukd 31-12-2025 rd½ d nkjku foÙkh; vkcVu rFkk 0;;

¼djksM #- esa½							
Ø- l-	;kstuk dk uke	o"k 2024&25			o"k 2025&26		
		BE	RE	0;;	BE	RE	fnukd 31-12-2025 rd 0;;
	गैर–योजना						
1	सचिवालय आर्थिक सेवा	51.03	66.16	58.43	80.00	80.00	47.21
2	पशु स्वास्थ्य संस्थान	55.41	60.26	53.73	100.00	69.51	13.71
3	नस्ल सुधार संस्थान	37.72	38.00	32.11	50.00	68.80	19.64
4	लघु पशुधन संस्थान	40.10	38.00	35.27	50.00	38.00	17.44
5	पशु स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र (CEAH)	34.13	26.00	23.79	44.89	30.00	13.44
6	दिल्ली दूध योजना	410.00	175.00	137.66	215.00	180.00	109.78
7	अंतर्राष्ट्रीय संगठन योगदान	2.50	3.25	2.91	3.50	3.72	2.79
8	जीव–जंतु कल्याण बोर्ड	10.00	9.84	5.91	10.30	7.82	3.48
9	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद	13.74	8.13	5.05	10.00	18.30	16.73
10	पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति (CCSEA)	1.61	1.61	1.49	1.70	1.70	1.03
11	CCBF (अलमाधी, अंदेशनगर और धामरोड) का संचालन और रखरखाव अनुबंध					33.73	
	dqy & xSj&;kstuk,i	656.24	426.25	356.35	565.39	531.58	245.25
;kstuk							
12	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2465.00	1980.00	1728.57	1980.00	1980.00	1202.52
13	अवसंरचना विकास निधि	370.00	395.00	379.41	460.00	362.25	242.65
14	डेयरी विकास	371.00	450.00	293.92	1000.00	1000.00	823.85
15	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	700.00	268.00	424.80	0.01	700.00	359.13
16	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	324.00	450.00	429.82	800.00	760.00	494.43
17	पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	45.00	45.00	36.38	250.00	149.00	93.59
	dqy & ;kstuk,i	4275.00	3588.00	3292.90	4490.01	4951.25	3216.17
	dqy ;kx	4931.24	4014.25	3649.25	5055.40	5482.83	3461.42

lxBukRed pkVZ

eRL;ikyu] i'kqikyu vkSj Msjh ea=ky;

¼i'kqikyu vkSj Msjh foHkkx½

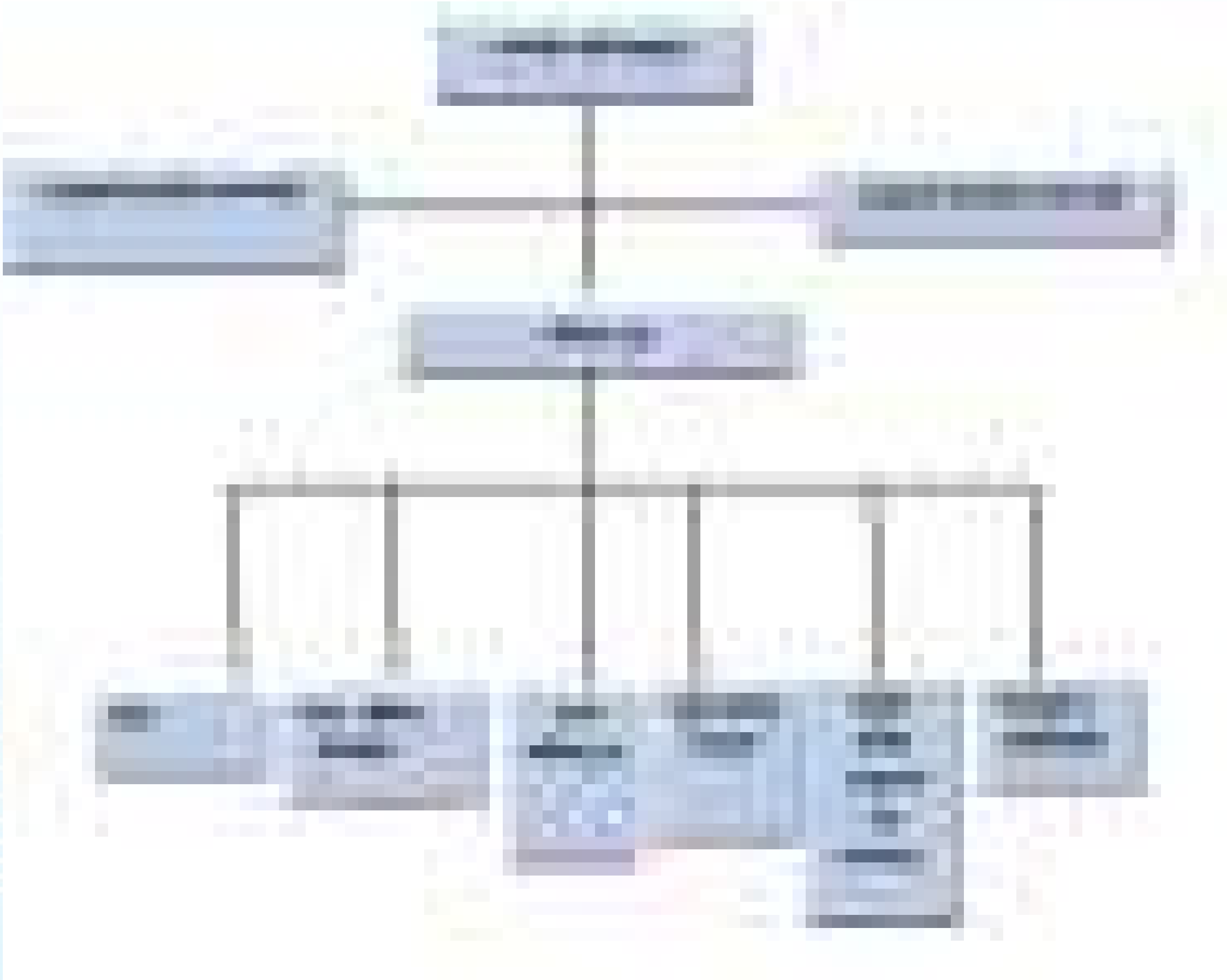

dk;l vkcVu

i'kqikyu vk;qä

पशु स्वास्थ्य और उत्पादन, पशु आनुवंशिक संसाधन, पशु जर्मप्लाज्म/जैव विविधता, पशु देखभाल और कल्याण से संबंधित सभी तकनीकी मामले; जैव सुरक्षा और संगरोध संबंधी तकनीकी मामले; पशु फार्मों के लिए उत्पादन, प्रजनन, पशु स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा हेतु पशुपालन और डेयरी नियमावली तैयार करना; भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से संबंधित तकनीकी मामले; व्यापार और स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी तकनीकी मामले; भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पशुधन उत्पादों के लिए मानक स्थापित करने से संबंधित तकनीकी मामले; पशुधन उत्पादों, मांस और दुग्ध उत्पादों में औषधियों और कीटनाशक अवशेषों की निगरानी से संबंधित तकनीकी मामले; जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और तकनीकी विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE)/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के साथ समन्वय और केंद्र सरकार/राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ किसी अन्य तकनीकी मुद्दे से संबंधित तकनीकी मामले; NIAH से संबंधित सभी तकनीकी मामले; एवियन इन्फ्लूएंजा से संबंधित सभी तकनीकी मामले; विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) से संबंधित सभी मामले, जिनमें सूचीबद्ध रोगों की रिपोर्टिंग (छमाही और वार्षिक) शामिल है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत टीकों की गुणवत्ता परीक्षण के समन्वय से संबंधित सभी तकनीकी मामले, जिनमें इसके लिए पशुओं की समय पर उपलब्धता भी शामिल हैय RDDL/CDDL से संबंधित सभी मामले; वन हेल्थ मामलों (विश्व बैंक परियोजना सहित), AMR और अवशेष निगरानी से संबंधित तकनीकी मामले; ECAH और नियामक मामलों से संबंधित सभी मामले; व्यापार के जोखिम प्रबंधन मामलों से संबंधित तकनीकी मामले, जिनमें LH डिवीजन से संबंधित बाजार पहुंच मामले भी शामिल हैं; विदेशी, उभरते और फिर से उभरने वाले रोगों – ग्लैंडर्स, रिंडरपेस्ट, ASF, LSD आदि से संबंधित तकनीकी मामले; विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH), पशु रोग अधिसूचना, पशु चिकित्सा उत्पाद और संचार के लिए राष्ट्रीय फोकल प्वाइंटय वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट से संबंधित सभी मामले; AHSSOH परियोजना, ADB परियोजना और UNDP परियोजनाओं (AVIN) और अन्य अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी मामले।

vij lfpo ¼C&DD½

डेयरी विकास योजनाएं और डेयरी विभाग के अन्य कार्य; बोवाईन विकास योजनाएं और गोपशु विभाग के अन्य कार्य; गोपशु विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (CCBF) और केंद्रीय झुंड पंजीकरण योजना (CHRS) और उनका प्रशासनय दिल्ली दुग्ध योजना और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना और नीतिगत मामले; BMGF परियोजना से संबंधित तकनीकी मामले और इसका प्रभावी कार्यान्वयन; गुजरात, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और सभी संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर) के साथ समन्वय; कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, FSSAI, वाणिज्य विभाग, एपीडा और प्रशासनिक सुधार और जन विकास विभाग के साथ समन्वय; C&EP

(ऋण, विस्तार और प्रचार) से संबंधित मामले, जनसंचार, मीडिया आउटरीच, IEC और प्रचार संबंधी कार्यकलापों से संबंधित सभी मामले, जिनमें सोशल मीडिया सहित देश भर में सभी माध्यमों का उपयोग शामिल है; किसान क्रेडिट कार्ड सहित ऋण से संबंधित सभी मामले; सूचना तकनीकी से संबंधित सभी मामले; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सभी मामले; (WTO) और FAO के साथ स्वच्छता और पादप–स्वच्छता (SPS) मामलों के लिए राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट; पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा (AQCS) केंद्रों से संबंधित सभी मामले; पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र (CEAH) से संबंधित सभी मामले; राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM) से संबंधित सभी कार्य; GC डिवीजन से संबंधित सभी मामले; योजना समन्वय से संबंधित सभी मामले।

vij lfpo ¼LH½

केंद्रीय क्षेत्र योजना ''पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)'' के प्रशासन सहित पशुधन स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामले; भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से संबंधित सभी मामले; FMD और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के मिशन निदेशक; आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी; CCS-NIAH, बागपत से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले; VIP संदर्भ, वेबसाइट, डैशबोर्ड, LH डिवीजन से संबंधित कैबिनेट सभी मामले; राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत टीकों के गुणवत्ता परीक्षण के समन्वय से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले, जिनमें इसके लिए पशुओं की समय पर उपलब्धता शामिल हैय वन हेल्थ (विश्व बैंक परियोजना सहित) से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले; LH डिवीजन से संबंधित बाजार पहुंच मामलों सहित व्यापार के जोखिम प्रबंधन मामलों से संबंधित मामले; महामारी निधि परियोजना, वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता (AHSSOH) परियोजना, एशियाई विकास बैंक (ADB) परियोजना और UNDP परियोजनाओं (पशु टीका खुफिया नेटवर्क (AVIN), से संबंधित सभी मामले; विदेशी, उभरती और पुनः उभरते रोगों – ग्लैंडर्स, रिंडरपेस्ट, ASF, LSD आदि से संबंधित प्रशासनिक मामले। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ समन्वय; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुश मंत्रालय और औषधि मंत्रालय के साथ समन्वय।

l;qDr lfpo ¼NLM½

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के मिशन निदेशक (व्यापार संबंधी सलाह सहित) के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैंः पोल्ट्री विकास; बकरी और भेड़ विकास; सुअर पालन विकास; मांस पशुओं का विकास; ग्रामीण वधशाला योजना; परीक्षण सहित पशु आहार और चारा; पशुधन बीमा योजनाएं; पशुपालन अवसंरचना विकास निधि; प्रशासन (NLM) (क्षेत्रीय चारा केंद्रों, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठनों, केंद्रीय कुक्कुट उत्पाद परीक्षण केंद्र, गुड़गांव, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार से संबंधित कार्य); हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय; पर्यावरण और वन मंत्रालय, MNRE, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय के साथ समन्वय; NLM प्रभाग के साथ इक्वाइन और संबंधित प्रजातियों के आयात/निर्यात पर सलाह और भारत के स्टड फार्मों का पंजीकरण/नवीनीकरण सहित इक्वाइन विकास से संबंधित सभी मामले; AHIDF, FPO, धरती आभा से संबंधित सभी मामले; कौशल विकास

से संबंधित सभी मामले, पशु कल्याण विभाग से संबंधित सभी मामले; भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) और पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए गठित समिति (CCSEA) से संबंधित सभी मामले; राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से संबंधित सभी मामले।

l;Dr lfpo ¼ç'kklu vkj leUo;½

मुख्यालय (स्थापना–मुख्यालय) में स्थापना संबंधी कार्य; रोकड़ और सामान्य प्रशासन और प्रशासन अर्थात् प्रशासन–II अनुभाग से संबंधित कार्य; DAHD के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सेवाओं में आरक्षण से संबंधित सभी मामले; नोडल अधिकारी – ACC रिक्ति निगरानी प्रणाली (AVMS); DAHD में क्षमता निर्माण संबंधी कार्य; RTI से संबंधित सभी मामले; संसद अनुभाग से संबंधित सभी मामले; कानूनी मामलों संबंधी समन्वय; राजभाषा से संबंधित सभी मामले; NITI आयोग, कार्मिक और प्रषिक्षण विभाग और MoSPI के साथ समन्वय; योजना समन्वय (अध्ययन और मूल्यांकन को छोड़कर) से संबंधित कार्य, जैसे ई–समीक्षा, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक कार्य योजना, EFC और अन्य मंत्रालयों/विभागों के कैबिनेट नोट, आर्थिक सर्वेक्षण, आकांक्षी जिले और आउटपुट, आउटकम, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF) आदि।

lykgdkj ¼lkf[;dh½

पशुधन संगणना, नस्ल संगणना से संबंधित सभी मामले; मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी से संबंधित सभी मामले; AHS प्रभाग में तैनात कर्मचारियों से संबंधित कार्य; गुणवत्ता निगरानी – राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता; डेटा विश्लेषण इकाई से संबंधित कार्य; APAR प्रकोष्ठ से संबंधित मामले; मुख्य सतर्कता अधिकारी/सत्यनिष्ठा पोर्टल; राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM) से संबंधित कार्य; सूचना तकनीकी से संबंधित सभी मामले; योजना समन्वय इकाई के अंतर्गत अध्ययन और मूल्यांकन से संबंधित कार्य; राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM) से संबंधित सभी मामले।

vuqca/k-V

i'kqikyu vkj Ms;jh foHkkx dk vkcafVr fo"k;k dh lwph

Hkkx &I

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते हैं:

1. उद्योग, जिनका नियंत्रण संघ द्वारा संसद की विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित किया गया है, जहां तक कि उनका संबंध पशुधन और पक्षियों के चारे तथा डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के विकास से है, इस सीमा के साथ कि उनका संबंध पशुधन और पक्षियों के चारे तथा डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के विकास से है तथा उद्योगों के विकास से है। पशुपालन और डेयरी विभाग के कार्य मांग तैयार करने और लक्ष्य निर्धारित करने से आगे नहीं बढ़ते हैं।
2. पशुधन, डेयरी और पोल्ट्री तथा इससे संबंधित कार्यकलापों का संवर्धन और विकास, जिसमें अवसंरचना विकास, विपणन, निर्यात और संस्थागत व्यवस्था आदि शामिल हैं।
3. पशुधन, डेयरी और पोल्ट्री से संबंधित कार्यकलापों में लगे व्यक्तियों का कल्याण।
4. पशुधन और पोल्ट्री विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क और सहयोग।
5. पशुधन संगणना।
6. पशुधन सांख्यिकी।
7. प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुधन की हानि से संबंधित मामले।
8. पशुधन आयात, पशु संगरोध और प्रमाणीकरण का विनियमन।
9. गौशालाएं और गौ सदन
10. पाँड और गोपशु अतिचार से संबंधित मामले।
11. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
12. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59)

Hkkx&II

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत आते हैं (केवल कानून बनाने के संबंध में):

13. पशुचिकित्सा संबंधी सेवा।
14. पशुओं और पक्षियों को प्रभावित करने वाले संक्रामक या संचारी रोगों या पीड़कों का एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।
15. देसी नस्लों का रूपांतरण, देसी नस्लों के पशुओं के लिए केन्द्रीय पशुयूथ पुस्तकों की शुरूआत और रखरखाव।
16. राज्य एजेंसियों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, डेयरी विकास योजनाओं को वित्तीय सहायता का स्वरूप।

Hkkx&III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ऊपर भाग 1 और 2 में उल्लिखित विषय, जहां तक वे उन राज्य क्षेत्रों के संबंध में विद्यमान हैं और इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 के अंतर्गत आते हैं।

17. पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, सुरक्षा और सुधार तथा रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास।

18. कोर्ट ऑफ वार्ड्स।

19. पशुधन और पक्षियों का बीमा।

Hkkx&IV

20. गोपशुओं के उपयोग और वध से संबंधित मामले।

21. चारा विकास।

vuqca/k-VI

i'kqikyu vkSj Ms;jh foHkkx ds lac)@v/khuLFk dk;kZy;ksa dh lwph

1. पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र, हेसरघट्टा, बैंगलोर।
2. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, धामरोड़, जिला सूरत, गुजरात।
3. केंद्रीय पशु एवं प्रजनन फार्म, अंदेश नगर, जिला लखीमपुर, (यूपी)।
4. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सिमिलिगुडा, सुनाबेड़ा (कोरापुट), ओडिशा।
5. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
6. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, बसंतपुर, जिला संबलपुर, (ओडिशा)।
7. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, आवड़ी, अलामाधी (चेन्नई)।
8. केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण इकाई, रोहतक (हरियाणा)।
9. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण इकाई, अजमेर।
10. केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण इकाई, अहमदाबाद।
11. केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण इकाई, संथापत, ओंगोल, जिला प्रकाशम (आंध्र प्रदेश)
12. क्षेत्रीय चारा स्टेशन कल्याणी, जिला नादिया, (पश्चिम बंगाल)।
13. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)।
14. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
15. क्षेत्रीय चारा स्टेशन हिसार (हरियाणा)।
16. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, धामरोड़ (गुजरात)।
17. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, आवड़ी, अलामाधी, चेन्नई (तमिलनाडु)।
18. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, हैदराबाद।
19. चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत (उत्तर प्रदेश)।
20. पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा स्टेशन, कापसहेड़ा गांव, नई दिल्ली।
21. पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा स्टेशन, पल्लीकर्णी गांव, चेन्नई।
22. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा स्टेशन, गोपालपुर, जिला 24 परगना (पश्चिम बंगाल)।

23. पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा स्टेशन, मुंबई।

24. पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवा स्टेशन, हैदराबाद।

25. केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)।

26. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर (ओडिशा)।

27. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पश्चिमी क्षेत्र, आरे मिल्क कॉलोनी, मुंबई।

28. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, उत्तरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़।

29. केंद्रीय कुक्कुट प्रदर्शन परीक्षण केंद्र, गुड़गांव (हरियाणा)।

30. दिल्ली दुग्ध योजना, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।

vuqca/k-VII

Þjk"Vªh; M;jh fodkl dk;ZØeß ds ?kVd ^d* ds varxZr jkT;&okj foÙkh; çxfr & ¼fnukad 31-12-2025 rd½

(करोड़ रु. में)

Ø- l-	jkT; dk uke	Loh—r ifj;kstukvksa dh la[;k	vuqeksfnr ykxr	dsUæh; fgLlk	dqy tkjh	mi;ksx dh xbZ fuf/k	v0;f;r
1	आंध्र प्रदेश	4	235.05	162.25	95.54	62.30	33.24
2	अरुणाचल प्रदेश	2	11.91	11.26	8.84	5.54	0.00
3	असम	6	119.32	98.21	22.21	13.46	5.03
4	बिहार	19	346.02	254.33	241.24	201.92	30.38
5	छत्तीसगढ	5	48.71	34.76	8.26	0.64	7.61
6	गोवा	3	16.99	13.98	8.74	1.78	6.95
7	गुजरात	9	556.14	339.18	246.93	220.00	12.01
8	हरियाणा	5	26.93	22.17	19.32	13.33	5.99
9	हिमाचल प्रदेश	8	108.54	90.99	63.55	57.35	5.87
10	जम्मू और कश्मीर	5	152.98	141.20	140.50	139.81	0.70
11	झारखंड	4	32.85	25.68	16.35	15.22	0.37
12	कर्नाटक	22	455.21	307.83	239.29	196.43	39.55
13	केरल	17	194.39	142.64	137.02	128.79	6.13
14	लद्दाख	2	18.06	13.82	12.08	11.70	0.38
15	मध्य प्रदेश	16	179.85	121.97	97.87	61.35	36.02
16	महाराष्ट्र	5	64.18	52.66	45.42	37.98	6.47
17	मणिपुर	3	30.29	27.85	23.41	16.40	7.01
18	मेघालय	6	63.94	57.80	53.27	53.27	0.00
19	मिजोरम	4	11.19	10.45	10.38	10.31	0.07
20	नागालैंड	5	13.72	12.63	12.39	12.15	0.24
21	ओडिशा	7	62.60	55.33	53.84	53.41	0.00
22	पुदुचेरी	6	7.89	7.71	7.66	6.99	0.59
23	पंजाब	11	285.72	187.74	182.57	159.94	22.61
24	राजस्थान	34	397.49	274.09	219.80	202.53	14.63
25	सिक्किम	8	57.16	52.73	52.69	48.58	2.24
26	तमिलनाडु	12	342.29	231.42	216.16	201.87	14.28

27	तेलंगाना	8	89.16	69.67	39.22	39.02	0.00
28	त्रिपुरा	5	24.71	21.75	21.46	20.52	0.91
29	उत्तर प्रदेश	8	91.24	74.96	50.04	12.45	0.52
30	उत्तराखंड	5	77.93	66.28	60.50	57.52	2.98
31	पश्चिम बंगाल	3	4.03	3.93	3.63	3.56	0.00
d|y ;kx		257	4126-48	2987-31	2410-18	2066-13	262-77

vuqca/k–VIII

Þjk"Vªh; Ms;jh fodkl dk;ZØeß ds ?kVd ^d* ds varxZr jkT;&okj okLrfod çxfr & ¼fnukad 31-12-2025 rd½

, l- u-	jkT;@la?k jkT; {ks= dk uke	vkSlr nSfud nw/k [kjhn ¼TKGPD½ esa of)	LFkkfir@ iqutZhfor dh xbZ DCS ¼la-½	iathd`r fdlku lnL; ¼gtkj la[;k esa½	fufeZr Ms;jh la;a= {kerk ¼TLPD½
1	आंध्र प्रदेश	264.18	2315	95.92	0.0
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0.0
3	असम	100.54	742	6.54	0.0
4	बिहार	767.21	8030	501.09	201.0
5	छत्तीसगढ़	16.18	0	0.77	0.0
6	गोवा	0.00	0	0.00	0.0
7	गुजरात	4215.23	935	33.10	400.0
8	हरियाणा	72.64	0	0.00	0.0
9	हिमाचल प्रदेश	106.01	359	4.94	120.0
10	जम्मू और कश्मीर	306.00	1488	79.15	237.0
11	झारखंड	57.96	133	7.89	0.0
12	कर्नाटक	1561.10	2033	713.95	0.0
13	केरल	249.86	0	63.19	1105.0
14	लद्दाख	2.90	10	0.70	0.0
15	मध्य प्रदेश	57.42	0	0.00	15.0
16	महाराष्ट्र	192.89	369	35.36	0.0
17	मणिपुर	4.29	50	1.04	0.0
18	मेघालय	0.00	51	1.19	50.0
19	मिजोरम	0.84	3	0.06	0.0
20	नागालैंड	4.11	54	1.34	7.0
21	ओडिशा	161.73	973	57.42	30.0
22	पुदुचेरी	33.00	7	0.60	0.0
23	पंजाब	165.37	0	0.00	60.0
24	राजस्थान	599.97	2247	122.99	440.0
25	सिक्किम	59.91	287	7.96	45.0
26	तमिलनाडु	818.83	1278	87.07	100.0
27	तेलंगाना	178.10	290	13.60	0.0
28	त्रिपुरा	0.00	6	0.53	16.0

29	उत्तर प्रदेश	135.09	288	11.52	0.0
30	उत्तराखंड	82.88	416	51.44	50.0
31	पश्चिम बंगाल	3.73	70	3.53	0.0
	कुल योग	10217.97	22434	1902.89	2876.00

vuqca/k-VIII ¼tkjh½

Þjk"Vªh; Ms;jh fodkl dk;ZØeß dh vrxZr okLrfod çxfr ¼fnukad 31-12-2025 rd½

Ø- l-	jkT; dk uke	cYd feYd dwyj ¼BMC½		jkT; dæh; ç;kx'kkyk@ jkT; Lrjh; ç;kx'kkyk ¼l-½	Ms;jh l;= Lrjh; ç;kx'kkyk dk l–<hdj.k ¼l[;k½	byDV,fud n/k feykoV ijh{k.k bdkbl ¼l[;k½	Lopkfyr n/k lxg bdkbl@ MVk çkl lj vkj n/k lxg bdkbl ¼DPMCU½@ n/k fo'ys"kd ¼l[;k½
		u-	{kerk ¼KL½				
1	आंध्र प्रदेश	31	155.00	1	10	73	2654
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0	0	0
3	असम	13	61.00	0	1	11	14
4	बिहार	72	199.00	1	12	620	6793
5	छत्तीसगढ	29	58.00	0	6	56	43
6	गोवा	0	0.00	0	1	0	0
7	गुजरात	2088	7305.00	1	5	1082	4451
8	हरियाणा	59	48.00	0	5	0	513
9	हिमाचल प्रदेश	47	88.00	0	13	11	335
10	जम्मू और कश्मीर	58	275.00	0	3	96	2136
11	झारखंड	13	26.00	1	5	0	339
12	कर्नाटक	452	1318.00	1	19	1237	5394
13	केरल	108	392.50	1	11	0	2160
14	लद्दाख	0	0.00	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	201	181.00	1	17	149	990
16	महाराष्ट्र	69	149.00	0	24	75	568
17	मणिपुर	38	8.40	0	1	1	61
18	मेघालय	100	41.42	0	4	3	106
19	मिजोरम	9	4.50	0	4	3	46

Ø- l-	jkT; dk uke	cYd feYd dwyj ¼BMC½		jkT; dsaæh; ç;kx'kkyk@ jkT; Lrjh; ç;kx'kkyk ¼l-½	M;jh l;a= Lrjh; ç;kx'kkykvksa dk l‛–<hdj.k ¼l[;k½	byDVª,fud n/k feykoV ijh{k.k bdkbZ ¼l[;k½	Lopkfyr n/k lxzg bdkbZ@ MsVk çkslslj vkj n/k lxzg bdkbZ ¼DPMCU½@ n/k fo'ys"kd ¼l[;k½
		u-	{kerk ¼KL½				
20	नागालैंड	28	14.50	0	3	3	0
21	ओडिशा	38	109.00	1	14	150	1147
22	पुदुचेरी	15	14.50	0	1	0	95
23	पंजाब	481	672.00	1	19	1287	2918
24	राजस्थान	1037	1275.50	1	17	2245	3266
25	सिक्किम	225	73.10	0	3	2	588
26	तमिलनाडु	485	1531.00	2	24	732	8235
27	तेलंगाना	20	18.00	1	8	0	1878
28	त्रिपुरा	11	11.50	0	1	9	150
29	उत्तर प्रदेश	0	0.00	0	13	8	196
30	उत्तराखंड	1	1.00	0	12	36	2552
31	पश्चिम बंगाल	4	2.00	0	3	1	100
dqy ;ksx		5732	14031-92	13	259	7890	47728

vuqca/k-IX

31 fnlacj] 2025 rd vLirkyksa] fMLisaljh;ksa vkSj i'kq fpfdRlk lgk;rk dsUæksa dh la[;k

, l- u-	jkT;@la?k jkT; {ks=	i'kq fpfdRlk vLirky@ i,yhfDyfud	i'kq fpfdRlk vkS"k/kky;	i'kq fpfdRlk lgk;rk dsUæ ¼LV,deSu dsUæ@ eksckby vkS"k/kky;½	dqy	fnukad 31 ekpZ 2024 rd iztfur i'kqfpfdRlk
1	आंध्र प्रदेश	337	1577	1558	3472	5643
2	अरुणाचल प्रदेश	16	183	311	510	245
3	असम	21	421	767	1209	3208
4	बिहार	1098	39	1595	2732	3586
5	छत्तीसगढ़	350	835	72	1257	1298
6	गोवा	5	25	50	80	261
7	गुजरात	34	741	1057	1832	4743
8	हरियाणा	1048	1815	22	2885	2571
9	हिमाचल प्रदेश	466	1762	1228	3456	1450
10	जम्मू और कश्मीर	19	1256	225	1500	1242
11	झारखंड	35	424	433	892	972
12	कर्नाटक	697	2156	1381	4234	5082
13	केरल	279	870	15	1164	5395
14	मध्य प्रदेश	1064	1583	65	2712	3266
15	महाराष्ट्र	39	1976	2841	4856	11242
16	मणिपुर	59	151	23	233	582
17	मेघालय	4	126	121	251	449
18	मिजोरम	11	67	69	147	379
19	नागालैंड	11	55	100	166	368
20	ओडिशा	30	511	3553	4094	2882
21	पंजाब	1389	1489	20	2898	4947
22	राजस्थान	2975	0	6434	9409	5669
23	सिक्किम	23	68	63	154	191
24	तमिलनाडु	189	2741	3446	6376	6610
25	तेलंगाना	107	909	1201	2217	2306
26	त्रिपुरा	16	65	459	540	558

27	उत्तराखंड	330	10	779	1119	1236
28	उत्तर प्रदेश	2208	267	2575	5050	7421
29	पश्चिम बंगाल	113	613	2609	3335	2724
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	13	49	72	66
31	चंडीगढ़	5	9	0	14	13
32	लद्दाख	4	9	127	140	77
33	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	1	2	14	17	05
34	दिल्ली	49	29	0	78	585
35	लक्षद्वीप	0	9	0	9	35
36	पुदुचेरी	0	17	75	92	592
	कुल	13042	22823	33337	69202	87899
24	तमिलनाडु	189	2741	3446	6376	6610
25	तेलंगाना	107	909	1201	2217	2306
26	त्रिपुरा	16	65	459	540	558
27	उत्तराखंड	330	10	779	1119	1236
28	उत्तर प्रदेश	2208	267	2575	5050	7421
29	पश्चिम बंगाल	113	613	2609	3335	2724
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	13	49	72	66
31	चंडीगढ़	5	9	0	14	13
32	लद्दाख	4	9	127	140	77
33	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	1	2	14	17	05
34	दिल्ली	49	29	0	78	585
35	लक्षद्वीप	0	9	0	9	35
36	पुदुचेरी	0	17	75	92	592
dqy		13042	22823	33337	69202	87899

ESVHD & MVU d vrxr enn iku oky jkT;k vkj l?k jkT;k {k=k dh dy l[;k rFkk tkjh dh xb fuf/k;k

Ø-l-	jkT;	pky MVU dh l[;k
1	आंध्र प्रदेश	340
2	अरुणाचल प्रदेश	25
3	असम	159
4	बिहार	307
5	छत्तीसगढ	163
6	दिल्ली	3
7	गोवा	2
8	गुजरात	127
9	हरियाणा	70
10	हिमाचल प्रदेश	44
11	जम्मू और कश्मीर	50
12	झारखंड	236
13	कर्नाटक	275
14	केरल	29
15	लद्दाख	9
16	मध्य प्रदेश	406
17	महाराष्ट्र	80
18	मणिपुर	33
19	मेघालय	17
20	मिजोरम	26
21	नागालैंड	16
22	पुदुचेरी	4
23	पंजाब’’	0
24	राजस्थान	536
25	सिक्किम	6
26	तमिलनाडु	245
27	त्रिपुरा	13
28	उत्तर प्रदेश	520
29	उत्तराखंड	60
30	पश्चिम बंगाल	218
	dqy	4]019

vuqca/k&XI

2025 ¼tuojh&twu½ ds nkSjku Hkkjr esa i'kq/ku jksxksa çtkfr&okj ?kVuk

Ø- la-	chekjh	çtkfr;k¡	çdksi	laØe.k	eR;q
1	खुरपका और मुंहपका रोग	बोवाईन का	5	59	1
		सूअर	1	25	6
		कुल	6	84	7
2	रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया	बोवाईन का	43	73	4
		भैंस	3	14	6
		कुल	46	87	10
3	ब्लैक क्वार्टर	बोवाईन का	3	19	5
4	एंथ्रेक्स ’	बोवाईन का	4	15	15
		ओवाइन / कैप्रिन	5	100	78
		कुल	9	115	93
5	एंटरोटॉक्सिमिया	ओवाइन / कैप्रिन	2	23	3
6	भेड़ और बकरी चेचक	ओवाइन / कैप्रिन	13	664	273
7	नीली जीभ	ओवाइन / कैप्रिन	2	6	0
8	C.C.P.P	ओवाइन / कैप्रिन	5	53	10
9	क्लासिकल स्वाइन ज्वर	सूअर	4	72	46
10	कोक्सीडियोसिस	एवियन	16	11941	1416
11	रानीखेत रोग	एवियन	40	9213	5224
12	मुर्गी चेचक	एवियन	10	1719	59
13	मुर्गी हैजा	एवियन	12	1092	242
14	मारेक रोग	एवियन	1	63	0
15	IBD	एवियन	125	73435	6764
16	CRD	एवियन	19	175450	985
17	रेबीज	बोवाईन का	2	4	4
		कुत्ते का	3	3	3
		कुल	5	7	7
18	बेबेसिओसिस	बोवाईन का	99	231	3
19	ट्रिपैनोसोमोसिस	बोवाईन का	3	3	0
20	मांगे	बोवाईन का	1	1	0
21	PPR	ओध्सी	29	971	383

Ø- l-	chekjh	çtkfr;k	çdksi	lØe.k	eR;q
22	एनाप्लास्मोसिस	बोवाईन का	215	334	0
23	ब्रूसेलोसिस	बोवाईन का	6	43	0
24	थाईलेरियोसिस	बोवाईन का	127	331	4
25	अफ़्रीकी स्वाइन ज्वर	सूअर	66	16707	11018
26	लम्पी त्वचा रोग (LSD)	बोवाईन का	20	561	19
27	ग्लैंडर्स #	घोड़े का	7	8	7

* 24 नष्ट किए गए पशु

1 नष्ट किए गए पशु

$ 5689 नष्ट किए गए

okf"kd fjikV 01-01-2025 & fnukd 31-12-2025							
o"k 2025&26 d nkjku lHkh AQCS d i'k/ku vkj i'k/ku mRikn d vk;kr@fu;kr dh okf"kd fjikV							
क्रम संख्या	ब्ज्- ;ैस्द्ध	परीक्षण श्रेणी	विवरण (संख्या)	आयात		निर्यात	
				मात्रा (संख्या)	उद्‌गम देश	मात्रा (संख्या)	गंतव्य देश
1	01012100	CT	षुद्ध नस्ल के प्रजनन पशु	44	जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन		
2	01012910	CT	घोड़े	153	अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, ब्रिटेन USA	25	नेपाल, श्रीलंका
3	01012990	CT	अन्य (बिल्ली)	1381	अफगानिस्तान, अंगोला, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, भूटान, बोस्निया और हर्जेगोविना, बोत्सवाना, ब्राजील, कंबोडिया, कनाडा, चिली, चीन, कोलंबिया, कांगो, क्रोएषिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, मिस्र, इथेपिया, फिनलैंड, फरांस, जॉर्जिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, आइसलैंड, इंडोनेषिया, ईरान, आयरलैंड, इजराइल, इटली, आइवरी कोस्ट, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लातविया, लेबनान, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मलेशिया, माल्टा, मैक्सिको, मोल्दोवा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, रवांडा, सऊदी अरब, सर्बिया, सिंगापुर, साउथ अफरीका, साउथ कोरिया, स्पेन, श्रीलंका, सूडान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, तुर्की, युगांडा, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्रिटेन स्टेट्स, वियतनाम	1369	अफगानिस्तान, अंगोला, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, भूटान, बोस्निया और हर्जेगोविना, बोत्सवाना, ब्राजील, कंबोडिया, कनाडा, चिली, चीन, कोलंबिया, कांगो, क्रोएषिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, मिस्र, इथियोपिया, फिनलैंड, फरांस, जॉर्जिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, गुयाना, हांगकांग, हंगरी, आइसलैंड, इंडोनेषिया, ईरान, आयरलैंड, इजराइल, इटली, आइवरी कोस्ट, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लातविया, लेबनान, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मलेशिया, मालदीव, माल्टा, मैक्सिको, मोल्दोवा, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, रवांडा, सऊदी अरब, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, साउथ अफरीका, साउथ कोरिया, स्पेन, श्रीलंका, सूडान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, तुर्की, युगांडा, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्रिटेन USA, वियतनाम

4	01019090	CT	अन्य (कुत्ते)	3418	ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, भूटान, बोत्सवाना, ब्राजील, कंबोडिया, कनाडा, चिली, चीन, कांगो, क्रोएषिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, घाना, हांगकांग, हंगरी, इंडोनेषिया, आयरलैंड, इटली, जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, लक्जमबर्ग, मलेशिया, माल्टा, मॉरिषस, मैक्सिको, मोजाम्बिक, म्यांमार, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ओमान, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, रूस, रवांडा, सऊदी अरब, सर्बिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्पेन, श्रीलंका , स्वीडन, तंजानिया, थाईलैंड, ट्यूनीषिया, युगांडा, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्रिटेन यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, जाम्बिया	2987	अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्राजील, चीन, कांगो, क्रोएषिया, चेक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेनमार्क, मिस्र, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इंडोनेषिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, केन्या, कुवैत, लक्जमबर्ग, मलेशिया, माल्टा, मैक्सिको, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, पनामा, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, रोमानिया, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताइवान, तंजानिया, थाईलैंड, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन USA, वियतनाम, जिम्बाब्वे
5	01022110	CT	बुल्स	45	USA		
6	01023100	CT	जीवित भैंस			77	बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात
7	01041010	CT	भेड़	967	ऑस्ट्रेलिया		
8	01051100	CT	गैलस डोमेस्टिक्स प्रजाति के मुर्गे (जीवित चूजे, दादी के एक दिन के चूजे के ग्रांड पेरेंट्स)	71256	फ्रांस, केन्या, ब्रिटेन है।	723671	अफगानिस्तान, भूटान, घाना, इराक, केन्या, कुवैत, लेबनान, नेपाल, ओमान, युगांडा
9	01061100	CT	ब्लैक कैप्ड कैपुचिन	6	दक्षिण अफ्रीका		
10	01061100	CT	अन्य (गोरिल्ला)	2	UK		
11	01061400	CT	अन्य (खरगोष)	20	डेनमार्क, इजराइल	5	जर्मनी, मलेशिया, USA
12	01061900	CT	प्रयोगषाला पशु (चूहे)	6172	है। चीन, नीदरलैंड, डेनमार्क		
13	01061900	CT	अन्य(प्रयोगषाला पशु)	40,303	फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन है।		
14	01061900	CT	अन्य (हाथी)			3	जापान

15	01062000	CT	सरीसृप (सांप और कछुए सहित)	3	सऊदी अरब		
16	01063200	CT	सिटासिफॉर्मेस (इसमें तोते , पैराकीट, मैकॉ और कॉकटू, एल्बिनो बुडगेरिगार, अफ्रीकी ग्रे तोता शामिल हैं)	2	कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात	0	
17	01063900	CT	घरेलू कबूतर	400	कुवैट		
18	01063900		अन्य (रोडंट)	708	ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA		
19	01064990	CT	अन्य (ड्रोसोफिला)	613	ऑस्ट्रिया, स्पेन,USA		
20	03011100	CT	मीठे पानी की, सजावटी मछली	3205545	चीन, इंडोनेषिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, तंजानिया, थाईलैंड	1730999	भूटान, इंडोनेषिया, जापान, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात
21		CT	जीवित मछली			1950 किलोग्राम	नेपाल, ताजिकिस्तान
22	03019900	NT	अन्य (जीवित सजावटी मछली, जीवित पंगेसियस, जीवित तिलापिया)	3593260	इंडोनेषिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड		
23	03061690	NT	पी. मोनोडोन	97030	मेडागास्कर, मेक्सिको, USA	0	
24	03061690	NT	अन्य (ब्रूड स्टॉक``च्क्स वन्नामेई और ब्लडस्टॉक का च्क्स)	281448	USA	2170000	बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात

25	03089000	CT	जीवित पॉलीचेट्स	25848.4	नीदरलैंड	0	
26	01063100	CT	जीवित पक्षी	0		4	नीदरलैंड
27	01063100	CT	कीमती पक्षी	2	सऊदी अरब	2	
28	01069000	CT	अन्य (जंगली जानवर और पक्षी)	24019	आर्मेनिया, अजरबैजान, बेनिन, बेल्जियम, कांगो, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, इंडोनेषिया, इटली, मलेशिया, नामीबिया, रूस, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, टोगो, यूनाइटेड स्टेट्स		
					वार्षिक रिपोर्ट दिनांक 01.01.2025 – दिनांक 31.12.2025		
				आयात		निर्यात	
क्र. सं.	ब्ब्, ;ैद्ध	परीक्षण श्रेणी	विवरण संख्या	मात्रा संख्या	गंतव्य देश	मात्रा संख्या	गंतव्य देश
1	01051110	CT	अंडा			78000	नेपाल
2	01069000	CT	15–20 ड्रोसोफिला की शीशी	517.75	USA, चीन	–	–
3	02023000	CT	हड्डी रहित	94940	भारत		
4	2031900	CT	अन्य (सूअर मांस उत्पाद)	23024	इटली		
5	02032100	CT	शव और अर्ध–शव	45453	बेल्जियम, स्पेन		
6	02032200	CT	हैम, कंधे और उसके कट, हड्डी के साथ	238478	बेल्जियम, भारत, स्पेन		
7	02032900	CT	अन्य (सूअर का मांस आइटम)	636057	बेल्जियम, जर्मनी, रूस, स्पेन		
8	02042200	CT	हड्डी वाले अन्य कट	47787	ऑस्ट्रेलिया		
9	02042300	CT	हड्डी रहित	166185	ऑस्ट्रेलिया		

10	02071200	CT	हिमीकृत चिकन	0		616632	बहरीन, ओमान, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात
11	0271400	CT	षीतलन हिमीकृत चिकन पैर	—	—	58000	वियतनाम
12	3035300	RT	सार्डिन	486000	स्पेन, ओमान		
13	02044200	CT	हड्डी रहित मांस, सूअर का मांस	299974	ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्झ.		
14	02044300	CT	मेमने के शव और अर्ध शव, हिमीकृत	249296	ऑस्ट्रेलिया		
15	02062900	—	खुरपका भैंस का मांसध्ऑफल	57663	चीन, वियतनाम	2094950	USA वियतनाम
16	02071400	CT	कटे हुए टुकड़े और ऑफल, हीमीकृत	—	—	268000	कंबोडिया, वियतनाम
17	02072500	CT	टुकड़ों में नहीं काटा गया, हीमीकृत	48360	USA , तुर्की		
18	02074200	CT	टुकड़ों में नहीं काटा गया, हीमीकृत	1439612	थाईलैंड		
19	02101200	CT	पेट (धारीदार) और उस पर कट	7345	स्पेन		
20	02109100	CT	प्राइमेट्स के	1391	स्पेन		
21	03021400	NT	अटलांटिक सैल्मन (साल्मो सालार) और डेन्यूब सैल्मन हुचो हुचो)	413758.37	ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे , चीन, वियतनाम		—

22	03021900		अन्य			661493.55 किलोग्राम	कुवैत, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात
23	03021100		एक्वा सर्च क्रेस (अंडा)	1305	डेनमार्क,USA		
24	03023900	NT	ताजा शीतलन लेडी फिश/ सीर फिश	3434	इंडोनेषिया	—	—
25	03033900		हीमीकृत येलो फिन सोलध्‍ हीमीकृत फिषध्‍ हीमीकृत अलास्का पैलेस	1066394	USA		
26	03034400	NT	हिमीकृत बिगआई टूना	1239	इंडोनेषिया	—	—
27	03024100	RT	मछली का मांस (सैल्मन)	—	—	—	—
28	03027400	NT	ईल	38.6	बांग्लादेश		
29	03027900	NT	अन्य	3088.266	बांग्लादेश		
30	03028910	NT	हिल्सा पूरी ताजी मछली	1083.003	म्यांमार, बांग्लादेश		
31	03028930	NT	पोम्फ्रेट	45.5	बांग्लादेश		
32	03028990	NT	अन्य (ताजी मछली)	521.315	बांग्लादेश		
33	3032300	NT	तिलापियास (ओरियोक्रोमिस एसपीपी.)	63.957	USA		
34	03031900		अन्य	25182	इंडोनेषिया		

35	03032300		तिलापियास (ओरियोक्रोमिस एसपीपी.)	45133	भारत	29.706 किलोग्राम	ै।
36	03033300		सोल (सोलिया एसपीपी)	1563	नीदरलैंड		
37	03036900	NT	अन्य (हिमीकृत सफेद बिंदीदार गिजर्ड पूरी मछली)	479.82	ओमान		
38	03031200	NT	हीमीकृत फिश अलास्का पिंक सैल्मन	3720002	नॉर्वे, USA		
39	03031300	NT	हिमीकृत सालोमन मछली	389397	चिली, कोरिया, नॉर्वे, संयुक्त अरब अमीरात, USA		
40	03034300	NT	हिमीकृत सफेद टूना/हल्का मांस टूना	101551	भारत, थाईलैंड		
41	03036300	NT	हिमीकृत प्रषांत कॉड	823474	जापान, कोरिया, थाईलैंड, USA		
42	03034900	NT	हिमीकृत पोम्फ्रेट और हिमीकृत कोबिया मछली /सीर मछली	292689	इंडोनेषिया		

43	03035300	NT	सार्डिन (सार्डिना पिलचर्डस, सार्डिनॉप्स एसपीपी.), सार्डिनेला (सार्डिनेला एसपीपी.) ब्रिसलिंग या स्प्रैट्स (स्प्रैटस स्प्रैटस)	81000	ओमान		
44	03036400	NT	हिमीकृत गटेड मछली, हिमीकृत हैडॉक H/G	26498	नॉर्वे		
45	03046100	NT	हिमीकृत तिलापिया	12491.45	वियतनाम	3 किलो	USA
46	03032400	NT	कैटफिश (पंगासियस एसपीपी., सिलुरस एसपीपी., क्लेरियस एसपीपी., इक्टालुरस एसपीपी.)	60.164	ओमान		
47	03035500	NT	जैक और हॉर्स मैकेरल (ट्रेचुरस एसपीपी)	26000	भारत		
48	03035600	NT	हिमीकृत मछली	25450	इंडोनेषिया		
49	03035700	NT	हिमीकृत तलवार टूना	0			

50	03035900	NT	ब्रेग्मैसेरोटिडे , यूक्लिचथिडे , गैडिडे, मैक्रोरीडे, मेलानोनिडे, मेरलुसीडे, मोरीडे और मुराएनोलेपिडिडे परिवारों की अन्य मछलियाँ, उप–षीर्शकों 030391 से 0303 99 के खाद्य मछली अपषिश्ट को छोड़कर	27000	भारत		
51	03035910	NT	लैंड हिमीकृत श्रिम्प्स, हिमीकृत मैकेरल	26000	थाईलैंड		
52	03038300	NT	टूथफिश (डिसोस्टिचस एसपीपी.)	31354	ऑस्ट्रेलिया		
53	03038980		क्रोकर्स , ग्रूपर्स, फ्लाउंडर्स (मछली)	387855	चीन, भारत		
54	03038990		अन्य लिवर, अंडे, दूध, मछली के पंख, सिर, पूंछ, जबड़े और अन्य खाने योग्य मछली के अवशेष	11535	नीदरलैंड, USA		
55	03038910	NT	हिल्सा पूरी हिमीकृत मछली	5256.0892	म्यांमार		

56	03038950		हिमीकृत काले पोम्फ्रेट मछली	500746.39	चीन, भारत, इंडोनेषिया, म्यांमार		
57	03038960		घोले	17579	USA		
58	03039110	RT	एक्वा मछली के बीज	—	—		
59	03038940	RT	डैश्र	321801	इंडोनेषिया		
60	03044940	RT	टूना	4651	श्रीलंका		
61	03044990	RT	अन्य	6663	जापान		
62	03044100	RT	पैसिफिक सैल्मन (ओंकोरहिन्चस नेर्का, ऑनकोरहिन्चस गोरबुस्चा , ऑनकोरहिन्चस केटा, ऑनकोरहिन्चस त्साविचा , ऑनकोरहिन्चस किसुच, ऑनकोरहिन्चस मासौ और ऑनकोरहिन्चस रोडुरस) अटलांटिक सैल्मन (साल्मो सालार) और डेन्यूब सैल्मन (हुचो हुचो)	87	चिली		
63	03046300	RT	नील पर्च (लेट्स निलोटिकस)	6	तंजानिया		
64	03048990	RT	हिमीकृत किंग मछली	52524.8	भारत, इंडोनेषिया, जापान, तंजानिया		

65	03046200	RT	हिमीकृत पंगेसियस/बासा फिलेट्स	9810961	सिंगापुर, वियतनाम		
66	03048100	RT	मछली का मांस	101217	डेनमार्क, नॉर्वे, रोमानिया	—	—
67	03048200	RT	ट्राउट सैल्मन ट्रिमक MFG	153	जापान	—	—
68	03048700	RT	मछली का मांस	22749	ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया (गणराज्य), वियतनाम	—	—
69	03027200	RT	ताजी मछली, सूखी मछली	—	—	469930	नेपाल
70	03027300	RT	ताजी मछली, सूखी मछली	28727.152	बांग्लादेश	2274.735	नेपाल
71	03032500	RT	कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, कैरासि–यस कैरासियस, सेटेनोफैरिं–जोडोन इडेलस, हाइपोफ्थैल्मिच–थिस एसपीपी., सिरहिनस एसपीपी.मायलो–फैरिं–जोडोन पिसियस) (हिमीकृत कटला संपूर्ण)	215.893	म्यांमार	—	—

72	03054100	RT	पैसिफिक सैल्मन (ऑंकोरहिन्चस नेरका ऑनकोर–हिन्चस गोरबुस्चा, ऑनकोरहिन्चस केटा, ऑनकोर–हिन्चस त्साविचा, ऑनकोरहिन्चस किसुच, ऑनकोर–हिन्चस मासौ और ऑनकोरहिन्चस रोडुरस), अटलांटिक सैल्मन (साल्मो सालार) और डेन्यूब सैल्मन (हुचो हुचो)	57588	डेनमार्क, मलेशिया, नॉर्वे		
73	03055100	RT	कॉड (गैडस मोरुआ,गैडस ओगैक,गैडस मैक्रोसेफालस)	255	पुर्तगाल		
74	03055900	RT	सूखी मछली	–	–	38520	नेपाल
75	03055990	RT	अन्य (सूखी मछली)	2557.936	बांग्लादेश	263.429	नेपाल
76	03061100		रॉक लॉबस्टर और अन्य समुद्री क्रेफिश (पैलिनुरस एसपीपी) पैलिनुरस एसपीपी जीसस एसपीपी.)	12540	भारत		
77	03061700	RT	ताजी मछली (IQF प्रॉन)	–	–	94899	कोरिया, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन

78	03049900	RT	फिस मिलेट	7245875.5	जापान, ै। , श्रीलंका		
79	03061290		अन्य	509	कनाडा		
80	03061720	RT	हिमीकृत झींगे	943772.53	ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, चीन, मिस्र, फ्रांस, जापान, लिथुआनिया, नीदरलैंड, रूस, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, USA, वियतनाम	649.662 किलोग्राम	कनाडा, USA, UK
81	03061790	RT	हिमीकृत सूखे झींगे	99938	कुवैत, USA, भारत	26080 किलोग्राम	नेपाल
82	03061500	RT	हिमीकृत प्रॉन्स टेल्स, हिमीकृत लॉबस्टर टेल्स	115805	UK		
83	03061900	RT	अन्य (हिमीकृत क्रिल सुपरबा–प्रॉन फीड), जोका पाउडर	167320	कनाडा, USA,		
84	03061690	RT	झींगा होमोजेनेट	0			
85	03069300	RT	हिमीकृत पके हुए केकड़े/क्रस्टेशियन	21230	बहरीन, ट्यूनीषिया		
86	03061400	RT	हिमीकृत पके हुए केकड़े	27009	बहरीन, जापान		
87	03063630	RT	भारतीय सफेद झींगा			290400.5 किलोग्राम	संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत
88	03063640	RT	ब्लैक टाइगर झींगा			903418.5 किलोग्राम	USA, कुवैत, षारजहा, ताइवान
89	03071100	RT	जिंदा, ताजा या शीतलन	141	USA,		
90	0307 1200	RT	जमा हुआ	2100	जापान		

91	03074320 / 90	RT	हिमीकृत स्क्विड	912054.44	चीन, फ्रांस, भारत, माल्टा, स्पेन,USA		
92	03075200	RT	हिमीकृत ऑक्टोपस	25000 किलोग्राम	वियतनाम, भारत		
93	03078400	RT	हिमीकृत समुद्री घोंघा	0			
94	03089000	RT	हिमीकृत पॉलीचेट्स	7155	नीदरलैंड, USA		
95	03061719	RT	हिमीकृत स्कैम्पी टेल्स, हिमीकृत होसो श्रिम्प्स	21015.876	संयुक्त राज्य,USA भारत		
96	03061740	RT	फूल वाले झींगे पर हिमीकृत सिर	20491	चीन, USA		
97	03079900	RT	हिमीकृत कोपपॉड्स	80360	USA		
98	03073200	RT	हिमीकृत मसल्स	33800	चिली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड		
99	03072200	RT	हिमीकृत स्कैलप mpg	4961.6	जापान,USA		–
100	03073990	RT	फ्रीज ड्राइड ग्रीन शेल मसल पाउडर	25000	चीन		–
101	03074990	RT	अन्य	20240	भारत		
102	03074310	RT	हिमीकृत कटल मछली	101523	स्पेन, भारत		
103	04012000	RT	वजन के हिसाब से, वसा की मात्रा 1% से ज्यादा लेकिन 6: से ज्यादा नहीं	20121	भारत, स्पेन		
104	04021010	RT	स्किम्ड दूध	420950	न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात	72342	अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, USA

105	04022990	RT	दूध पाउडर	—	—	40763	ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका
106	04022100	NT	अन्य (मिठाई)	23520	UK	1574	USA
107	04029990	RT	दूध वसा पाउडर	486	नीदरलैंड	661438 —175	ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, स्पेन, तंजानिया, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, USA
108	04039010	RT	छाछ			35750	USA
109	04039090	RT	अन्य			9740	USA
110	04041010	RT	मट्ठा, गाढ़ा, वाश्पित या गाढ़ा, तरल या अर्ध—ठोस	1060125	न्यूजीलैंड, पोलैंड		
111	04041020	RT	व्हे, सूखा, ब्लॉक और पाउडर	9231596	फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, तुर्की, युगांडा, ब्रिटेन	15000	नेपाल
112	04051000	RT	अन्य (लैक्टिक बटर)	146217	बेल्जियम, फ्रांस, भारत, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात	112310	अजरबैजान, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, USA
113	04015000	RT	क्रीम दूध	1009222 —1	फ्रांस, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन	47186	दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, USA
114	04041090	RT	अन्य (व्हे पाउडर)	3792200	फ्रांस, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड	13305	USA
115	04049000	RT	अन्य	2252635 —4	जर्मनी, इटली, लिथुआनिया, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन	—	—
116	04059010	RT	निर्जल दूध वसा	111976	बेल्जियम, भारत	1572217 —88	अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, घाना, नाइजीरिया, फिलीपींस, सऊदी अरब, थाईलैंड, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, USA, यमन

117	04059020	RT	घी	116095—19	कतर (पुनः आयात), नेपाल , UAE, भारत	786557—437	ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, मॉरिषस, न्यूजीलैंड, ओमान, सऊदी अरब, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफरीका, संयुक्त अरब अमीरात, USA
118	04059090	RT	बटर पेस्ट, गुलाब जामुन, पेड़ा	0		12344	USA
119	04062000	RT	सभी प्रकार का कछ्कस हुआ या पाउडर पनीर	8146	इटली	5064	ओमान, श्रीलंका
120	04063000	RT	प्रसंस्कृत चीज कदूकस या पाउडर नहीं किया हुआ	122009	वियतनाम	123—518536	फ्रांस
121	04064000	RT	पेनिसिलियम रोकफोर्टी द्वारा उत्पादित नीली नसों वाला पनीर और नसों वाला अन्य पनीर	15431	फ्रांस, जर्मनी		
122	04069090	RT	पनीर	—	—	10340	सिंगापुर
123	04069000	RT	हिमीकृत पनीर	1987046—5	डेनमार्क, एस्टोनिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लिथुआनिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, रोमानिया, स्पेन, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स	1739940—87	बहरीन, कुवैत, मॉरिषस, न्यूजीलैंड, ओमान, सऊदी अरब, सेषेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, USA, वियतनाम
124	04061000	RT	ताजा (अपरिवक्कव या बिना पका हुआ) पनीर, जिसमें व्हे पनीर और दही शामिल हैं	57030	डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी	3632	USA

125	04071990	RT	अन्य	2976	जर्मनी		
126	4081100	RT	सूखे अंडे की जर्दी का पाउडर	260000	चीन		
127	04109090	RT	कोलोस्ट्रम पाउडर		—	23611—87	USA
128	04071100	RT	घरेलू प्रजाति के मुर्गे का	56980	USA	6419996	कुवैत, मस्कट, ओमान, सेनेगल
129	04072100	RT	घरेलू प्रजाति के मुर्गे (टेबल अंडे, सफेद खोल वाले अंडे, हैचिंग अंडे)	164	जर्मनी	37616209—2	अंगोला, बहरीन, कोमोरोस, कांगो, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, लाइबेरिया, मालदीव, मॉरिटानिया, ओमान, कतर, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, गाम्बिया, संयुक्त अरब अमीरात, है।
130	04079000	RT	SPF अंडे	46475	USA	42495 PCS	बांग्लादेश, नेपाल
131	04081900	RT	अंडे की जर्दी	22000	स्पेन		
132	04089100	RT	पूरे अंडे का पाउडर	9000	इजराइल, नीदरलैंड		
133	04089900	RT	हिमीकृत पूरे अंडे	50000	कतर		
134	04090000	RT	शहद	—	—	—	—
135	05119140	RT	आर्टेमिया सलीना	293007	बेल्जियम, चीन, हांगकांग, मलेशिया, रूस, USA उज्बेकिस्तान	—	—
136	05021010	RT	सूअर, हॉग या सूअर ब्रिस्लस और बाल	4850	चीन	—	—
137	05069019	RT	अन्य (,MCHC)	150000	फ्रांस	—	—
138	05080090	RT	अन्य	302791	इटली, तंजानिया, वियतनाम		—

139	05100000	RT	बिना काम किए मानव बाल		–		
140	05100020	RT	बैल पित्त पथरी		–	13952–272	जर्मनी, दक्षिण कोरिया
141	05100099	RT	पित्त	303191	ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ै।	80536	न्यूजीलैंड
142	05119929	RT	अन्य			1 किलोर्ग्राम	इटली
143	45021010	RT	सूअर, हॉग या सूअर ब्रिसल्स और बाल		–	–	–
144	05029090	RT	अन्य (सुअर ब्रिसल्स)	416	चीन	3000	तुर्की, पोलैंड
145	05040000	RT	हिमीकृत नमकीन ओमासम	–	–	29000	वियतनाम
146	05051090	RT	जंगली पक्षियों के पंख (अन्य)	56189	चीन, स्पेन, वियतनाम	1–1561	कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जापान, केन्या, फिलीपींस, पोलैंड, श्रीलंका, स्वीडन, USA
147	05061019	RT	ओसीन और एसिड से उपचारित हड्डियाँ (अन्य)	8136866–1	फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ओमान, पोलैंड, USA	211475	बेलारूस, जर्मनी, इंडोनेषिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, UAE, USA
148	05069099	RT	गोपशु सींग के टुकड़े, जेल बोन्स बोवाइन चिप्स, गोपशु हड्डी के चिप्स	12555285	फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड	0	

149	05079020	CT	सींग और खुर (कुचले हुए खुरों सहित)	0		1332550	जर्मनी, जापान, इटली
150	05079030	CT	सींग के उत्पाद			1795802 —9	फ्रांस, जर्मनी, इटली, USA, वियतनाम
151	05079050	CT	सींग के उत्पाद			41782.6	फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, USA, वियतनाम
152	05079060	CT	कछुआ खोल का			186	इंग्लैंड, फिलीपींस
153	05079090	CT	अन्य (सींग)			925881	जर्मनी, हांगकांग, इटली, ब्रिटेन, वियतनाम
154	05079099	CT	सींग और खुर	—	—	—	—
155	05080030	CT	कौड़ियाँ	432674	तंजानिया	3300	मोरक्को
156	05080040	CT	कटल मछली की हड्डी	—	—	713283	अल्जीरिया, चीन, कोलंबिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, कोरिया, USA
157	05080090	CT	चंक्स	20415	तंजानिया, वियतनाम	—	—
158	05111000	CT	सीमन	99173.21	ब्राजील, कनाडा, USA	20000	श्रीलंका
159	05119919	CT	अन्य (सूखे रेषम कीट पूपा)			349358	
160	05119999	CT	अन्य (मानव ऊतक)	16627	चीन		जर्मनी, इटली, जापान, चिली
161	05119190		सूखी तिलापिया मछली के सोआला	106960.5	चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम	—	

162	05119990	NT	पशु उत्पाद–मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं	–	–	24144.8	–
163	05119991	CT	हिमीकृत सीमन, बोवाईन के अलावा	24	फ्रांस	–	वियतनाम
164	09109100	NT	मसाला मिश्रण			41288	–
165	15042020	CT	मछली लिपिड तेल	19950	चीन	–	USA
							–
167	15021090	NT	अखाद्य वसा	–	–	7270077.48	
168	15050010	NT	ऊन अल्कोहल (लैनोलिन अल्कोहल सहित)	7412	बेल्जियम, चीन	1000	मलेशिया,USA
169	15050090	NT	लैनोलिन अल्कोहल	758250.35	बेल्जियम, चीन, जर्मनी, जापान, UK, USA	324560	मलेशिया, सिंगापुर
170	16010000	C	चिकन सॉसेज	25669	श्रीलंका		आर्मेनिया, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेषिया, मलेशिया, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की
171	16023100	NT	टर्की का	7809	बेल्जियम		
172	16023900	NT	अन्य (हिमीकृत बत्तख)	2960	थाईलैंड		
173	16024100	RT	हैम और उसके टुकड़े	130229	बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, स्पेन	–	
174	16024200	RT	कंधे और उसके कट	1407	इटली	–	–

175	16024900	RT	अन्य, मिश्रण सहित	41982	डेनमार्क, श्रीलंका		–
176	16030020	RT	मसल पाउडर	49804	थाईलैंड		–
177	16030090	RT	मांस के अर्क	4550	न्यूजीलैंड, USA		–
178	16041100	RT	सैल्मन	37288	थाईलैंड		–
179	16041310	RT	सार्डिन, सार्डिनेला और ब्रिसलिंग	5000	थाईलैंड		
180	16041410	RT	टुनस	48609	थाईलैंड		
181	16052100	RT	हिमीकृत झींगे	10990	फ्रांस		
182	16041500	RT	छोटी समुद्री मछली	34139	थाईलैंड		
183	16041600	RT	एंकोवीज (मछली)	3960	चीन		
184	16041700	RT	ईल	4629	जापान		
185	16042000	RT	अन्य तैयार या संरक्षित मछली	139946	भारत, थाईलैंड	14185182	
186	16043200	RT	कैवियार के विकल्प	858	जापान		कनाडा, USA
187	16056900	RT	अन्य (CRAB)	106508	चीन, USA		
188	19011010	RT	माल्टेड दूध (पाउडर सहित)	358009	सिंगापुर		
189	19011090	RT	अन्य (सिमिलैक)	6415357	इंडोनेषिया, नीदरलैंड, सिंगापुर	10025	

190	16052900	RT	हिमीकृत श्रिम्प पैटी, सीपैक श्रिम्प स्कैम्पी किर्कलैंड (सैंपल), हिमीकृत श्रिम्प, पॉपकॉर्न श्रिम्प	1937797.9	बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, ग्रीस, कोरिया, लिथुआनिया, मलेशिया, नीदरलैंड, थाईलैंड, UAE, USA, वियतनाम		USA
191	17049090	NT	मिठाइयाँ	—	—	26876.32	—
192	19012000	NT	षीर्श 1905 के बेकर्स के सामान की तैयारी के लिए मिश्रण और आटा	344011	जर्मनी, इंडोनेषिया, इटली, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, UAE, ब्रिटेन, वियतनाम	—	USA
193	19019010	NT	अन्य (खाद्य सप्लीमेंटस)			9021	—
194	19019090	RT	परोठा, भटूरा	0		2717704	संयुक्त अरब अमीरात
195	19021900	RT	अन्य (नूडल्स)	1357324	जेनोवा, इटली, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की	14855	न्यूयॉर्क, USA
196	19053100	NT	मिठाइयाँ	—	—	1574.66	सऊदी अरब, USA
197	19059090		जमा हुआ भोजन	56383	थाईलैंड	7471970.98	USA
198	20011000	NT	अन्य (शहद)			164591	कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड,USA
199	20049000	RT	मिश्रित हिमीकृत पराठा, नान स्नैक्स और रेडी टू ईट फूड्स उत्पाद			976128	बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड.
200	20012019	RT	मछली का भोजन			911000	कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, कतर, USA

201	20059900	NT	अन्य (खाने के लिए तैयार)			7273106	ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्झ, USA
202	20059930	NT	अन्य (खाने के लिए तैयार)			1860	USA
203	20079990	NT	अन्य (खाद्य सप्लीमेंट्स)			4492	संयुक्त अरब अमीरात
204	21012090	NT	रेडी टू ईट प्रसंस्कृत खाद्य (डेयरी उत्पाद युक्त)			163045	ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, USA
205	21039040	NT	ऑमस्टर सॉस	12179	USA		
206	21039090	NT	अन्य (नूडल्स, खाद्य पदार्थ)	967946.08	चीन, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, UAE, USA	1543143.4	ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, USA
207	21039099	NT	खाद्य सामग्री	—	—	646517	ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, ट
208	21041000	NT	षूप	—	—	1025	USA
209	21041090	NT	सोयाबीन पाटे सूप	80892.6	चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड, UK	—	—
210	21041000	NT	अन्य (खाने के लिए तैयार)	—	—	1025	USA
211	21041010	NT	प्रदर्षनी नमूना	1733	जापान, स्पेन	50226.08	चीन, इटली, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर, USA
212	21041090	C	चिकन स्टॉक क्लैरिफाइड कॉन्संट्रेट, टोमैटो सूप, मशरूम जूस पाउडर, गेटो, क्रेप नेचर वोलक्यूट AUX लेग्यूम्स वेस्ट्स, अरेबिक क्यूब सॉफ्ट चिकन	21267	फ्रांस, तुर्की	26876.32	

213	21042000	NT	होमोजेनाइज्ड मिश्रित खाद्य पदार्थ (मिठाइयाँ)	50	फ्रांस	5472	कुवैट
214	21050000	RT	आइसक्रीम और दूसरी खाने वाली बर्फ, चाहे उसमें कोको हो या न हो	2370263	ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, फरांस, हंगरी, जापान, सर्बिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ै।	1873665	कुवैत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, USA
215	21061000	NT	प्रोटीन सांद्र और टेक्ससचर्ड प्रोटीन पदार्थ	128670.73	ऑस्ट्रेलिया, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, इजराइल, मलेशिया, पोलैंड, सऊदी अरब, सिंगापुर, ताइवान, ब्रिटेन, यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका	605189	जापान, UAE
216	21069099	RT	अन्य (खाद्य सामग्री और खाद्य पूरक)	4661085.7	ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, क्रोएषिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, हंगरी, आइसलैंड, इंडिया, इंडोनेषिया, ईरान, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया, लातविया, मलेशिया, म्यांमार, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, पोलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका	28667167.7	ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्रुनेई, कनाडा, डोमिनिकन रिपब्लिक, मिस्र, हांगकांग, इटली, जापान, कुवैत, लिथुआनिया, मॉरिषस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ओमान, पोलैंड, कतर, रॉटरडैम, सऊदी अरब, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तंजानिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क
217	22029930	NT	अन्य (रेडी टू ईट बादाम ड्रिंक)			397813	ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA
218	23011090	NT	अन्य (ग्रीव्स सहित)			2 किलो	डेनमार्क, ईरान, लिथुआनिया
219	23012011	RT	पाउडर रूप में (मछली का भोजन)	1052819	मॉरीषस, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात	275000	इंडोनेषिया, लेबनान, मलेशिया, नेपाल
220	23012019	RT	क्रिल भोजन	3754800	नॉर्वे, थाईलैंड	71400	सऊदी अरब
221	23012090	CT	पंख पूर्ण	51000	लिथुआनिया, थाईलैंड	0	
222	23091019	RT	कुत्ते या बिल्ली का खाना,			192562	कनाडा, चीन, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, आयरलैंड, इजराइल, जापान, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, स्पेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्रिटेन, ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका

223	23091000	RT	कुत्ते या बिल्ली का खाना, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया	62742944	ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चीन, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेषिया, आयरलैंड, इटली, कोरिया, लिथुआनिया, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, पोलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम	29876516	ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, ब्रुनेई, कंबोडिया, कनाडा, चीन, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, इथियोपिया, फ्रांस, गाम्बिया, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इंडोनेषिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, जॉर्डन, कोरिया, कुवैत, लक्जमबर्ग, मलेशिया, माल्टा, मॉरिषस, मैक्सिको, मोजाम्बिक, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ओमान, फिलीपींस, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्लोवाकिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम
224	23099010	RT	मिश्रित पशु आहार	110831	चीन, कोलंबिया, फ्रांस, ग्रीस, थाईलैंड, ब्रिटेन	563674.9	बांग्लादेश, ब्राजील, कैमरून, चिली, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, ग्वाटेमाला, लीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपींस, सऊदी अरब, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, तंजानिया, टर्की, युगांडा, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, वियतनाम, यमन
225	23099019	RT	मिश्रित पशु आहार के लिए सांद्रण			166828	बांग्लादेश, नेपाल,
226	23099020	NT	मिश्रित पशु आहार के लिए सांद्रण	5820781.4	ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेषिया, आयरलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, USA, उज्बेकिस्तान, वियतनाम	13273613	बांग्लादेश, ब्राजील, केमैन द्वीप समूह, चिली, चीन, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, जॉर्जिया, इंडोनेषिया, इटली, जापान, कुवैत, मलेशिया, मॉरिषस, मैक्सिको, नेपाल, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड, त्रिनिदाद, UAE, UK, USA, वियतनाम, जाम्बिया, रोजमाउंट।
227	23099031	RT	झींगा और श्रिम्प्स फीड, फ्रोजन पॉलीचेट्स, एक्वाकल्चर फीड, स्पिरुलिना पाउडर	33808612	बेल्जियम, चीन, फ्रांस, इजराइल, मलेशिया, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, USA, वियतनाम।	1344090.7	बहरीन, बांग्लादेश, कुवैत, मेडागास्कर, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका ,UAE

228	23099032	RT	पाउडर के रूप में मछली का भोजन	238646	ओमान	6432.4985	इराक, नेपाल, उज्बेकिस्तान.
229	23099039	RT	अन्य (मछली का चारा या झींगे का चारा)	1554982	बेल्जियम, चिली, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, सिंगापुर, स्पेन, थाईलैंड, ै।, वियतनाम।	2001460	बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम।
230	23099090	RT	अन्य (मछली का चारा और जानवरों का चारा, पालतू जानवरों का चबाने वाला खाना, भैंस का खाना)	76689585	ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, चीन, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया, कुवैत, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड , सर्बिया , सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, ै।, वियतनाम।	24667913	ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, चिली, चीन, कोलंबिया, इरिट्रिया, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्वाटेमाला, हांगकांग, ईरान, आयरलैंड, इटली, जापान, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मैक्सिको, मोरक्को, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, पनामा, पेरू, फिलीपींस, कतर, रोमानिया, रूस, सऊदी अरब, सेनेगल, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सीरिया, ताइवान, तंजानिया, थाईलैंड, ट्यूनीषिया, तुर्की, UAE,UK, USA, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, जाम्बिया।
231	38221300	NT	एंटी बॉडी	22792	जर्मनी, न्ड्ढ		
232	29181990	NT	अन्य "डिऑक्सीकालिक एसिड यूरो पीएच औषधि कोश)			900	मिस्र, तुर्की
233	28363000	NT	सोडियम बाईकार बोनेट	18600	भारत	173750	नाइजीरिया
234	29362210	NT	थायमिन मोनोनाइट्रेट	1000	चीन		
235	29232010	RT	मछली का चारा		–	29294787	नेपाल
236	29362940	RT	सोया लेसिथिन		–	543275	नेपाल, UAE, USA

237	30012090	RT	विटामिन क3	9544.0237	ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, UAE, USA	1076	मिस्र, USA
238	29362950	RT	चोंड्रोइटिन सल्फेट सोडियम ्रैन्ह			2204	UK
239	30012010	NT	लीवर के तरल अर्क	556	बेल्जियम, USA		
240	30012020	NT	लीवर अर्क, सूखा			8000	नाइजीरिया
241	30012030	NT	साँप का विश	4	दक्षिण कोरिया,USA		
242	30012090	NT	अन्य	4	USA		–
243	30019099	NT	कोंड्रोइटिन सल्फेट	116554.1	चीन, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, USA		
244	30019090	NT	(एमू तेल)	1.132 किलोग्राम	USA		
245	30021020	NT	एंटी–ब्ट्ट सीरम (बकरी)			2214	अर्जेंटीना, बेल्जियम, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, जॉर्डन, USA
246	30021290	RT	अन्य (किट, एंटीबॉडी)				
247	30021310	NT	परीक्षण किट	116554.1	–		–
248	30021500	NT	प्रयोगषाला उपभोग्य सामग्रियों	–	–	17.05	चीन, USA
249	30024910	NT	एसिड बीएफडोबैक्ट प्रोबायोटिक	67028.918	ऑस्ट्रेलिया, (पुनः आयात), चीन, फ्रांस, इटली, कोरिया (), न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ताइवान, UK, USA, वियतनाम।		

250	30024990	NT	अन्य के लिए मिश्रित टीके	0.24	जर्मनी, सऊदी अरब, स्पेन, USA	8	USA
251	30025900	NT	सेल कल्चर, चाहे अन्य तरीकों से संषोधित किया गया हो या नहीं	26199.28	कैलिफोर्निया, चीन, हंगरी, न्ज़, USA		
252	30025900	RT	सुरोनोव	18	USA		
253	30029010	NT	प्रयोगषाला रसायन	–	–		
254	30029030	NT	सूक्ष्म जीवों का कल्चर (यीस्ट को छोड़कर)	10398	USA	2120.09024 किलोग्राम	ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्रोएषिया, नीदरलैंड, स्पेन, UK, USA
255	30029020	RT	इलाज, बचाव या जांच के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया जानवरों का खून (थ्ठै)	326927.51	अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, चेक गणराज्य, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड,USA		
256	30029020	RT	घोड़ा सीरम	487.3	न्यूजीलैंड		
257	30029020	RT	नवजात बछड़ेध् बछड़ी का सीरम	10107.8	न्यूजीलैंड		
258	30029020	RT	बोवाईन सीरम	8	न्यूजीलैंड		
259	30039031	RT	बोवाइन एल्बुमिन और जानवरों से मिलने वाली दवाएं	5	आयरलैंड		
260	30029090	RT	अन्य (औषधि उत्पाद)	210162.12	ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इजरायल, इटली, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू, स्पेन, स्वीडन, न्ज़, USA, युगांडा।	148.357313	चीन, क्रोएषिया, जर्मनी, इजराइल, नीदरलैंड, स्पेन, USA

261	30039090	NT	मैग्नीषियम की गोलियां	5622237.4	कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, पुर्तगाल, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, USA		–
262	30049069	NT	नॉन–स्टेरॉयड दवा, जिलेटिन कैप्सूल	193176.03	मैक्सिको, नेपाल, USA, ब्रिटेन	915186	USA
263	30049099	NT	अन्य (दवाएं)			734140. 526 किलोग्राम	USA
264	31010099	NT	बीज उपचार फॉर्मूलेषन आधारित प्राकृतिक संशोधित पॉलीसैकेराइड	12130004	ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, मिस्र, इंडोनेषिया, इजरायल, इटली, कोरिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्पेन, UAE, USA, वियतनाम।	–	
265	31010099	RT	अन्य (जैविक उर्वरक)	12513302	ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेषिया, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, UAE, वियतनाम।	–	इटली
266	32029030		एंजाइमेटिक तैयारी	7000	चीन	–	
267	35011000	NT	एसिड कैसिइन, गैरवसा सूखा दूध	313532.4	भारत, आयरलैंड, जापान, स्पेन, UAE	3760	नाइजीरिया
268	35019000	NT	अन्य (उत्कृष्ट कैल्षियम)	934321	डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर।		
269	35021100	RT	अंडे की सफेदी का पाउडर/ अंडे का सफेद पाउडर	137648	चीन, युगांडा, वियतनाम।		
270	35021900	NT	अन्य	310	चीन, स्पेन.		

271	35022000	RT	वैलेक्टिव अल्ट्राव्हाई	18548422	अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, चिली, चीन, डेनमार्क, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, भारत, इंडोनेषिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, जापान, लिथुआनिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सऊदी अरब, स्लोवाक गणराज्य, स्वीडन, ट्यूनीषिया, तुर्की, ताइवान, युगांडा, UK, USA, वियतनाम।	200	मिस्र
272	35029000	NT	अन्य	44796.068	भारत, इटली, न्यूजीलैंड, USA		
273	35030010	NT	अभ्रक	356	फ्रांस,USA		—
274	35030020	RT	जिलेटिन, एडिबल ग्रेड और कहीं और बताया या शामिल नहीं है	1279466.7	ब्राजील, चीन, जर्मनी, भारत, इटली, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, तुर्की, USA	42000	इंडोनेशिया
275	23099071	NT	अन्य (अग्नाषय पाउडर)			1003	तुर्की,UAE
276	35030030	RT	हड्डियों, खाल और इसी तरह की चीजों से बने ग्लूय मछली के ग्लू	104340	चीन, बेल्जियम	34293	चीन
277	35040010	NT	मछली कोलेजन	11600.3	चीन, जापान	240550	नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ताइवान, UAE, ब्रिटेन।
278	35030090	NT	अन्य (जेली गोंद)	6888498.9	बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, कोलंबिया, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूयॉर्क, रूस, स्पेन, थाईलैंड, तुर्की, न्झ, USA	481172	बेल्जियम, नीदरलैंड, पेरू, स्पेन।
279	35040099	NT	अन्य (सिनर्जी)	824385.02	ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चीन, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेषिया, ईरान, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया (दक्षिण), मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की, UAE, UK, USA, वियतनाम।	28351	आयरलैंड, कोरिया, लेबनान, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन।

280	35079099	NT	अन्य	4	नीदरलैंड		
281	23099077	RT	अन्य	567.2	चीन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, न्झ, USA		
282	23099078	NT	अन्य (ट्रिप्सिन)	0.25	लिथुआनिया	1600	सीरिया
283	39139090		अन्य– (चोंड्रोइटिन)			55000 किलोग्राम	दक्षिण कोरिया
284	38221300	NT		10582.5	ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, USA.	–	–
285	41012090	NT	अन्य	103609.77	अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, इटली, कोरिया, म्यांमार, नीदरलैंड, नॉर्वे, ओमान, पोलैंड, सऊदी अरब, स्पेन, थाईलैंड, UAE, UK, USA, उरुग्वे, कोसोवो।		
286	41015090	RT	गीला नमक–संरहित नॉर्वे मूल	473396	अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, स्पेन, UK, USA		
287	41015010	RT	गाय का, गाय के बछड़े–बछड़ी सहित	7255425	अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, इटली, कोसोवो, म्यांमार, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, ओमान, पोलैंड, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, स्पेन, थाईलैंड, UAE, UK, USA, उरुग्वे।	0	
288	41015020	RT	कच्ची नमकीन भैंस की खाल	21728	इटली	143604.069	कंबोडिया, जर्मनी, इंडोनेषिया, मलेशिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, टोगो, तुर्की।
289	41015030	RT	अन्य	22.673	नीदरलैंड		

290	41019010		गाय का, गाय के बछड़े–बछड़ी सहित (गीली नमकीन खाल)	163657	अजरबैजान, ब्राजील, कोलंबिया, पोलैंड, तुर्की।		
291	41019020	NT	तैयार चमड़ा	23282	ऑस्ट्रेलिया		
292	41019090	NT	अन्य	549470.66	इथियोपिया, फ्रांस, इराक, इटली, कोरिया, कुवैत, ओमान, पोलैंड, सऊदी अरब, UAE, यमन।	150465	कंबोडिया
293	41012010	NT	गाय का, गाय के बछड़े सहित	1485624.2	अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कुवैत, म्यांमार, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, सऊदी अरब, सिंगापुर, न्झ, यूएई, UAE		
294	41021010	NT	भेड़ की खाल	1074704	ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, इटली, कुवैत, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सऊदी अरब।		
295	41021030	RT	अन्य (पोल्ट्री फीड)	11531.359	बेल्जियम, कनाडा, चीन, जर्मनी, हांगकांग, मलेशिया, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ताइवान,UAE	10185. 7523	बांग्लादेश, ब्राजील, घाना, ईरान, इराक, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, श्रीलंका, सूडान, सीरिया, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की, UAE
296	41022110	RT	भेड़ की खाल	330037	ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, चीन, इटली, न्यूजीलैंड, ओमान, सऊदी अरब।		–
297	41022120		प्रसंस्कृत मेमने की खाल श्रेणी	90570	चीन, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड।		–
298	41022130	NT	मेमने की खाल	523462	चीन, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, तुर्की।		
299	41022910	NT	भेड़ की खाल	273323	ऑस्ट्रेलिया, चीन, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका।		
300	41022920	NT	मेमने की खाल	128207	चीन, नॉर्वे, तुर्की।		–
301	41039000	NT	अन्य (क्रस्ट लेदर)	758218	ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन	–	–

302	41041100	NT	तैयार चमड़ा	16823351	अर्जेंटीना, अजरबैजान, ब्राजील, चिली, चीन, हांगकांग, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, UAE, UK, USA	55594	चीन
303	41044900	NT	•ाय क्रस्ट का चमड़ा	1424	बांग्लादेश	3128527	कंबोडिया, चीन, जर्मनी, इंडोनेषिया, इटली, मलेशिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, श्रीलंका, टोगो, युगांडा, UAE
304	41041900	NT	अन्य	2380779 –1	अर्जेंटीना, मिस्र, जर्मनी, इटली, कजाकिस्तान, नेपाल, न्यूजीलैंड, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन।	317835.2	चीन
305	41051000	NT	वेटब्लू	2885170 –2	कनाडा, चीन, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इटली, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, तुर्की, यूएई, यू	–	–
306	41062100	RT	गीली अवस्था में (वेट–ब्लू सहित)	12720	केन्या, नेपाल, USA	–	–
307	41071900	RT	अन्य (तैयार चमड़ा)	327388 –71	ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, हांगकांग, इंडोनेषिया, इटली, रूस, तुर्की, ब्रिटेन।	130843. 018	कंबोडिया, चीन, इंडोनेषिया, फिलीपींस, श्रीलंका।
308	41079900	NT	अन्य (तैयार चमड़ा)	286074 –91	बांग्लादेश, चीन, मिस्र, जर्मनी, इंडोनेषिया, इटली, लिथुआनिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, स्पेन, थाईलैंड, तुर्की, ब्रिटेन, वियतनाम।	733863.55	कंबोडिया, चीन, इंडोनेषिया, इटली, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका।
309	41012020	-	सूखा चमड़ा	–	–	881046	नाइजीरिया, टोगो , युगांडा

310	41120000	NT	टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार किया गया चमड़ा, जिसमें भेड़ या लैंप का पार्चमेंट–ड्रेस्ड चमड़ा शामिल है, जिस पर ऊन नहीं है, चाहे वह फटा हो या नहीं, षीर्श 4114 के चमड़े को छोड़कर।			881.48	चीन
311	41131000	NT	बकरियों या बच्चों का	1–45	बांग्लादेश	8734.874	इंडोनेषिया, मोरक्को, लंदन
312	41139000	NT	अन्य (तैयार चमड़ा)	3207–5	चीन, जर्मनी, हांगकांग, इटली, दक्षिण कोरिया।	–	–
313	41142010	NT	पेटेंट चमड़ा और पेटेंट लैमिनेटेड चमड़ा	10042–32	चीन, भारत, इटली, केन्या, कोरिया गणराज्य, दक्षिण कोरिया।	–	
314	41142020		गाय का पेटेंट चमड़ा	161	इटली	–	
315	41151000	NT	लेदर फाइबर या लेदर के बेस वाला कम्पोजीश0न लेदर , स्लैब, शीट या स्ट्रिप में, चाहे रोल में हो या नहीं	897353 –92	चीन, जर्मनी, हांगकांग, इटली, कोरिया, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, स्पेन, USA	–	–
316	41152010	NT	तैयार चमड़ा	–	–	–	–

317	41152090	NT	चमड़ा	663	इटली, स्पेन.	16000.00	चीन
318	42022110	NT	बछड़े की खाल	657—2	चीन, हांगकांग, स्विट्जरलैंड	—	—
319	42022190	NT	महिलाओं का हैंड बैग	3798—3	फ्रांस, हांगकांग, इटली, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन।	—	—
320	42022220	NT	सूती हैंड बैग	—	—	19503.615	स्पेन
321	42022230	NT	समुद्री षंख	—	—	108.00	स्पेन
322	42022290	NT	समुद्री षंख	—	—	42018.55	इटली, स्पेन, न्ज्ञ, ै।
323	43013000	NT	मेमने ये निम्नलिखितरू आस्ट्राखान, ब्रॉडटेल, कैराकुल, फारसी और इसी तरह के मेमने, भारतीय, चीनी, मंगोलियन या तिब्बती मेमने, पूरे, सिर, पूंछ या पंजे के साथ या बिना	6452	इटली, तुर्की.	—	—
324	43021910	NT	तैयार चमड़ा	106119—52	ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, हांगकांग, इटली, तुर्की।		

325	43021920	RT	अन्य वोबाईन और इक्वाइन जानवरों की खाल या चमड़ा जिस पर बाल हों, टैन किया हुआ हो या प्रसंस्कृत	122151—7	ब्राजील, चीन, जर्मनी, इटली, स्पेन, तुर्की।		
326	43021930	RT	बकरी (कॉमन) और बकरी के बच्चे की खाल, जिस पर बाल हों, टैन किया हुआ हो या प्रसंस्कृत	74489	चीन, जर्मनी, हांगकांग, हंगरी, इटली, इस्तांबुल, मंगोलिया, तुर्की, USA		—
327	43021990	RT	खाल या चमड़ा जिस पर बाल हो, टैन किया हुआ हो या प्रसंसकृत	93218—8	ब्राजील, चीन, हंगरी, स्लोवेनिया, तुर्की, उरुग्वे, USA	—	—
328	50030010	NT	अन्य (रेषम अपशिष्ट)			678435	चीन
329	50030090	NT	अन्य (रेषम अपशिष्ट			844270	चीन
330	51011100	RT	कच्चा ऊन	2765782—9	अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, केन्या, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, तुर्की, UK	—	—
331	51012900	RT	घिसा हुआ ऊन	53210721	अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, चीन, डेनमार्क, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेषिया, ईरान, इराक, इटली, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, लिथुआनिया, मेक्सिको, मोरक्को, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, पेरू, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सीरिया, ताइवान, थाईलैंड, ट्यूनीषिया, तुर्की, UAE, USA, उरुग्वे, वियतनाम	17.977298	UK

332	51011900	NT	अन्य (ऊन)	21067645	ऑस्ट्रेलिया, चीन, ग्रीस, जॉर्डन, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पेरू, रोमानिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, सीरिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, UAE, UK, उरुग्वे।		
333	51012100	RT	कटी हुई ऊन	16861512	अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मिस्र, जर्मनी, ईरान, इराक, इटली, न्यू जीलैंड, पेरू, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, UK, UAE, उरुग्वे।		
334	51021190	NT	अन्य (चिकना ऊन)	168046 —13	चीन, इटली, मंगोलिया		
335	51021910		समुद्री अंगोरा	2730	पेरू		
336	51021990	NT	ऊन	2464	चीन, पेरू		
337	51022010	NT	बकरी के बालों से बना चश्मा	94835—1	चीन, मंगोलिया, ब्रिटेन।		
338	51022090	NT	अन्य (सुअर और सूअर के बालों को छोड़कर)	718	दक्षिण अफ्रीका		
339	51013000	RT	ऊन	102394	ऑस्ट्रेलिया, मिस्र.	7910	बोलीविया
340	51031010	RT	ऊन	22902	चीन	1493766.9	बोलीविया, चीन, इक्वाडोर, इटली, लिथुआनिया।
341	51031050	RT	ऊन	—	—	3275	कनाडा, इंडोनेषिया, थाईलैंड।
342	51031090	RT	ऊन अपशिष्ट	—	—	25348	चीन, इटली
343	51032090	RT	ऊन	906	टर्की	—	—
344	51052910	NT	ऊनी टॉप	—	—	546223.19	चीन, जर्मनी, इटली, लिथुआनिया, रोमानिया।
345	51053900	NT	ऊन	—	—	—	—
346	51071010	NT	ऊन	—	—	435059.72	चीन, इटली
347	51072030	NT	ऊन	—	—	198	कनाडा, तुर्की
348	52010070	NT	ऊनी टॉप	—	—	31394.95	इटली

349	63101090	NT	ऊन	—	—	24891.70	इटली
351	67010090	RT	अन्य (बत्तख पंख)	33—9786	इटली	—	—
352	94042110	RT	गदहा	23832	थाईलैंड		
353	94049000	RT	कंटूर्ड लैंड रेस्ट कुषन	357594 —41	ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, बुल्गारिया, चीन, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेषिया, जापान, लिथुआनिया, मलेशिया, पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, टर्की, UAE, USA, वियतनाम।	52529.657	चीन, इटली, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, स्लोवेनिया, UAE, UK, USA
354	94094000	RT	रजाईदार तकिया कॉटन	—	—	6885.06	चीन, इटली
355	96019010	NT	काम किया हुआ कछुआ—खोल और उससे बनी चीजें	12	फ्रांस		
356	94049099	NT	पंख या रों, से भरे बैग	7104144	ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, बुल्गारिया, चीन, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, हंगरी, इंडोनेषिया, इटली, जापान, लिथुआनिया, मलेशिया, पोलैंड, स्पेन, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम।	794.66	स्विट्जरलैंड
357	95069910	CT	बैडमिंटन षटल कॉक्स	343688 —44	चीन, सिंगापुर, स्पेन, ताइवान।	—	—
358	96003010	NT	भैंस के सींग के बटन		—	24726	चीन
359	96019000	NT	भैंस का सींग	—	—	243612.7	चीन, इटली, कोरिया, थाईलैंड।

360	96019030	NT	संसाधित हड्डी (व्हेल की हड्डी को छोड़कर) और उससे बनी चीजें	—	—	5455.6	नीदरलैंड
361	96019040	NT	प्रसंस्कृत मूंग	1204—45	हांगकांग, इटली, जापान, ताइवान, थाईलैंड, UAE	58745.69	चीन, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, ओमान, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, ब्रिटेन।
362	23099181	NT	प्रसंस्कृत सींग म्रूंग	—	—	59793.511	कनाडा, चीन, मिस्र, फ्रांस, इटली, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, USA
363	96020030	NT	जिलेटिन कैप्सूल, खाली	155674—56	बेल्जियम, चीन, कोरिया, स्पेन, USA	9,69,273.14	बांग्लादेश, कनाडा, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, जॉर्डन, नेपाल, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, UAE. ब्रिटेन, USA, उरुग्वे।
364	96063000	NT	बटन मोल्ड और बटन के दूसरे हिस्सेय बटन ब्लैंक्स	—	—	78225	चीन, मेडागास्कर.
365	96063010	NT	बटन रिक्त स्थान	—	—	5163365.07	ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चीन, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेषिया, इटली, जापान, मेडागास्कर, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, तुर्की, न।म, वियतनाम।
366	96063090	NT	बटन रिक्त स्थान	—	—	20850	चीन, दक्षिण कोरिया।

ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt. of India
(Department of Animal Husbandry and Dairying)
NIAW Campus, 42 Mile Stone, Delhi-Agra Highway
NH-2, Ballabhgarh, Haryana-121004
Email: support-awbi@gov.in **: Website:** www.awbi.gov.in

To,

Office of the Principal Director of Audit
Central Expenditure
(Agriculture, Food & Water Resources),
8 th &9 th, Floor, CAG Annexe Building,
10 Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110002

Subject: Vetting comments on action taken note in respect of CAG Audit Para no 5.1 of Report no 3 of 2024-reg.

Sir/Madam,

With reference to the above mentioned subject the information pertain to Animal Welfare Board of India (AWBI in respect of vetting comments on action taken note in respect of VAG audit para no 5.1 of report no 3 of 2024 submission are listed below:-

			Replied	Comments Received by Ministry/Department	Vetting Comments
I	(a)	Ministry/ Department	Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying	–	—
	(b)	Subject/Title of the Review Paragraph	Audit observation of Theme Based Audit tiled "Functioning of Animal Welfare Board of India" for the period 2019-20 to 2021 22	–	—
	(c)	Paragraph No.	Audit Para No 5.1 of Chapter 5 of Report No. 3 of 2024	–	—
	(d)	Report No and year	Report No 3 of the year 2024 for the period from 2019-20 to 2021-22	–	—
II	(a)	Date of receipt of the Draft Paragraph/ Review in the Ministry	04.09.2024	The matter was reported to Ministry on 8.06.2023	—
	(b)	Date of Ministry's	14.10.2024	Ministry's replies were not received.	

		reply			
III		Gist of Paragraph/Review	Copy attached	—	—
IV	(a)	Do the Ministry agree with facts and figures Included in the Paragraph?	Yes	No further comments	—
	(b)	If not, please indicate the areas of disagreement and also attach document in support	Not applicable	No further comments	—
V	(A)	Main Audit conclusions			
	1.	Deficiency in the existing system including system of internal control	No, the observations made by the Audit are not true as of Animal Welfare Board of India is following the norms laid by the Ministry for the system of internal control. However, few new points have been raised by the Audit for that the Animal Welfare Board of India will be instructed to adhere with the observations made by the Audit in letter and spirit and submit the compliance of the same	Instruction framed, if any, for adhering with observation of audit may be provided.	—
	2.	Failure to follow the system and procedure	No, the Office of the Animal Welfare Board of India is adhering to the norms laid by the Ministry for the system and procedure However, the Animal Welfare Board of India will adhere be instructed to there with the observations made by the Audit in letter and spit and submit the compliance of the same	a) Position of the pending UCs by the 98 organisations and reasons for non-submission of separate accounts by the AWOs etc. may be provided b) Instruction framed, if any, for adhering with observation of audit may be provided.	a) The number of pending Utilization Certificates (UCs) from AWOs for the period 2019–20 to 2021–22 stands at 25 as on date, which has been reduced from 98 at the time of audit. It is further stated that the AWOs are maintaining separate accounts for AWBI grants. b) —
	3.	Failure of individuals	Not applicable	—	—
	4.	Amount of	Not applicable	—	—

		loss/ short assessment/ short levy			
	(B)	Do the Ministry agree with the Audit conclusions? : If not please indicate specific areas of disagreement reasons for disagreement and also attach copies of relevant documents where necessary.	The Ministry does not agree with the Audit Conclusion. The details are furnished as under:- 1. To develop a mechanism for monitoring the proper implementation of schemes, rules and provisions of the Act-, it is stated the Board is monitoring the implementation of the schemes through the inspections by the Department of Animal Husbandry, therefore, it is not agreeable with the conclusion. 2. Prepare Budget estimates for gauging the demands raised by various agencies seeking financial assistance under various schemes under the Act. In this connection it is stated that the Board is furnishing its demand seeking funds from the Ministry in the end of the previous financial year and the applications from the AWOs are received later on, therefore, it is not possible to demand the budget as per the demand of the AWOs. 3. To collect the amount of fines levied and collected by State agencies if any - It is stated that collection of fines does not fall under the ambit of the Board as the responsibility entrusted to the SPCAs to collect the fines and remit the same to the Board which is to be disbursed to the AWOs. It is also stated that the corpus collected by AWBI under RRAECF is remitted to the Government of India through Consolidated Fund of India as stated in its reply. 4. To develop a mechanism for keeping a watch on Implementation of the rules-In this connection it is stated	1(a)- The mechanism developed and instructions issued to various authorities to monitor the schemes may be provided to audit. (b)- The details of inspections carried out by Animal Husbandry department may be provided. Corrective measure taken on the results of inspections may also be apprised. 2(a)- Procedure adopted for preparing the estimates may be provided. (b)-Whether any time frame has been fixed for the AWOs to submit their BE for its compilation before its approval by the Board and submission to the Ministry? 3(a)- Whether any guidance/advice/instructions issued to the state agencies responsible for collecting the fines for handing over fine levied and realized, to the AWBI? (b)- Under Rule 4(2) the fine levied and realized in one State and made over to AWBI is to be utilized only for the benefit of	1(a)- With regard to the mechanism developed and instructions issued, it is stated that the Board does not have sufficient manpower to undertake pan-India monitoring. Accordingly, the Board relies on the Animal Husbandry Departments of the respective States/UTs for monitoring the implementation of schemes. Further, the credentials of the AWOs are duly verified before release of any financial assistance under various schemes. (b)- The details of inspections carried out by the Animal Husbandry Departments of the respective States/UTs are available in the relevant files maintained under the various schemes of the Board. However, compilation of all such inspection reports would require examination of multiple scheme-wise files and, therefore, may be time-consuming. In case the Audit desires copies of the inspection reports, adequate time may kindly be provided for the same. As regards the corrective measures taken on the outcome of inspections, the Board also conducts selective inspections through its own officers/staff, wherever considered necessary, and takes appropriate action based on the observations, including advising the concerned AWOs for compliance before release of further financial assistance.

			that the AWBI is keeping a watch and initial action on the breach of PCA Act, 1960 and the rules made there under, however, it is also pertinent to mention here that the AWBI is having only 22 sanctioned posts including Secretary, AWBI and it is hardly possible to have a mechanism for keeping proper watch throughout the country for proper Implementation of the rules.	societies/organizatio ns within the jurisdiction of the State levying the fine. How does, the Board ensure this? (c)- Does the corpus collected by AWBI under RBAECF also includes the fines levied and realized by State Agencies? (d)- Please elaborate RBAECF Ministry has agreed it is not completely possible to have a mechanism due to shortage of man power.	2(a)- The estimates under various schemes are prepared based on budgetary allocations, past expenditure trends, requirements received from eligible AWOs, and scheme guidelines, keeping in view the availability of funds and priorities approved by the competent authority. (b)- No specific time frame has been prescribed for the AWOs to submit their Budget Estimates (BE). However, the Board continuously monitors the fund requirements under various schemes throughout the financial year and, based on the assessed requirements, obtains approval of the competent authority for the budget demand to be sought from the Ministry by the end of the financial year. 3(a)- No specific guidance, advice or instructions have been issued by the Board to the State agencies responsible for collection of fines regarding remittance of fines levied and realized to the Animal Welfare Board of India. (b)- The Board has not received any fines levied and realized under Rule 4(2) from any State during recent years. Accordingly, the question of utilization of such fines has not arisen. However, it is clarified that, whenever fines are received from States/UTs, the Board ensures that the amounts are utilized only for the benefit of societies/organizations within the same State/UT from which the fines are

					collected, in accordance with the provisions of Rule 4(2). (c)- No. The corpus collected by the Animal Welfare Board of India under the RRAECF does not include fines levied and realized by State agencies. (d)- The RRAECF (Recognition, Registration, Administration, Expenses and Contingency Fund) pertains to amounts collected by the Board in connection with its recognition and registration related activities. It is clarified that the funds received under RRAECF are not utilized by the Animal Welfare Board of India. The entire amount so received is credited to the Consolidated Fund of India in accordance with the prescribed financial rules and instructions of the Government. In view of the above, no separate utilization or monitoring mechanism is maintained by the Board for RRAECF funds.
VI		Remedial actions taken			
	(i)	Improvement in system and procedures including Internal controls	The points raised by the Audit for Animal Welfare Board of India will be instructed to adhere with the observations made by the Audit in letter and spirit and submit the compliance of the same	Action initiated and compliance thereof may be provided.	The Board has initiated action on the issues pointed out by Audit. Steps have been taken to expedite the collection of Utilization Certificates (UCs) from the AWOs and, as a result, the pendency of UCs for the audit period has been reduced from 98 to 25 for the period 2019–20 to 2021–22. Continuous efforts are being made to bring the pendency to nil. Further, it is pertinent to mention that the Recruitment Regulations

					for the officers and employees of the Board have been notified by the Ministry, and a copy of the same has already been provided to the Audit.
	(ii)	Recovery of overpayment pointed out by audit	In this connection it is stated that the employees of the Board are not having any promotional avenues therefore constituted a committee for addressing the grievances of the Staff who are stagnated in the same post where they were appointed without any promotion. The committee decided to provide upgradation and change of nomenclature of the posts as per the nature of work, workload entrusted to the employee, qualification and length of service of the employees after proper examination of their details with the approval of the Board. However, the approval of the Ministry was not sought and the matter was pointed out by the Audit and the benefits were withdrawn with Immediate effect and the recovery could not be initiated as the matter is under consideration of the Ministry of Finance	A copy of the communication with Ministry and its present status may be provided.	The Board has written letters to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change during the year 2016-17 and later on the Administrative Ministry of the Board was changed from MoEF&CC to the Ministry Agriculture and Farmers' Welfare and later on to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. The matter is currently under the active consideration of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Copies of the correspondence made with the Ministries for waiver of the overpayment made to the employees of the Board are attached for your reference.
	(iii)	Recovery of under assessment, short levy or other dues	Not applicable		---
	(iv)	Write off of amount of losses/ waste/ expenditure/ irrecoverable amount	The animal welfare board of India has initiated action for writing off the amount of losses/waste expenditure/ irrecoverable amount. The details are given in annexure -1 wherein the excerpts of the minutes of 52nd AGM are reproduced.	Approval by the AGM along with final outcome of action taken may be provided	Copy of the excerpts of the minutes of 52nd Annual General Meeting of the Board held on 13.09.2022 are attached herewith for ready reference wherein the writing of amount of losses / waste / expenditure / irrecoverable amount was approved by the Board.
	(v)	Modification in the schemes including	The schemes being implemented by the AWBI are very old need to be updated. The AWBI has requested the	Details of the proposals to get the schemes updated may be provided to	The Ministry has recently directed the Board to discontinue all the existing schemes including 4 CSS

		financing pattern	ministry for upgradation / revision of the existing CSS schemes. However, the regular and rescued cattle scheme of the board is updated by the AWBI time and again.	PAC	schemes and new 03 schemes have been approved by the Ministry for providing financial assistance to the Animal Welfare Organizations from the current financial year onwards.
	(vi)	Review of similar cases/ complete scheme/ project in the light of findings sample checked by audit	The scheme being implemented by the AWBI i.e. the regular and rescued cattle scheme of the Board is updated by the AWBI time and again, however, the AWBI will be directed to implement the observation and findings of the audit in letter spirit. Moreover, the Board has launched its online portal for receiving and processing the application of grants and other application including the cruelty matters.	The instructions issued to the Board may be provided. The details of the services provided through portal may be provided.	The Board has launched an online portal for receiving and processing applications for grants, recognition/registration of AWOs, issue of certificates for films/ ad-films etc. using performing animals, cruelty-related matters etc. The portal facilitates digital submission, scrutiny and processing of applications.

Yours Sincerely,

Digitally signed by SUJIT KUMAR DUTTA
Date: 02-01-2026 11:57:03

(Dr. S.K. Dutta)
Secretary

Encl: As above

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में लेखा संगठन की स्थापना

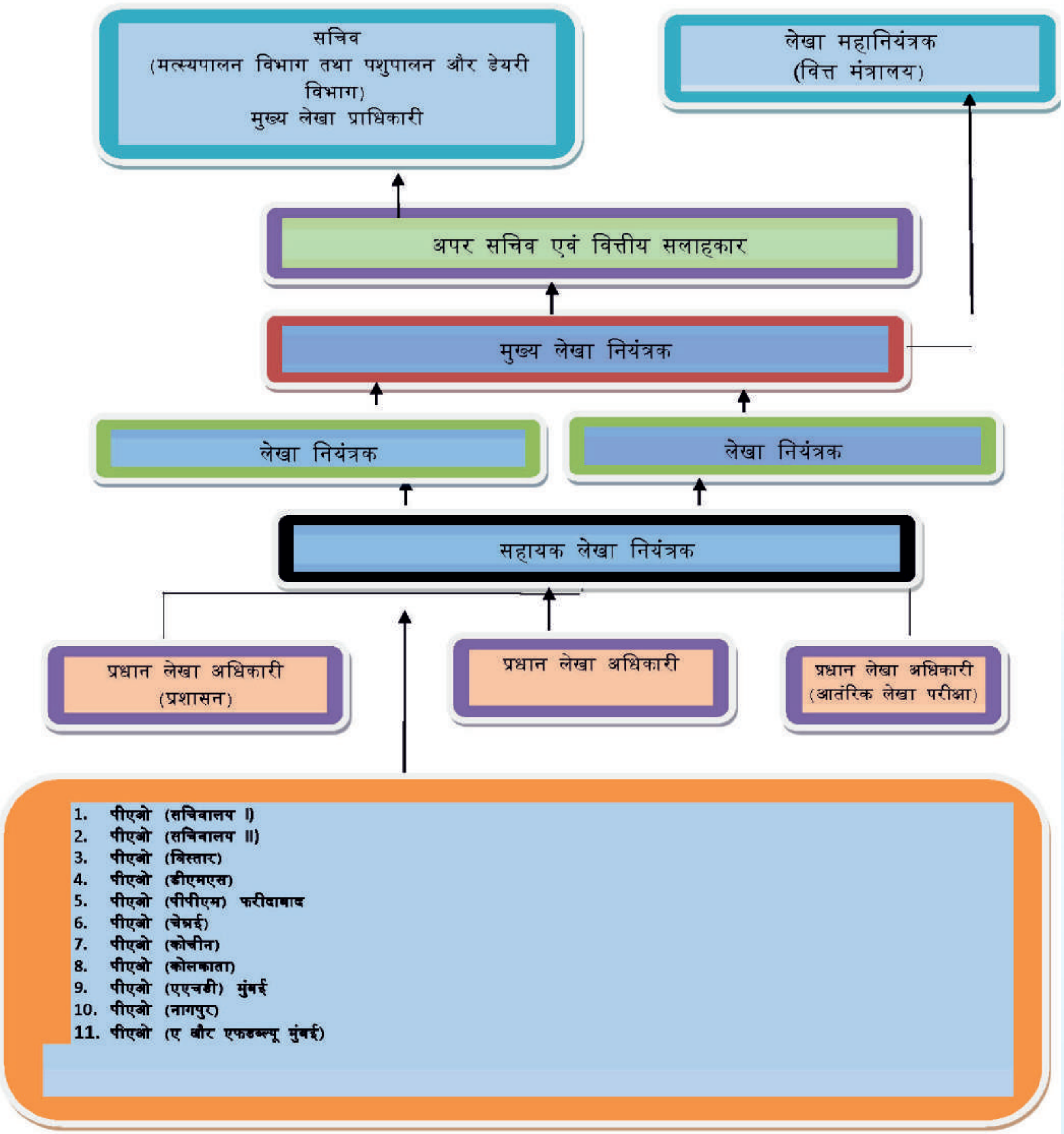

लेखांकन जानकारी का प्रवाह

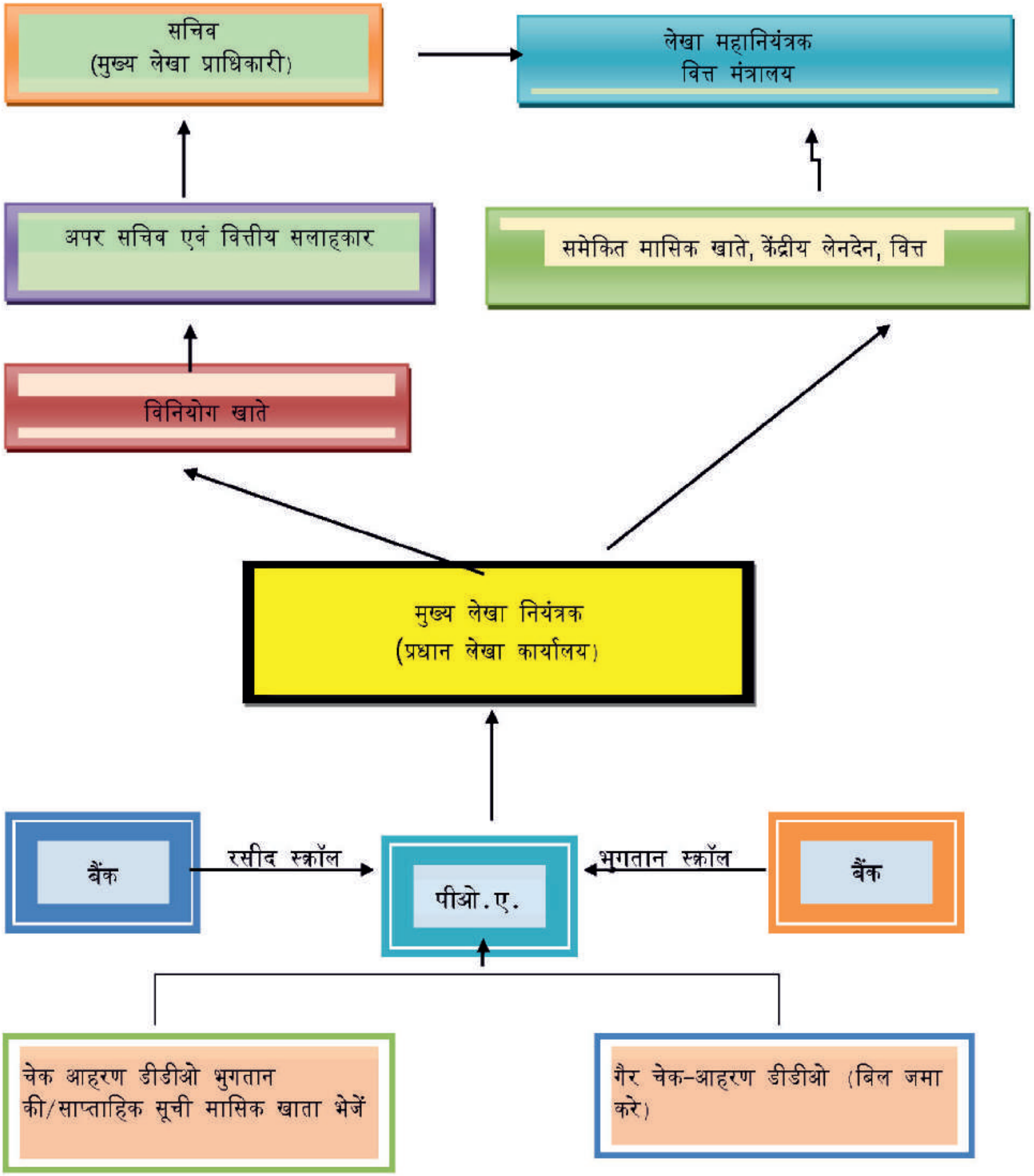

सत्यमेव जयते

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

Department's Website : https://www.dahd.gov.in • Farmer's Portal : http://www.farmer.gov.in

@Dept_of_AHD @DeptoAHD https://apps.mgov.in/details?appid=1526